खण्ड-186, अंक-6
सोमवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(26 अगस्त, 1957 ई0)

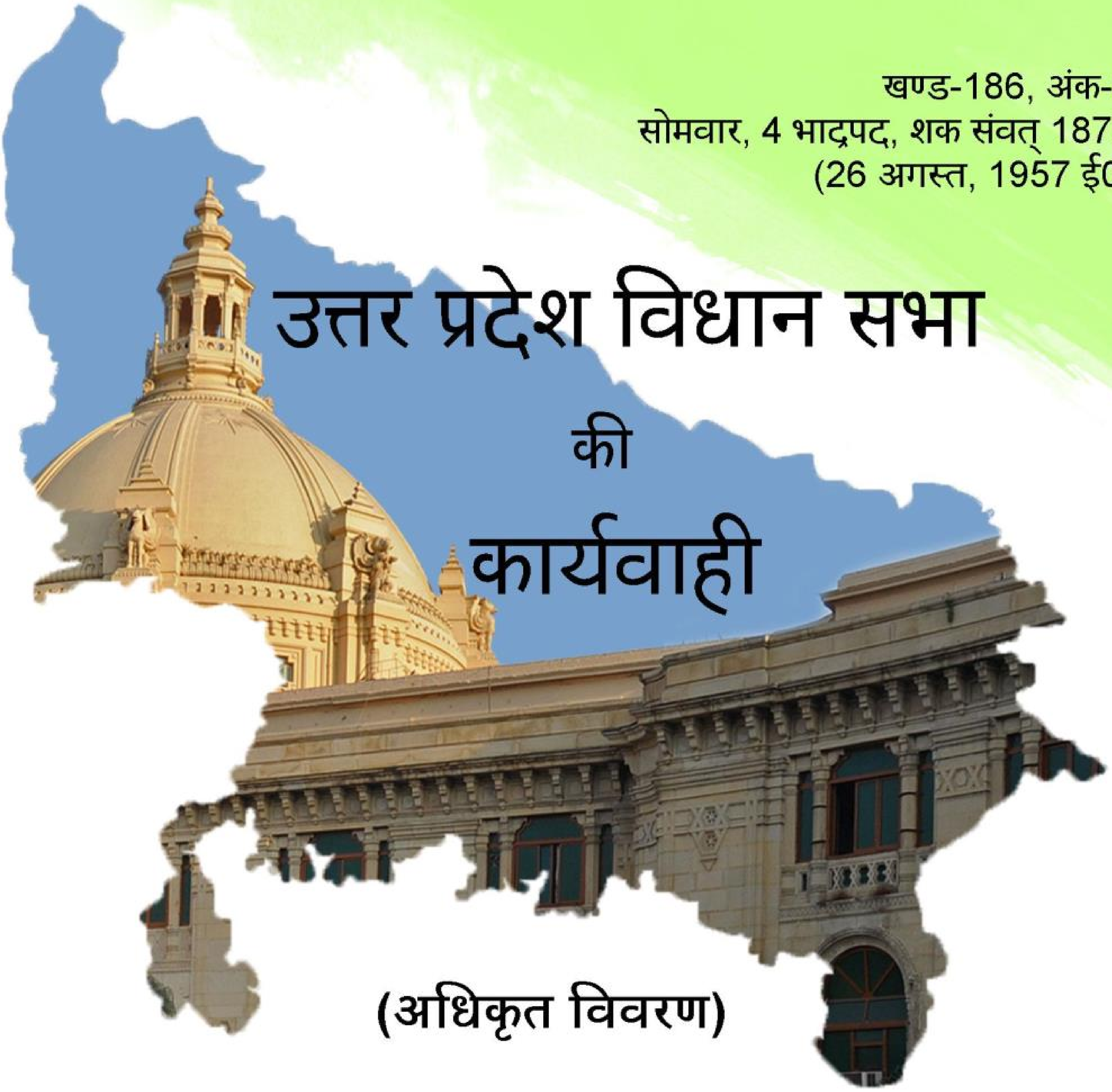

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा सदस्य, श्री गेंदासिंह, द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (कल के लिये स्थगित) ..	४८४
श्रीकृष्ण सुनार की अभिकथित भुखमरी से मृत्यु के संबंध में अन्न मंत्री का वक्तव्य, ...	४८५–४८७
उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) विधेयक, १९५७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा ..	४८७
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६, के अधीन प्रख्यापित आज्ञा (मेज पर रखी गयी) ..	४८७–४८८
१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन— ..	४८८–४८९
अनुदान संख्या ८–लेखा शीर्षक १३–अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय (स्वीकृत)	४८९–४९०
अनुदान संख्या ११–लेखा शीर्षक १८ इंजीनियरिंग संस्थायें (स्वीकृत)	४९०
अनुदान संख्या ३७–लेखा शीर्षक ५५–बुढौती भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	४९०
अनुदान संख्या ५०–लेखा शीर्षक ८३–पेंशनों की संराशि का भुगतान (स्वीकृत)	४९०
अनुदान संख्या ५२–लेखा शीर्षक त–राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	४९१
अनुदान संख्या ३८–लेखा शीर्षक ५६–लेखन सामग्री और छपाई (स्वीकृत)	४९१
अनुदान संख्या २७–लेखा शीर्षक ४३–उद्योग तथा अनुदान संख्या ४६–लेखा शीर्षक ७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	४९१–५३२
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	५३२–५४९
नस्थियां	५५०–५६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २६ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३१९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असगरअली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्मा राम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्म शाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री

गौरीशंकर, श्री
घनश्यामदास डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदन मोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री

संसदीय प्रलेख सभा

रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २६ अगस्त, १९५७ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

१९५७–५८ में चकबन्दी योजना को और जिलों में लागू करना

**१—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में किन-किन जिलों में चकबन्दी योजना चालू वित्तीय वर्ष में लागू होने वाली है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---चालू वित्तीय वर्ष में सरकार राज्य के किसी भी नये जिले में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार नहीं कर रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि और जिलों में यह योजना लागू होने नहीं जा रही है ?

श्री चरण सिंह---ट्रेंड परसोनेल की कमी है जैसे कंसोलिडेशन आफिसर्स की बहुत कमी है। जब ट्रेंड हो जायेंगे तो उनको तरक्की दी जायगी और नये जिलों में इसको लागू किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस योजना में खर्च हो रहा है, क्या उसका आधा रुपया केन्द्रीय सरकार देती है ?

श्री चरणसिंह---जी, जो नेट खर्चा होगा उसका वह आधा तक देने को तैयार हैं, लेकिन जो पूरा खर्चा होगा वह पूरे खर्चे से २५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अन्य जिलों में इस योजना को लागू न करने का कारण यह भी है कि इसके बढ़ते हुये विरोध को देखते हुये यह लागू न की जाय ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, यह भावना तो कुछ लोगों के बयान तक महज महदूद है, बाकी जहां चकबंदी योजना चल रही है, किसान अधिकतर और बड़ी संख्या में संन्तुष्ट हैं, बल्कि कुछ जगहों से मतालबा है कि जल्द शुरू की जाय।

तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर जिले की शुगर मिलों द्वारा गन्ने की पेराई व मिलों पर गन्ने की कीमत तथा सोसायटी के कमीशन का बकाया

*१---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले की चारो शुगर मिलें किस-किस तिथि में इस सीजन में चालू हुईं, और अलग-अलग प्रत्येक मिल ने ३० अप्रैल, १९५७ तक कितना गन्ना पेर लिया है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका "क" में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५० पर)

*२---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ३०अप्रैल, १९५७ तक सर्वे के आंकड़ों के आधार पर उक्त प्रत्येक मिल पर अलग-अलग कितना गन्ना शेष है और वह कब तक पेरा जा सकेगा ?

श्री रऊफ जाफरी---प्राप्त सूचना के अनुसार मुजफ्फर नगर जिले की चारो चीनी मिलें अपने-अपने क्षेत्र का १९५६-५७ सीजन का सब अवेलेबिल गन्ना पेर कर बन्द हो चुकी हैं। ३० अप्रैल, १९५७ को हर एक मिल के क्षेत्र में जितना गन्ना पेरने को था उसके आंकड़े और मिलों के बन्द होने की तारीखें संलग्न तालिका "ख" में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५१ पर)

*३---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि मुजफ्फर नगर जिले की चारो शुगर मिलों पर अलग-अलग कितने गन्ने की कीमत व सोसाइटी का कमीशन अभी तक शेष है ?

श्री रऊफ जाफरी---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका "ग" में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि चारो शुगर मिल्स १२ जून, २३ मई, ३० मई और २ जुलाई को गन्ना पेरकर बन्द हुईं तो क्या मंत्री जी आइंदा प्रारम्भ से ही सप्लाई को इस तरह से ऐडजस्ट करने का प्रयास करेंगे जिससे सब मिलें एक ही वक्त पर गन्ना पेर कर बन्द हों ?

श्री रऊफ जाफरी---यह बड़ा मुश्किल है सब मिलों के लिये कि वे ३० तारीख तक बन्द कर दी जांय, क्योंकि मिलों की अलग-अलग कैपेसिटी होती है और अलग-अलग जगह गन्ने की सप्लाई कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम होती है। लेकिन अगर उनका मतलब यह था कि कोशिश की जाय कि मिलें जल्दी चलें तो इसकी तरफ जरूर ध्यान दिया जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

मैंने प्रश्न किया था कि क्या गन्ने की सप्लाई को मंत्री महोदय इस प्रकार से ऐडजेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिससे अबकी दफा मिलों के बन्द होने का समय महीनों आगे और महीनों पीछे तक न रह सके ?

श्री रऊफ जाफरी---इस पर जरूर ध्यान दिया जायगा।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---जो २ जुलाई तक मिल चालू रही तो गन्ने के सूख जाने से उन किसानों को कितनी हानि हुई क्या सरकार ने इस का कोई सर्वे कराया है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसका सर्वे तो नहीं कराया कि कितना नुकसान हुआ, लेकिन यह जरूर है कि अगर वह सब गन्ना खत्म न करतीं तो उनको नुकसान ज्यादा होता। चलने से फायदा ही हुआ।

श्री दीनदयालु शर्मा---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिस वक्त मिलें चालू की गयी थीं तो सरकार ने वादा किया था कि ठीक वक्त पर गन्ना ले लिया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी---अब यह तो इसी पर है कि 'ठीक वक्त' का क्या मतलब माननीय सदस्य लेते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मन्सूरपुर और शामली शुगर मिल्स ने जैसा कि उत्तर में उन्होंने बताया है – २२ जुलाई, १९५७ को सार्टिफ़िकेट्स इश्यू कर दिया था, लेकिन उनके इश्यू होने के बाद भी आज तक जो गन्ने की कीमत उनके ऊपर बकाया थी वह बकाया पड़ी है, इसकी क्या वजह है ?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि जवाब में दिया गया है सार्टिफिकेट्स तो इश्यू हो गये हैं, लेकिन क्या वजह है और क्यों रुपया अब तक बकाया पड़ा हुआ है इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार मुजफ्फरनगर की चार मिलों को इस वर्ष जल्दी चलाने का इरादा रखती है, नवम्बर के मास से ही, ताकि हर साल का यह झगड़ा कि देर तक चलीं, खत्म हो जाय ?

श्री रऊफ जाफरी---पहले सवाल के उत्तर में यह जवाब दिया जा चुका है कि आइन्दा कोशिश की जायगी कि मिलें जल्दी चलें।

श्री इन्दुभूषण गुप्त(जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि 'ठीक समय' से उनका क्या आशय है ?

श्री रऊफ जाफरी---जब सब गन्ना पिर जाय, वह ठीक समय है समाप्त होने का, और जब तक गन्ना आता रहे और लिया जाता रहे, वह ठीक समय है लेने का।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--केन सोसाइटियों से गन्ने का टोटल स्टाक सन् १९५६-५७ में कितना-कितना मिला था ? क्या चारों मिलों का अलग-अलग बताने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जून या जुलाई तक जो मिलें चलीं तो इस बीच में गवर्नमेंट ने जो मिनिमम केन प्राइस फ़िक्स किया था उसी हिसाब से काश्तकारों को गन्ने की कीमत दी गयी ?

श्री रऊफ जाफरी--वह तो जो मिनिमम प्राइस फ़िक्स होती है वह मई तक चलती है । अबकी दफ़ा शायद ७ मई तक तो वह प्राइस दी गयी और उसके बाद रिकवरी से प्राइस लिंक हो जाती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि जो २४ लाख २२ हजार रुपया अबतक शेष है उसका क्या कारण है ? और क्या सरकार उस पर किसानों को सूद दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--वह तो कायदे के एतबार से सूद उनको मिलेगा ही ।

*४-५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६-७--**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामगंगा प्रोजेक्ट के कार्य की प्रगति

*८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामगंगा प्रोजेक्ट पर अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)--रामगंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बनने वाले रामगंगा नदी के पुल के निर्माण के लिये ठेका दिया जा चुका है और उसके निर्माण के लिये उचित प्रबन्ध किया जा रहा है । पुल के बांई ओर से आने वाली सड़क पर तथा गाइड बांध पर मिट्टी भराई का काम पूरा हो चुका है ।

इसके अतिरिक्त सुरंगों (tunnels) की स्थिति पर ड्रिलिंग (Drilling) द्वारा भूगर्भ की खोज का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बांध के डिजाइन, बांध के निर्माण में काम आने वाली मिट्टी, पत्थर, रोड़ा आदि की खोज तथा बांध तक पहुंचने वाली सड़कों से सम्बन्धित जांच पड़ताल के कार्य पर भी प्रगति हो रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि अब तक जितना कार्य हुआ है उस पर कितना व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति--सन् १९५६-५७ में करीब १७ लाख रुपया खर्च हुआ है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि वर्तमान गति से यह प्रोजेक्ट कबतक पूरा होगा ?

श्री राममूर्ति--गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने जैसा प्रोग्राम बनाया है उसके अनुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना के २ साल के बाद हो पायेगा यानी सन् ६३ या ६४ के आखिर तक ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--इस प्रोजेक्ट के कम्पलीट हो जाने पर कितने एरिये में भूमि का सिंचन किन-किन जिलों में हो सकेगा ?

श्री रामर्मूति--मेरे पास इस वक्त आंकड़े नहीं हैं कि कितनी भूमि का सिंचन हो सकेगा, लेकिन इससे करीब ४ हजार क्यूजेक्स पानी हमें मिलेगा और उससे फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद यानी गंगा से उस ओर जितनी नहरें निकलती हैं उन सबको इससे फायदा होगा ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां यह योजना के अन्तर्गत यमुना में गिरेगी वहां से रेलवे ब्रिज घाट तक पक्का करने की योजना है ?

श्री राममूर्ति--इसके बारे में अभी तक कोई निश्चित प्रोग्राम नहीं बना है ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि शुरू होने के पहले यह वादा किया गया था कि आगरा डिवीजन और खासकर आगरा और मथुरा को इससे पानी दिया जायगा, वह इसमें सम्मिलित है या निकाल दिया गया ?

श्री राममूर्ति--यह बात सही है कि लोअर गंगा का पानी जो हमारे पास बचेगा वह आगरा और मथुरा के लिये भी मिलेगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रामगंगा प्रोजेक्ट के लिये कितना रिवाइज्ड बजट है और इसमें से कितना केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री राममूर्ति--यह आशा की जाती है कि इस योजना पर १७ करोड़ रुपया खर्च होगा । इनमें से १७ करोड़ रुपया सिंचाई के काम में और १० करोड़ रुपया बिजली के कार्यों पर होगा । यह सारा रुपया गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से लोन में मिलेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस रामगंगा प्रोजेक्ट के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर फर्स्ट फेज में जितना लिखा हुआ है, वह कब तक पूरा होगा ?

श्री राममूर्ति--उसका जो फर्स्ट फेज है उसमें करीब साढ़े ४ करोड़ रुपया खर्च होगा और यह सारा रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिर तक खर्च हो जायगा ।

माताटीला बांध के निर्माण-कार्य की प्रगति

*९--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माताटीला बांध कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--माताटीला बांध का निर्माण मार्च, १९६१ तक समाप्त होने की आशा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माताटीला बांध के निर्माण के १९६१ तक पूरा होने के कारण क्या हैं जब कि यह ऐलान किया गया था कि इससे पहले यह पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--जो इसमें द्वितीय चरण में फाटक लगने वाले हैं उनके लिये प्रर्याप्त मात्रा में स्टील वगैरह मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है और दूसरी दिक्कत यह पैदा हुई कि इनका (नहरों का) बहुत कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में बन रहा है और इस जमीन पर ऐसे स्लेक्स पैदा हो गये हैं जिनके कारण दिक्कत पैदा हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अब तक इसमें कितना काम हो चुका है और कितना व्यय हो चुका है ?

श्री राममूर्ति---जहां तक बांध का ताल्लुक है, वह तो बिलकुल पूरा होगया; लेकिन सिर्फ द्वितीय चरण में जो फाटक लगने वाले हैं वे रह गये हैं। हाइडेल से सम्बन्धित जो बिजली-घर हैं वे अभी बाकी हैं। मेरे पास रुपये के खर्च के आंकड़े नहीं हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बिजली कब तक बुन्देलखंड के जिलों में मिलने की आशा पायी जाती है ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि सन् १९६१ तक यह काम खत्म होगा तब बिजली-घर बनकर तैयार हो जायेंगे तो फिर बुन्देलखंड के इलाके में बिजली ही बिजली होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस माताटीला बांध को माननीय सदन के माननीय सदस्यों को दिखाने की किसी योजना पर सरकार बिचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---जैसा कि प्राविजन है उसके अनुसार अगर माननीय सदस्य किराये का खर्चा उठाने को तैयार हो जांय तो सबको ले जाया जा सकता है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इससे कितनी किलोवाट बिजली पैदा होगी ?

श्री राममूर्ति---इसके सही आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ट्यूबवैल बनाने के लक्ष्य की पूर्ति

*१०---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में कितने ट्यूबवैल लगाने का लक्ष्य निर्धारित था और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक सफलता मिली ?

श्री राममूर्ति---प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रदेश में ३,१५२ नलकूप लगाने का लक्ष्य निर्धारित था जिनमें से ३,१५० नलकूपों पर सफल बोरिंग (Boring) हो चुकी है और २,९८० नलकूप चालू हो चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर बोरिंग सफल हो चुकी हैं वहां पर नलकूपों को कार्य करने में और कितना समय लगेगा ?

श्री राममूर्ति---ट्यूब वेल की बोरिंग सफल होगयी, लेकिन अभी वहां पर उनके थर्मल हाउसेज बन रहे हैं, कुलाबे बन रहे हैं और बिजली लगायी जा रही है। यही सब काम बाकी है जो होना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या ये ट्यूबवैल जो अभी लगाये गये या चालू किये गये हैं, यह सब योजना के अनुसार उन सभी जिलों में स्थापित किये गये हैं जो कि पहली योजना में थे, उसमें कोई तब्दीली तो नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति---कोई विशेष तब्दीली नहीं की गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने यह ट्यूबवैल बन चुके हैं गोरखपुर जिले में, इसमें से कुछ ऐसे भी ट्यूबवैल हैं जो बनकर चालू हो गये हैं और कुछ बिजली न मिलने की वजह से बन्द पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है इस माने में कि बिजली तो करीब-करीब सभी पर लगा दी गयी है ऐसी उम्मीद की जाती थी कि हमारे इन इलाकों में सुहावल, मऊ और गोरखपुर में जल्दी हमारे पावर हाउसेज बन जायेंगे लेकिन पिछले दिनों अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि जिसकी वजह से मशीनरी इत्यादि के आने में कुछ देर हो गयी । यह आशा की जाती थी कि गोरखपुर में हमारे पावर हाउसेज करीब-करीब मार्च-अप्रैल तक बन कर तैयार हो जायंगे, मगर वह मजबूरी की वजह से पूरे नहीं हो सके । इस वजह से कुछ ट्यूबवैल बिजली नहीं पा सके और जो पहला कार्यक्रम निकला उसमें ठीक संचालन नहीं हो सका । यह आशा की जाती है कि अक्टूबर तक हमारे पावर हाउसेज बनकर तैयार हो जायंगे । जितने ट्यूबवैल उस रीजन में हैं, तब वह सही तरीके पर चल सकेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या ये ट्यूबवैल्स जो पंचवर्षीय योजना में बनाये गये हैं और इसमें जो संख्या दी गयी है, यह स्टेट ट्यूब वैल्स हैं या प्राइवेट टयूबवैल्स हैं या कोआपरेटिव ट्यूबवैल्स हैं या यह तीनों की संख्या मिला कर दी गयी है ?

श्री राममूर्ति—यह जो संख्या इस में दी गयी है यह सारी स्टेट ट्यूबवैल्स की है ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब ऐसी दिक्कत उनके सामने आजाती है जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का होना उन्होंने बतलाया, तो वैसी दशा में उन एरियाज के काश्तकारों को यह सूचना देने की व्यवस्था करेंगे कि वे लोग ट्यूबवैल्स के पानी की अपनी फसलों के लिये इन्तजार न करें जिससे उनको जो नुक्सान हो जाता है उससे वे बच जांय ?

श्री राममूर्ति—अब यह तो वाकया हो चुका, उसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं ! आगे तो ऐसी आशा नहीं है कि इस तरह की दिक्कत पैदा होगी ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—कृपया माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि गोरखपुर का थरमल पावर हाउस बनने की कब तक सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं इस हाउस में अर्ज कर चुका हूं कि वह २, २॥ महीने में खत्म होने वाला है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या यह सही है कि गोरखपुर के जितने ट्यूबवैल इंजिन द्वारा चल रहे थे उनसे इंजन हटा लिये गये और बिजली भी न मिल सकी, जिससे कितने ही खेतों को बड़ा भारी नुकसान हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल भी पहले सामने आ चुका है । एक इंजन का एक पुर्जा खराब हो जाने की वजह से कुछ दिनों के लिये इंन्टेरिम पावर स्टेशन में बिजली बनना बन्द हो गया था । वह ठीक होगया, उसके बाद से वह कैफियत जाती रही ।

*११-१३—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४-६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१४-१५—श्री प्रताप सिंह—[६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

बरेली के सिंघिया नाले की बाढ़ की रोकथाम तथा इस पर पुल निर्माण की व्यवस्था

*१६—श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील नवाबगंज, जिला बरेली, में सिंघिया नाला में बाढ़ आ जाने से सन १९५५ व १९५६ में किन-किन गांवों की खरीफ की फसल बरबाद हो गयी ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५५ व १९५६ में सिंघिया नाले में बाढ़ आने से नवाबगंज तहसील ? जिला बरेली, के किसी ग्राम में खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट नहीं मिली ।

*१७—श्री शिवराज बहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नाल से फसल का जो नुकसान होता है उसके रोकने के लिये उसने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—सिंघिया नाले में बैहगुल नदी से एक नाला मिलता है जब नदी में बाढ़ आती है तो बहुत सा पानी उस नाले में से होकर सिंघिया नाले में आ जाता है । फसलों को नुकसान से बचाने के लिये बैहगुल नदी पर जिला नैनीताल में एक जलाशय बनाने का विचार है ।

*१८—श्री शिवराज बहादुर (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्राम पंडरी व कल्याणपुर के बीच इस नाले पर पुल बनवाने की व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति—ग्राम पन्डरी व कल्यानपुर के बीच कछनारी ड्रेन और सिंघिया नाले को मिलाता हुआ पुल बना है जो बाढ़ आने पर डूब जाता है । इस पुल को ऊंचा करने के लिये ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, नवाबगंज, द्वारा ५०० रुपये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, रुहेलखंड डिवीजन, बरली को प्राप्त हुआ है । इस पुल को ऊंचा करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के खादी केन्द्रों को सरकारी सहायता

*१९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सरकारी खादी केन्द्र कहां-कहां हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—आजमगढ़ जिले में सरकारी खादी केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में हैं :—

जहानागंज, मोहम्मदाबाद, घोसी, मझवारा, सिधारी, बिलरियागंज, मैरोदासपुर कोयलसा, अतरौलिया, अहरौला, ठेकमन, मेहनाजपुर, बरुआगोदाम और कोपागंज ।

*२०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के घोसी तहसील के सरकारी खादी केन्द्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है,?

श्री रऊफ जाफरी—घोसी तहसील में घोसी और कोपागंज के सरकारी खादी केन्द्रों का संचालन श्री गांधी आश्रम द्वारा और मझवारा केन्द्र का संचालन हरिजन गुरुकुल, दोहरीघाट द्वारा होता है ।

*२१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "मझवारा सरकारी खादी केन्द्र" पर प्रत्येक गुण्डी पर दो-दो आने की बाढ़, सूखा पीड़ित "मद" से सहायता प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी—(अ) जी हां ।

(ब) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खादी केन्द्र खोलने का आधार क्या है ?

श्री रऊफ जाफरी—वहां बाढ़ आई थी । बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये ये केन्द्र खोले गये थे और उसमें उनको २ आने सब्सीडी दी जाती थी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री यह जानने की कृपा करेंगे कि जितने स्थानों में खादी केन्द्र खोले गये हैं उनमें से अधिकतर बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में नहीं हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---बाढ़-पीड़ित फंड से दो आने की सब्सिडी दी जाती थी। यदि वहां बाढ़ नहीं है तो फसल को हानि हुई होगी। बाढ़ के मानी यही नहीं है कि डूब ही जाय। फसलों के खराब होने पर भी दी जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या जिले के और बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में खादी केन्द्र खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री रऊफ जाफरी---इस समय कोई खास योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मझवारा केन्द्र का संचालन जो गांधी गुरुकुल द्वारा होता है, उसमें सरकार कितनी मासिक सहायता देती है?

श्री रऊफ जाफरी---मझवारा सेंटर से कुल सहायता २२९०।।) दी गई है।

श्री शिवप्रसाद नागर---जिन स्थानों पर खादी केन्द्र खोले गये हैं या खोले जा रहे हैं वहां पर कपास की पैदावार के लिये भी कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक मुझे मालूम है वहां रूई की पैदावार बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---आजमगढ़ जिले के जिन स्थानों पर नियमित रूप से बाढ़ आती है या अधिक पानी पड़ता है और हानि होती है, वहां खादी केन्द्र न खोल कर वहां क्यों खोले गये हैं जहां बाढ़ नहीं आती है या पानी भी कम बरसता है?

श्री रऊफ जाफरी---जिस समय ये खोले गये थे उस समय क्या-क्या चीजें सामने थीं उनका ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है। इसलिए वह इस समय नहीं बतलाया जा सकता है। अगर माननीय सदस्य का यह मतलब है कि और कहीं भी खोले जावें तो ऐसी तजवीज पर अगर जरूरत हुई तो गौर किया जा सकता है।

श्री रामजी सहाय---कृपया सरकार बतावेगी कि इस वर्ष बाढ़ क्षेत्र में कताई पर सब्सिडी न देने का क्या कारण है?

श्री रऊफ जाफरी---सहायता का एक यही रूप नहीं हो सकता है और तरीक़ों से सहायता पहुंच गई होगी, इसलिये सब्सिडी नहीं दी गई होगी।

*२२-२४---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गए।]

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद जिलों में निर्मित ट्यूबवैल्स को बिजली की सप्लाई

*२५---श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर व फैजाबाद जिलों में कितने ट्यूबवैल गत सात वर्षों में सरकार द्वारा बनाये गये हैं?

श्री राममूर्ति---गत सात वर्षों में गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद जिलों में कुल ७७९ नलकूप बनाये गए।

*२६---श्री त्रिलोकी सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ट्यूबवैल को चालू करने के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता है और कितनी बिजली इस समय वहां प्राप्त है?

श्री राममूर्ति---उक्त नलकूपों को चालू करने के लिये ७५६३ किलोवाट बिजली की आवश्यकता है। परन्तु अभी कुल ५००० किलोवाट (Kilowatt) बिजली ही प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सिंचाई मंत्री, इन प्रश्नों के उत्तर साढ़े दस बजे मेरे कार्यालय में आये हैं। क्या माननीय सदस्य आज लेना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकी सिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---जब बिजली अधिक नहीं थी, तो इतने ज्यादा ट्यूबवेल क्यों बनाये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने अर्ज किया कि यह समझा गया था कि जितनी बिजली हो उतनी से काम ले लिया जाय, इसलिये ट्यूबवेल लगाये और उनको रोस्टरिंग के जरिये बिजली दी गई। २४ घंटे बिजली लेने का हक़ इस्तेमाल नहीं हो सकता था, घंटे मुक़र्रर हो जाते थे। पावर हाउस जब तक न बने उस समय तक के लिये यह इन्टैरिम इन्तजाम किया गया था।

श्री गौरीशंकर राय---कम बिजली होने से ट्यूबवेल की ऐफ़ीशेंसी पर क्या असर पड़ा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ट्यूबवेल की ऐफ़ीशेंसी तो बहुत ही कन्जर्व हो गई, ज्यादा बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बिजली की कमी के कारण इन ७७९ कुओं में से कितने चल रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---ट्यूबवेल्स सब चल रहे हैं, लेकिन रोस्टरिंग हुआ करता है, इसलिए कम समय चलते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस बिजली की कमी के कारण कितने कम क्षेत्रफल में सिंचाई हो पा रही है ?

श्री राममूर्ति---पूर्वी जिलों में तो वैसे ही सिंचाई कम होती है। यह तो इत्तिफाक की बात है कि बिजली की कमी हो गयी और सारी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट के ऊपर आ गयी।

श्री इन्दुभूषण गुप्त---जो ट्यूबवेल बिजली की कमी के कारण नहीं चल रहे हैं क्या उनको इंजन द्वारा चलाने की कोशिश की जायगी ताकि इस वक्त जो अन्न उत्पादन में कमी हो रही है वह न हो ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कोई ट्यूबवेल ऐसा नहीं है जो बिल्कुल न चलता हो। हां, जितने चलने चाहिये उतने नहीं चल रहे हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ट्यूबवेल्स की ऐफीशियेंसी का मियार, कितना पानी उससे मिल सकता है, यह है अथवा कितना पानी कुएं के नीचे मौजूद है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जमीन के नीचे कितना पानी है इससे और बेचारे ट्यूबवेल से कोई ताल्लुक नहीं है। जब तक उससे पानी खींचा न जायगा तब तक जमीन के नीचे जो पानी होगा कैसे आ जायगा ?

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिजली की कमी की वजह से ट्यूबवेल से जितना पानी २४ घंटों में मिल सकता है, उस पर क्या असर पड़ता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इससे मेरे नजदीक कोई असर नहीं पड़ता। मान लीजिये ओरीजीनली कोई कुआं १६ घंटे चलता है और उसके बजाय अगर वह ८ घंटे चलता है तो एक घंटे में जितनी क्वान्टिटी पानी की मिलती है, उसमें क्या असर पड़ सकता है ?

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ट्यूबवैल्स में बिजली की कमी है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं समझता था कि आज मेम्बरान इस सूबे की बिजली की हालत से खूब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे क्योंकि यह किताब जो मेम्बरान को छपवाकर दी गई हैं उसमें सारी बातें लिख दी गई हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेम्बर साहबान उसको पढ़ लें।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि पूर्वी जिलों में सिंचाई की आवश्यकता कम है तो फिर वहां पर इतने ज्यादा कुएं क्यों बनाये गये ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह ७७९ ट्यूबवैल्स कब बनकर तैयार हो गये ?

श्री राममूर्ति—मुख्तलिफ डेट्स में बन कर तैयार हुए, जो पहले शुरू हुआ वह पहले बन गया और जो बाद में शुरू हुआ बाद में तैयार हुआ।

*२७-२८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

हाथरस में विद्युत प्राप्ति में कठिनाई

*२९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस के कितने नागरिकों को उद्योगों के लिये विद्युत कितने अश्वशक्ति की इन दो वर्षों में स्वीकृति हुई है और उनमें से कितनों को अभी तक नहीं मिली और क्यों ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—हाथरस शहर में जनवरी, १९५५ से जून १९५७ तक औद्योगिक कार्यों के लिये ७३८ नागरिकों को ६,१९७ अश्व शक्ति की विद्युत की स्वीकृति दी गई है। इनमें से ७०३ को अभी बिजली नहीं मिली क्योंकि अधिकांश ने रुपया जमा नहीं किया। जिन ५८ व्यक्तियों ने जमानत का रुपया जमा किया था उनमें से ३५ को बिजली मिल गई है।

*३०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि हाथरस की बिजली कम्पनी लिक्वीडेशन में है ? यदि हां, तो उसे कब तक मुक्ति मिल सकेगी ? इतनी देर होने क क्या क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है।

*३१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार हाथरस की विद्युत कम्पनी का काम म्युनिसिपल बोर्ड को देने पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १९५५ से अब तक ७०३ व्यक्तियों को स्वीकृति मिलने पर भी बिजली क्यों नहीं मिल पायी ?

श्री धर्मसिंह—मैंने यह बतलाया कि सिर्फ ५८ व्यक्तियों ने जमानत जमा की है जिनमें ३५ को बिजली मिल चुकी है और जिन लोगों ने जमानत नहीं जमा की, तो उनको बिजली कैसे मिल जाती ?

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह बिजली कम्पनी मोटे तार जिन पर बिजली ले जायी जा सकती है, उस पर रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह कम्पनी लिक्वीडेशन में है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजली कम्पनी ने जमानत का रुपया इसलिये जमा नहीं किया कि वह तार पर रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है ?

श्री धर्मसिंह---यह बात नहीं है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाथरस में किन-किन प्रकार के उद्योगों के लिये बिजली की स्वीकृति सरकार ने दी है ?

श्री धर्म सिंह---यह तो इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये दी जाती है । लाइट और फैन के लिये तथा ऐग्रीकल्चरल परपजेज के लिये भी दी गयी है । इंडस्ट्रियल परपजेज में बहुत से उद्योग-धंधे आ जाते हैं, कोई खास उद्योग की तो कोई बात नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---हाथरस में जिन लोगों ने जमानत का रुपया दाखिल कर दिया है और उनको बिजली अभी तक नहीं मिली है, ऐसे कितने केसेज हैं ?

श्री धर्मसिंह---वह तो मैंने बतलाया कि २३ आदमी ऐसे रह गये हैं जिनको अभी तक बिजली नहीं मिल पायी है ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छोटे उद्योग-धंधों के लिये और दूसरे सामान्य इस्तेमाल के लिये बार-बार जब बिजली के लिये दरख्वास्त दी जाती है, पैसा भी जमानत का जमा कर दिया जाता है, फिर भी बिजली हासिल नहीं होती, तो इसका आसान तरीका क्या है जिससे बिजली मिल सके ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसके मुताल्लिक मैं अर्ज कर दूं, हुजूर, कि अगर इस किस्म की कोई शिकायत हो तो वह गवर्नमेंट की इत्तला में ला दी जाय ।

इटावा जिले में लोगों को बिजली के कनेक्शन देने के लिये सरकारी आदेश

*३२---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में बिजली के "पावर" के लिये करीब एक साल से लोगों से रुपया जमा करवा लिया गया पर अभी तक पावर कनेक्शन नहीं दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, ३६ व्यक्तियों का जमानत और कनेक्शन का रुपया बिजली कम्पनी के पास जमा है ।

*३३---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (अनुपस्थित)---यदि हां, तो कब तक पावर कनेक्शन दिये जायेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बिजली कम्पनी को आदेश दे दिया गया है कि वह उन व्यक्तियों को कनेक्शन देने का तुरन्त प्रबन्ध करें ।

*३४---३५---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

अलीगढ़ जिले मे जूता उद्योग को सरकारी सहायता की आवश्यकता

*३६—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतान की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में जूता बनाने वालों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या-क्या योजना बना रक्खी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अलीगढ़ जिले में जूता बनाने वालों की सहायता के लिये सरकार द्वारा कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

सरकार की ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत कुटीर उद्योगों के विकास के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। अलीगढ़ के जूता बनाने वाले भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं।

अलीगढ़ जिले के ताले ढालने वालों को कोयला मिलने में कथित कठिनाई

*३७—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि अलीगढ़ जिले में ताले ढालने वालों को भट्ठी जलाने के लिये कोयला नहीं मिलता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

*३८—श्री रामप्रसाद देशमुख (अनुपस्थित)—क्या सरकार इन गरीब ढलाई करने वालों को कोयला दिलाने की कोई व्यवस्था करने को तैयार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती करने का सुझाव

*३९—श्री विश्रामराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी व्यय में कमी करने के लिए केन्द्रीय अफसरों की भांति प्रान्तीय सरकार के उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री धर्म सिंह—ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार को यह भी मालूम नहीं है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है।

श्री विश्राम राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य के उच्च कर्मचारियों की तनख्वाह घटाने के लिए क्या कुछ विचार करने की सम्भावना है ?

श्री धर्म सिंह—इस समय इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

अम्बर चर्खा प्रशिक्षण मेरठ द्वारा प्रदेश में खोले गये केन्द्र

*४०—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुटीर उद्योग संचालक, कानपुर, तथा अम्बर चर्खा प्रशिक्षण, मेरठ की ओर से उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने केन्द्र खुले हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, कानपुर की ओर से इस प्रदेश में कोई अम्बर चर्खा केन्द्र नहीं खोला गया है।

अम्बर चरखा प्रशिक्षण, मेरठ की ओर से इस प्रदेश में इस समय ८५ अम्बर प्रशिक्षण परिश्रमालय और ७ अम्बर विद्यालय चल रहे हैं जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५५३ पर।)

श्री विश्राम राय---क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि अम्बर चर्खा प्रशिक्षण मेरठ की ओर से जो विद्यालय चल रहे हैं उन का खर्चा गांधी आश्रम, मेरठ देता है या सरकार देती है ? अगर सरकार देती है तो किस हिसाब से ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रादेशिक सरकार नहीं देती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ के अतिरिक्त और किन-किन स्थानों पर अम्बर चर्खे के शिक्षण केन्द्र हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---फेहरिस्त मेज पर रख दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष---आपने शायद ८५ बतलाये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह जो ८५ संख्या बतायी है वह क्या मेरठ के लिए बतायी है ?

श्री रऊफ जाफरी---वह मेरठ ही में नहीं बल्कि कुल प्रदेश में ८५ हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ प्रशिक्षण को जो सहायता केन्द्र से मिलती है, उसकी जानकारी उनको है ?

श्री रऊफ जाफरी---जो सहायता उनको मिलती है, वह तो सीधे बोर्ड से उन्हें मिलती है।

*४१---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---[९ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

ग्राम हसरौली, जिला जौनपुर में नलकूप के लिये बनाई गई कच्ची तथा पक्की नालियों की लम्बाई

*४२---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम हसरौली, परगना रारी, जिला जौनपुर में नलकप से पानी ले जाने के लिए कितने गज पक्की और कच्ची नाली बनायी गयी है ?

श्री राममूर्ति---ग्राम हसरौली, परगना रारी, जिला जौनपुर, में नलकूप से पानी ले जाने के लिए ६ फ० १६५ फीट पक्की तथा ३ फ० १६५ फी० कच्ची नाली (तदनुसार १३७५ व ७१५ गज) बनायी गयी है।

व्यय में कमी करने के लिये इकोनामी कमेटी की नियुक्ति

*४३---श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह व्यय में कमी करने के लिए किफायतशार बोर्ड की नियुक्ति करने तथा उस सम्बन्ध में सरकारी विभागों को आदेश जारी करने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसा किफायतशार बोर्ड नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के सारे खर्चों की पूरी-पूरी जांच करने तथा उनमें कमी के सुझाव देने के लिए सरकार ने पहले ही से इकानोमी कमेटी (Economy Committee) बना दी है। इस कमेटी ने अब तक जो काम किया है तथा अनावश्यक व फुजूल खर्चों में और ज्यादा कटौती करने के इरादे से सरकार भविष्य में जो कार्यवाही करना चाहती है, वह बजट भाषण के पैरा ४१ और पैरा ४२ में दी गयी हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछली बार जो इकानोमी कमेटी नियुक्त की गयी थी उसका काम पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो वह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री धर्म सिंह---उसका अधिकतर काम पूरा हो गया है और थोड़ा-सा रह गया है और कोशिश है कि वह भी जल्द पूरा हो जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछली इकोनोमी कमेटी में जो बातें बतायी गयी हैं उनके अन्तर्गत कितने लाख रुपये की कमी का अन्दाजा है ?

श्री धर्म सिंह---इसके लिए नोटिस चाहिए।

*४४---कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---[९ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

नारायणी नहर से सिंचाई तथा नहर निर्माण पर व्यय

*४५---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि नारायणी नहर से पानी देने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---नारायणी नहर तैयार है और पानी की मांग होने पर उससे पानी देने का कार्य वर्तमान खरीफ में कभी भी आरम्भ किया जा सकता है।

*४६---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार यह बतायेगी कि नारायणी नहर के पानी से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति---नारायणी नहर की जो शाखाएं तैयार हैं, उनके कमान्ड में लगभग १,०७,००० एकड़ क्षेत्र है। कुछ और शाखाएं बनाने का विचार है जिनके कमान्ड में लगभग ३०,००० एकड़ भूमि और आ जायगी।

*४७---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि नारायणी नहर के निर्माण में अब तक कितना व्यय हो चुका है, तथा पूरा होने तक कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति---नारायणी नहर के निर्माण में जून, १९५७ के अन्त तक ५२,०३,८१२ रु० व्यय हो चुका है। कार्य पूरा हो जाने तक लगभग कुल ६० लाख रु० व्यय होने की सम्भावना है। लगभग ४० मील नयी शाखाएं बनाने का विचार है। यदि इन शाखाओं के बनाने का निर्णय हुआ तो ४ लाख रु० और व्यय होगा।

श्री मदन पांडेय---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष यह नहर कितने स्थानों पर भंग हो गयी है ?

श्री राममूर्ति---पिछली बार भी इसका जिक्र किया जा चुका है कि नारायणी नहर के मुंह पर थोड़ा-सा एक नाले ने जोर बांध दिया था और उस से कहीं-कहीं टूट-फूट हुई, लेकिन अब उसकी मरम्मत आदि का काम हो चुका है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नारायणी नहर से अब तक कितनी माइनर बन चुकी हैं और कितनी माइनर और बनाने का विचार है ?

श्री राममूर्ति---करीब १५० कुल शाखायें होने वाली हैं और बाकी जैसा मैंने बताया ४० मील शाखायें और बनने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी तय नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि नारायणी नहर के निर्माण का तखमीना पहले कितना लगाया गया था ?

श्री राममूर्ति---पहला तखमीना लगभग ५० लाख रु० का था।

श्री मदन पांडेय--क्या सरकार इस नहर की रक्षा के लिए नहर के पूर्वी किनारे पर और नदी के बीच में जंगल लगाने का विचार कर रही है जिस से नदी का कटाव न हो सके और नहर की भी रक्षा हो सके ?

श्री राममूर्ति--इन तमाम समस्याओं पर माननीय सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बातचीत हो चुकी है। जो हमारे इन्जीनियर हैं उनकी नोटिस में भी यह बात लायी जा चुकी है। आगे जो जरूरी बात समझी जायगी, वह की जायगी।

*४८-४९--श्री त्रिलोकी सिंह--[९ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गये] ।

भदोही पावर हाउस से बिजली की सप्लाई

*५०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर भदोही से बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है जैसे रामपुर, जमालपुर, मड़ियाहूं, परियत-सुल्तानपुर, निगोह, भानपुर, बरसठी, भन्नौर, सुखलालगंज, तेजगढ़, इस्लामगंज, कटवार, भवानीगंज, गोपालापुर, नोनारी, इत्यादि ? यदि हां, तो कितने दिन में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं, भदोही के पावर हाउस में जितनी बिजली है वह सब लग चुकी है और अधिक नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों के लिए सवाल किया गया है उन पर करीब-करीब ट्यूबवेल भी बन चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता है कि वहां पर ट्यूबवेल बन चुके हैं या नहीं ?

लखीमपुर-खीरी जिले की चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई, रिकवरी तथा कीमत

*५१--श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखीमपुर खीरी जिले में चीनी मिलों के क्षेत्रों में कितना गन्ना इस बार बोया गया था, उसमें से कितनी उपज का अनुमान सरकार ने लगाया था, कितने को केन यूनियनों ने मिलों को बांट दिया था, कितना अब तक पेरा जा चुका है और कितना खेतों में खड़ा है ?

श्री रऊफ जाफरी--प्राप्त सूचना के अनुसार सीजन १९५६-५७ में लखीमपुर-खीरी जिले की चीनी मिलों के रिजर्व्ड एरियाज में कुल १.५६ लाख एकड़ गन्ना बोया गया, गन्ने की अनुमानित उपज ४.४२ करोड़ मन आंकी गयी, गन्ना समितियों ने २.८७ करोड़ मन गन्ना बांट किया और १० जुलाई, ५७ तक सम्बन्धित चीनी मिलों ने २.४३ करोड़ मन गन्ना पेरा। इस तरह सभी गन्ना जो मिलों के परचेजिंग सेंटर्स पर आ सका, खरीद कर पेर दिया गया।

*५२--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या यह सही है कि ७ मई, १९५७ के बाद भी चीनी की रिकवरी में उतनी कमी नहीं हुई जिस पर कीमत कम दी जाय परन्तु हरगांव और गोला दोनों मिलें केवल बारह आना प्रति मन के हिसाब से किसानों को दे रही हैं ? यदि नहीं, तो उक्त मिलों की साप्ताहिक रिकवरी क्या है और वह कितनी कीमत दे रही हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी नहीं।

(ख) इन चीनी मिलों की रिकवरी के आंकड़े और उनके आधार पर आंकी गयी गन्ने के मूल्य में कटौती की दर संलग्न तालिका "क" और "ख" में दी हुई है। हरगांव और गोला मिल मई और जून, १९५७ की रिकवरी के आधार पर जिन दरों से गन्ने के मूल्य का भुगतान करेंगी उनका विवरण संलग्न तालिका "ग" में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५४-५५५ पर।)

*५३--श्री बंशीधर शुक्ल--क्या यह सही है कि इन मिलों की ओर से गन्ना किसानों को इकरार किया गया था कि वह सभी गन्ना ले लेंगे और कोल्हू किसान न चलायें? यदि हां, तो सरकार इसे पूरा कराने के लिए क्या कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी--गोला मिल ने केवल bond किये हुए गन्ने को लेने का आश्वासन दिया था। हरगांव मिल ने किसानों को कोल्हू और क्रशर न लगाने की सलाह देते हुए यह नोटिस बांटा था कि वह सब गन्ना पेर लेगी। दोनों मिलों ने अपना वादा पूरा किया और सब अवेलेबिल गन्ना पेर कर गोला और हरगांव मिल क्रमशः १० और ७ जुलाई, १९५७ को बन्द हुई।

श्री अध्यक्ष--(श्री बंशीधर शुक्ल के खड़े होने पर) पूरा किस्सा तो सुना दिया उन्होंने, अब भी कोई सवाल बाकी रह गया?

श्री बंशीधर शुक्ल--माननीय मन्त्री जी ने पूरा किस्सा तो सुना दिया मगर यह नहीं बताया कि अभी जिले में गन्ना खड़ा कितना है? यह भी जरा कृपा करके बतायेंगे कि १५ लाख मन जो रह गया है और २ लाख एकड़ इस वर्ष बोया गया है उसके पेरने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है।

श्री रऊफ जाफरी--बतला तो दिया गया कि जितना गन्ना परचेजिंग सेन्टर पर आया वह सब पिर गया। हमारी इस्तिला के बमूजिब २५-३० हजार मन गन्ना रह गया। उसकी वजह यह है कि पानी बरस गया, रास्ते खराब हो गये, ट्रांस्पोर्ट की फैसिलिटीज उनको नहीं मिलीं। इसलिए वह बेचने के लिए ला ही नहीं सके, उसका इन्तजाम क्या किया जाय?

श्री जगबीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब बांड किया हुआ तमाम गन्ना फैक्ट्रीज न पेर सकीं तो रिजर्व एरिया से बाहर से गन्ना क्यों लिया गया?

श्री रऊफ जाफरी--मैं सवाल समझा नहीं। जरा फिर से दोहरा दें।

श्री जगबीरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन फैक्ट्रीज में रिजर्व एरिया के बाहर से कुछ गन्ना खरीदा गया और वह कितना गन्ना था?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जितने मन गन्ने का इकरार मिल मालिकों के साथ केन ग्रोअर्स का हुआ था, उस गन्ने पर भी रिकवरी की बेसिस पर किसानों को कम मूल्य दिया गया?

श्री रऊफ जाफरी--जो गन्ना मिल में आया और जिसका दाम दिया गया उस तारीख के बाद जब से कि रिकवरी से प्राइस लिंक हो जाती है, उस सब गन्ने की प्राइस रिकवरी से लिंक्ड थी।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार को यह मालूम है कि जब इन किसानों के सट्टे मिल मालिकों से हुए थे और पूरा गन्ना पेरने का मिल मालिकों ने वादा किया था तो उस वक्त कोई रिकवरी की बेसिस पर दाम काटने की नोटिस भी उनको दी गयी थी ?

श्री रऊफ जाफरी--गन्ना पेरने का जो आश्वासन दिया था, जैसा कि जवाब में बतलाया गया वह तो उन्होंने पूरा किया, अब रिकवरी का या यह शायद उसमें नहीं था कि जो मिनिमम प्राइस मुकर्रर है वह हम दत जायेंग ।

गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद द्वारा रिबन सल्युशन की खरीद

*५४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गवर्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद की सन् १९५५-५६ ई० की मूल्य सूची (मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री) के पृष्ठ संख्या ५२ पर 'रिबनों' की कीमत २० रुपया १३ आना प्रति दर्जन छपी है और इस्तेमाल करने की विधि भी लिखी हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां । १९५५-५६ की मूल्य सूची के पृष्ठ संख्या ५२ पर क्रम संख्या ५८३ (ए) पर (रिबन फ्लुइडा) एक औंस प्रति फायल का मूल्य २० रु० १३ आ० प्रति दर्जन छपा है और इसकी प्रयोग विधि भी अंकित है ।

*५५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो गत वर्षों में कितनी संख्या में "रिबनों" को खरीदा गया ?

श्री रऊफ जाफरी--गत दो वर्षों में रिबन सल्युशन ५०० फायल क्रय की गईं ।

*५६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी--यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रिबन सल्युशन ५०० फायल खरीदने से रिबन के खर्चे में कितनी बचत हुई ?

श्री रऊफ जाफरी--५०० फायल खरीदने से कितनी बचत हुई यह आंकड़े मौजूद नहीं हैं, न इसका अन्दाजा लगाया गया, लेकिन बचत जरूर हुई है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि उपरोक्त ५०० फायलें रिबन की खरीदी नहीं थी, ट्रायल आर्डर था ? यदि हां, तो क्या पुनः खरीद न किये जाने के सम्बन्ध में मैन्युफेक्चरर को बतला दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह ठीक है कि वह ट्रायल आर्डर था, लेकिन चूंकि उससे अच्छी एक दूसरी चीज रिनिवट थी, जब बाद में उसे खरीदा गया तो इसे नहीं खरीदा गया ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री, उस दूसरी चीज का नाम और उसकी कीमत क्या थी, यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--नाम तो मैंने बतला दिया कि रिनिवेट सल्युशन था और हैदराबाद की एक फर्म का वह बनाया हुआ है । दाम क्या है, यह मुझे नहीं मालूम ।

*५७--श्री रंगबहादुर सिंह (जिला बस्ती)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले में छोटी सरयू नदी पर पुल निर्माण

*५८--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के अन्तर्गत छोटी सरयू नदी पर चांद पट्टी के पास जो पुल निर्माण हो रहा है उसका कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--पुल का कार्य सितम्बर के अंत तक समाप्त हो जायगा ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पुल के निर्माण-कार्य में कुल कितना सीमेंट लगा है ?

श्री राममूर्ति--सीमेंट की बोरियों की तादाद मेरे पास नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या यह सच है कि दिनांक २१-२२ अगस्त, १९५७ को चांदपट्टी पुल पर लगने वाली सीमेंट दो बैलगाड़ियों पर चोरी से ले जाती हुई पकड़ी गई और इस पुल का कांट्रैक्टर इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है । अगर माननीय सदस्य ने सवाल में जिक्र कर दिया होता तो पूरा ब्यौरा उनके सामने यहां रख दिया गया होता ।

*५९-६०--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६१-६२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६३--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६४--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*६५--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[१९ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नहरों व ट्यूबवेल्स की सड़कों पर विधायकों को कारें चलाने की सुविधा

*६६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश भर की नहरों व ट्यूबवेल्स रोड्स पर विधायक लोग अपनी कारों से जा सकें ऐसी किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति--प्रदेश की नहरों व ट्यूबवैल्स की सड़कों पर विधायकों को कारों से आने-जाने के सम्बन्ध में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है । वर्तमान नियमों के अनुसार विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य हल्की कारों द्वारा, ड्यूटी पर और दूसरा उपयुक्त मार्ग न होने पर आवागमन के लिये नहरी सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं ।

*६७-६८--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

नोट:--तारांकित प्रश्न ५८ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आजमगढ़ जिले में लहरपार तथा कुम्हवट ग्राम सभाओं का तालों को मिलाने के लिये बाहा खोदने का प्रार्थना-पत्र

*६९--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अगस्त, १९५६ में आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के लहरपार ग्राम सभा तथा कुम्हवट ग्राम सभा आदि की तरफ से दक्षिण के ताल से बथैलाताल होते हुए दुमहीताल में मिलाने के लिये एक बाहा खोदने की दरख्वास्त दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री रामभूर्ति--इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मऊ, जिला बस्ती में बाढ़-पीड़ित आश्रय-गृह का न बनना

*७०--श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ, तहसील बांसी (बस्ती) में बाढ़-पीड़ित आश्रयगृह बनाने का प्रस्ताव जिला बाढ़-समिति ने स्वीकार किया था ? यदि हां, तो वहां भवन बनाने का काम शुरू हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो काम शुरू न होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--जिला बाढ़ समिति ने ३० बाढ़पीड़ित आश्रय-गृह स्वीकृत किये थे किन्तु धनाभाव के कारण केवल २० ही आश्रय-गृह बनाये गये हैं जिनमें मऊ सम्मिलित नहीं है । मऊ में अब और कोई आश्रय-गृह बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में नहर तथा कूपों से सिंचाई

*७१--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा में अब तक (अप्रैल, १९५७ तक) कितने नलकूप बन चुके हैं और कितने और बनाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति--फतेहाबाद तहसील, जिला आगरा में अभी तक कोई भी नलकूप नहीं बनाया जा सका, क्योंकि उक्त क्षेत्र में परीक्षात्मक बोरिंग सफल नहीं हुई । इस क्षेत्र में २० नलकूप निर्माण करने की योजना बनायी गई है जिनमें से ६ नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

*७२--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तहसील का कितना कृषि क्षेत्र नहर की सिंचाई से सींचा जाता है, कितना नलकूपों से और कितना अन्य साधनों से ?

श्री राममूर्ति--फतेहाबाद तहसील, जिला आगरा में नहर की सिंचाई से औसतन १२,५०० एकड़ कृषि क्षेत्र की सिंचाई हर साल होती है । चूंकि इस क्षेत्र में नलकूप नहीं बने हैं इसलिये नलकूपों से सिंचाई का प्रश्न ही नहीं उठता । अन्य साधनों से सींचे जाने वाले कृषि क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है :

(अ) निजी पक्के कुओं से सींचा गया कृषि क्षेत्र	.. ४,८१३	एकड़
(ब) निजी कच्चे कुओं से सींचा गया कृषि क्षेत्र	.. १४,५७१	"
(स) तालाबों, पोखरों और झीलों से सींचा गया कृषि क्षेत्र	.. १४	"
(द) नदी से सींचा गया कृषि क्षेत्र	.. १०	"
योग	१९,४०८	"

मेंहदावल कछार (बस्ती) में राप्ती नदी के बांध की मरम्मत की आवश्यकता

*७३--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेंहदावल कछार (बस्ती) में राप्ती नदी के किनारे टेस्ट वर्क से जो आठ मील का बांध बंधा था लोगों के पास टूट गया है ?

श्री राममूर्ति--बांध का निर्माण सिंचाई विभाग की सलाह से नहीं किया गया था। बांध की दशा मरम्मत के हेतु बहुत शोचनीय है।

*७४--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार इस बांध की मरम्मत टेस्ट वर्क से या बाढ़ विभाग से करवाने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, चूंकि बांध नदी के बहुत समीप है इसकी मरम्मत न अधिक दिनों तक चलेगी और न लाभप्रद ही होगी।

अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूप

*७५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ जिले के सहकारी नलकूपों को सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--केवल अलीगढ़ जिले के ही नहीं राज्य के सभी सहकारी नलकूपों को, जिन्हें सम्बन्धित सहकारी समितियां देने को तैयार हों, सरकार अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

*७६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कौन-कौन सहकारी नलकूप चालू हैं और कौन-कौन बन्द पड़े हैं और क्यों ?

श्री राममूर्ति--इस समय अलीगढ़ जिले के सभी सहकारी नलकूप बन्द पड़े हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :

(अ) सहकारी नलकूप जो रुपया न होने के कारण नहीं चल रहे हैं	१३
(ब) सहकारी नलकूप जिन पर खर्च अधिक पड़ता है और मुनाफा कम और समितियां उस खर्च को उठा नहीं सकतीं ..	५
(स) सहकारी नलकूप जिनको चलाने के लिये बिजली की आवश्यकता है परन्तु वह अभी प्राप्त नहीं हो सकी ..	३
(द) सहकारी नलकूप जिनके इंजन-घर न बनने के कारण अभी नहीं चल सके हैं ..	४
(ज) सहकारी नलकूप जो फेल हो गये हैं ..	५
योग ..	३०

*७७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुहावली सहयोगी नलकूप कब से बन्द पड़ा है और कब तक चालू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--सुहावली नलकूप मार्च, १९५६ से बन्द पड़ा है। कारण यह है कि इसके चलाने में खर्च अधिक पड़ता है और लाभ कम है। यह निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता कि यह नलकूप कब तक चालू हो जायगा।

हैबतमऊ मवैया, जिला लखनऊ में नहर के लिये ली गई भूमि का मुआवजा तथा लगान

*७८--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हैबतमऊ मवैया, परगना बिजनौर, जिला लखनऊ में जो आराजी शारदा कैनाल की शाख निकालने के लिये ली गई उसका मुआवजा कितने दिन बाद सीरदार या भूमिधरों को दिया गया ?

श्री राममूर्ति--लगभग दो वर्ष के पश्चात् । गलत विज्ञप्ति प्रकाशित होगई थी जिसके फलस्वरूप संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ी । तदुपरान्त मुआवजे के निर्धारण की कार्यवाही की गई तथा भुगतान की व्यवस्था की गई ।

*७९--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भूमि के लेने के बाद कितने समय तक उस आराजी का लगान किसानों को देना पड़ा ?

श्री राममूर्ति--दो फसलों तक ।

गंगा व यमुना नदियों से इलाहाबाद जिले के गांवों का कटाव

*८०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में जो गांव गंगा-यमुना नदी के बहाव से कट रहे हैं उनको बचाने के लिए अब तक कौन-कौन से उपाय किये गये ?

श्री राममूर्ति--यमुना नदी द्वारा इलाहाबाद जिले में गांवों के कटने की अभी तक कोई सूचना नहीं है । केवल करछना तहसील में कुछ ग्रामों के किनारों को गंगा नदी ने उस समय काटना प्रारम्भ कर दिया था जब कि सन् १९४८ में बहुत बड़ी बाढ़ आयी थी । इस कटाव को रोकने के लिये कोई योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस प्रकार के कटाव तो इस प्रदेश में बहुत अधिक जगह पर हैं और गंगा ऐसी बड़ी नदी की तेज धार से इस प्रकार के कटाव को रोकने के लिये बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी जिसका प्रबन्ध करना सम्भव नहीं ।

शाहजहांपुर जिले में सोत नदी के जल प्रयोग की योजना

*८१--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार ने क्षेत्र जलालाबाद के ग्राम लछमनपुर, जिला शाहजहांपुर के पास सोत नदी में बांध बांधने की कोई योजना बनाई है ?

श्री राममूर्ति--सोत नदी के पानी को काम में लाने की एक योजना तैयार की गई है । इस नदी पर कोई बांध बनाने का प्रस्ताव नहीं है । किन्तु इस नदी पर एक पक्का रेगुलेटर बनाने का विचार है जिसमें कि सिंचाई के लिये पानी संग्रह किया जायगा ।

*८२--श्री हरदयाल सिंह--यदि हां, तो योजना कब तक और किस प्रकार लागू होगी ?

श्री राममूर्ति--सोत नदी के पानी को काम में लाने की यह योजना अभी परीक्षणाधीन है, जिसके बाद उसको शासन के उचित निर्णय के लिये शीघ्र ही भेज दिया जायगा ।

मड़ियाहूं तहसील के बरसठी क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण

*८३--श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मड़ियाहूं तहसील में बरसठी क्षेत्र के अन्तर्गत ३० जुलाई, १९५७ तक बसुही, बरना नदी के बीच वाले गांवों में कितने नलकूप लगने वाले हैं और किस-किस स्थान पर ?

श्री राममूर्ति--मड़ियाहू तहसील में बरसठी क्षेत्र के अन्तर्गत बसुही, बरना नदी के बीच वाले गांव में अब तक ३६ नलकूप लग गए हैं जिसकी सूची मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५५६ पर)

जौनपुर के किसानों से नलकूपों के लिये ली गई भूमि का मुआवजा देने का प्रबन्ध

*८४—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार जौनपुर के नलकूप की नालियों में ली गई जमीन का मुआवजा किसानों को देने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

जिला देवरिया के ऊंचे किये गये गांवों में पानी की निकासी का प्रबन्ध

*८५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि बाढ़ डिवीजन द्वारा देवरिया जिले में १९५६-५७ में गांवों की पटाई में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति—जिला देवरिया में सन् १९५६-५७ में २३९ गांवों का स्तर ऊंचा किया गया।

*८६—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया में पटे गांवों में वर्षा के पानी की निकासी का प्रबन्ध हुआ है ? यदि नहीं, तो सरकार भविष्य में इसके उपचार में कोई योजना लागू करने को सोच रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, देवरिया जिले में जो ग्राम ऊंचे कर दिये गये हैं, उनमें वर्षा के पानी के निकालने का प्रबन्ध किया गया है। साधारणतः ग्राम इस तरह पाटे गये हैं कि बीच में ऊंचे रहें और वर्षा का पानी चारों तरफ को बह जावे।

देवरिया में नालों की बाढ़ की रोक के लिये रेगुलेटर्स का निर्माण

*८७—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया में नालों की बाढ़ रोकने के लिये रेगुलेटर बनाने की भी योजना सरकार के समक्ष है ? यदि हां, तो जिले में किन नालों पर ऐसी व्यवस्था की गई है या की जाने वाली है ?

श्री राममूर्ति—हां। निम्नलिखित स्थानों पर रेगुलेटर बन चुके हैं :—

१—जमवार रेगुलेटर	..	घाघरा नदी पर
२—परासी रेगुलेटर	..	छोटी गंडक नदी पर
३—कसगरा रेगुलेटर	..	,, ,, ,,
४—मेहरोना रेगुलेटर	..	,, ,, ,,
५—भीखमपुर रेगुलेटर	..	,, ,, ,,
६—अहीरौलीदान रेगुलेटर (नं० १)		बड़ी गंडक नदी पर
७—कोसन्द रेगुलेटर	..	घाघरा नदी पर
८—चूड्या रेगुलेटर	..	छोटी गंडक नदी पर

दो और रेगुलेटर निम्नलिखित जगहों पर बनाने का विचार है :—

१—मोनीनाला रेगुलेटर	..	बड़ी गंडक नदी पर
२—अहीरौलीदान रेगुलेटर (नं० २)		बड़ी गंडक नदी पर

फैजाबाद जिले के अकबरपुर तथा सुरहुर परगनों में अपर्याप्त सिंचाई-साधन

*८८—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के परगना अकबरपुर तथा सुरहुर के उस भाग में जो टोंस नदी के दक्षिण पड़ता है सिंचाई की कौन सी योजना लागू होगी और कब तक ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देने के लिये तीन नलकूप की बोरिंग की गई परन्तु उपयुक्त स्ट्रेटा न मिलने के कारण काम स्थगित करना पड़ा। इस समय इस क्षेत्र के लिये कोई और सिंचाई योजना प्रस्तावित नहीं है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में बाढ़ अरक्षित भूमि की मालगुजारी तथा बाढ़ रक्षार्थ व्यय

*८९—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में जो बांध महुला से लेकर रौनापार तक अभी बना है उसके उत्तर-पश्चिम कितने एकड़ ऐसी भूमि बच जाती है जिसे बाढ़ से बचाने का कोई साधन नहीं है तथा उसकी वार्षिक मालगुजारी क्या है ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में जो बांध महुला से रौनापार होते हुए गढ़वल फैजाबाद तक बना है उसके उत्तर में इस तहसील की ३७,४८४ एकड़ कृषिक तथा ९,०७० एकड़ अन्य भूमि ऐसी है जिसको बाढ़ से बचाने का साधन नहीं है। इस भूमि की मालगुजारी १,१६,४१८ रु० है।

*९०—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या सरकार यह बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में बाढ़ से बचाव में उक्त क्षेत्र में कितना रुपया सरकार को रेकरिंग और नान-रेकरिंग व्यय करना पड़ा है ?

श्री राममूर्ति—पिछले तीन सालों में बाढ़ से बचाव की योजनाओं में कुल २२,४३,००० रु० व्यय हुआ है और यह सब व्यय नान-रेकरिंग है।

नारायणी नहर के पुल को बाढ़ से क्षति

*९१—श्री मदन पाण्डेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि नारायणी नहर के निर्माण में चन्दा गुलरमार कलनही ग्रामों के सामने बने हुए दो पुल गत वर्ष बरसात में बह गये ? यदि हां, तो सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा ? क्या सरकार ने इस घटना पर कोई जांच कराई ? अगर नहीं, तो कब करायेगी ?

श्री राममूर्ति—गत वर्ष (१९५६) नारायणी नहर के मील ६.० और ७.४ पर पुल बनाये जा रहे थे। ३ जून, १९५६ को अप्रत्याशित बड़ी बाढ़ आ जाने के कारण नहर में अत्यधिक जल आया जिसकी वजह से डाट के मुंह बन्द हो गए एवं ढूले टूट गए तथा पुल के बीच वाले स्तंभ को भी क्षति पहुंची। इन कार्यों को दोबारा ठीक करने में लगभग २,००० रुपया व्यय हुआ। इसकी जांच करायी गयी थी। इस क्षति का दायित्व किसी भी व्यक्ति पर नहीं है।

जिला मिर्जापुर में कुशहा ग्राम के सार्वजनिक मार्ग में बरसाती पानी के बहने से कष्ट

*९२—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को पता है कि जिला मिर्जापुर के अदलपुरा फार्म के सिंचाई आदि प्रयोग में लाये हुए जायद पानी को सार्वजनिक मार्ग में बहाया जाता है जिससे वह मार्ग एक नाला बना जा रहा है और जो कुशहा ग्राम में हानि पहुंचाता है ? यदि हां, तो सरकार उसे ठीक करने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—कुशहा ग्राम के पास अदलपुरा ग्राम में एक सरकारी कृषि फार्म है। इस फार्म की सिंचाई नलकूप द्वारा होती है और उसका पानी इधर-उधर नहीं बहता। बरसात में इस फार्म का पानी तथा आसपास की भूमि का पानी एक कच्ची सड़क से होकर बहता है जो आसपास की जमीन से काफी नीचा है। एक नलकूप की पक्की सड़क बन जाने की वजह से उस कच्ची सड़क का आवागमन के लिए अधिक प्रयोग नहीं होता। इस कच्चे रास्ते को ऊंचा करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बरसात के पानी के निकास का यही एकमात्र रास्ता है, उसमें रुकावट पैदा करने से आसपास की आबादियों को क्षति पहुंचने का खतरा है।

नगरों में उद्योगों को बढ़ाने के लिये दिये गये ऋण

*९३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन नगरों की इन्डस्ट्री बढ़ाने के लिये कितना-कितना धन प्रदेशीय सरकार ने लोगों को ऋण के रूप में १९५५-५६ तथा १९५७ के मार्च २ तक दिया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९५५-५६ में इस प्रदेश के लोगों को जिनमें अधिकतर फर्म हैं, ४,७२,४०० रु० औद्योगिक ऋण तथा ६१,२५० रु० अनुदान के रूप में दिया गया और सन् १९५६-५७ में जिसमें २ मार्च, १९५७ तक दिया गया ऋण सम्मिलित है, १४,२७,४०० रु० औद्योगिक ऋण व ३५,६०० रु० अनुदान के रूप में दिया गया।

जिलेवार सूची मेज पर रक्खी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५५७-५६० पर)

खटीमा तहसील के गांवों को शारदा नदी के कटाव से बचाने का प्रबन्ध

*९४—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार यह बतायेगी कि शारदा नदी खटीमा तहसील के गांवों की जमीन को काटती जा रही है?

श्री राममूर्ति—कुछ समय से शारदा नदी खटीमा तहसील के उचोलीघाट ग्राम की जमीन को काट रही है और अब आबादी के निकट आ गई है।

*९५—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सरकार बतायेगी कि सरकार की ओर से उस जमीन को काटने से बचाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

श्री राममूर्ति—कटाव को रोकने के लिये १९५६ की बाढ़ से पहले बड़े-बड़े पत्थर लगाकर सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया था परन्तु वे बह गये।

चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग को आदेश दे दिये गये हैं कि वे इस कटाव को रोकने के विषय पर शीघ्र विचार करें।

मुजफ्फरनगर को बाढ़ से बचाने की योजना

*९६—**श्री रामदास आर्य**—क्या सरकार बतायेगी कि उसने मुजफ्फरनगर को भविष्य की बाढ़ से बचाने के लिये क्या योजना बनाई है?

श्री राममूर्ति—मुजफ्फरनगर को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये सिंचाई विभाग ने चार अवरोधक नाले प्रस्तावित किये हैं, यथा—(१) ८,७०० रु० की लागत पर गांधी कालोनी की उत्तरी पूर्वी परिधि पर गांधी कालोनी नाला, (२) १८,६०० रु० की लागत पर द्वारिकापुरी नाला, (३) १२,५८६ रु० की लागत पर नई मंडी क्षेत्र में रेलवे ब्रांच कट तथा (४) १६,८०० रु० की लागत पर नई मंडी के दक्षिण में संघावली नाला। केवल नई मंडी में ही नहीं अपितु आसपास के देहाती क्षेत्र में भी नाली व्यवस्था को सुधारने के लिये इन

चार प्रस्तावित नालों के अतिरिक्त ९३,००० रु० की लागत पर मुजफ्फरनगर की दाहिनी ओर एक नाला पुनर्रचना (remodelling) के हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिसमें उक्त चारों नालों का पानी आकर गिरता है। २,४०,७०० रु० की अनुमानित लागत पर मुजफ्फरनगर के उस मुख्य नाले की भी पुनर्रचना की जायगी, जिसकी मुजफ्फरनगर की दाहिनी ओर का नाला एक शाखा है। उसके अतिरिक्त दो और योजनाएं---(१) ५३,८५० रु० की लागत का मुजफ्फरनगर टाउन ड्रेन, (२) २२,१११ रु० की लागत पर लेफ्ट मुजफ्फरनगर ड्रेन का पुनर्निर्माण, बाढ़ निरोध बोर्ड ने मंजूर की हैं।

ग्राम हथौरा, जिला हरदोई स्थित झील से पानी की निकासी का प्रबन्ध

*९७---श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)---क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि ग्राम हथौरा, परगना व तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में एक तालाब है जिसमें आस-पास के करीब १० मील तक के ग्रामों का बरसाती पानी आता है ?

श्री राममूर्ति---जी हां, हथौरा ग्राम में एक बड़ी झील है जो कि हथौरा ड्रेन का एक भाग है। इस झील में पानी लगभग १० मील ऊपर से आता है।

*९८---श्री चन्द्रहास मिश्र---यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इसके कारण इस गांव की हजारों बीघे खेती की जमीन बोवाई व जोताई से वंचित रह जाती हैं ?

श्री राममूर्ति---इस झील का अधिकांश भाग नीचा होने के कारण बंजर है और यहां खेती नहीं होती है। वर्षा में यह भाग जो कि लगभग १२५ एकड़ होगा, जलमग्न रहता है।

*९९---श्री चन्द्रहास मिश्र---यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इस पानी के निकास का कोई प्रबन्ध कराने की योजना उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री राममूर्ति---अप्रैल, १९५६ में हथौरा ड्रेन की पूरी सर्वे व छानबीन की गई थी और यह तय हुआ कि उक्त ड्रेन के आउट फाल (out fall) का सुधार कर दिया जाय व उसको दो मील और बढ़ा कर कल्यानी नदी से मिला दिया जाय। अतः इस कार्य को किया गया और इस भाग को १९५६-५७ में खुदवा दिया गया। तब से अब तक उसका आउट फाल बहुत कुछ ठीक कर दिया गया है। इसके बाद उसमें पानी जमा हो जाने की शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

राजकीय गजट की मूल्य-वृद्धि से आय

*१००---श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या यह सत्य है कि सरकार ने राजकीय गजट, उत्तर प्रदेश का वार्षिक चन्दा जुलाई, १९५६ से २४ रुपये के स्थान पर ८४ रुपया कर दिया है ? यदि हां, तो इस से कितनी आमदनी बढ़ गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, राजकीय गजट के वार्षिक शुल्क में माह अगस्त सन् १९५५ से वृद्धि हुई है। उस से पूर्व अंग्रेजी तथा हिन्दी गजट का वार्षिक शुल्क २४ रु० था। परन्तु नवीन दर के अनुसार अंग्रेजी गजट का वार्षिक शुल्क २४ रु० के स्थान पर १०० रु० और हिन्दी गजट का ७५ रु० कर दिया गया है। इस से गजट की आय में अनुमानतः ३५,८०० रु० की वृद्धि हुई है।

आजमगढ़ जिले में मऊ पावर हाउस के ब्वायलर का विस्फोट

*१०१---श्री विश्रामराय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के मऊ पावर हाउस में कुछ समय पूर्व एक भयानक विस्फोट हुआ था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ब्वायलर का एक ट्यूब ४ अप्रैल, १९५७ को फट गया।

*१०२---श्री विश्रामराय---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस दुर्घटना का क्या कारण था और इससे मऊ पावर हाउस को कितनी क्षति पहुंची ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---ट्यूब की सफाई करने के बाद जब उसकी जांच करने के लिए उस में भाप जा रही थी तब अकस्मात वह फट गया। इस से पावर हाउस को कोई नुकसान नहीं हुआ।

रुड़की परगने में नलकूप निर्माण में बाधा

*१०३---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार बतलायेगी कि सिंचाई के लिए वह रुड़की परगने के किन-किन गांवों में नलकूप लगाने जा रही है ? और वह नलकूप कब तक लग जायेंगे ?

श्री राममूर्ति---रुड़की परगने में कोई नये नलकूप नहीं बन रहे हैं और न बनाने का प्रस्ताव ही है।

*१०४---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार बतलायेगी कि भगवानपुर कस्बे की कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए जो नलकूप लगाया जा रहा था वह क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री राममूर्ति---भगवानपुर कस्बे में कई प्रयत्नों के बावजूद उपयुक्त भूस्तर (water bearing strata) न मिलने के कारण यहां पर नलकूप निर्माण का विचार त्याग दिया गया।

*१०५---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार का विचार भगवानपुर परगने के सोलानी नदी पार के इलाके में नलकूप लगाने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---भगवानपुर परगने के सोलानी नदी के पार का क्षेत्र नलकूप के लिए उपयुक्त नहीं है इसलिए वहां नलकूप लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु दिये गये ऋण

*१०६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य कर्मचारियों को गृह-निर्माण हेतु दिये जाने वाले ऋण-अनुदान में से सन् १९५५-५६ व सन् १९५६-५७ में कितने राज्य कर्मचारियों को ऋण-अनुदान दिया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---गृह-निर्माण के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों को ऋण दिये गये थे उन की संख्या इस प्रकार थी :---

	१९५५-५६	१९५६-५७
सीधे सरकार द्वारा ..	२२६	१७५
स्थानीय निकायों (लोकल बाडीज) द्वारा ..	१२०	१०१

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने भी सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण दिये थे। उक्त बैंक से इस सम्बन्ध में ब्योरे मांगे गये थे, किन्तु अभी वे बैंक से प्राप्त नहीं हुए हैं।

डेरवा ग्राम से चुरिया नदौली तक सरयू नदी से भूमि का कटाव

*१०७--श्री उग्रसेन--क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि गोला (गोरखपुर) लगायत चुरिया नदौली (देवरिया) में सरयू नदी के बायें किनारे पर भीषण कटाव हो रहा है और बड़हलगंज क्षेत्र में उक्त नदी की धारा भी बदल गयी है ?

श्री राममूर्ति--सरयू (घाघरा) नदी से कटाव गोला (गोरखपुर) से नहीं बल्कि डेरवा ग्राम में से चुरिया नदोली तक हो रहा है। उक्त नदी से निम्नलिखित अन्य ग्राम कट रहे हैं :--

१--कोल खास।
२--बगहा।
३--बरडीह।
४--महिमा चक।
५--कैल्थर।
६--अजाईपुरा।
७--खैरा।

*१०८--श्री उग्रसेन--यदि यह ठीक है, तो क्या सरकार ने इसके बचाव की कोई व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति--सरयू (घाघरा) नदी के कटाव से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, क्योंकि कटाव से बचाव करने के लिए स्पर्स (Spurs) बनाने पड़ते हैं और उक्त नदी में स्पर्स बनाने की अनुमानित लागत १ करोड़ रुपया प्रति मील है। अतः कटने वाली जमीन का अनुमान करते हुए इतनी बड़ी धनराशि का व्यय करना संभव नहीं है।

उद्योगपतियों को दिये गये ऋण से नये उद्योगों की स्थापना

*१०९--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५६-५७ में कितनी रकम नये उद्योगों को चलाने के लिए किन-किन उधोगपतियों को कर्ज के रूप में दी गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कुल ६०,००० रु०। कर्ज पाने वाले उद्योगपतियों की सूची मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

*११०--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस कर्ज के रुपयों से कौन कौन से नये उद्योग इस प्रान्त में स्थापित हुए हैं और कहां-कहां ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सूची मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

गाजीपुर में गांवों को ऊंचा करने से सम्बन्धित शिकायतों की जांच

*१११--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गांवों को ऊंचा करने के सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ शिकायतें आयी हैं ?

श्री राममूर्ति--इस प्रकार की शिकायतें विभाग के पास आयीं जैसे पूरी मिट्टी का न पड़ना, पुराने खेतों को फिर से खोदना आदि।

*११२--श्री रामनारायण त्रिपाठी--यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राममूर्ति--इन शिकायतों पर पूरी जांच की गयी है और उचित कार्यवाही की गयी।

अलीगढ़ जिले के सुहावली रजबहा से अस्थायी कुलाबों का उखाड़ना

*११३--श्री नन्दकुमारदेव वशिष्ठ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के सुहावली रजबहा पर जो अस्थायी कुलाबे लगाये गये थे उन्हें वह कब तक स्थायी कर देगी ?

श्री राममूर्ति--सुहावली रजबहा पर अब कोई अस्थायी कुलाबे नहीं हैं। फसल रबी १३६४ में दो अस्थायी कुलाबे खाकी क्षेत्र के लिए लगाये गये थे जो अप्रैल, १९५७ में उखाड़ लिये गये।

ग्राम भसनेह (झांसी) के तालाब के बांध की सड़क पर सुरक्षार्थ दीवारों की आवश्यकता

*११४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भसनेह, तहसील गरौठा (झांसी) के तालाब के बांध पर सड़क कितनी लम्बी व चौड़ी है तथा सड़क की दूसरी तरफ जमीन की सतह से सड़क कितनी ऊंची है ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न में पूंछी गयी सड़क की लम्बाई ४,६०० फीट और चौड़ाई २० फीट है। यह सड़क बरवार झील के बांध के ऊपर से गयी है और धरातल से क्रमशः ऊंची होती गयी है। इसकी अधिकतम ऊंचाई ४२ फीट है।

*११५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांध पर सड़क के दोनों तरफ लोगों की सुरक्षा के लिए दीवालें बनी हैं या नहीं ?

श्री राममूर्ति--यातायात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सड़क के दोनों ओर मिट्टी के ढोले (parapets) बने हैं, जैसे कि नहरों में बने होते हैं। ये नीचे ५ फीट तथा ऊपर २ फीट चौड़े हैं और इनकी ऊंचाई सड़क की सतह से २ फीट है।

गाजीपुर जिले के निवासियों के ऊंची जमीन पर बसने के लिये जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र

*११६--श्री जमुनासिंह (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले के कितने ग्रामों के ऐसे लोगों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय के पास आये हैं जो गत अति वृष्टि एवं बाढ़ के कारण पुरानी नीची बस्ती को छोड़ कर ऊंची जमीन पर बसना चाहते हैं ?

श्री राममूर्ति---निम्नलिखित तीन ग्रामों से प्रार्थना-पत्र आये हैं जो जिलाधीश गाजीपुर के विचाराधीन हैं।

१--इब्राहीमपुर	..	..	..	तहसील सैदपुर।
२--अमौरा	..	..	..	तहसील जमानिया।
३--अरसदपुर	..	..	..	तहसील गाजीपुर।

धनाभाव के कारण खीरी जिले में शारदा नदी की बाढ़ से होने वाली क्षति को रोकने में कठिनाई

*११७--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि खीरी जिले में शारदा नदी में भयंकर बाढ़ आने के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों व हजारों एकड़ जरखेज आराजी नदी द्वारा कट जाती है ?

श्री राममूर्ति--यह किसी हद्द तक सही है।

*११८--श्री शिवप्रसाद नागर--यदि हां, तो शारदा नदी में बाढ़ नियन्त्रण हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री राममूर्ति--नहीं, क्योंकि शारदा नदी बहुत बड़ी नदी है, और उस में कटाव को रोकने में बड़ी रकम खर्च होगी।

गाजीपुर जिले के केलही ग्राम के तालाब से नाला निकालने के लिये जांच

*११९--श्री यमुना सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के केलही ग्राम के ताल से कोई नहर निकालने की योजना है ?

श्री राममूर्ति--नहर निकालने की योजना कोई नहीं है पर एक नाला (ड्रेन) निकालने के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है ।

उन्नाव जिले में चिरैया नाले की खुदवाई पर व्यय

*१२०--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज में चिरैया नाला खुदवाने के लिए कितना रुपया मंजूर हुआ था और उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति--चिरैया नाला खुदवाने के लिए ९९,९५६ रुपया मंजूर किया गया था। इस में से १,७८२ रु०, १९५५-५६ में तथा १९,४६० रु० सन् १९५६-५७ में खर्च हुआ। काम अभी जारी है ।

विश्वम्भरपुर ग्राम, जिला गाजीपुर को ऊंचा करने का कार्य

*१२१--श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सिंचाई मन्त्री यह कृपा कर बतायेंगे कि गांव विश्वम्भरपुर तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर के गांवों को ऊंचा करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राममूर्ति--विश्वम्भरपुर ग्राम को ऊंचा करने का कार्य १९५६-५७ के वर्ष में पूरा किया गया और गांव को ऊंचा करने के काम में १,७७,४५५ घन फुट मिट्टी की खुदाई की गयी ।

प्रतापगढ़ जिले की अतरसंड ड्रेन की योजना

*१२२--श्री रामकिंकर--क्या यह सही है कि नहर विभाग प्रतापगढ़ में सरकार के पास अतरसंड ड्रेन नाम की एक योजना भेजी है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित की जायगी ?

श्री राममूर्ति--अतरसंड ड्रेन की योजना ५०,००० रु० की लागत पर तैयार कर ली गयी है, परन्तु सरकार के पास अभी नहीं आयी है । यह योजना इस समय बाढ़ निरोध समिति के विचाराधीन है। योजना की स्वीकृति के पश्चात् अनुदान मिलने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

प्रतापगढ़ जिले में नहर के कटने से फसल को कथित क्षति

*१२३--श्री रामकिंकर--क्या यह सही है कि पट्टी तहसील, जिला प्रतापगढ़ हेडक्वार्टर से जो नवीन नहर गुजरती है इस वर्ष रबी की फसल के बोआई के बाद कई जगह कट गयी थी और बोई होई हुई फसल सड़ गयी ?

राममूर्ति--यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न किस नहर विशेष से सम्बन्धित है। सम्भवतः सूचना जौनपुर उप शाखा के बारे में मांगी गयी है जो कि पट्टीनगर से लगभग १ मील पर है। यह उपशाखा पहली बार पिछली रबी की फसल में चलायी गयी थी और मिट्टी नयी होने के कारण कई जगह पर थोड़ी बहुत टूटी भी थी, परन्तु मरम्मत शीघ्र ही कर दी गयी थी और कहीं भी फसल को कोई क्षति नहीं हुई।

गोरखपुर जिले की श्रीनगर ताल योजना की प्रगति तथा उस पर व्यय

*१२४--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की श्रीनगर ताल योजना में क्या प्रगति हुई है और उस पर अब तक कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति--श्री नगर ताल योजना पर जो सर्वेक्षण हुआ है उससे प्रकट होता है कि प्रोजेक्ट में जैसी योजना बनायी गयी थी, उसे कार्यान्वित करना उचित न होगा। योजना को हेर-फेर करके इस क्षेत्र की सिंचाई के लिए अन्य सम्भव उपाय हेतु जांच पड़ताल जारी है।

इस योजना पर जून, १९५७ के अन्त तक २०,६२६ रुपया व्यय हुआ है।

तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर की सिंचाई योजनायें

*१२५--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--फरेंदा, तहसील, जिला गोरखपुर में सिंचाई के लिए इस समय क्या-क्या योजनायें हैं और वे कब तक चालू हो जायंगी ?

श्री राममूर्ति--फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में दक्षिण की ओर ७ नलकूप लगाये जा चुके हैं, जो कि ठीक प्रकार कार्य कर रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४ नलकूप और लगाने की योजना है।

इसके अतिरिक्त इस तहसील में डान्डा और रोहिन नहरों तथा श्री नगर ताल से पहले से ही सिंचाई होती है। श्री नगर ताल की सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए भी एक योजना विचाराधीन है।

*१२६--श्री द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बतायेगी कि फरेंन्दा तहसील में कितना असिंचित क्षेत्र है जहां पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है ?

श्री राममूर्ति--फरेन्दा तहसील में कुल २,४६,७०७ एकड़ भूमि पर खेती होती है। उसमें से इस समय सरकारी साधनों से ४४,६०२ एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हैं और शेष २,०२,१०५ एकड़ में सिंचाई की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है।

नई इलाहाबाद ब्रांच नहर निकालने की योजना की प्रगति

*१२७--श्री रघुनाथ सहाय यादव (जिला फतेहपुर)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो नई नहर (इलाहबाद ब्रान्च) निकालने का विचार सरकार कर रही है, फतेहपुर जिले में उसके सम्बन्ध में कब से काम शुरू होगा ?

श्री राममूर्ति--इलाहबाद ब्रांच की योजना अभी विचाराधीन है। प्रारम्भिक जांच पड़ताल शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है।

*१२८--श्री रघुनाथ सहाय यादव--उक्त इलाहबाद ब्रांच नहर किन-किन प्रमुख स्थानों से होकर जायेगी और कहां समाप्त होगी ?

श्री राममूर्ति--प्रस्तावित इलाहबाद ब्रांच का संभावित मार्ग इस प्रकार है--यह फतेहपुर ब्रांच के ३५ वें मील के निकट से आरम्भ होकर ग्राम मोहार, कंसपुर, मलवा, पड़री, मकनपुर, मुहम्मदपुर, खासमऊ, सरसई बुजुर्ग, फूलगांव, योनों, सिराथू, मसरौली, पट्टी परवेजपुर चिरवा, मदनपुर से होती हुई भगवतपुर से १ १/२ मील पहले समाप्त हो जायेगी।

*१२९—श्री रघुनाथ सहाय यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहबाद ब्रांच जिन-जिन स्थानों से होकर जायेगी उसकी कोई सूचना किसानों को दी गई है ?

श्री राममूर्ति—अभी नहीं, सूचना गजट द्वारा किसानों को उस समय दी जायगी जब प्रस्तावित योजना स्वीकृत हो जायगी ।

ग्राम खलवारा तथा बलीपुर, जिला फर्रुखाबाद में सिंचाई की व्यवस्था की कमी

*१३०—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कायमगंज , जिला फर्रुखाबाद के दक्षिण ग्रामों, खलवारा और बलीपुर में सिंचाई का क्या प्रबन्ध है ?

श्री राममूर्ति—तहसील कायमगंज के दक्षिण की ओर स्थित खलवारा और बलीपुर ग्रामों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ।

राजकीय निम्नवर्ग कर्मचारियों के वेतन-स्तर को केन्द्रीय-स्तर पर लाना

*१३१—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार प्रदेशीय शासन के निम्नवर्ग के कर्मचारियों जैसे चपरासी आदि के वेतन-स्तर को उसी वर्ग के केन्द्रीय प्रशासन के कर्मचारियों के समीप लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं, क्योंकि जो आधुनिक वेतन है वह केन्द्रीय प्रशासन के उस ही वर्ग के कर्मचारियों के वेतन से बहुत कम नहीं है ।

प्रदेश में सिंथेटिक रबर फैक्ट्री खोलने की कार्यवाही

*१३२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रदेश में Synthetic Rubber Factory लगने का निश्चय हो चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह निश्चय मरकजी सरकार को करना है । उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस किस्म का एक कारखाना बरेली या उसके आसपास किसी मौजूं जगह पर लगाने के बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

गल्ले पर बिक्री-कर से आय तथा व्यापारियों के कर मुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

*१३३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गल्ले द्वारा कितना सेल्स टैक्स ३१ मार्च, १९५७ तक प्राप्त हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में गल्ले पर लगने वाले बिक्री-कर (सेल्स टैक्स) और कर-मुक्ति-शुल्क (ऐक्जेम्पशन फीस) से २६,५६,२१२ रु० की रक्म प्राप्त हुई ।

*१३४—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गल्ले के कितने व्यापारियों ने ३१ मार्च, १९५७ तक रजिस्ट्रेशन कराया और कितनों ने Exemption के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—३१ मार्च, १९५७ तक १२,३७५ गल्ले के व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन कराया और १२,७८९ व्यापारियों ने कर-मुक्ति के प्रमाण-पत्रों (एक्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स) के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ।

*१३५—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार (Exemption) के लिये गल्ले के व्यापारियों से प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने की अवधि को कुछ और बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

मथुरा जिले की छाता तहसील में सिंचाई की योजना

*१३६—श्री रामहेत सिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की तहसील छाता में जहां आगरा नहर से सिंचाई की पूर्ति नहीं होती पम्पिंग सेट द्वारा तथा कुओं आदि से सिंचाई की सुविधा करने की योजना उनके विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—पम्पिंग सेट तथा कुओं से सिंचाई की योजना पूरे मथुरा जिले में कई वर्ष पूर्व से चालू है । इसके अतिरिक्त निजी नलकूप (Private tubewells, Reboring of wells) और रहट (Persian wheel) से सिंचाई की योजनायें भी वहां चालू हैं । मथुरा जिले में ८ एक्सप्लोरेटरी नलकूप (Exploratory tubewells) लगाये जाने का प्रस्ताव है जिसमें से २ छाता तहसील के सेई और शेरगढ़ गांव में लगाये जाने के लिये प्रस्तावित हैं । यदि नतीजा उत्साहप्रद रहा तो और नलकूप लगाने के विषय पर विचार किया जायगा ।

गन्ने के मूल्य से कटौती के धन का जमींदारी उन्मूलन कोष लेखे में कथित समीकरण (Adjustment)

*१३७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि सीजन १९४९-५० में प्रदेश के गन्ना किसानों का दो आने प्रति मन (deferred payment) सरकार के आदेशानुसार गन्ने के मूल्य से काटा गया था ? यदि हां, तो इस प्रकार काटा गया धन कितना था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—(क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

*१३८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त धन को Z. A. F. Accounts में Adjust किये जाने के लिये प्रदेशीय सरकार की ओर से आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो किसानों का कितना धन इस प्रकार Z. A. F. Accounts में Adjust किया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल भी नहीं उठता ।

तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर में गांवों को ऊंचा करने से सम्बन्धित शिकायतें

*१३९—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि तहसील जमानिया जिला गाजीपुर में १९५६-५७ में किन-किन गांवों का लेबिल ऊंचा करने का कार्य किया गया ?

श्री राममूर्ति—जिला गाजीपुर के जमानिया तहसील में १९५६-५७ में जिन-जिन गांवों का स्तर ऊंचा किया गया उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५६२-५६३ पर)

*१४०—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या यह सत्य है कि सरकार को कोई इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि ग्राम गडुवा डोहिया तथा बसुका में पक्के कुएं नहीं बने हैं ?

श्री राममूर्ति—कुओं को ऊंचा करने का कुछ काम डोहिया, गडुआ और बसुका ग्रामों में किया गया इन कामों में गलत नापजोख के बारे में शिकायतें प्राप्त हुईं जिनकी पूरी तौर से जांच की गई पर वे गलत साबित हुईं ।

रुड़की परगने के विभिन्न गांवों की पथरी, सौलानी तथा रतमऊ नदियों से रक्षा करने की आवश्यकता

*१४१--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार रुड़की परगने के बहादुरपुर, सैनी, सान्तर सराय तथा मुहम्मदपुर गांवों को पथरी नदी से रक्षा के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक अमल में आयेगी ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

*१४२--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार चौली, खुब्बनपुर, किशनपुर तथा डंडेटी, ख्वाजगीपुर गांवों को सौलानी नदी से बचाने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक अमल में आयेगी ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

*१४३--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार रुड़की परगने के कोटा तथा भारापुर गांवों को रतमऊ नदी से बचाने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक अमल में आयेगी ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ में बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे किये गये गांव

*१४४--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार बतायेगी कि घोसी तहसील, जिला, आजमगढ़ में कितने और कौन-कौन गांव १९५६-५७ में बाढ़ विभाग द्वारा ऊंचे किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति--तहसील घोसी जिला आजमगढ़ में १९५६-५७ में ५५ गांव ऊंचे किये गये, जिनकी सूची मेज पर रखी हैं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५६४ पर)

जिला प्रतापगढ़, के ग्राम कोड़रामादूपुर में टूटे बांध की मरम्मत पर विचार

*१४५--श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला प्रतापगढ़, ग्राम कोड़रामादूपुर में एक शाही जमाने के बने हुए पुख्ता बांध के टूट जाने से गांव की अधिकांश खेती योग्य जमीन नाले में परिवर्तित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति--यह सत्य है कि जिला प्रतापगढ़, ग्राम कोड़, रामादूपुर में स्थित ८० वर्ष पूर्व बने हुए बांध के टूट जाने से कृषि योग्य जमीन नाले में परिवर्तित हो रही है। बांध की मरम्मत का प्रश्न विचाराधीन है।

पूर्वी जिलों के ट्रेन्ड अमीनों की नियुक्तियां

*१४६--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी जिलों में कितने ट्रेनिंग पाये हुए अमीन बेकार पड़े हुए हैं ?

*१४७--क्या यह सही है कि दो वर्ष से ज्यादा दिन के ट्रेंड अमीनों को जगह नहीं दी गई जबकि उनसे पीछे के ट्रेनिंग पाये जूनियर अमीनों को स्थान मिल गया ? यदि हां, तो क्यों ?

*१४८--क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि इनमें ऐसे भी अमीन हैं जिनकी उम्र नियमतः यदि इन्हें नौकरी नहीं मिली तो ज्यादा हो जायगी और वह नौकरी नहीं पा सकेंगे ?

श्री राममूर्ति--इन प्रश्नों का उत्तर देने के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी कमिश्नरी में उद्योग विकास के सम्बन्ध में पूछताछ

*१४९--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी में कौन-कौन सी इंडस्ट्री की योजना कहां-कहां कार्यान्वित की गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । एकत्र होने के उपरान्त प्रेषित की जा सकेगी।

*१५०--श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी कमिश्नरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन्डस्ट्री विकास पर वह क्या ध्यान दे रही है ?

*१५१--क्या सरकार कृपया बतायगी कि आज तक उपर्युक्त सम्बन्ध में सरकार ने झांसी कमिश्नरी के अन्तर्गत जिलों में पता लगाने का कष्ट किया है कि वहां कौन-कौन सी इन्डस्ट्री अधिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वांछित सूचना एकत्र की जा रही है। एकत्र होने पर प्रेषित की जा सकेगी।

गाजीपुर जिले में गौशलपुर बांध की मरम्मत

*१५२--श्री यमुना सिंह--क्या यह सत्य है कि गाजीपुर में गौशलपुल बांध गत बाढ़ व अतिवृष्टि से कई स्थानों पर टूट गया है ? यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--यह सत्य है कि गौशलपुर बांध सन् १९५६ की बाढ़ में कुछ स्थानों पर कट गया था। यह कटाव सन् १९५७ की वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने से पूर्व ही उचित प्रकार से बन्द कर दिये गये थे।

बलिया जिले के आंवरा ताल की खुदाई

*१५३--श्री गौरी शंकर राय-- क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के आंवरा ताल की खुदाई कब प्रारम्भ हुई ?

श्री राममूर्ति--आंवरा ताल की खुदाई का काम अप्रैल १९५६ में आरम्भ हुआ था ।

बलिया जिले के कोहली मोछान ताल से पानी की निकासी

*१५४--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार बलिया जिले के कोइली मोछान ताल के बरसाती पानी को निकालने की व्यवस्था कर रही है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति--कोहली मोछान ताल से पानी निकालने के लिये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही कोहली मोछान का पानी एक नाली द्वारा जो लगभग २ मील लम्बी है बिना किसी रुकावट के घाघरा नदी में चला जाता है। चूंकि यह प्राकृतिक रास्ता ही उपयुक्त है अन्य कोई व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

*१५५-१५७--श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)-- [२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गन्ने के भाव का निर्धारण

*१५८--श्री शिवप्रसाद नागर-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१-५२ में इस निश्चय के आधार पर गन्ने का भाव आधारित किया गया था कि जितने रुपये मन बाजार में शक्कर का भाव हो उतने आने मन गन्ने का भाव निर्धारित किया जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*१५९--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अब शक्कर का भाव ३२ रुपये मन हो गया है और गन्ने का दाम एक रुपया सात आने मन रह गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

आजमगढ़ जिले की सदर तहसील की तहबरपुर-जोल्हापुर सड़क तथा निर्मित पुल की उपयोगिता

*१६०--श्री विश्राम राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील के ग्राम तहबरपुर से जोल्हापुर जाने वाली सड़क पर कोई पुल सिंचाई विभाग की ओर से बनाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर इस बात की व्यवस्था करेगी कि वह पुल इस प्रकार बनाया जाय कि आने वाली सड़क के पक्का होने पर यह पुल यातायात का भार अच्छी तरह वहन कर सके?

श्री राममूर्ति--टांडा नहर सिस्टम की आजमगढ़ शाखा से विश्रामगृह तक उचित निरीक्षण के अभिप्राय से सुविधापूर्ण आवागमन के लिये एक ग्रामीण सड़क का पुल सिंचाई विभाग की ओर से बनाया जा रहा है। पुल आम जनता के उपयोग के लिये खुला रहेगा। मध्यम प्रकार की ग्रामीण सड़क के यातायात के लिये पुल काफी है और सड़क पक्की होने पर साधारण यातायात के लिये भी उक्त पर्याप्त होगा।

*१६१--श्री विश्रामराय--क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि यह छोटी सी सड़क नहर विभाग के द्वारा पक्की की जाय, क्योंकि नहर विभाग की तहबरपुर स्थित बस्ती तक पहुंचने का यही एकमात्र मार्ग है?

श्री राममूर्ति--उक्त सड़क को पक्की बनाने के लिये कोई योजना सिंचाई विभाग में विचाराधीन नहीं है।

हरदोई तहसील के विभिन्न तालाबों से पानी के निकास की योजना

*१६२--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह जानती है कि तहसील हरदोई, जिला हरदोई के ओदरापचलाई, खेरिया तथा बृजलालपुर मेड़ के तालाबों के कारण उक्त गांवों तथा उनके आस-पास के गांवों की लाखों बीघा जमीन पानी में डूबी रहती है और उस जमीन के मालिक किसानों को मुफ्त में लगान देना पड़ता है?

श्री राममूर्ति--जी हां, तहसील व जिला हरदोई के ओदरापचलाई, खेरिया, बृजलालपुर तथा मेंडू ग्रामों के आसपास अधिकतर जमीन परती रहती है और नीची है। बरसात में अधिक वृष्टि के समय तालाबों के कारण पानी में डूब जाती है। भविष्य में किसानों को नुकसान से बचाने के लिये शीघ्र ही उपाय किया जा रहा है। सिंचाई विभाग को यह ज्ञात नहीं है कि किसानों से लगान वसूल किया जाता है अथवा नहीं।

*१६३--श्री बुलाकी राम--यदि हां, तो सरकार उक्त तालाबों का पानी निकालने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राममूर्ति--ओदरापचलई के तालाबों का पानी निकालने के लिये परचल, स्केप दोनों तरफ ड्रेन बनाने की योजना है और परचल स्केप में इनलेट के स्थान पर साइफन बनाने की भी योजना है जिससे भविष्य में उक्त ग्रामों में बरसात के समय पानी रुकने की अधिक सम्भावना नहीं रहेगी। बृजलालपुर तथा मेंडू ग्राम के तालाबों के पानी को निकालने के लिये ड्रेन बनाई जा रही है जिसका कार्य आगामी बरसात के पूर्व ही समाप्त हो जायेगा।

मुरादाबाद जिले के बन्द नलकूप

*१६४—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले के कितने नलकूप पिछले १२ महीनों में बन्द रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—पिछले १२ महीनों में मुरादाबाद जिले के ६ नलकूप अकस्मात् फेल हो जाने के कारण और दो नलकूप सिंचाई की मांग न होने के कारण बन्द रहे।

तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में नहरों से सिंचाई का प्रबन्ध

*१६५—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील नवाबगंज, जिला बरेली का कुल कितना क्षेत्र नहरों से सींचा जाता है ?

श्री राममूर्ति—तहसील नवाबगंज, जिला बरेली में औसतन ३६,७६५ एकड़ भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा होती है।

*१६६—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार ने उक्त तहसील के उन क्षेत्रों में जहां पर कि सिंचाई के साधन नहीं हैं सिंचाई के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, अभी हाल ही में इस तहसील में लगभग ७।। मील नहरें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग ९।। मील नई नहरों के बनाने का आयोजन है।

तहसील पडरौना, जिला देवरिया के विभिन्न तालाबों से पानी की निकासी की योजनाएं

*१६७—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लवकुश टैंक (तालाब) तहसील पडरौना, जिला देवरिया से नाला खोदने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र माननीय सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, १,००० एकड़ भूमि के बचाव के लिये १०,००० रु० की लागत की एक स्कीम स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सन्मुख स्वीकृतार्थ प्रस्तुत की जायेगी। स्टेट फ्लड कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृति दिये जाने पर इस पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

*१६८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह तहसील पडरौना, जिला देवरिया के ग्राम महासोन, लवकुश, बेलवा खुर्द, नरकटिया, नादह बेलवा, बाबूराम बंगरा दुमहीं, कनखोरिया, सांखोपार के तालाबों से पानी के निकास के लिये नाला खोदने का काम योजनानुसार कब आरम्भ करेगी ?

श्री राममूर्ति—तहसील पडरौना के लवकुश, बेलवा खुर्द के तालाबों से पानी के निकास के लिए नाला खोदने की योजना तैयार कर ली गई है और स्वीकृति के लिए फ्लड कंट्रोल बोर्ड के समक्ष प्रेषित की जायगी। स्वीकृति आने पर कार्य आरम्भ हो सकेगा। बाकी ग्रामों के तालाबों से पानी के निकास के लिए नाला खोदने की योजना तैयार की जा रही है तथा सर्वेक्षण के पश्चात् फ्लड कंट्रोल बोर्ड के समक्ष प्रेषित की जायगी।

सिंचाई डिवीजन महोबा, जिला हमीरपुर के लिये स्वीकृत धन तथा व्यय

*१६९—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले वित्तीय वर्ष में Irrigation division महोबा, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत कितना रुपया विभिन्न कार्यों के लिये मंजूर किया गया था ?

श्री राममूर्ति--पिछले वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में इर्रीगेशन डिवीजन महोबा, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिये ८,३९,२५० रुपया मंजूर किया गया था।

*१७०--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रुपयों में से कितना रुपया खर्च हुआ और कितना रुपया खर्च न हो सकने के कारण लैप्स (lapse) हो गया और क्यों ?

श्री राममूर्ति--उक्त वर्ष कुल ८,४८,६५५ रुपया खर्च हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१७१--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रुपये लैप्स होने के कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति--यह प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत गोरखपुर जिले में सिंचाई के प्रस्तावित साधन

*१७२--श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले में सिंचाई के क्या-क्या साधन दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में प्रस्तावित सिंचाई के साधन इस प्रकार हैं:--

(१) नारायणी नहर से १०७ मील की चैनेल का निर्माण।
(२) कुवानी पम्प्ड नहर से ६४ मील की चैनेल का निर्माण।
(३) श्रीनगर ताल से ५ मील की चैनेल का निर्माण।
(४) और विभिन्न क्षेत्रों में ६९ नलकूपों का निर्माण।

गोरखपुर जिले में विद्युत नलकूपों से पर्याप्त पानी न मिलने की शिकायत

*१७३--श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर जिले के बहुत से विद्युत नलकूपों की शिकायत अप्रैल-मई, सन् १९५७ के महीने में यह रही है कि काश्तकार को उसकी आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिल रहा है ? सरकार पानी की सप्लाई को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां। विद्युत की कमी के कारण पूरा पानी न दिया जा सका। गोरखपुर विद्युत-गृह से प्राप्त शक्ति से मांग अधिक हो गई थी। गोरखपुर के नये विद्युत-गृह के निर्माण का काम पूरा होने को है। आगामी शरद ऋतु से नलकूपों के लिये प्रचुर मात्रा में शक्ति प्राप्त होगी।

छोटी गंडक नदी को नियन्त्रित करने की योजना

*१७४--श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले को पिछले कुछ वर्षों से छोटी गन्डक नदी द्वारा बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ? यदि हां, तो इस नदी को नियंत्रित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--हां, पिछले तीन साल से छोटी गंडक में बाढ़ ज्यादा आ रही है। इसका कारण यह है कि १९५४ में नारायणी नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आ जाने के कारण बाढ़ का पानी नीची जगहों द्वारा छोटी गंडक में बह आया, और अपना रास्ता बना लिया, जिसके कारण सन् ५५-५६ में भी जब नारायणी नदी में कम बाढ़ थी काफी पानी छोटी गंडक में आया।

नारायणी नदी से छोटी गंडक में पानी न जाने देने के लिये १५ मील लम्बा छितौनी बांध और ९ मील लम्बा नारायणी नहर का बायां किनारा बांध की तरह बना दिया गया है जिससे अब आशा की जाती है कि इन २४ मीलों में किसी जगह से भी नारायणी का पानी छोटी गंडक में न आ पायेगा।

इसके साथ-साथ एक आठ मील लम्बे बांध की योजना, जो कि नैपाल राज्य की सीमा के अन्दर बनना है, स्टेट फलड कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो चुकी है और नैपाल राज्य से स्वीकृति मांगी गयी है। जब वह स्वीकृति आ जायगी और यह बांध बन जायगा, तब नारायणी नदी का पानी छोटी गंडक में आना बिल्कुल बन्द हो जायगा।

*१७५—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस नदी के द्वारा कितने क्यूसेक्स पानी प्रति वर्ष डिस्चार्ज हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—छोटी गंडक में जब पिछले साल सब से अधिक बाढ़ आयी थी भाटपार रानी पुल पर ४४,४३५ क्यूसेक्स डिस्चार्ज था। वैसे वर्षा में औसतन् ७५०० क्यूसेक्स, जाड़ों में २,००० और गर्मियों में २५० क्यूसेक्स भाटपार रानी पुल पर रहता है।

इटावा जिले में सिंचाई के आंकड़े

*१७६—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में, अप्रैल, सन् १९५५ से मार्च, सन् १९५६ तक कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हुई और अप्रैल सन् १९५६ से मार्च सन् १९५७ तक कितने एकड़ ?

श्री राममूर्ति—जिला इटावा में अप्रैल, सन् १९५५ से मार्च, सन् १९५६ तक २,५५,४०८ एकड़ और अप्रैल, सन् १९५६ से मार्च, सन् १९५७ तक २,६०,६४० एकड़ की सिंचाई हुई।

अतारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ जिले में गांवों को ऊंचा करने के कार्य की प्रगति तथा उस पर व्यय

१—श्री रामकिंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९५५ की बाढ़ के बाद जिला प्रतापगढ़ के प्रत्येक तहसील में किन-किन गांवों की जमीन का स्तर ऊंचा किया गया और कितने गांव शेष रहे ?

२—इस प्रकार गांवों का स्तर ऊंचा कराने में कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—उत्तरार्थ आवश्यक सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

ग्राम माधोपुर किसरौलिया, जिला गाजीपुर को ऊंचा करने में व्यय

३—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा माधोपुर मिजौली, जिला गाजीपुर के मिजौली ग्राम को ऊंचा करने में सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—उक्त ग्राम का सही नाम माधोपुर किसरौलिया है। इसको ऊंचा करने में सरकार का कुल ३,४३६ रुपया व्यय हुआ है।

४—श्री शीतला प्रसाद (जिला बहराइच)—[९ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर के व्यवसायियों को दिये गये ऋण तथा अनुदान

५—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर शहर में किन-किन व्यवसायियों को किन-किन व्यवसायों के लिये किस आधार पर कितना रुपया दिया गया है और कितना दिया जाना शेष है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कुल ३,९७,२०० रु० औद्योगिक ऋण और ९,९०० रु० अनुदान। ८,३८,५०० रु० औद्योगिक ऋण और ३,३५० रु० अनुदान देना शेष है। विभिन्न व्यवसाय के लिये व्यवसायियों को दिये गये ऋण व अनुदान की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५६५–५६७ पर)

६—श्री बलवान सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर में किन नये उद्योगों की स्थापना की जा रही है और उनमें सरकार किस प्रकार कितना सहयोग कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिन उद्योगों की स्थापना की जा रही है और जो सहायता उन्हें दी जा रही है, उसका विवरण मेज पर रखी गई सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५६८ पर)

कार्य-सूची में अधिक प्रश्न होने के कारण सभी प्रश्नों के न लिये जा सकने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्न ५८ तक ही प्रश्नों का उत्तर दिया जा सका। इससे पहले १०० प्रश्न रक्खे जाते थे, लेकिन अब इतने ज्यादा प्रश्न रख दिये जाते हैं कि उनका उत्तर नहीं दिया जाता। इससे बहुत से प्रश्न बिना उत्तर के चले जाया करते हैं और सदस्यों को जिनका कि उनसे सम्बन्ध नहीं हो पाती है जानकारी नहीं हो पाती है। इसके लिये आप कोई व्यवस्था कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले ही कह चुका हूं इस बात के लिये कि अगर प्रश्न ज्यादा पूछे जायंगे तो यही कठिनाई पड़ेगी। ३०० के ऊपर रोज प्रश्न आ रहे हैं और कितने ही नामंजूर किये जायं तो भी जो वाजिब प्रश्न हैं उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर ३०० ही स्वीकार किये जाते हैं तो रोज ३०० आ जायंगे। इसलिये माननीय सदस्य कुछ अपने प्रश्न जो बहुत महत्व के न हों अतारांकित कर दिया करें। उनके लिये वे सिर्फ सूचना ले लें। अगर हर प्रश्न को स्टार्ड कर दें तो हर एक के लिये पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत देनी पड़ती है, उसमें काफी वक्त निकल जाता है। आज प्रश्न संख्या ६८ तक जो प्रश्न हैं वे पहले के हैं और बाकी मुल्तवीशुदा हैं जो कि ११० के करीब हैं। यह परिस्थिति है। मैं तो यह कहूंगा कि जो महत्व के प्रश्न हों वही पूछे जायं और इस खयाल से न पूछे जायं कि अपना रेकार्ड भी तैयार होता रहे। खाली ऐसी बात न हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता कि प्रश्नों की अधिकता का कारण यह भी हो सकता है कि सरकार की नीति से लोगों में भ्रम अधिक से अधिक फैलता जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह भी हो सकता है। उसके लिए भी वाद-विवाद में मौका है, खूब सरकार के ऊपर हमला कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्रश्नों का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव श्री वीरेन्द्र वर्मा ने रखा था, वह कार्यान्वित हो सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—रूल्स सदन के सामने आ रहे हैं, उस वक्त तय कर लीजियेगा।

स्थगित प्रश्नों को कार्य-सूची में नये प्रश्नों से पूर्व रखने की प्रार्थना

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। एजेंडे में ६८ के बाद जितने प्रश्न हैं वे एक दफा स्थगित हो चुके हैं और बहुत पुराने प्रश्न हैं। तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो प्रश्न एक दफा स्थगित हो जायं वह कार्यक्रम में पहले रखे जायं और नये बाद में रखे जायं ताकि वह सदन में जवाब के लिए आ सकें ?

श्री अध्यक्ष---नियम में यह नहीं है। नियम यही बने हुए हैं कि जो उस दिन के प्रश्न हों वह पहले आयेंगे और स्थगित हुये बाद में आयेंगे। नियम आप बदल दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे आजादी दे दें तो मैं जिनको इम्पार्टेंट समझूं उनको पहले रख दूं, पर जब तक आजादी नहीं है तब तक नियम का पालन करना पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---मुझे भी प्रश्नों के सम्बन्ध में कहना है कि यदि कोई ऐसा नियम बन जाय कि प्रश्न रखने वाले को दो प्रश्न करने का और उसके बाद एक ही पूरक का अधिकार हो तो उससे समय काफी निकल सकता है।

श्री अध्यक्ष---आप अगर बुरा न मानें, तो मैं जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाऊं। सवाल तो यह है कि महत्व के प्रश्न हों और लोगों की दिलचस्पी ज्यादा हो तो उनके लिए वक्त ज्यादा दिया जायगा।

*२ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न ५ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर का शोधन

कृषि-मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---मुझे सदन को एक सूचना देनी है। २ अगस्त, १९५७ को नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ५ से संबंधित श्री कल्याण चन्द मोहिले तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे द्वारा पूछे गये कुछ अनुपूरक प्रश्नों के सम्बन्ध में मैंने जो उत्तर दिये थे, उनमें कुछ शोधन की आवश्यकता है। शुद्ध उत्तर निम्न प्रकार है--

प्रश्न	उत्तर जो दिया गया	उत्तर जो देना है
(क) श्री कल्याणचन्द मोहिले क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन उद्योगपतियों को ऋण दिया गया है, उन्होंने कितने कारखाने खोले हैं ?	ताले बनाने का काम एक ने शुरू किया। लिपटन की चाय का मिश्रण। एक ने चूना और सुर्खी बनाना शुरू किया है। एक साहब ने दवाखाना खोला है। एक साहब ने तेल मिल खोली है और एक साहब ने दुग्धशाला खोला।	एक व्यक्ति ने ताला, एक ने सुर्खी व चूना, एक ने चूना और एक ने स्याही बनाने की फैक्ट्रियां व एक ने आटा चक्की व करबी काटने की मशीन व एक ने दुग्धशाला खोली है। इस प्रकार ६ कारखाने इन व्यक्तियों ने खोले हैं।
(ख) श्री कल्याण चन्द मोहिले मैं श्रीमन्, पूछ रहा था कि जिन उद्योगपतियों ने कर्ज लिया	नाम पहले पूछे नहीं गये थे, अब पूछे गये हैं। मैं बता	नाम पहले नहीं पूछे गये थे, अब पूछे गये हैं।

*२ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिये गये हैं।

प्रश्न	उत्तर जो दिया गया	उत्तर जो देना है
है उनके नाम क्या हैं और उन	रहा हूं। ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी, लिप्टन लिमिटेड, रोचूमल भगवान दास, एस० पी० धीर, रामदास मनोहर, और धर्मपाल।	मैं बता रहा हूं :- १--सर्वश्री ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी। २--सर्वश्री रोचूमल भगवान दास। ३--श्री राधा कृष्ण। ४--श्री घनश्याम दास लाल। ५--सर्वश्री भगवान दास हरीचंद व ६--श्री धर्म पाल। इनके अतिरिक्त सर्वश्री आर० पी० भाटिया, मंगल सेन नारंग, मेऊ मल, तेज भान बली, प्रेमनाथ मदन लाल, बी० पी० भंडारी तथा प्यारे लाल गुप्ता को भी ऋण दिये गये पर उन्होंने कोई उद्योग नहीं स्थापित किये।
(ग) राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे		
क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि वहां पर इन्डस्ट्रियल स्टेट बनने से पहले लिप्टन चाय के मिश्रण का कारखाना बना हुआ था ?	जिस समय इंडस्ट्रियल स्टेट वहां कायम की गई उस समय नहीं था, जहां तक मेरी जानकारी है।	शायद माननीय सदस्य का आशय उस इंडस्ट्रियल स्टेट से है जो हमारे उद्योग विभाग के सहयोग से भारत सरकार ने स्थापित की है। यह स्टेट पुनर्वास विभाग की नहीं है और लिप्टन का कारखाना इस स्टेट से पहले का बना है। परन्तु यह कारखाना पुनर्वास विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक नगरी में स्थित है और स नगरी के स्थापित होने के बाद बनाया गया।
(घ) श्री कल्याणचन्द मोहिले		
श्रीमन्, मैं यह पूछ रहा था कि किन छः उद्योगपतियों को कर्जा दिया गया है ?	पहले तो १४ का पूछा था अब यह ६ दूसरे पूछ रहे रहे हैं। एक तो स्वदेशी काटन मिल को २५ लाख रुपये की मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने दी है। इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग कम्पनी को ३० हजार	यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

प्रश्न	उत्तर जो दिया गया	उत्तर जो देना है
	रुपया प्रादेशिक सरकार ने तथा १८ हजार रुपया रिहैबिलिटेशन फायनेंशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन ने दिये, रोचूमल भगवान दास को ५ हजार रुपया प्रादेशिक सरकार द्वारा तथा १० हजार रुपया रिहैबिलिटेशन फायनेंशियल ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया। श्यामदास लाल को ५ हजार रुपया प्रादेशिक सरकार द्वारा और धर्म पाल को ५ हजार रुपया प्रादेशिक सरकार द्वारा दिया गया।	

श्री अध्यक्ष—एक प्रति आप उनको दे दें।

कृषि-मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—श्री कल्याण चन्द मोहिले के लिये दे दी है और दुबे जी को दे देंगे।

(श्री कल्याणचन्द मोहिले के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—इस समय पूरक प्रश्न नहीं होंगे। बाद में अगर आप इसको लेना चाहें तो नोटिस दे दें।

कुमायूं प्रदेश, विशेष कर अल्मोड़ा जिले में फ्लू से उत्पन्न परिस्थिति पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक काम रोको प्रस्ताव श्री प्रताप सिंह जी का है जो इस प्रकार है कि:—

"आज यह सदन, कुमायूं प्रदेश, विशेषकर जिला अल्मोड़ा में "फ्लू" के भयानक प्रकोप के कारण वहां के स्कूल व कालेज बंद कर दिये गये हैं और अल्मोड़े के देहातों में भी तीव्र गति से 'फ्लू' के फैलने के समाचार प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ सरकार की ओर से "फ्लू" को रोकने तथा उससे बचाव का कोई भी प्रबन्ध अभी तक नहीं किया गया है जिससे "फ्लू" का प्रकोप दिन प्रति दिन अपना विकट रूप धारण कर रहा है और कई लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, इस विषम परिस्थिति पर विचार करने के हेतु अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इससे पहले कि निर्णय हो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मैंने इसलिये इसे पढ़ कर सुना दिया कि इसमें अखबार की कटिंग भेजी गई है जो छपी है और इसी के भरोसे यह काम रोको प्रस्ताव भेजा गया है तो महत्व का होने की वजह से मैं मंत्री जी से कहूंगा, यद्यपि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन परिस्थिति क्या है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

कृषि-मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तीन बातें कही गई हैं। यह पहली बात बताई गई है कि कालेज और स्कूल बन्द कर दिये गये हैं और फ्लू के बहुत से लोग शिकार हुये। इससे मैं पूरा मतलब नहीं समझा कि कोई डेथ हुई या खाली लोगों पर इसका अटैक हुआ। यह स्पष्ट नहीं होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपको जो मालूमात हों वह बतला दीजिये।

श्री हुकुम सिंह विसेन---कल तक यानी २५ अगस्त तक इस जिले में ९०१ इसके सीजर हुये और डैथ कोई नहीं हुई। सिटी में १८ से २५ अगस्त तक ५२ सीजर हुये और मृत्यु कोई नहीं हुई। कालेज और स्कूल कहे जाते हैं कि बन्द कर दिये गये हैं तो फ्लू के इंतजाम में इसकी रोकथाम के लिये इनका बन्द होना जरूरी अंग है। तो यह कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया यह हमको गलत सी बात मालूम होती है। सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है और स्कूल और कालेज बन्द कर दिये हैं और वहां जो दवायें मांगी गई हैं वह भेजी गई हैं और हमारा उनसे बराबर कांटेक्ट है और जितनी दवाई की जरूरत होगी वह हमको लिखें ताकि वह भेजी जा सकें। यही मुझे अर्ज करना है।

श्री राजनारायण तथा अन्य सोशलिस्ट बन्दियों के एक जेल से दूसरी जेल में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक मोतीलाल जी अवस्थी का काम रोको प्रस्ताव है। यह केवल जेल के प्रबंध के सिलसिले में है और इससे सरकार का कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं आपको सुनाये देता हूं।

"बनारस जेल से श्री राजनारायण, एम० एल० ए० का, नैनी जेल, भारतसिंह गौतम, प्रतापगढ़ जेल, बब्नसिंह, बलिया, शीतला प्रसाद दुबे, मिर्जापुर, मुराद तिवारी, बस्ती धनेश सिंह, मिर्जापुर, कृष्णनाथ शर्मा, रायबरेली जेल को बिना किसी खिलाफ जेल रिपोर्ट के २५-८-५७ को मनमाने ढंग से तबादला कर देने से बनारस जेल के सत्याग्रही बंदियों और वहां की जनता में भीषण असन्तोष छा गया है।

अतः सदन इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

एक जेल से दूसरी जेल भेज दिये गये उसके ऊपर विवाद मांगा गया है। मैं समझता हूं यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---एक मिनट का समय आप मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष---यह तो माननीय सदस्य स्वयं समझ रहे हैं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---पर आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई अब बहस की बात नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन आप मुझे जरा मौका तो दें।

श्री अध्यक्ष---क्यों दूं, जब आपका यह विषय कामरोको प्रस्ताव का विषय हो ही नहीं सकता?

श्री मोतीलाल अवस्थी—अब इसमें सब लिख कर तो दिया नहीं जा सकता लेकिन तो भी कुछ कहने का आप मौका तो दें ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे बड़ा खेद है कि आपका हम लोगों के प्रति बड़ा अविश्वास है ।

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है । तबादले की तो बहुत फुटकर बात है, मामूली चीज है ।

विधान सभा सदस्य, श्री गेंदा सिंह द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके बाद दो काम रोको प्रस्ताव बिल्कुल एक जैसे हैं। एक श्री झारखंडेराय जी का है और दूसरा श्री नारायणदत्त तिवारी का। मैं दोनों पढ़ कर सुनाये देता हूं। श्री झारखंडे राय का प्रस्ताव इस प्रकार है —

"प्रदेश के प्रमुख प्रजा समाजवादी नेता तथा विधान सभा के सदस्य, माननीय गेंदा सिंह के पूर्वी उत्तर प्रदेश की भुखमरी की स्थिति पर अनिश्चितकाल के लिये अनशन तथा इस विषय में मुख्य मंत्री द्वारा श्री गेंदा सिंह को लिखे पत्र के विषय से उत्पन्न प्रदेश व्यापी क्षोभ, असन्तोष एवं चिन्ता पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

दूसरा प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी तिवारी का इस प्रकार है—

"यह सदन माननीय श्री गेंदा सिंह, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा भूतपूर्व नेता, विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा, के द्वारा आज प्रातःकाल से अपने रायल होटल, लखनऊ स्थित निवास स्थान पर, सरकार द्वारा पूर्वी जिलों तथा कुमायूं गढ़वाल के भुखमरी से त्रस्त जनता को त्राण पहुंचाने हेतु अविलम्ब तात्कालिक लगान माफी, जबर्दस्ती वसूल किये गये लगान की वापसी, प्रत्येक अदालती पंचायत में सस्ते खाद्यान्न की दूकान खोलने की आवश्यकता, सभी पार्टी के विधायकों की तात्कालिक 'रिलीफ कमेटी' बनाये जाने की आवश्यकता, स्थायी रूप से त्राण पहुंचाने की सिफारिशें करने हेतु एक कमीशन की नियुक्ति, आदि मांगों के ठुकराये जाने के विरोध स्वरूप, जो अनिश्चित काल के लिये अनशन प्रारम्भ कर दिया है, के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैंने ये दोनों प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी के पास भेज दिये थे। उनकी यह ख्वाहिश है और मुझसे उन्होंने यह कहा है कि इनको आज के बजाय कल ले लिया जाय क्योंकि उनके पैर में दर्द है जिसके कारण वे आज आ नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, एक रोज बाद सही, लेकिन महत्व का विषय है, और उनका सदन में उपस्थित रहना जरूरी है और इसमें जिक्र भी है इस बात का कि कोई पत्र-व्यवहार भी उनके और श्री गेंदा सिंह के बीच में हुआ। इसलिये इन्हें कल मैं लूंगा। यह पढ़ कर मैंने इसलिये सुना दिया ताकि "देर हुई" इसके लिये कोई आक्षेप न उठ सके। अब यह कल के कार्यक्रम में रहेगा।

श्रीकृष्ण सुनार की अभिकथित भुखमरी से मृत्यु के सम्बन्ध में अन्न मंत्री का वक्तव्य

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, उस दिन भुखमरी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट अन्न मंत्री जी देने वाले थे और परसों ही एक और तार उनको देवरिया जिले में कोसी पकौली बावन हाटा की मृत्यु के सम्बन्ध में मिला है उस सम्बन्ध में भी अगर वे उचित समझें तो रिपोर्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष---जी हां, जो माननीय अन्न मंत्री जी को मालूमात हों वह दे दें।

न्यायमंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, जो तार आया है इसकी तो मुझे अभी सूचना नहीं मिली है इसलिये इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इसके पहले कुछ दिन हुये जिक्र किया गया था कि श्रीकृष्ण सुनार की मौत हो गई और कहा जाता था कि भुखमरी से मौत हुई है और यह भी कहा गया था कि इसकी इत्तिला वहां के अधिकारियों को दी गई और समय से उनको सूचना मिलने के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। तो इस सिलसिले में जो मैंने रिपोर्ट मंगाई है उससे पता चला है कि एक श्रीकृष्ण सुनार था और उसकी ६० वर्ष की उम्र हो चुकी थी। इसके एक लड़का २० वर्ष का है और उसके एक बहू भी है। वह सोनारी का काम करता था लेकिन ढाई महीने से वह बीमार हो गया और इस बीमारी में उसके लड़के ने ज्यादा निगहबानी नहीं की। वह ढाई महीने तक बीमारी में मुब्तिला रहने के कारण मर गया। इसके पास आध बीघा जमीन थी वह भी कुछ वर्षा वगैरह होने की वजह से डूब गयी थी इसलिये उस में खेती नहीं हुई, मगर गांववालों ने जो कुछ भी हो सकता था उसकी मदद की और बराबर उसको खाना वगैरह पहुंचाते रहे और खाने की उसको किसी वक्त भी तंगी नहीं हुई। यह कहना बिलकुल गलत है कि किसी वक्त में हुक्कमान को इस बात की इत्तिला दी गई हो कि एक ऐसा आदमी है जो भुखमरी से परेशान है और उसको खाना नहीं पहुंच रहा है। गांव वाले बराबर उसकी सहायता करते रहे और वह अपनी बीमारी की वजह से उम्र ज्यादा होने से बच नहीं सका और उसकी मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष---क्या बीमारी थी यह भी कुछ लिखा है ?

श्री सैयद अली जहीर---बीमारी की तफसील नहीं है और मेरे खयाल में बुढ़ापे की ही बीमारी थी।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जो मैंने काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें गांव के सभापति और गांव के उन लोगों के हस्ताक्षर थे और उन्होंने जो कुछ मदद की थी उसका ब्योरा था। मंत्री जी कहते हैं कि अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई, उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस दिन वह आदमी मरा है उस से १० दिन पहले 'आज अखबार' में खबर प्रकाशित हुई थी कि उसकी आर्थिक दशा अत्यन्त दयनीय है और वह भुखमरी का शिकार हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---आप यह सब सूचना मंत्री जी के पास भेज दें। यदि उनको जो सूचना मिली गलत है, तो वह तहकीकात करेंगे।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस सिलसिले में प्रश्न यह उठता है कि इस सदन में भी और इस सदन से बाहर भी बार-बार मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों की तरफ से, सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति को भी वे अन्न के अभाव से मरने नहीं देंगे। माननीय मंत्री जी ने अभी यह तसलीम किया है कि अन्न का अभाव था और गांव वालों ने मदद की। प्रश्न यह है कि सरकार ने

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मदद नहीं की। वस्तुस्थिति क्यों ऐसी उत्पन्न होने दी गयी। इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इस विशेष सार्वजनिक महत्व और आवश्यक प्रश्न पर विवाद करने के लिये किसी भी दिन इस सदन के कार्य को स्थगित कर देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में कहने का कल आपको बहुत मौका मिल सकता है। एक प्रश्न भी आया हुआ है।

श्री सैयद अली जहीर---जो अभी त्रिलोकी सिंह जी ने कहा और एक माननीय सदस्य ने और कहा है उनके लिये मुझे यह अर्ज करना है और उनके पहले माननीय सदस्य ने जहां तक कि एडजर्नमेंट मोशन जो मेरे पास आया था उसमें यह साफतौर पर कहा था कि सरकारी अधिकारियों को समय से सूचना देने के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। इसको मैंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि यह बिलकुल गलत बात है। इस चीज को वहां से इन्कार किया है कि किसी किस्म की सूचना हमको नहीं दी गयी। रही यह बात कि आज अखबारों में छपा है और यह सही है तो यह बात ऐसी है कि जिसकी मैं तहक़ीकात करा लेता तब मैं उसका जवाब देता। त्रिलोकी सिंह जी ने जो यह कहा कि सरकार ने कोई मदद नहीं की और गांव वालों ने मदद की तो उसके मुताल्लिक मैं यह अर्ज करूंगा कि जब सरकार यह कहती है कि कोई आदमी भूख से मरने नहीं दिया जायगा, जब कोई हमारे पास इत्तिला होगी या सरकारी अधिकारियों के पास इत्तिला होगी तो उसका प्रबन्ध किया जायगा और दूसरे हमारे यहां रीति रिवाज कदीम जमाने से इस तरह के चले आये हैं कि अगर एक आदमी भूखा मरता है तो लोग अपना पेट काटकर भी उसको दे देते हैं और मदद करते हैं, हमको इस बात पर भी भरोसा है, इसलिये यह गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है कि भूख से मृत्यु हुई है। लोगों को दुश्वारियां हैं और दिक्कतें हैं, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष---जो जनता मदद भूखे लोगों को करती है उसका भी भरोसा रख कर सरकार ने यह एलान किया था ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां, उसके ऊपर हमें फख्र है। ऐसा होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, देवरिया के बारे में एक प्रश्न था उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिये तीन दिन हो गये। सरकार ने अभी तक जवाब नहीं मंगाया और न जांच की ?

श्री अध्यक्ष---इसके विषय में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं एक बात स्पष्ट कराना चाहता हूं। इस सदन में जब इस तरह की बात विरोधी पक्ष की ओर से उठायी गयी तो सरकार की ओर से यही जवाब मिला कि फलां आदमी बीमारी से मरा और भुखमरी से नहीं मरा। तो सरकार जब इस बात की जांच कराती है कि फलां आदमी किस तरह से मरा तो क्या उसके अधिकारी इस बात की भी जांच करते हैं कि जब वह व्यक्ति बीमार था तो उसने बीमारी के पहले किस तरह का खाना खाया या कोई अखाद्य चीज खायी या किस तरह का अन्न खाया ? अथवा कितने दिन बरेली का सड़ा सीरा पीकर रहा और बीच में कितने-कितने दिन उसे कुछ नहीं खाने को मिला ? क्या सरकार इस तरह की जांच भी कराती है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसकी तफसील तो नहीं मालूम कि जो-जो भुखमरी की शिकायत की गयी उसमें किन-किन बातों की तहकीकात की गयी लेकिन जाहिर है कि जो असल चीज इन बातों में देखी जाती है वह यही देखी जाती है कि आया यह जो मृत्यु हुई है वह मर्ज की वजह से हुई है या सिन की वजह से हुई है। क्योंकि आज लाखों और हजारों

लोग जो मरते हैं उनमें यह क़तई देखने को नहीं मिला कि वह भूखा रहा हो और किसी ने उसकी मदद न की हो। इस बात को हम जानते हैं और हमारे अधिकारी भी जानते हैं कि इन दोनों तरह की मौतों में क्या फर्क है। वह इस बात को जानते हैं कि ये मृत्युयें भुखमरी से नहीं हुईं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० अप्रैल, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ जुलाई, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति १४ अगस्त, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा*

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९५६ की धारा १७ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राज्यपाल द्वारा श्रम (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४७३३, (एस० टी०) –३६ (ए) १३४ (एस० टी०) –५५, दिनांक १४ अगस्त, १९५७ के अधीन प्रख्यापित आज्ञा को उक्त अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यह जो मेज पर आज्ञा रखी गई है उसमें एक दूसरी सरकारी आज्ञा का जिक्र है जो समय-समय पर संशोधित तथा विस्तारित हुई है, यह १४ जुलाई, १९५४ की उक्त आज्ञा ३० सितम्बर, १९५७ तक लागू रहे। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह आज्ञा क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अन्दर औद्योगिक झगड़ों के निस्तारण के लिये सरकार ने यू० पी० इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत कुछ आज्ञायें जारी की थीं। वह आज्ञायें कुछ काल के लिये, कुछ अवधि के लिये हमेशा प्रख्यापित की जाती थीं। उन आज्ञाओं के अनुसार कोंसीलियेटरी बोर्ड की स्थापना हुई, उसी धारा के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना भी हुई और वह उसी धारा के अन्तर्गत चल रहा था। लेकिन जब हमने उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में, ऐक्ट नंबर १—१९५६ से हाल ही में संशोधन किया तो हमारे स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो ढांचा था वह बदल गया। इस बदले हुये ढांचे के अनुसार जब उसके पुराने अधिकार निकल गये तो पुराने मामलों को सुनने का भी उसे अधिकार नहीं रहा। इसलिये समय-समय पर यह प्रख्यापित किया जाता रहा कि जो पुराने मामले उनके विचाराधीन थे, उनका वे निबटारा करें। अब हमने अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत फिर यह अधिकार दे दिया है कि पुराने मामलों का निबटारा ३० सितम्बर, १९५७ तक उसी प्रकार से होता चला जाय और चूंकि ऐसी आज्ञा विधि अनुकूल इस सदन में रखी जानी चाहिये थी अस्तु उसी के सिलसिले में वह आपके सामने हाउस में रक्खी गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरी आपत्ति यह है कि यह एक पेज की जरा सी आज्ञा है लेकिन इसमें दर्जनों आज्ञाओं का जिक्र है। अगर इस पर कोई विवाद करना चाहे तो इससे कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती है।

---

*छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष--विवाद का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। सन् ५६ में अमेंडमेंट हो कर यह बात आयी कि यह सदन के सामने आ जाना चाहिये। उसके पहले जितने नियम बन चुके उनके सदन के सामने आने का कोई सवाल नहीं था। उन्होंने उसमें जो परिवर्तन किया वह आपके सामने रख दिया गया। अब सन् ५६ के बाद में जो यह परिवर्तन हुआ है उस पर अगर आप अमेंडमेंट देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, यह नियम नहीं आज्ञा है।

श्री अध्यक्ष--धारा १७ में इस प्रकार से दिया हुआ है--

"१७(१) राज्य सरकार, किन्हीं भी कठिनाइयों के निवारणार्थ और विशेषतः उन कठिनाइयों के निवारणार्थ जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के संशोधनों के संक्रमण में उत्पन्न हों, आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित अधिनियम तथा मूल अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित या प्रचारित नियम अथवा आज्ञायें इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा अकरण के रूप में किये जायं और जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक अथवा इष्टकर समझे प्रभावी होंगे।

(२) उप-धारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रक्खी जायगी, और मूल अधिनियम की धारा ६-क के उपबन्ध ऐसी कार्यवाही के संबंध में प्रवर्तनीय बने रहेंगे।"

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८, ११, ३७, ३८, ५० व ५२ पर बिना विवाद के राय ले ली जाय और अनुदान संख्या २७, व ४६ को एक साथ पेश करके आज का पूरा दिन इन पर विचार के लिये दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--आपने यह क्रम रखा है, कई माननीय सदस्य इस क्रम के अनुसार सोचते थे कि आप आज कोई प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन आपने अनुदान २४ को छोड़ दिया और २५ को भी छोड़ दिया और २७ को ले लिया। तो जो लोग यह सोच कर आये थे कि आज २७ नहीं आयेगा और वे बाहर चले गये, उस पर आप बहस करेंगे तो उनकी अड़चन बाकी रह जायगी। कुछ लोगों ने मुझसे परसों नरसों पूछा था कि इसको किस क्रम से लिया जायगा? इस पर मैंने कहा था कि क्रम तो यही रहेगा लेकिन विरोधी दल के नेता से जानकारी हासिल कर ली जायगी कि वे किन-किन पर विवाद नहीं चाहते हैं और उन पर बहस नहीं हो पावेगी। आप २४ को आज नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह कल लिया जायगा और २७ आज लिया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो उद्योग पर बोलना चाहते हैं, और आज मौजूद नहीं हैं, वे इससे महरूम रह जायेंगे। अगर क्रम बदलने की बात थी तो मुझसे पहले बतला देते। इसके ऊपर भी जरा आप विचार कर लें। मैं आज के बारे में कोई रुकावट नहीं डाल रहा हूं, यह सिर्फ आगे के लिये विचार करने की बात है।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--अध्यक्ष महोदय, यह आपकी कृपा है। श्रीमन्, हमने सोचा था और माननीय वित्त मंत्री जी ने कल सुबह मुझसे पूछा भी था। मैंने उनसे अर्ज किया था कि गालिबन आज जो विद्युत योजनाओं के अनुदान हैं उन पर हम विचार

करेंगे जिनका संबंध अनुदान संख्या २४,२५ और ४८ से है। लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें हुईं कि जो माननीय सदस्य इन पर कटौती प्रस्तावों के उपस्थित करने वाले थे उनकी तैयारी नहीं हो सकी थी। इसलिये मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहला दिया कि हम आज उद्योग संबंधी अनुदान लेंगे और विद्युत् संबंधी अनुदानों पर कल विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष––तो अगर इस तरह की कोई बात हो उसकी सूचना मुझे भी आगे से दे दिया कीजिये, क्योंकि मेरे पास भी लोग पूछने के लिये आते हैं और उनसे मैं कह दूं कि क्रम बदला नहीं जायगा, वही रहेगा और फिर बाद में बदल जाय तो इसमें बड़ी दिक्कत होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह––आपकी आज्ञा सही है और उसकी पाबन्दी की जायगी। इस संबंध में इतना और निवेदन कर दूं कि श्री गेंदा सिंह जी के आज से अनशन करने के संबंध में कल से हम दौड़ धूप करके इस बात का प्रयत्न करते रहे कि यह नौबत न आने पावे और उसी में ज्यादा समय लग गया जिससे तैयारी नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष––ठीक है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––श्रीमन्, मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसी सूचना मिली थी कि आज विद्युत् संबंधी अनुदान पेश होंगे और इसलिये हम लोग उसी पर तैयार हो कर आये हैं। लेकिन यहां पर क्रम में हेरफेर हो रहा है तो उससे बड़ी परेशानी होगी, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी आप जरूर सोच लें।

श्री अध्यक्ष––यही तो मैं भी कह रहा हूं। आज जो लोग कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले हैं वे तैयार होकर आये हैं दूसरे के ऊपर––तो आप अपना सुझाव दे दीजिए कि कौन-कौन से आप किस क्रम से लेंगे।

श्री सुरथ बहादुर शाह––मैंने आपकी आज्ञा से यह निश्चय किया है कि अनुदान संख्या २७ और ४६ को एक साथ पेश करके उन पर आज का पूरा दिन लिया जाय (उद्योग और औद्योगिक विकास) में। और कल अनुदान संख्या २४–२५ और ४८ को एक साथ पेश किया जावे और उन पर पूरा दिन विचार के लिये दिया जावे और अनुदान संख्या २८–श्रम पर परसों अर्थात् २८ ता० को विचार किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––इस तरह समय का परिवर्तन करना कहां तक अपेक्षित होगा ?

श्री अध्यक्ष––वैसे तो इसका सदन को अधिकार है, ऐसा हो सकता है, यह सबकी राय से हो रहा है। आगे के लिये इसीलिये मैंने सुझाव दे दिया कि आइन्दा इस तरह की अड़चन किसी को न हो, इसकी सूचना मुझे पहले से दे दी जाय ताकि मैं समय से सबसे ठीक बात कह सकूं लेकिन इस वक्त तो एक बात गुजर चुकी, उसके लिये खेद अवश्य है, अब तो आप को क्षमा ही करना चाहिए क्योंकि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई।

अब मैं जिन अनुदानों पर आज वाद-विवाद नहीं होने वाला है और वैसे ही स्वीकृत होने वाले अनुदान हैं ८,११,३७,३८,५० और ५२ उनके ऊपर राय लिये लेता हूं, मंत्री जी उन्हें पेश कर दें।

अनुदान संख्या ८––लेखा शीर्षक : १३––अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८–अन्य-कर और शुल्क

[श्री धर्म सिंह]

के कारण व्यय—लेखा शीर्षक : १३—अन्य-कर और शुल्क के अन्तर्गत ४४,४१,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय—लेखा शीर्षक : १३–अन्य-कर और शुल्क के अन्तर्गत ४४,४१,५०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक : १८—इंजीनियरिंग संस्थायें

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक : १८—इंजीनियरिंग संस्थायें के अन्तर्गत ६७,००,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक : १८—इंजीनियरिंग संस्थायें के अन्तर्गत ६७,००,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक : ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें—लेखा शीर्षक : ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत २,०२,५८,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें लेखा-शीर्षक : ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत २,०२,५८,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०—लेखा शीर्षक : ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान

श्री धर्म सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—पेंशनों की संराशि—लेखा शीर्षक : ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १९,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—पेंशनों की संराशि—लेखा शीर्षक : ८३—पेंशनों की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १९,७५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२——लेखा शीर्षक : त——राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

श्री धर्म सिंह——अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२——ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण——लेखा शीर्षक : त——राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ७,०९,२७,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२——ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण लेखा शीर्षक : त——राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत ७,०९,२७,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८——लेखा शीर्षक : ५६——लेखन सामग्री और छपाई

उद्योग उप-मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)——अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८——लेखन सामग्री और छपाई लेखा शीर्षक : ५६——लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १,३०,५४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८——लेखन सामग्री और छपाई——लेखा शीर्षक : ५६——लेखन सामग्री और छपाई तथा मूल्यापकर्ष पूरक सुरक्षित निधि सरकारी छापाखाना के अन्तर्गत १,३०,५४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७——लेखा शीर्षक : ४३——उद्योग तथा अनुदान संख्या ४६——लेखा शीर्षक : ७२——औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

*श्री रउफ जाफरी——अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७——लेखा शीर्षक : ४३——उद्योग के अन्तर्गत ५,६९,२२,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६——औद्योगिक विकास——लेखा शीर्षक : ७२——औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,७५,१३,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो दोनों अनुदान सदन के सामने मैंने रखे हैं उनमें ज्यादातर तो वही खर्च हैं जो पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर रहे हैं। जब कि हम इस योजना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रऊफ जाफरी]

के मातहत काम कर रहे हैं तो यह ऐसा है कि कोई बहुत नयी बात सदन के सामने नहीं रखी जा सकती। हमारी आमदनी जो है, उसका खर्चा जो है वह, जब एक दफा योजना बना दी गयी तो उसके बाद वह सब बंध जाती है। थोड़ी बहुत अदल बदल उसमें मुमकिन होती है। लेकिन कोई रेवोल्यूशनरी किस्म की तब्दीली एक दफा योजना बन जाने के बाद नहीं होती।

(इस समय १२ बजकर ४४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गया बख्श सिंह पीठासीन हुये।)

हमारे उद्योग विभाग का जो इस वक्त बजट है उसके लिये भी मैं सदन से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें ज्यादातर खर्चा उन्हीं ३७ स्कीमों पर है जो चल रही थीं, जिनको इस दफा भी चलाना है। यह हुआ है कि उनमें एक्सपेंशन किया जा रहा है। इस साल जैसा कि आप देखेंगे अब की दफा ५ करोड़ ६९ लाख २२ हजार ६ सौ रुपया अनुदान संख्या २७ में है। जब कि पिछले साल ५ करोड़ ३३ लाख ३३ हजार रुपये की मांग थी। तो थोड़ा सा फर्क इसमें हुआ है। इस खर्चे में हमारी डाइरेक्टोरेट का भी खर्चा है, जो टेक्निकल और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनका खर्चा है। फ्रूट यूटिलाइजेशन का खर्चा है। इसके अलावा प्लानिंग के अन्दर डेवलपमेंट हेड की स्कीम जो है ३७ लाख ८९ हजार ३ सौ रुपया नये उद्योगों के लिये, ३२ लाख ३३ हजार ४ सौ रुपया नये आइटम्स नान प्लान आइटम्स के लिये रखे गये हैं। नान प्लान आइटम्स, जो सदन के सामने रखे गये हैं, मैं खास करके जिक्र कर देना चाहता हूं।

अम्बर चर्खा के संबंध में काफी रकम रखी गयी है। हमने जो अपनी स्कीम भेजी है उसके लिहाज से हम उसमें काफी खर्च करना चाहते हैं। इसलिये चूंकि अभी आज भी प्रश्नों वाले घंटे में एक सवाल था अम्बर चर्खे के सिलसिले में और उसमें कुछ यह शुबहा भी जाहिर किया गया था कि शायद उससे कुछ आमदनी नहीं होती। लेकिन कुछ भी हो, अम्बर चर्खे से कम से कम इतनी बात तो जरूर होती है कि हमारे जो अन्डर एम्प्लायड लोग हैं वह तो उससे जरूर ही फायदा उठा सकते हैं और ख्याल तो यह है कि अगर उसको ठीक से किया जाय तो जिन लोगों को कोई रोजगार नहीं है वह भी तीन चार रुपये न सही मगर कम से कम आम तरीके पर जो अनस्किल्ड हैं जरूर ही कुछ न कुछ उसके ऊपर वह पैदा कर सकते हैं। तो एक तो हमारी नयी स्कीम में अम्बर चर्खा है।

दूसरे उद्योगों को बढ़ाने के सिलसिले में हमारी यह इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। दो स्टेट्स के लिये तो सदन को मालूम होगा, पहले ही से यह तय था कि कानपुर और आगरा में वह कायम होंगी। उनमें काम भी जारी हो चुका है। कानपुर में जमीन लीज हो चुकी है और आगरा में भी जमीन ली जा रही है। इसके अलावा तीन और छोटे-छोटे इंडस्ट्रियल स्टेट्स कायम करने का इरादा है। एक उसमें से काशी विद्यापीठ का जो ब्लाक है वाराणसी में, वहां खोलने का इरादा है, दूसरा लोनी ब्लाक, मेरठ में और तीसरा जो है वह देवबन्द में है बल्कि उसको मुझे पहले कहना चाहिये था। तो यह तीन और इंडस्ट्रिअल स्टेट्स छोटे-छोटे खोले जाने वाले हैं। इसके अलावा जो और खर्चा नया है उसमें एक टेस्टिंग लेबोरेटरी खुर्जा में कायम करने का इरादा है। इस तरीके पर आप देखेंगे कि हम ज्यादा इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे उद्योग और बीच वाले उद्योग जो हैं उनको जो हम प्रोत्साहन दें वह इंडस्ट्रिअल स्टेट्स की तरफ से दें। हमारा प्रदेश बहुत पुराने जमाने से कृषि प्रधान प्रदेश चला आ रहा है। उसमें आबादी बहुत ज्यादा है और सिर्फ खेती के ऊपर उनकी गुजर होती रही है। यह भी जाहिर है कि खेती की पैदावार बढ़नी जरूर चाहिये और बढ़ेगी भी, जैसी कि उसके लिये कोशिश हो रही है। लेकिन महज खेती के ऊपर रह कर हमारा स्टैंडर्ड आफ लिविंग

कुछ बहुत ऊंचा हो सकेगा ऐसा कहना शायद ठीक न होगा। खेती हो, उसके साथ-साथ कुछ सप्लीमेंट्री इनकम उद्योग से हो, हमारा बोझ जमीन के ऊपर से थोड़ा हटे, उद्योग में कुछ लोग लगें। इस वक्त हमारी आबादी का बंटवारा जो है खेती और दूसरे उद्योग धंधों के सिलसिले में, जब तक उसमें कुछ फर्क न किया जायगा उस वक्त तक यह सोचना कि हमारी गरीबी दूर हो जायगी, यह जरा मुश्किल है। मैं समझता हूं कि यह रोज-रोज जो सवाल उठता है कि फलां जगह भुखमरी है, फलां जगह यह हो रहा है,इसकी पहली वजह यही है कि हमारी आबादी के ज्यादा हिस्से की गुजर खेती पर है। अगर एक या दो फसल पानी नहीं बरसा, या बाढ़ आ गई, झूरा हो गया, तो उनमें कोई स्टेइंग पावर नहीं होती, कोई सप्लीमेंट्री इनकम उनकी नहीं होती जिससे वह और जगहों से अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर जिसको कि योजना यदि कहें भी तो ज्यादातर वह कृषि वाली योजना थी। कृषि पर ज्यादा खर्च हुआ था। उद्योग पर भी कुछ हुआ लेकिन ख्याल यह था कि उन चीजों में जिनसे कि गल्ला ज्यादा पैदा हो, जिससे कि गल्ला बाहर से न मंगाना पड़े, यह ख्याल करके ज्यादा खर्चा पावर, नहर और इस किस्म के कृषि के कामों पर हुआ। यों भी एक बात थी कि हमारे प्रदेश में चूंकि पहले से यहां कोई उद्योग वगैरह नहीं था और यह भी बहुत ज्यादा पहले नहीं पता था कि कौन से उद्योग यहां कायम हो सकते हैं, तो होते-होते कुछ एक दिमाग सा बन गया था कि कोई बड़ा काम, कोई रोजगार, कोई बड़ा धंधा यहां चल नहीं सकता। जगह-जगह यह बात थी। हमारे प्रदेश के बाहर और प्रदेशों में यह बात थी कि यहां तो खेती हो सकती है या ग्वाले वहां से आते हैं या चौकीदार वहां होते हैं। लेकिन यह बात सही नहीं थी। अगर इस पर जरा ध्यान दें और देखें तो पता चलेगा कि जितने किस्म के उद्योग धंधे हमारे प्रदेश के अन्दर होते रहे हैं, जितने कारीगर और दस्तकार घरेलू उद्योग-धंधों के यू० पी० के अन्दर हैं उतने शायद हमारे देश के किसी सूबे के अन्दर नहीं हैं। हां, यह जरूर था कि मुख्तलिफ ऐतिहासिक और दूसरी वजहों की बिना पर वे सब मर रहे हैं और उनको कोई जानता नहीं था। हमारे कारीगर या खानदान वाले उनके दूसरे कामों में लग गये थे या बेकार बैठे थे। यही वजह थी कि हमारी दस्तकारियों का कहीं भी जिक्र नहीं था।

पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्दर या उससे पहले जब से कांग्रेस सरकार आई तब से उस तरफ ध्यान दिया गया। एक तरफ सरकार हमेशा यह भी कहती रही कि यहां बड़े उद्योग धंधे भी लग सकते हैं, चलाये जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घरेलू उद्योग-धंधे, जो मर रहे थे, उनको जिन्दा करने के लिये, फिर से चालू करने के लिये उनके कारीगरों को हिम्मत बंधाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की गई। आप लोग अक्सर गये होंगे, जो औद्योगिक नुमायशें होती हैं प्रदेश के अन्दर या बाहर तो आपने देखा होगा कि हमारे स्टाल और दूसरे प्रदेशों के स्टाल में क्या फर्क है? हर जगह यह राय है, दूसरे प्रदेशों के डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की यह राय है कि जितने मुख्तलिफ किस्म के उद्योग धंधे हमारे प्रदेश के अन्दर हैं दूसरी जगह नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा गेन है। इस जानकारी से हमारे पास प्रदेश के बाहर से, देश के बाहर से, दूसरे मुल्कों से आर्डर्स बराबर आ रहे हैं। लाखों रुपये के जूते के आर्डर्स हमारे यहां आये। बनारस के ब्रोकेड, साड़ियां और सिल्क की पेरिस और यू० एस० ए० में काफी मांग हो रही है। फर्रुखाबाद के जो प्रिन्टस हैं जिनको पहले कोई नहीं जानता था आज उनकी मांग हो रही है, हमारे यहां के बाजारों में और बाहर भी। इसी तरह से चिकन का जो काम है साड़ियां तो बना ही करती थीं लेकिन यू० एस० ए० से कुछ मांग आई, उसमें कुछ सुझाव दिया गया जिसके मुताबिक टेबिल क्लाथ और दूसरी चीजें बनवा रहे हैं जो बाहर जा रही हैं। इस तरह से उद्योग विभाग हमारी पुरानी दस्तकारियों को एक तरफ रिवाइव कर रहा है और दूसरी तरफ विभाग की यह भी कोशिश है कि कौन से नये उद्योग धन्धे यहां चलाये जा सकते हैं। इस काम के लिये हर जिले में हमारे इंडस्ट्रीज आफिसर्स गये हैं या अगर

[श्री रऊफ जाफरी]

एक आध जगह नहीं गये हैं तो वहां पहुंच जायेंगे और उनका स्टाफ हर जिले में इस बात का सर्वे करेगा और जल्दी रिपोर्ट पेश करेगा कि उस जिले में कौन-कौन से उद्योग-धंधे पुराने हैं जिनको जिन्दा किया जा सकता है और कौन सी उसके लिये वहां आसानियां मुहइया हो सकती हैं जिनसे नये रोजगार और धन्धे पैदा किये जा सकते हैं।

बड़े कारखानों को खोलने के सिलसिले में भी यह हो रहा है कि जियोलाजिकल डिपार्टमेंट, एक नयी डायरेक्टोरेट मुकर्रर की गई है। यों तो गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट था ही और वह इस किस्म की खोज करता था कि किस जगह कौन सी चीजें मिल सकती हैं और कौन से कारखाने कहां कायम किये जा सकते हैं, क्योंकि बड़े कारखाने जब कायम करने होते हैं तो यह देखना पड़ता है कि जो कच्चा माल है--जिससे कि वह कारखाना चलेगा--उसकी वहां क्या सहूलियत है? बिजली की क्या सहूलियत है, पानी की क्या है, गरज कि यह सब देखते हैं। तो कानों में क्या चीज मौजूद है और क्या नहीं हैं, किस जगह पर, इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक जियोलाजिकल डिपार्टमेंट है ही, लेकिन हमारी प्रदेशीय गवर्नमेंट ने यह काफी नहीं समझा। यही समझा कि हमको अपने आप कोशिश करनी चाहिये और खोज करनी चाहिये कि आखिर हमारे पास है क्या? हमने एक डायरेक्टोरेट आफ जियोलाजी यहां कायम किया है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी तरफ से खोज और एग्जामिनेशंस के पर्चे आ चुके हैं। कई उसमें विचाराधीन हैं। देहरादून और पहाड़ी इलाकों में उन्होंने खास तौर से काम किये हैं और यह पता चलता है कि हमारी खोज काफी हो गयी, जिप्सम है और इस किस्म की दूसरी चीजें हैं जो हमको पहाड़ों में मिल सकती हैं। एक तो सीमेंट की बहुत कमी है। तो देहरादून में एक नयी सीमेंट फैक्टरी कायम करने की खोज हुई कि कहां पर कायम हो सकती है। इस सूरत से बड़े उद्योग-धंधों के लिए और यह कि कौन से नये उद्योग आ सकते हैं उसके लिए सरकार पूरे तौर से कोशिश करती है।

हम यह जानते हैं कि बड़े उद्योग में और छोटे उद्योग में एक बैलेंस होना चाहिये, तभी इकोनामी चल सकती है। हम यह भी महसूस करते हैं कि जितने बड़े कारखाने हमको मिलने चाहिये और जितने बड़े कारखाने यहां खुलने चाहिये वह खुले नहीं हैं। अलावा टेक्सटाइल और शुगर के और कोई बहुत बड़ा उद्योग-धंधा यहां नहीं है। हमें वादा है कम से कम दो बड़े कारखानों का, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा है कि यहां आयेंगे--एक सिंथेटिक रबर का बरेली में और एक एलुमिनियम का मिर्जापुर में या उसके करीब में कहीं खुलने को है। रेलवे वाला तो है ही, उसकी कार्यवाही तो हो रही है, बनारस के करीब। तो पब्लिक सेक्टर में यह है।

प्राइवेट सेक्टर में १०-११ कारखानों के सिलसिले में तो सदन को इत्तला होनी ही चाहिये जिसके सम्बन्ध में कई दफा सवालों के जवाब में बतलाया जा चुका है। मैं उसकी तफसील में वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन हम यह जानते हैं कि अगर बड़े-बड़े २ के बजाय ४ और ४ के बजाय ५ खुल जायं तब भी हमारी जो सरप्लस आबादी है, जो बेरोजगार लोग हैं उन सब की खपत नहीं हो सकती। उसमें यह जरूर है कि बहुत से मजदूर लग जायंगे लेकिन बेरोजगारी की समस्या, जिसको हमें हल करना है बगैर उसके हल किये हुए कोई भलाई हमारे प्रदेश की नहीं हो सकती, देश की नहीं हो सकती। यह दूसरी बात है कि उसमें कुछ वक्त लगेगा, लेकिन यह मसला हमेशा सामने है। तो बेरोजगारी के मसले को सामने रखते हुए, कम खर्च करते हुए यही एक शक्ल मालूम होती है कि जो उद्योग-धंधे आज हैं, उनकी हिम्मत बढ़ावें, और जोश दिलाने की कोशिश करें। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, पिछले जमाने में भी यह हो रहा था, लेकिन और ज्यादा तेजी से अब इसमें काम होगा।

हम यह भी जानते हैं कि हमारे यहां जो इंस्टीट्यूशन्स हैं और ट्रेनिंग हैं उनमें यह जरूर है कि हम स्टाइपेंड देते हैं और लोग आते हैं लेकिन उसमें काफी तादाद ऐसी होती है जो सिर्फ

अपनी बेरोजगारी को कुछ दिन और टालने के लिए बरस दो बरस स्टाइपेंड के लिए आ जाते हैं। माननीय सदस्य खुद भी कहते हैं तो मैं ही पहले कह दूं कि उनमें से कुछ तो लग जाते हैं, लेकिन काफी तादाद ऐसी होती है जो बाद में जाकर के इधर उधर कहीं रिक्शा चलाना शुरू करते हैं और कहीं और कुछ करते हैं। फालो-अप का सिस्टम होना चाहिये और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम कोई ऐसा सिस्टम कायम करने में कामयाब हो सकेंगे कि हमारे ये ट्रेनीज जो निकलें, अव्वल तो ट्रेनिंग उनकी वहां हो, फिर उसके बाद उनके लिये कुछ अप्रेंटिसशिप का इन्तजाम हो या तो उत्पादन के केन्द्रों में, प्रोडक्शन सेंटर्स में उनको ले सकें या कुछ ऐसा हमारी तरफ से होना चाहिये कि किसी न किसी जरिये से उनको काम मिल सके। कैसे होगा मैं यह नहीं कह सकता---कोई अप्रेंटिसशिप किसी फैक्टरी में या और जगह चलनी चाहिये ताकि इंडिपेंडेंटली पूरे तौर से वह काम कर सकें। दो वर्ष की ट्रेनिंग के बाद और खास कर मुख्तलिफ जगहों में हाई स्कूल की शर्त है और आज कल लड़के १०–११ साल की उम्र में हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो १२ साल की उम्र में वे ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे। अव्वल तो वह इस काबिल नहीं होते कि कोई उद्योग धंधा खोल सकें, लेकिन यह जरूर होना चाहिये कि किसी न किसी तरह से उनका फर्दर फालो अप किया जाय। चाहे अपना हो या और कहीं हो। इसमें भी उनकी उम्र का सवाल आयेगा। लेकिन कुछ न कुछ सूरत तो निकलनी ही चाहिये और ऐसी निकलनी चाहिये जिससे उनको मदद मिल सके। जो उद्योग धंधों को कायम करना चाहते हैं हम उनको मदद देते हैं। उनकी सहयोग समितियां बनाते हैं और उनको मदद करते हैं। लेकिन ऐसी शक्ल हो जाय जैसा कि मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा हो सकेगा या नहीं। लेकिन कोशिश जरूर की जायगी। इसके बाद सहयोगी समितियां बना कर छोटे-छोटे काम चला सकते हैं। इसके अलावा और कारखाने कायम होते हैं तो उसमें यह लोग टैक्नीशियन्स का काम दे सकते हैं। यह तो ट्रेनिंग और प्रोडक्शन का सवाल है।

इसी सिलसिले में मैं जिक्र कर देना चाहता हूं कि हम अब हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल मैप में, जहां तक छोटे-छोटे उद्योग धंधों का ताल्लुक है, आ गये हैं। हमारे शो रूम दिल्ली, कलकत्ता और नागपुर वगैरह में हैं। उनसे हमें बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा मुख्तलिफ ऐक्जीबीशन्स में हम कसरत से शामिल होते रहते हैं। इनकी वजह से और हमारे एक्सपोर्ट डिवीजन की वजह से हम अपने माल का नमूना फारन ऐम्बेसीज में भेजते हैं, उसमें काफी खर्चा पड़ता है। यही वजह है कि अक्सर लोग सदन में और सदन के बाहर कहा करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट ऐम्पोरियम में बराबर घाटा होता रहता है। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि इनका घाटा महज आंकड़ों से नहीं देखना चाहिये कि दो लाख का घाटा हो गया है तीन लाख का घाटा हो गया। हमारा काफी खर्चा पड़ता है। जो माल प्रदर्शनियों में जाता है वह खराब हो जाता है, पिलफरेज हो जाता है और उसके भेजने में खर्चा काफी होता है और वह माल पूरे दाम नहीं ले सकता है लेकिन इतना जरूर है कि माल के पैदा करने वालों को बराहरास्त आर्डर मिलने लगता है। कई करोड़ रूपये के आर्डर मुख्तलिफ चीजों के जो उद्योग धंधे हैं उनको मिले हैं और उनकी बिक्री करीब तीन करोड़ रुपये की हुई है। हमारे हैन्डीक्राफ्ट एम्पोरियमों का मकसद यह नहीं है कि दूसरे दुकानदारों से कम्पीट करें, बल्कि इसका मतलब यह कि यह तो एक तरह के शो रूम्स हैं। इसमें जो बाहर के व्यापारी आते हैं, वह वहां उन चीजों को देखते हैं और उनके आर्डर हमारे जरिये या बराह रास्त उनके पास पहुंच जाते हैं। उससे हमको जो काम मिलता है और जो फायदा होता है उसके क्रेडिट का बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार के जरिये से ही होता है। यह जरूर है कि इसमें एक तजवीज थी कि ५० फीसदी डेवलपमेंट के खर्चे के लिये अलग कर दिया जाय और ५० फीसदी कमर्शल आपरेशन में रखा जाय। वह मामला जेरे गौर है। एक दिन मैंने यहां कहा था कि हमारा जितना पब्लिसिटी का काम बढ़ता जायगा

[श्री रऊफ जाफरी]

और उसको बढ़ना चाहिये, उतना ही यह खसारा भी बढ़ता जायगा। तो माननीय गेंदा सिंह जी आज यहाँ नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि आप खुली छूट दे रहे हैं उनको कि वे जैसा चाहें खर्च करते रहें और नुकसान बढ़ता चला जाय। मतलब यह नहीं है। हर तरह से यह कोशिश की जाती रही है और आयन्दा भी की जायगी कि जहां कहीं से नुकसान रोका जा सकता है वह रोका जाय। लेकिन जब आप लोग इस अनुदान पर गौर करें तो यह ध्यान में रखें कि यह महज कोई कर्मशल आपरेशन की दूकान नहीं है। ज्यादातर इसका काम यह है कि जैसे कोई फर्म इश्तहार छापती है उसके बाद उसको आर्डर्स मिलने लगते हैं तो उससे फायदा होता है। इसी तरह से इस खर्च को उस कांटेक्स्ट में देखना चाहिये कि हमारे प्रदेश में रोजगार धन्धे कितने बढ़ गये हैं इन ८-१० साल के अन्दर। पहले हैंड-लूम का रोजगार सिसकता हुआ था। अब आप देखेंगे कि करीब-करीब साढ़े ६ हजार नयी डिजाइनें हैंडीक्राफ्ट वालों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस की हैं। आज उसकी काफी पब्लिक में डिमांड है और कितने ही आदमी उसमें लग रहे हैं। हमारे मुरादाबाद के कारीगर मर रहे थे। आज हमने उसमें नयी चीजों को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से वे भी काफी ठिकाने से हो गये हैं। तो इस तरह से खर्च को देखते वक्त आपको यह देखना चाहिये कि उससे जो फायदा पहुंचा उसके इन कमन्सुरेट वह है या नहीं।

मैं सदन का बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। जब आपके सुझाव आयेंगे तो मैं बाद में कहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सुझाव इस नीयत से देंगे कि किस तरीके से हमारे प्रदेश के अन्दर उद्योग धंधे बढ़ सकते हैं और किस सूरत से हम अपने यहां और बड़े कारखाने कायम कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में तो अलग ही है लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिये कि हमारे जो उद्योगपति हैं उनको किस तरह से इन्ड्यूस किया जा सकता है कि वे अपने कारखाने कायम करें। पब्लिक सेक्टर में तो बिल्कुल बंधा बंधाया मामला है और फारेन एक्सचेन्ज की वजह से और भी दिक्कत हो गयी है। लेकिन जो हमारी प्राइवेट पार्टीज हैं उनसे हम यह अपील कर सकते हैं कि जब हमारे प्रदेश की खुशहाली बढ़ेगी तो उनकी भी खुशहाली बढ़ेगी और उनके माल की भी खपत बढ़ेगी। इसमें यह सवाल जरूर पैदा होगा कि आप सोशलिस्ट एकोनामी और सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ यह अपील जरूर है कि सोशलिस्ट पैटर्न के समाज की स्थापना तो हमारा ध्येय है ही, उस तरफ तो चलना ही है, लेकिन इस बीच में भी एक दायरा है। उसको हमने पहले से मान लिया है कि इस जमाने में हमारा कुछ प्राइवेट सेक्टर भी होगा। उनको हमने कुछ आश्वासन भी दे रखे हैं कि फलां-फलां सहूलियतें मिलेंगी। अभी जैसे बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उन्हें कुछ पावर की सहूलियतें देना चाहते हैं और कुछ और भी सहूलियतें देना चाहते हैं इसलिये कि वे रुपया उद्योग में लगावें। अगर रखे रहेंगे तो कोई भी काम नहीं आवेगा और अगर लगावेंगे तो उनको एक मुनासिब मुनाफा भी हो सकता है।

जहां तक यह सवाल है कि वर्कर्स के हकूक महफूज होंगे या नहीं उस वक्त उनके लिये हम ऐसे ऐसे कानून भी बना रहे हैं कि लेबरर्स के हकूक पूरी तरह से हम महफूज कर सकते हैं और उनके ऊपर दूसरे बंधन भी लगा सकते हैं, लेकिन यह कि बहुत ज्यादा दौलत एक जगह इकट्ठी करके रखे रहें इस सिलसिले में भी हमें कुछ करना होगा और वह यही होगा कि उनको इस बात का यकीन हो कि अगर वे अपना पैसा लगाते हैं तो उनको एक मुनासिब मुनाफा मिलेगा।

तो मैं चाहूंगा कि उद्योगों के सिलसिले में, कोआपरेटिव सोसाइटियां हमारी हैं उनमें क्या त्रुटियां हैं, उनके दूर करने के सिलसिले में, रिबट बांटने के सिलसिले में, लोन वगैरः जो हम देते हैं उनके सिलसिले में अगर आप अच्छी सलाह दे सकें और मुझे उम्मीद है कि आप सलाह देंगे तो सरकार उन पर विचार करेगी और आपके जो सुझाव आयेंगे बाद में मैं उन पर अर्ज करूंगा।

श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या २७ और अनुदान संख्या ४६ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विश्राम राय---उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यह पंचवर्षीय योजना का अंग है इसमें कोई नयी बात नहीं कही जा सकती। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है यह सही बात है कि इंडस्ट्रीज का बहुत ताल्लुक सेन्टर से है और सेन्टर को इसमें मदद करनी चाहिये। जहां तक हैवी इंडस्ट्रीज का सवाल है अगर सेन्टर इसमें मदद नहीं करता है तो इसमें सन्देह नहीं कि हमारे यहां उद्योगीकरण नहीं हो सकता है और यह प्रदेश उद्योग में बहुत पीछे रहेगा। हैवी इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में पिछले १० वर्षों में यह देखा गया है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारा मन्त्रिमंडल सेंटर से मांग करने में नाकामयाब रहा है। ७ नेशनल लेबोरेटरीज कायम हुई हैं हिन्दुस्तान में, लेकिन एक भी यहां हमारे प्रदेश में कायम नहीं हुई है। हैवी इंडस्ट्रीज में से एक भी हमारे प्रदेश को नहीं मिल सकी। एक रेलवे की इंडस्ट्री बनारस में और एक अन्य बरेली में खोलने की बात कही जाती है। लेकिन वे भी अभी खटाई में पड़ी हुई हैं।

जहां तक मिनरल रिसोर्सेज की बात है हमारी स्टेट में बहुत चीजें इस तरह की मिलती हैं। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने इसी हाउस में कहा था कि हमें विन्ध्य प्रदेश का एक हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि मिनरल रिसोर्सेज वहां पर भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को जहां तक मालूम है उसमें हमारी सरकार बिलकुल नाकामयाब रही है। हम लोगों को मालूम नहीं होता कि दूसरे प्रदेशों के मन्त्रिमंडल में कौन सी बात है जिसकी वजह से वह सफल हो जाते हैं। आसाम के मेढ़ी साहब जब आयल रिफायनरी के लिये दिल्ली जाते हैं तो उसको वहां से हटाने के लिये अड़ंगा लगाते हैं और इसमें आसाम की जनता भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। परिणाम यह होता है कि वहां से आयल रिफायनरी हटाई नहीं जाती। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी भी इसी कोशिश में मर गये। वह भी इसके लिये सदा प्रयत्नशील रहे कि उनके यहां कारखाने खोले जायं। लेकिन यू० पी० का मन्त्रिमण्डल सफल नहीं होता है। इसी विधान भवन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमारे सामने डू आर डाई का सवाल है। हैवी इंडस्ट्रीज के लिये हमारे भूतपूर्व मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त ने भी प्रयत्न किया था, लेकिन हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि सरकार इसमें बिलकुल नाकामयाब रही है। इसकी वजह से हमारी स्टेट उद्योगीकरण में पीछे चली जा रही है। इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिये। हमारी प्रदेशीय सरकार की यह पालिसी मालूम होती है कि वह कोई दबाव नहीं डाल सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह हमारे प्रदेश में कौन-कौन सी हैवी इंडस्ट्री कायम करने जा रहे हैं। यहां पर चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री कायम की गयी है जिसके लिये इस बजट में बहुत काफी रुपया रखा गया है, लेकिन जहां तक उसके उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का सवाल है वह बहुत नहीं बढ़ी है। वहां का सीमेन्ट भी बहुत कास्टली पड़ता है और बाजार में भी वह सब से मंहगा बिकता है। दूसरे लोगों की कम्पनी का जो सीमेन्ट आता है वह इतना मंहगा नहीं बिकता है। सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिये जिससे वह मंहगा न पड़े।

प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिये किस तरह से उन लोगों को इन्ड्यूस करना चाहिये सरकार को अपनी पालिसी इस सम्बन्ध में तय करनी चाहिये और उनके लिये मार्ग निकालना चाहिये, लेकिन सरकार की पालिसी तो यह है कि न तो आप कैपिटलिस्ट

[श्री विश्राम राय]

को नाराज करना चाहते हैं और न मजदूर को नाराज करना चाहते हैं। आप की मिक्स्ड पालिसी है जिसकी वजह से यह सब काम सस्पेन्स में पड़ा हुआ है। कैपिटलिस्ट के लिये आप की पालिसी वही होनी चाहिये जैसा कि चीन ने ऐलान किया था। ऐटली की सरकार आई तो उसने नेशनलाइजेशन किया। आप साफ-साफ कहिये। इंडस्ट्रियलिस्ट मैदान में आवेंगे। कैपिटल बाहर नहीं आ रहा है। आप दिन पर दिन सेल्स टैक्स और बिजली का टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। बजट में आपने थोड़ा सा शिगूफा छोड़ा है कि हम रेट कम कर रहे हैं। वह कुछ नहीं है। कानपुर को आप देखिये। ५३-५४ में २३ लाख ३६ हजार, ५४-५५ में २३. ५६, ५५-५६ में हड़ताल के कारण कुछ कम है और ५६-५७ में २४ लाख की बचत हुई। काटेज इंडस्ट्रीज हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको बढ़ाना है। आप सेन्टर में कामयाब नहीं होते हैं। आप हैवी इन्डस्ट्रीज को अपनी ओर नहीं ला सके हैं, और आप छोटी इंडस्ट्री के लिये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमने देखा है कि स्माल इंडस्ट्रीज के लिये कारपोरेशन बनने वाला है जिसमें सिर्फ ७.५ लाख रुपया रखा है। इस प्रदेश में इतने गांव हैं और साढ़े ६ करोड़ जनता के लिये यह रुपया बहुत कम है। मसूरी में डेवलपमेंट कमिश्नर्स की कान्फ्रेन्स ने कहा कि वह २, ३ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स क़ायम करेंगे। आप अपनी पालीसी काटेज इंडस्ट्रीज और हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में साफ़ करिये। आप काटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दीजिये। इसके बारे में जो कुछ हो रहा है उसकी कुछ शिकायतें भी मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं। सब से बड़ी काटेज इंडस्ट्री हैंडलूम की है। उसका कुछ मेरे जिले का अनुभव भी मुझे है। मऊ में एक बड़ा भारी स्कैन्डल हुआ। उसमें लाखों रुपये का ग़बन हुआ था। इस सदन में उसके बारे में गेंदासिंह जी ने, झारखंडे राय जी ने और उमाशंकर जी, भूतपूर्व सदस्य, ने सवालात भी रखे थे और काम रोको प्रस्ताव भी लाये थे। वहां फर्जी बीजक कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से बनाये गये हैं। वहां के आढ़ती उनसे इंकार करते हैं। कानपुर से डिप्टी डाइरेक्टर गये और सब बातों की जांच की, लेकिन शिकायत करने वालों से नहीं पूछा गया और आढ़तियों से भी कुछ नहीं पूछा गया। बही खाते में जो चीज देखनी चाहिये थी वह न देखकर और ही चीजें देखी गयीं। इससे जांच सही नहीं कही जा सकती है। आप कहते हैं कि रिबेट रोक दिया गया है। इस स्कैन्डल के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें आप पुलिस में दीजिए, कचेहरी में उन पर केस चलवाइये। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो हैन्डलूम इंडस्ट्री खत्म हो जायगी और लोग दान खाते रहेंगे।

यहां पर बहुत जिक्र हुआ कि यहां के लखनऊ हैन्डलूम एम्पोरियम में भ्रष्टाचार की शिकायत है। मंत्री जी ने कहा कि यह शो रूम है, इसमें कोई भी घाटा हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने तो ऐसा बिजिनेस कहीं नहीं देखा है। अगर आप इस तरह से खुले आम प्रोत्साहन देंगे तो पदर्शनियों में भी खर्चा बढ़ेगा। एसिस्टंट फाइनेंशल कंट्रोलर आफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट आप मंगवाइये। उसे देखिये। उन्होंने कहा है कि यहां के स्टेट हैंडिक्रैफ्ट विभाग में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। यह सब गड़बड़ी स्पेशल मैनेजर की वजह से बताई जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य किसी एक व्यक्ति के बारे में विवाद न करें?

श्री विश्राम राय---अच्छी बात है, उसमें गड़बड़ी हो रही है। स्पेशल मैनेजर की बात उसमें शामिल हो, वह आप मालूम कर लीजिये। उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। उल्टे यह जवाब दिया जाता है कि शो रूम होने के कारण घाटा ज्यादा है। मेरा खयाल है कि पिछले सात वर्षों में कम से कम १४ लाख का घाटा हुआ है। इस प्रकार से सभी काटेज इंडस्ट्री में दिवाला हो जायगा। गांधी आश्रम को आप पैसा देते हैं। अगर इस तरह से गड़बड़ी हुई तो लाखों रुपया जो सेंटर से भी मिल रहा है वह खत्म हो जायगा। जहां तरह-तरह के डिजाइन्स को बढ़ाना है, क्वालिटी मार्किंग होना है वहां गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये।

कारखानों की ओर देखिये। इनमें कितने लोग एम्पलायड होते हैं। स्वराज्य हो जाने के बाद हम लोगों को आशा थी कि हमारे यू० पी० की बेकारी दूर होगी, लेकिन बेकारी का आलम यह है कि वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मंत्री जी ने कहा कि यह खेतिहर प्रदेश है और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रदेश भी बने। जो लोग कारखानों में काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। १९५३, ५४ और ५५ के आंकड़े यहां मौजूद हैं, लेकिन पहले जैसी हालत है और आदमी बढ़ नहीं रहे हैं। बल्कि ७, ८ नई मिलें बन्द होती जा रही हैं। उनमें छटनी हो रही है। रेशनालाइजेशन स्कीम से भी कोई लाभ नहीं हो रहा है। पंच-वर्षीय योजना में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन बेकारी बढ़ रही है। इससे जनता आपको सहयोग नहीं दे रही है। अगर आप काटेज इंडस्ट्री को बढ़ावें तो बहुत से प्रश्न हल हो जावेंगे। रोज भुखमरी के प्रश्न जो यहां होते हैं वे भी खत्म हो जावेंगे। बजट में पढ़िये तो बख्शी के तालाब पर प्रशिक्षण केन्द्र, यहां प्रशिक्षण केन्द्र, वहां प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि हमारी नीति गृह उद्योगों को खास तौर से बढ़ाने की है, इससे मुझे बहुत हर्ष हुआ। लेकिन यह उद्योग बाजार में क़ीमतों के साथ, जो चालू हैं, उनसे बहुत कम मुकाबला कर पाते हैं। छोटे उद्योगों को, भी प्रोत्साहन देना होगा। जब तक इस ओर ठोस कदम नहीं उठाया जावेगा तब तक गृह उद्योग किसी प्रकार से आगे चल नहीं सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग सम्बन्धी अनुदान का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। माननीय उपमंत्री इसलिये भी विशेष प्रकार से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि हमारी नीति गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने की है। परन्तु हम देखते हैं कि हमारा जोर बड़े उद्योगों पर रहता है। जब कि हमारा वास्तविक समाधान छोटे उद्योगों में है और छोटे उद्योग उस समय तक नहीं बढ़ सकते जब तक गृह उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में वृहद् उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मुक़ाबला करने योग्य न बनाया जाय। छोटे उद्योगों को आप सहायता देते हैं, इस स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा, चाहे आप इनके मूल्य को गिरायें या उनके मूल्य को बढ़ायें। छोटे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को इस योग्य बना दें कि वह बड़े उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मुकाबला कर सकें। वास्तव में आप देखें तो आप को मालूम होगा कि इन उद्योगों में कितनी पूंजी लगी हुई है और उनमें लगे हुये मजदूरों की संख्या कितनी है। देश में मजदूरों की कुल संख्या जो उद्योगों में लगे हुये हैं ३ करोड़ ७६ लाख है। इनमें से कुल ३० लाख मजदूर ऐसे हैं जो वृहद् उद्योगों में काम करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि केन्द्र की ओर से और देश की ओर से वृहद् उद्योगों की ओर ही क्यों अधिक ध्यान दिया जाता है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में विनोबा जी, जय प्रकाश नारायण जी और जवाहर लाल जी के विचारों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने कहा है कि इस समस्या को केवल छोटे उद्योग ही हल कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बतलाया बड़े उद्योगों में केवल ३० लाख मजदूर ही काम कर रहे हैं और इन ३० लाख मजदूरों के लिये १२,००,००,००,००० रु० की पूंजी लगी हुई है जो प्रति मजदूर ४ हजार रुपया आती है, मैंने अपने प्रदेश के कुछ आंकड़े निकाले हैं। कपड़े के उद्योग में ६३ हजार मजदूर काम करते हैं और उसमें १७.४ करोड़ रुपया लगा हुआ है जो ३ हजार रु० से कुछ कम प्रति मजदूर आता है। चीनी में ६ हजार से कुछ अधिक प्रति मजदूर और दूसरे उद्योगों में भी इसी प्रकार प्रति मजदूर पर पूंजी लगी हुई है। अब छोटे उद्योगों के बारे में सुनिये। एक पुस्तिका मेरे पास है जो श्री श्रीमन्नारायण जी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि १५० करोड़ रुपये में १ करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। यह अम्बर चर्खे के आंकड़े हैं।

[श्री जगदीश प्रसाद]

१५० रुपया लगा कर छोटे उद्योगों द्वारा लोगों को काम दिया जा सकता है । अंबर चर्खे से एक, सवा रुपया नहीं तो १२ आना रोज की मजदूरी प्राप्त की हो जा सकती है । कर्वे कमेटी ने भी एक सजेशन दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि "२६९.६१ करोड़ रुपया लगा कर ४५ लाख आदमियों को काम दिया जा सकता है" जो प्रति व्यक्ति ५७८ रुपया पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश और प्रदेश की सब से बड़ी समस्या यही है कि लोगों को रोजगार मिले और पूंजी कम लगे । रुपया हमारे पास बहुत कम है । हम टैक्स लगाते हैं, कर्ज लेते हैं, चारों तरफ से सेविंग्स करने की कोशिश करते हैं, इसलिये कि रुपया कम है और मैन पावर ज्यादा है । माननीय मंत्री जी ने अपने सामने इस लक्ष्य को तो रक्खा है, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिये वास्तविक साधन नहीं अपनाये गये, वास्तविक नीति नहीं अपनायी गयी । उस नीति में आप को सीमायें निर्धारित करनी होंगी । आपको प्रत्येक प्रकार के उद्योग के लिये क्षेत्र निर्धारित करने होंगे । आप जीवन की उपयोगी वस्तुओं को केवल गृह उद्योगों द्वारा ही उत्पादित करें। तभी हम अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं । मैं यह मानता हूं कि इस बार योजना में जो अतिरिक्त कपड़ा तैयार किया है वह गृह उद्योगों द्वारा उत्पादित किया गया है । लेकिन हमें इससे भी आगे जाना होगा । जैसा कि राजा जी ने कहा था कि धोतियों को केवल गृह उद्योगों द्वारा ही उत्पादित किया जाय । यह हो सकता है कि इसमें केन्द्र द्वारा कुछ पाबंदियों की बात हो और उससे हमारे रास्ते में कोई बाधा उपस्थित हो लेकिन इस बारे में उनको भी लिखना होगा । इसलिये जब तक हम इस प्रकार से क्षेत्र निर्धारित नहीं करेंगे कि अमुक-अमुक वस्तुएं गृह उद्योगों से पैदा की जायंगी और अमुक-अमुक वस्तुयें गृह उद्योग द्वारा ही पैदा होंगी यह भी निर्धारित करना होगा कि अमुक वस्तु किस मात्रा में गृह उद्योग द्वारा उत्पादित की जाय और किस मात्रा में वृहद उद्योग द्वारा-तब तक हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती । छोटे और बड़े उद्योगों के बैलेंस के बारे में तो स्वयं माननीय उपमंत्री जी ने भी कहा है लेकिन इस का हल तभी हो सकता है जब कि हम इस प्रकार से क्षेत्रों का बटवारा कर दें ।

इसके बाद में, जो रिपोर्ट हमें दी गयी है, उसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाऊंगा । अभी एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश गृह उद्योग निगम कायम किया गया है । यह अवश्य है कि यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा । लेकिन जिस निगम को आपने कायम किया है और उसके लिये जितने रुपये रक्खे गये हैं उससे आपकी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं । इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन बनाने से काफी प्रोत्साहन मध्यम श्रेणी के उद्योगों को मिला है । इसके लिये इस साल कुल साढ़े ७ लाख रुपया रखा गया है । मैं आशा करूंगा कि अगले वर्ष माननीय उद्योग मन्त्री जी सोचेंगे और इसके लिये काफी रकम देने की कृपा करेंगे । इस साल जो इसमें रुपया रखा गया है वह इसलिये है कि गृह उद्योग की जो चीजें उत्पादित की जायं उनकी बिक्री का प्रबन्ध किया जाय तथा उनके लिये सामान जुटाने का भी प्रबन्ध किया जाय । मैं आशा करूंगा कि आप आगे यह भी करेंगे कि इंडस्ट्रिल कारपोरेशन के सम्बन्ध में जिस तरह से रुपया रखा गया है उसी तरह से छोटे उद्योगों को कर्ज द्वारा प्रोत्साहन देने के लिये भी समस्त प्रदेश में और ज्यादा रुपये का प्रबन्ध करें ।

एक दूसरी बात यह है कि आपने छोटे उद्योगों के लिये इंडस्ट्रियल इस्टेट्स खोलने का निर्णय किया है । इसके अलावा छोटे उद्योगों के लिये भी २४,६०० रु० की व्यवस्था की गयी है । और मैं समझता हूं कि इतने बड़े प्रदेश के लिये यह रकम बहुत कम है । जिस तरह से आगरा, कानपुर में औद्योगिक आस्थान खोले जा रहे हैं उसी तरह से छोटे-छोटे उद्योगों के लिये भी बड़े पैमाने पर सहायता देने का प्रबन्ध किया जाय तो ये उद्योग बहुत आगे बढ़ सकते हैं । हम अपने यहां के पुराने उद्योगों को ही देखें, हमारे यहां का तो यह

रिवाज रहा है, जैसे मुरादाबाद में बर्तन का काम, अलीगढ़ में ताले का का काम, आगरे में जूते का काम, इस तरह से एक-एक उद्योग एक-एक स्थान में कंसंट्रेट हो गये हैं और वहां पर आसानी से उस उद्योग सम्बन्धी सामान उपलब्ध हो सकते हैं, तो इस तरह से ये उद्योग भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर सोचेंगे कि इसके लिये और ज्यादा रुपया बढ़ावें। कुछ उद्योगों की शिक्षा के लिये, ट्रेनिंग के लिये भी प्रबन्ध किया गया है। हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष इस तरह की ट्रेनिंग १,१३१ नवयुवकों को दी गयी है जिनमें से ७०३ को तो राजकीय विद्यालयों में, ४२८ को सहायता प्राप्त विद्यालयों में और १२ को फैलोशिप डिप्लोमा की ट्रेनिंग दी गयी है। लेकिन इसके साथ यह भी देखने की बात है कि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गयी है उनमें से कितने व्यक्तियों ने उन उद्योगों को अपनाया है। अगर आपने १,१३१ व्यक्तियों को अपने कास्ट पर ट्रेनिंग भी दी और उसके बाद भी वे नौकरी की तलाश में फिरते रहे तो उनको ट्रेनिंग देना बेकार है और उनके ऊपर खर्च किया हुआ रुपया भी व्यर्थ ही गया। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और हमने देखी है कि एक लेदर वर्किंग स्कूल कानपुर में है लेकिन उसके आंकड़े देखने से मालूम हुआ कि उस विद्यालय में केवल १७ विद्यार्थी ही पढ़ते हैं, जिनके ऊपर ५६,५०० रु० खर्च होता है। यानी ३,३२५ रु० प्रति विद्यार्थी। वहां ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वहां की उत्पादित वस्तुओं को बजट में दिखलाया गया हो। वह एक रोजगार की चीज है। इतना खर्च तो प्रति विद्यार्थी किसी यूनिवर्सिटी और कालेज में भी नहीं पड़ता है। साथ में यह भी है कि प्रति विद्यार्थी केवल ५० रुपया ही स्टाइपेन्ड दिया जाता है।

श्रीमन्, समय समाप्त हो रहा है इसलिये मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में इस प्रकार के उद्योगों की शिक्षा के लिये ट्रेनिंग देने की बड़ी आवश्यकता है। चाहे आप उसके लिये ६ महीने का, साल भर का या दो वर्ष का कोर्स रखने का निर्णय करें, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाय वे नौकरी की तलाश में इधर-उधर का चक्कर न लगाते फिरें, बल्कि जिस चीज की ट्रेनिंग उनको मिली हो, उसी उद्योग में वे लग जायं, चाहे उसके लिये ५०० रु० १,००० रु० या २,००० रु० की सहायता ही शुरू में देनी पड़े, लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय तो हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे उद्योग धंधे काफी तरक्की कर सकेंगे। आप इसके लिये कोई बोर्ड या कमेटी बना दें जो इस तरह के उद्योगों के लिये सहायता देने का सुझाव दिया करें। इस तरह से आप के कास्ट पर औद्योगिक शिक्षा पावेंगे वे अपने जीवनयापन का स्वयं प्रबन्ध कर सकेंगे।

*श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज निर्विवाद है कि जब तक कि हमारे प्रदेश के उद्योग धंधे बढ़ाये नहीं जायंगे तब तक हमारी बेकारी की जो समस्या है, उसका समाधान नहीं होगा। यह तो मानी हुई बात है कि जमीन पर भार बहुत बढ़ गया है और हम लोग छोटे उद्योगों की ओर विशेष ध्यान नहीं द रहे हैं। हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां इतने आदमी हैं। हमारी परम्परा और व्यवस्था ऐसी थी कि जिसके अनुसार हमारा स्वयं एक उद्योगीकरण था और काम धंधे हमारे पुश्तैनी थे जैसे किसी जाति के आदमी को आप ले लें हमारे यहां जाति की जो व्यवस्था थी वह उद्योग धंधों पर आधारित थी। जिस जाति के लोग किसी खास किस्म के लोग कोई खास किस्म का काम करते थे उसी प्रकार का काम उनके लिये निर्धारित सा था और इस प्रकार जो उनके पुश्तैनी संस्कार थे वे अपने आप बनते चलते थे। अगर आज हम उनको केवल थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दें और इस बात को ध्यान में रखें कि देहात में जो बढ़ई का लड़का है उसे बढ़ई की ट्रेनिंग दें और यदि वह ज्यादा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्दुभूषण गुप्त]

शिक्षा भी प्राप्त कर के हमारे पास नौकरी के लिये आये तो हम उसे उसी बढ़ई के किस्म के काम में ही लगायें। जो हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं उनके द्वारा हम यदि कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें तो उत्तम होगा। इस तरह से हम लोहारी को लोहार के काम की शिक्षा दे सकें तो इस तरह की जो शिकायत सुनने में आती है कि हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिलता वह न रहेगी।

गांव के उद्योग धंधों में हमें इस बात को भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम जो हर एक चीज को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हम उसका राष्ट्रीयकरण कर लें, वह आप अवश्य कर लें, लेकिन हमको देखना चाहिये कि उससे पर केपिटा आय कितनी हो रही है, इतना ध्यान हम दें तो उससे काफी लाभ होगा। मैं एक मिसाल दूंगा कि अभी पिछले दिनों में यू० पी० हैंडीक्रैफ्ट के लिये सरकार ने बतलाया था कि उसमें घाटा हो रहा है जब कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि उसी प्रकार के धंधे दूसरे लोग कर रहे हैं। बनारसी कामों के लोग धंधे कर रहे हैं और काटेज इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं और वह लाखों और करोड़ों रुपये का नफा कमा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब वही धंधे सरकार करती है तो नफा क्यों नहीं रह जाता और जब नफा नहीं रह जाता तो कर्मचारियों की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि हम तो शासक हैं और वे व्यापारिक दृष्टि से कार्य नहीं कर पाते, इस तरह से सरकार को घाटा होता है। तो सरकार को देखना चाहिये कि ऐसी चीज क्या उसके लिये अहितकर है और क्या वह इस प्रकार लोगों से काम चला सकती है? इसलिये जैसी हमारी पुरानी व्यवस्था थी कि हम जिस जाति के लोग होते थे उनसे वैसा ही काम लेते थे, मैं दूसरी जाति के लोगों को किसी काम के करने में रुकावट रखने की बात नहीं कहता, वह भी उसे खुशी से करें, जिनका चाव है, मनोवृत्ति है वह खुशी से कोई भी काम करें, लेकिन देहातों में खेती पर ही सारा भार न डालकर हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिये। दूध का पेशा है उसको डेवलप करने की कोशिश करें, जो पशुधन का काम करने वाले अहीर आदि हैं उनके लिये चारे आदि की व्यवस्था करें और उनके दूध को एकत्रित कर के बिकवाने की व्यवस्था करें और जो दूसरी जातियों के लोग हैं और उनके यहां जो पुश्तैनी काम हो रहा है, उसी में उनको प्रोत्साहन दें। जैसे बी-कीपिंग का काम है, उसके लिये लोगों को प्रोत्साहन दें, पोल्ट्री का विकास करें। देहातों में आपको इन चीजों के लिये बहुत मौका मिलेगा और साथ-साथ आपके यहां की बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी। मैं तो इस चीज को देखकर परेशान हो जाता हूं कि हर एक जाति के लोग दरखास्त लेकर आते हैं कि नौकरियां दिला दीजिये। नौकरियां इतनी शायद नहीं हैं और अगर आप अपने एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा इस बात की व्यवस्था कर सकें या जैसे आप के जिलों में जो आपके नये अधिकारी नियुक्त हुये हैं उनके द्वारा आप कोई ऐसी व्यवस्था कर सकें कि उन लोगों को वह उन्हीं कामों में लगा सकें या उनकी रुचि के अनुसार पहले उनको ट्रेनिंग देकर आप देखिये। रेल की खिड़कियां आज बनती हैं, पहले वह खिड़कियां कैसी होती थीं, अब वह इतनी खराब हैं, उनमें वर्कमैनशिप नहीं है। आपके फर्नीचर या दूसरी चीजें जो हैं उनकी वर्कमैनशिप पहले के मुकाबले में खराब होती जाती है। आज हमारे वर्कर्स में इस बात की बड़ी खराब पोजीशन होती जा रही है। उसका कारण मैं यही समझता हूं कि उनकी जो पुश्तैनी चीज है उसको बन्द करके हम दूसरी ओर उनकी प्रवृत्ति को लगा रहे हैं। वह उनके लिये नयी धारा होती है जिसमें वह अपने को ठीक तरह से ऐडजस्ट नहीं कर पाते।

इसके साथ-साथ मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप कार्यवाही करें, जो कुछ भी आप नेशनलाइजेशन की तरफ कोशिश करें, वह ठीक है। लेकिन इस बात का अवश्य आपको ख्याल रखना चाहिये कि पर कैपिटा आपकी आमदनी क्या हो रही है। अगर आप की पर कैपिटा आमदनी घटती जाती है तो निश्चित ही हमारा देश गरीब होता जायगा। आज हम संपत्ति उसको किसी भी रूप में वितरित करते चले जायं।

वितरण की एक सीमा होती है। वह सीमा समाप्त हो जाने पर हमारे लिये बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो जायंगी। अगर बचत की ओर आप देखें तो जो भी काम सरकार अपने हाथ में ले रही है, जैसे कि होटलों के कामों को आप देखें, होटलों के बहुत से कामों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन क्या उसमें बचत हो रही है या हम महज सिर्फ एक आदर्श पर काम करते चले जायेंगे? बचत की ओर ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ-साथ में हमारे देश की सम्पत्ति उत्तरोत्तर घटती चली जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल अपने लिये करत चले जा रहे हैं। बचत की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती।

मैं अंतिम बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके साथ-साथ इस बात को भी ध्यान में रखें, महात्मा गांधी ने एक आन्दोलन उठाया चर्खे का। उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारा देश वस्त्र के मामले में कम से कम सेल्फ सपोर्टिंग हो गया। लेकिन अन्न के मामले में आज हम विदेशी अन्न मंगा कर खा रहे हैं जब कि हमीं लोगों ने विदेशी वस्त्र का वहिष्कार किया था। हम नंगे रहे लेकिन हमने विदेशी वस्त्र का वहिष्कार किया। आज आपको इस औद्योगिककरण के सिलसिले में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये। हम अन्न उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दें और हमें माफ करेंगे, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, अगर मैं इस बात को कहूं कि जमींदारी भी एक इंडस्ट्री थी। उसमें बहुत से लोग एम्प्लायड थे, उनकी नौकरियों को खत्म करके उससे हमारा अनएम्प्लायमेंट कितना ज्यादा बढ़ गया। इस बात को ध्यान में रखते हुये आदर्श के साथ व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखें तो हमारे देश और प्रांत का कल्याण होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपको बधाई दे दूं, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने अंतिम दिनों में एक मौका मुझे दिया कि मैं अपने विचार प्रकट कर सकूं।

श्री उपाध्यक्ष--आखिरी विचार बहुत उत्तम होते हैं।

*श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, मैं उद्योग मंत्री को कुटीर उद्योग के संबंध में जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किये और उस अनुदान को प्रस्तुत किया इसके लिये बधाई देता हूं। लेकिन मेरा अपना खयाल है कि छोटे उद्योग धंधों को चलाने के लिये सरकार को आज जितना खर्च करना चाहिये उतना नहीं कर रही है। दूसरे लफ्जों में मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक आजादी बेकार है यदि आर्थिक आजादी प्राप्त न हो। मैं ऐसा विचार रखता हूं कि यदि मनुष्य को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाय तो वह अपने विचार दृढ़तापूर्वक राजनैतिक क्षेत्र में भी प्रकट कर सकता है और आज इसकी कमी है। इस वजह से मैं राजनैतिक स्थिति भी कुछ डावांडोल सी देखता हूं। मेरा खयाल है कि आर्थिक आजादी नहीं प्राप्त हो सकती। अगर हम अपने प्रदेश में हैवी इंडस्ट्री की स्थापना की ओर ही लगे रहे। आर्थिक आजादी दिलाने के लिये काटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग का होना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि प्रदेश कृषि प्रधान है और बड़े लम्बे क्षेत्र में फैले हुये कृषकों के लिये घर बैठे अगर हम उद्योग धंधे दे सकें और उनकी आमदनी बढ़ा सकें तभी उनमें आर्थिक स्वतंत्रता आ सकती है और यह चीज बड़ी इंडस्ट्री कायम करके कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। मेरा यह भी विचार है कि इस मामले में सरकार चाहे प्रदेशीय सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, वह अपनी जगह पर साफ नहीं है। दूसरे लफ्जों में अगर मैं यह कहूं कि प्रदेश और देश के पूंजी पतियों और राजनेताओं का एक गुट बना हुआ है और वह आर्थिक स्वतंत्रता को हड़पने के लिये प्रयत्नशील है तो कुछ

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

अतिश्योक्ति नहीं होगी। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि राजनेताओं का ऐसा एक ध्यान रहता है कि राजनैतिक सत्ता का केन्द्रीकरण रहे। इसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में कैपिटलिस्टों का यह प्रयत्न रहता है कि वह भी आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण किये रहें। लक्ष्य दोनों ही का एक है। इसलिये मैं यह कहता हूं, कभी-कभी मेरे दिमाग में यह बात आती है कि आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं साफ तरीके से यह बात कही जाती कि प्रदेश और देश में खर्च होने के लिये जो भी सामान इस देश और प्रदेश में बन सकता है वह लघु उद्योग धंधों के द्वारा ही हम बनायेंगे और केवल एक्सपोर्ट के लिये विदेशों को निर्यात करने के लिये हम हैवी इंडस्ट्री के द्वारा माल का निर्माण करेंगे। लेकिन जब-जब यह प्रश्न सामने आता है तब-तब दोनों स्थान की सरकारें सेंट्रल और प्रदेश की, इस मामले को स्पष्ट तरीके से साफ नहीं करतीं। इसीलिये मेरा यह शक है कि राजनैतिक सत्ता का केन्द्रीकरण और आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण, इस तरह की दोनों मनोवृत्तियां एक साथ मिल के आज काम कर रही हैं। समाजवाद लाने की भी चर्चा होती रहती है। समाजवादी ढंग का भी जिक्र आया करता है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आर्थिक सत्ता का विकेंन्द्रीकरण कर दिया जाय, लघु और कुटीर उद्योगों को बहुत बड़ी-बड़ी सहायता दी जाय तो समाजवाद अपने आप आ जायगा। समाजवाद-समाजवाद, कहने से समाजवाद नहीं आया करता। वह वक्त मुझे याद है कि जब राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने एक चैलेंज दिया था अपने अखबार में और उन्होंने यह कहा था कि क्या एक भी व्यक्ति हिन्दुस्तान में ऐसा है कि जो समाजवादी अपने को कहला सकता हो। उसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। समाजवाद की बातें बार-बार कहना, समाजवाद पर बार-बार जोर देना इससे समाजवाद नहीं आया करता। समाजवाद लाने में पहले समाजवादी भाई मदद करें, सरकार की भी और हम जो इस तरफ बैठे हैं उनकी भी। समाजवाद अगर इस प्रदेश में लाना है तो लघु उद्योगों को बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि लघु उद्योग आप पनपा दीजिये तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज बहुत से व्यक्ति इस तरह के हैं और इस ख्याल के हैं कि वह अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करें, लेकिन जो राजनैतिक दबाव है उसकी वजह से वह अपने उन विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते जो कि समाजवाद लाने में सहायक हो सकते हैं। मेरी प्रार्थना है कि समाजवादी भाई इस दृष्टिकोण से देखें और प्रदेश के औद्योगिक करण में सरकार की भी और हम लोगों की भी इस तरह से सहायता करें तो यह उन्हीं की सहायता होगी।

भ्रष्टाचार के संबंध में मुझे एक निवेदन करना है। इस सदन में भ्रष्टाचार के संबंध में तमाम अनुदानों पर बार-बार कहा गया। हमारे पहले बोलने वाले भाई ने भी भ्रष्टाचार के संबंध में बात कही। कम या बेशी भ्रष्टाचार हर जगह है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन एक सुझाव मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं क्या माननीय सदस्य इस बात पर रजामन्द हैं कि भ्रष्टाचारियों से हम दिल से नफरत करें और उनका सामाजिक वहिष्कार करें। अगर इस तरह का दृष्टिकोण हम अपनावें तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाने में सहायता मिलेगी, वर्ना भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, का नारा लगाकर समाज के भीतर जो लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं आप उनको भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे भी भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार किस तरह से मिट सकता है जब कि आपने सामाजिक व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार को मान्यता प्रदान की है। मैं आपका रस्मो-रिवाज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज इस प्रदेश में या पूरे देश में जो भी सामाजिक व्यवस्थायें हैं उनमें भ्रष्टाचार किस तरह से घर कर गया है और हमने किस तरह से मान्यता दी है और यह मान्यता देने के बाद अगर यहां बैठ कर भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं तो यह कोई मानी नहीं रखता। मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं कि सब भाइयों की रिस्तेदारियां और नातेदारियां होती रहती हैं। वे सरकारी

कर्मचारियों से भी होती हैं और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का उस वक्त यह दृष्टिकोण होता है कि हम किसी धनाढ्य से रिश्तेदारी करें, हमारा पैसे वाले से संबंध जुड़े। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा क्या सिवा बेईमानी के और किसी तरह से अधिक तादाद में इकट्ठा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो हमारा दृष्टिकोण यह क्यों नहीं होता कि हम गरीब के घर में अपना संबंध करेंगे। क्या ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं कि संबंध करते वक्त हम पूछते हैं, अगर सरकारी मुलाजिम हुआ तो जवाब मिलता है कि १०० रु० तनख्वाह और २०० रु० ऊपर की आमदनी और उन ३०० रुपये के हिसाब से हमारा लेन-देन चलता है। इस प्रकार भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो सब भाई प्रण करें कि भ्रष्टाचारी कोई भी व्यक्ति हो--सरकारी कर्मचारी या समाज का व्यक्ति उसका सोशल बहिष्कार करेंगे तब भ्रष्टाचार से छूट मिल सकती है, वर्ना सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये भ्रष्टाचार का नारा लगाना कोई मानी नहीं रखता।

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये इस अनुदान में कुछ रकम रक्खी गई है इसका मैं स्वागत करता हूं और मैं इसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

एक सुझाव और मैं रखना चाहता हूं कि लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा जो चीजें निर्मित हों उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स न लिया जाय। यह बड़ी भारी आर्थिक सहायता होगी उन लोगों की जो माल तैयार करते हैं। उनके माल की बिक्री के लिये इस प्रकार आप बाजार तैयार कर देते हैं यदि उस पर से टैक्स हटा लेते हैं। यह अपने आप एक भारी मदद हो जायगी। लघु और कुटीर उद्योग आज दोहरी गुलामी में जकड़ा हुआ है। उसे मार्केट में कम्पिटीशन करना पड़ता है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों से और सेल्स टैक्स के अधिकारियों से अलग निपटना पड़ता है। फिर लघु और कुटीर उद्योग के व्यापारियों को दोहरा टैक्स देना पड़ता है, मिसाल के लिये साबुन बनाने के लिये तेल की खरीददारी करते हैं तो पहले तेल पर टैक्स देना होता है और साबुन बन जाने पर साबुन की बिक्री पर सेल्स टैक्स देना होता है। इस तरह से वह चीज अपने आप कम्पिटीशन में गिरती जा रही है और उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलता।

दूसरी बात यह कहना है कि अगर वास्तव में लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है तो लघु और कुटीर उद्योग द्वारा जो सामान बनता है उसका इस्तेमाल सरकार अपने विभागों में करे और इस प्रकार उसे प्रोत्साहन दे तो मेरा खयाल है कि इससे बहुत जल्दी व्यापार अपने आप तरक्की कर सकेगा और जो एक बोर्ड बना हुआ है लघु और कुटीर उद्योग का, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, लघु और कुटीर उद्योग की सहायता हेतु ७ लाख रुपया रक्खा गया है वह इतना नगण्य है कि उस पर विचार किये जाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसकी तादाद तो होनी चाहिये १०, २० करोड़ रुपया ताकि बोर्ड अच्छी तरह से लघु व कुटीर उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों की सहायता कर सके। जब तक यह नहीं होगा तब तक आर्थिक आजादी आने वाली नहीं है और यह राजनैतिक आजादी बेकार हो जाती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन मिनट ज्यादा हो गये १५ मिनट मुझे मिलना है। समय के लिए पहले कहे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--जी, हां, नेताओं के लिये १५ मिनट हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले मेरे पूर्व वक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए तमाम सदन के लोग कोशिश करें और दूसरे लोग--हम ही--कोशिश करें तो मिटे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम समाजवाद की बात तो करते हैं, लेकिन समाजवाद की बात करने से समाजवाद नहीं आया करता।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

मैं जहां तक समझ सका हूं, इस सम्बन्ध में जिस अनुदान की कटौती का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसमें मैं उनको अपने साथ पाता हूं। यह बात सही है कि इस सदन में अनेकों बार यह कहा गया है और फिर भी कहा जा रहा है कि अगर प्रदेश में उद्योग-धंधों का विकास समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के साथ लाना चाहते हैं तो इसके लिए समाजवादी सिद्धान्तों को अपनाना पड़ेगा। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। इधर की बेंचेज से, उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा यह कहा गया, उन्होंने भी यह कहा कि बात करने से काम नहीं चलेगा, फिर भी मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछूं कि इस सम्बन्ध में जब कि उधर की बेंचेज के बैठने वाले, इधर के बैठने वाले, सभी कहें कि बात करने से काम नहीं चलेगा, अर्थात् कोई काम इस सम्बन्ध में नहीं हो रहा है और बात सिर्फ उधर से ही हो रही है समाजवाद की, वह क्या स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाया है ?

दूसरी बात, श्रीमन्, जहां तक भ्रष्टाचार के उन्मूलन का प्रश्न है, हमारा विचार है कि उसका एक तो तरीका यह होता है कि समाज में तमाम व्यक्तियों को ईमानदार बना देना, यह बहुत मुश्किल काम है। अगर समाज में ईमानदारी लाना चाहते हों तो व्यवस्थाएं बदलो, उन व्यवस्थाओं को जिनसे भ्रष्टाचार फैलता है, खत्म करो, इनसान में उसकी सुरक्षा की भावना ला दो जिससे उसको जीवन के तमाम मूलभूत कामों में सफलता प्राप्त हो। मेरी समझ में एक गरीब और समाजवादी सरकार का पहला प्लान यह है कि आवश्यकतानुसार चीजें और योग्यतानुसार काम [illegible]ये। इस तरफ सरकार ने ध्यान दिया होता तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का प्रश्न [illegible] उठता।

भ्रष्टाचार के लिए माननीय साथी कह रहे हैं कि हम प्रयत्न करें। इसमें कोई शक नहीं कि करना चाहिये, लेकिन जिन परिस्थितियों में आप प्रयत्न करने की मांग कर रहे हैं उनमें आपकी मांग बिल्कुल अनुचित है। एक भूखे आदमी के सामने थाली परोस कर रखी जाय और यह कहा जाय कि भ्रष्टाचार न हो, मैं समझता हूं कि यह असम्भव है, वह शुरू हो जायगा। लिहाजा उन व्यवस्थाओं को बदलो।

श्रीमन्, मैं अब उद्योग के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा और बजट में भी जो प्रावीजन है उससे यह ज्ञात होता है कि लार्ज-स्केल इंडस्ट्रीज पर तो सरकार का ज्यादा जोर है, सुविधाएं भी हैं, बिजली कर भी कम करने की बात कही गयी है प्राइवेट सेक्टर के लिए, लेकिन उन उद्योग-धंधों के लिए जो छोटे-छोटे हैं, उसकी ओर न तो सरकार ने ध्यान दिया है और न उसके सम्बन्ध में कोई खास छूट ही ऐसी दी गयी। मैं इस सम्बन्ध में एक मूलभूत सिद्धान्त का वर्णन करना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वह बताएं कि आज तक क्या उन्होंने नियोजित उद्योग की स्कीम इस प्रदेश के लिए बनायी है ? क्या उन्होंने कभी इस बात का सर्वे कराया है कि हमारे प्रदेश में किन-किन चीजों की खास तौर से खपत है, कौन-कौन खास ग्रामीण उद्योग-धंधे कहां चल रहे हैं और उनके प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं हैं और किन-किन मुख्य उद्योग-धंधों का विकास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के रूप में किया जाना चाहिये ? यह प्रश्न साधारण नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इन प्रश्नों की ओर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

जहां तक आज तक सरकार के उद्योगों का प्रश्न है और सेकेंड फाइव ईयर प्लान का सवाल है, मैं उसको देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इस प्रदेश की उन्नति उद्योग के सम्बन्ध में होना असम्भव है। श्रीमन्, जो इसमें एक अरब रुपये से ऊपर ६-७ उद्योग-धंधों के विकास करने की बात सोची गयी है उसमें कपास के उद्योग-धंधे में ६,००० रुपया प्रति व्यक्ति लगेगा। ऊनी कपड़े के उद्योग-धंधे पर ८,३०० रुपये प्रति व्यक्ति, रेशम के उद्योग पर ३१,२५० रुपये, शकर के उद्योग पर १०,००० रु० प्रति व्यक्ति और इंजीनियरिंग पर ६,६६६ रुपये लगेंगे।

इस प्रकार एक व्यक्ति के पीछे इतना रुपया लग जायगा। इससे स्पष्ट है कि १ अरब रुपये में एक लाख १९ हजार आदमियों को काम मिलेगा। दूसरी तरफ प्रदेश की सारी शक्ति लग जायगी, उसकी एक एक नस खींच ली जायगी तब कहीं जाकर १ लाख १९ हजार आदमियों को काम मिल सकेगा। औसत से ८,३०० रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक लगेगा। अब प्रदेश के रिसोर्सज पर ध्यान देने के बाद यह शुबहा किसी के दिमाग में नहीं रह सकता है कि इस तरह की नीति से इस प्रदेश में कोई वृद्धि नहीं हो सकती है और जो उद्योग-धंधे चलेंगे भी, वह अच्छी तरह से पनप नहीं सकते हैं क्योंकि इतना धन खर्च करने के बाद लगातार धन लगाने की असमर्थता के कारण काम नहीं चल पायेगा। होना क्या चाहिये? ग्रामीण उद्योग-धंधों की बात मेरे साथियों ने कही कि १००–१५० रुपये में कोई ऐसी मशीन मिल सके जिससे एक आदमी अपने बीबी बच्चों की जिन्दगी पाल सके। लेकिन बड़े खेद की बात है कि इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक सरकार ने समाजवादी समाज के ढांचे की बात सोची और कही लेकिन कैसे यह आये इस संबंध में सरकार ने कभी नहीं सोचा।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि इन तीन बातों की ओर ध्यान देने से समाजवादी समाज बन सकता है और तभी हमारे उद्योग-धंधे विकसित होंगे। सबसे बड़ी खराबी यह है कि हमारी जो आज की टैकनिक है, जो क्रम है, वह पूंजीवादी है, जिसमें भारी भरकम मशीन आती है, काफी रुपया खर्च होता है और थोड़े आदमी काम पाते हैं। लेकिन हमको उद्योग-धंधों के विकास के साथ-साथ आदमियों को भी काम पर लगाना है। केवल उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। काम भी मिले और उत्पादन बढ़े तब काम चल सकता है। "फर्स्ट इम्पलायमेंट देन प्रोडक्शन" वाली बात होनी चाहिये। जब लोगों को काम मिल जायगा तो उत्पादन तो स्वंय बढ़ जायगा।

हमारे यहां छोटी-छोटी मशीनों से काम होना चाहिये। सरकार ने कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाई है जिसमें अपने देश के इंजीनियर्स लगाये जायं तथा विदेशों से इंजीनियर्स न बुलाये जायं। सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि ऐसी मशीन का पता लगाया जाय कि जिससे एक आदमी थोड़ी सी पावर लेकर काम चलाये और अपनी रोजी कमा सके और काम भी ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसका सर्वे कराये और हमारे यहां के इंजीनियर्स इधर ध्यान दें कि कोई छोटी सी मशीन १००–२००, ४००–५०० रुपये की हो और उसमें एक परिवार और दो परिवार को खाना मिल सके। इससे लोगों को काम भी मिलेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे यहां की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। काटेज इंडस्ट्रीज के सर्वे से मालूम हो गया होगा कि रिबेट देते देते मुश्किल हो गई। दूसरे गबन किये बिना लोग नहीं रह पा रहे हैं और करते हैं क्योंकि तीन आने रुपये की छूट है। मेरे पास एक शिकायत आई है आजमगढ़ की जिसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। इसमें ४० लाख रुपये पर रिबेट लिया गया, फर्जी ले लिया, क्योंकि किसी के दस्तखत नहीं हैं। दरख्वास्त दी गई है लेकिन कोई जांच नहीं हुई। ४० लाख रुपये पर रिबेट का जो गबन था कोई पांच लाख रुपये हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटे-छोटे यन्त्रों से प्रचलित उद्योग-धंधे हों और जो बिजली वगैरह सरकार बढ़ा रही है उससे भी चलें। इससे मैं समझता हूं उनको रिबेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने बल पर वह टिकेंगे और ज्यादा आदमियों को काम मिल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि हैन्डलूम इंडस्ट्रीज से और मिलों से पैदा होने वाली चीजों का स्फियर बंटा होना चाहिय। आज ऐसा नहीं है। नतीजा यह होता है कि जो चीजें हैंडलूम में तैयार होती हैं वही मिलों में भी तैयार होती हैं। जाहिर है कि मिलों में तैयार हुई चीजों पर कास्ट कम आयगी जिसकी वजह से खरीददार मिल का ही कपड़ा अधिक खरीदता है। इस तरह से गवर्नमेंट को बराबर रिबेट देना पड़ेगा। जैसे एक लड़के को बराबर कनिया लिये रहो और कभी न उतारो तो वह पंगु हो जाता है उसी तरह से मेरा दावा है कि काटेज इंडस्ट्री

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

कभी पनप नहीं सकती अगर आप उसको केवल रिबेट देते रहें। इसलिये दोनों के स्फियर तय किये जायं। असल बात यह है कि आज तक सरकार ने कोई न्यायोचित ढंग से उद्योग-धन्धों के विस्तार का काम किया ही नहीं है। जो चीज जहां है, स्टेटस को कायम रखने के लिये ही उसने प्रयत्न किया है और कोई विवेक और मस्तिष्क का काम ही नहीं किया है।

तीसरी बात, जो सबसे बड़ी सरकार की कसौटी हुआ करती है वह है मूल्य नीति। इस सरकार की कोई मूल्य नीति नहीं है जो खरीददार की रक्षा कर सके। मान लीजिये किसी को कफन की जरूरत हो तो चाहे वह उसका दो रुपये गज ले ले।

श्री उपाध्यक्ष---अब आपका एक मिनट रह गया है। आप इधर देख नहीं रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---देख रहा हूं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं, दो तीन मिनट और दीजिये और आपके पीछे की घड़ी के हिसाब से अभी तीन मिनट बाकी भी हैं, क्योंकि मैंने दो तीन मिनट देर में बोलना शुरू किया था।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सामने वाली घड़ी को देखता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा---फिर भी एक आध मिनट तो और दीजिये। तो सरकार की मूल्य निर्धारण नीति के न होने से सबसे बड़ी खराबी देश में यह हुई कि खरीददार असुरक्षित है और दूसरे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इससे दूसरा नुकसान यह हुआ कि मूल्य नीति के अभाव में मानव के दुःख-सुख में शामिल होने की जो भावना होती है वह नहीं जगी। क्या सरकार के पास मिलों में पैदा होने वाली और काटेज इंडस्ट्रीज में पैदा होने वाली चीजों के कास्ट आफ प्रोडक्शन के आंकड़े हैं? अगर उसे यह पता हो कि कितना परता पड़ता है तो कीमत तय करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। इससे सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो असुरक्षा की भावना लोगों में है वह दूर होगी और उनको यह विश्वास होगा कि कोई आदमी उनकी जेब से पैसा नहीं निकाल सकता।

तो पहले सरकार इन बातों पर विचार करे और उसके बाद खुदा के लिये जो बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये खर्च होने जा रहे हैं उनको कम कर दे और छोटे-छोटे उद्योग-धधों म लगाये। मैं एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। हमारे सूबे में करीब २९ करोड़ गज कपड़ा सन् ५४-५५ में तैयार हुआ जो यहां की आबादी के हिसाब से साढ़े चार या पांच गज फी आदमी के हिसाब से पड़ा। हिन्दुस्तान में १५-१६ गज कपड़ा फी आदमी पड़ता है। जो रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है उसके बावजूद भी ७-८ गज फी आदमी से ज्यादा कपड़ा हम नहीं दे सकते। अब इस चीज को उठाने के लिये कौन से तरीके हैं। अगर छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को जो देहातों में बिजली से चलते हैं उनको विशेष तौर से रिबेट वगैरह देना छोड़ करके प्रोत्साहित करें तो जितना रुपया खर्च कर रहे हैं उससे कम में लाखों आदमियों को रोजी भी मिल सकती है और यहां के लोगों के लिये १३, १४ और १५ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा भी मिल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं विश्रामराय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को अपनी चार इंडस्ट्रीज पर बड़ा गर्व है और मेरे ख्याल से उनका वह गर्व सही है। पहली इंडस्ट्री है सीमेंट की, दूसरी है ट्रांसपोर्ट की, तीसरी है प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्टरी की और चौथी है यू० पी० हैंडीक्राफ्ट की।

हैंडीक्राफ्ट के बारे में हमारे कुछ मित्रों ने प्रकाश डाला है। मैं उसके बारे में विशेष नहीं कहना चाहता, किन्तु जब हमारे माननीय उपमंत्री जी इस पर प्रकाश डाल रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि शायद वे उस बात को जान कर अवायड कर रहे हैं या उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है। यू० पी० हैंडीक्राफ्ट का आबजेक्टिव है कामर्शल। और जब उसका

आबजेक्टिव कामर्शल है तो हमेशा उसके नफे और घाटे की दृष्टि से हम उस पर विचार करेंगे और उसको हम छोड़ नहीं सकते। उन्होंने ऐसी एक तस्वीर हमारे सामने रखी कि जैसे किसी म्यूजियम में आर्ट्स के समर्थन में रखी जाती हो। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को फायदा होता है, उनको बाहर से आर्डर्स मिलते हैं। सम्भव है यह बात हो, मगर वह यह चाहते हैं कि उस दृष्टि से विचार न किया जाय, तो जहां पर यह लिखा हुआ है कि उसका आबजेक्टिव कामर्शल है उसको निकाल दें तो हम लोग कभी उस पर बात न करें, चाहे नफा हो और चाहे घाटा होता रहे। मगर जब तक इसका आबजेक्टिव है कामर्शल तो हम उसमें हमेशा इस दृष्टि से विचार करेंगे कि कितना मुनाफा है और कितना घाटा है और अगर घाटा है तो वह क्यों हो रहा है। माननीय उपमंत्री जी जानते होंगे कि लड़ाई के जमाने में उसमें मुनाफा था और वह इस वास्ते था कि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम थी और कई सालों तक यू० पी० हैंडीक्राफ्ट ने मुनाफा दिखलाया। यह सब प्रश्न पबलिक एकाउंट्स कमेटी के सामने आया था। हमने विस्तारपूर्वक उस पर विचार किया। हमने एक रिपोर्ट दी और डाइरेक्टर साहब की बहुत सी बातों से हम लोगों ने सहमति प्रकट की कि यह अलग करना कि कहां तक कामर्शल है और कहां तक कला का डेवलपमेंट है, यह बड़ा कठिन है। इस वास्ते हम लोगों ने यह कहा था कि जो नुमायश में और प्रचार वगैरह में खर्चा पड़ता है उसको देखते हुये ५० प्रतिशत विकास पर डाल दिया जाय और ५० प्रतिशत कामर्शल खाते में डाल दिया जाय और देखा जाय कि इसमें मुनाफा होता है या घाटा। और भी सुझाव उसमें दिये गये थे। उन सुझावों में से एक यह भी था कि काभी स्टाक हैंडीक्राफ्ट में पड़ा हुआ है। दो या तीन लाख रुपये का रामपुर का माल आया था। मेरे ख्याल से वह सड़ गया होगा। हम लोगों ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके वह नीलाम कर दिया जाय। नीलाम करने में देर हो रही है। उसके लिये कहा गया कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदमी उसमें हो, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का आदमी उसमें हो और एकाध किसी हैंडीक्राफ्ट के व्यक्ति को और रख कर यह सब सामान नीलाम कर दिया जाय। फिर क्लीन स्लेट से हम शुरू करें और देखें कि मुनाफा अब हो रहा है या घाटा हो रहा है और वह हो रहा है तो क्यों हो रहा है।

दूसरी इंडस्ट्री सीमेंट की है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि शायद एशिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और जो इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है उसके लिये हम सरकार को बधाई देते हैं। सीमेंट फैक्टरी का भी उद्देश्य कामर्शल है और सरकार २२ जिलों में सीमेंट के वितरण का कार्य करती है और उनके ८६ स्टाकिस्ट्स हैं। मगर जहां तक बिजनेस का तरीका है मुझे खेद है कि सरकार उन बिजनेस के तरीकों को स्टाकिस्ट्स के साथ नहीं बरतती। हमने देखा कि और भी जो कंपनियां हैं वह अपने स्टाकिस्ट्स से इतनी बड़ी सेक्योरिटी नहीं लेती है जितनी कि यह सरकार लेती है। सरकार उनसे १०,००० रुपये की सेक्योरिटी लेती है और उन स्टाकिस्ट्स को सरकार की फैक्ट्री से केवल दो वैगन एक समय में मिल पाते हैं। दो वैगन का दाम होता है ५,००० रुपये, उसके लिये किसी व्यापारी का १०,००० रु० फंसा देना ठीक नहीं है। और उसके बाद जब माल भेजने की बात होती है तो वह उस समय तक नहीं भेजा जाता जब तक कि डाइरेक्टर महोदय के पास रुपया एडवांस का नहीं पहुंच जाता। यदि कोई ड्राफ्ट या चेक आदि होती है तो जब तक वह कैश नहीं हो जाती, उस व्यापारी को माल नहीं भेजा जाता। यह बिजनेस का कोई तरीका नहीं है? आप उतनी की सेक्योरिटी लीजिये जितने का माल भेजते हैं, ज्यादा से ज्यादा ५,००० रुपये की सेक्योरिटी काफी है। फिर इसके अलावा सेक्योरिटी भी कुछ इस तरह की ली जाती है कि जिससे आप पैसा नहीं वसूल कर सकते। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में आप उन से जमानत लेते हैं, वह सर्टिफिकेट्स उस व्यापारी के नाम होते हैं। जरूरत होने से आप उससे पैसा नहीं वसूल सकते। तो इससे फायदा क्या है? डालमिया और दूसरी ए० सी० सी०

[श्री बेचन राम गुप्त]

आदि की सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वह भी अपने स्टाकिस्ट्स से रुपया लेती हैं सेक्योरिटी का, लेकिन वह बिल्टी आदि यूं ही रवाना कर देती हैं और रुपया आता-जाता रहता है। जब तक आप व्यापारियों को इस तरह की सहूलियतें नहीं देंगे तब तक बिजनेस कैसे बढ़ेगा ? आज सीमेंट की कमी है, आप कोई भी टर्म्स व्यापारियों को डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन जब सीमेंट की कमी नहीं रहेगी तो उस समय आपको सीमेंट का वितरण करना मुश्किल हो जायगा।

दूसरी इंडस्ट्री है कारपेट की। मुझे बड़ा दुःख हुआ कि माननीय उप मंत्री जी जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। वह कार्पेट की इंडस्ट्री ऐसी है कि जिस पर सरकार को गर्व होना चाहिये। ५०,००० व्यक्ति आज इसमें लगे हुये हैं। हम चाहते हैं कि जमीन पर जो गल्ला पैदा करने वालों का इतना बोझ है वह कुछ कम हो जाय। लोग छोटी-मोटी इंडस्ट्री की तरफ लगें और यह कारपेट इंडस्ट्री ऐसी है कि जो बिलकुल काटेज इंडस्ट्री है। काश्तकार किसी भी समय अपने काम से खाली हो कर उसमें लग जाता है। साल में तीन, चार करोड़ रुपये का माल बाहर जाता है और हम डालर और स्टर्लिंग पैदा करते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने तो कभी वहां जाना गवारा नहीं किया कि देखते कि वह कितनी शानदार और सुन्दर इंडस्ट्री है। मैं तो कहता हूं कि शायद ही इतना खूबसूरत कालीन कहीं बनता हो। सारी दुनिया में यहां के कारपेट भेजे जाते हैं। यहां का कारपेट सुन्दर, मजबूत और सस्ता होता है। हम सरकार से इसके लिये रुपया नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर कुछ अनुसंधान हो, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिये कुछ उपाय सोचे जायं, ऊन को किस तरह से और अच्छा रंगा जा सकता है इसके लिये कोई उपाय निकाला जाय। ताकि विदेशों को इस बात की शिकायत न रहे कि कारपेट का रंग उड़ जाता है। मैंने इसकी तरफ कई बार ध्यान दिलाया है, लेकिन हमारे वित्त मन्त्री जी का ध्यान कभी इस ओर नहीं जाता। शायद हमारे डाइरेक्टर साहब हम लोगों से कुछ नाराज हों। यह एक अच्छी इंडस्ट्री है और उसकी तरफ सरकार को पूरी तवज्जह देनी चाहिये।

इसके बाद एक ब्लैंकेट की इंडस्ट्री है जो डेवलप हो चुकी है। हमने बंगाल आदि दूसरे प्रदेशों को कंबल भेजे हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में हमें यू० पी० से कोई सहायता नहीं मिल सकी। न हमारे संचालक महोदय कोई सहायता करते हैं कि वह डिफेंस डिपार्टमेंट से कोई आर्डर ही लाकर हम को देते। वहां अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता कंबल बन सकता है। उसके लिये इस बात की जरूरत थी कि एक रेंजिंग और एक मिलिंग प्लांट वहां लगा दिया जाता। ५०,००० रुपये में एक मिलिंग मशीन वहां बैठ सकती है। अगर वह मशीनरी बैठ जाय तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रान्त के लिये ही नहीं बल्कि बाहर के लिये वह कम्बल तैयार कर सकती है और कम्बल सस्ते दाम पर तैयार किये जा सकते हैं।

एक बात की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक प्राविन्शियल कारपोरेशन कायम हुआ है। उसका हेड आफिस कानपुर में है। कारपोरेशन की यह हालत है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये उससे कोई सहायता नहीं मिलती। उनके पास कोई व्यक्ति जाता है तो वे मशीन की बात करते हैं। कोई मशीन मंगानी हो, बैठानी हो तो सहर्ष वह रुपये की इमदाद देने के लिये तैयार हैं। लेकिन वह काटेज इंडस्ट्रीज के लिये रुपया देने के लिये तैयार नहीं हैं।

एक बात और माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जैसा हमारे एक मित्र ने कहा कि राजनैतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता को जब तक डिसेन्ट्रालाइज नहीं करेंगे तब तक समाजवाद की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग और उसके विकास की आवश्यकता विशेष कर हमारे प्रदेश के लिये जितनी है उसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। जब हम कृषि उत्पादन के उद्योग में विचार करते हैं तो देखते हैं कि सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग की बात करती है। हम जानते हैं कि गांवों के जो रोजगार हैं वे टूट चुके हैं। उनकी ऐसी अवस्था नहीं है कि वह कोई सहारा दे सके और इसी प्रकार से गांव में बहुत से ऐसे व्यक्ति जो पहले गांवों में छोटे-मोटे उद्योग में लगे हुये थे वे बेकार होते चले जा रहे हैं। इसके साथ-साथ उनका बोझ जमीन पर बढ़ता चला जाता है। भूमि को उनका भार वहन करना पड़ता है। जब हम इस ओर देखते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास हुआ, किन्तु उसके साथ-साथ हम अपनी गल्ले की आवश्यकता को पूरी नहीं कर सके। ऐसी अवस्था में गांवों में क्रय शक्ति इतनी अधिक कम हो गयी है कि जिसके कारण इंडस्ट्रीज का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अब यह देखने की बात है कि कौन सी इंडस्ट्री गांवों में लग सकती है। मेरे ख्याल से गांवों में ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकती हैं जिनमें बिजली का प्रयोग किया जा सकता है? वहां पर ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकती जिसमें पावर का प्रयोग किया जा सके। उसका कारण यह है कि गांवों में लोगों के पास पूंजी बहुत कम है। उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि पावर लूम खरीद सकें? अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की योजना आयी है। पावर लूम, उन कस्बों में जिसमें ३० हजार तक की आबादी है, उनको दी जायगी। लेकिन जब हम प्रान्तीय योजना बनावें तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि छोटे-छोटे क्षेत्रों में जहां पर पुरानी इंडस्ट्री लगी हुई है उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाय। मैं विशेष कर आज अपने जिले की बात यहां पर रखना चाहता हूं। हमारे जिले में एक स्थान खैराबाद है जहां पर कि दरी का उद्योग बहुत बढ़ा हुआ है। वहां से भारतवर्ष भर में दरी भेजी जाती हैं। वहां सरकार की ओर से दरी को रंगने का और उसका काम सिखाने का एक विद्यालय भी था, लेकिन जब से इधर योजना बढ़नी शुरू हुई वह विद्यालय बन्द कर दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आया कि जहां इतना पुराना काम था जिसका विकास होना चाहिये था और लोग जिसके लिये इच्छुक थे, वहां पर इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव के रूप में दरी बनाने वालों का एक आर्गनाइजेशन भी है, तो उस पुरानी व्यवस्था को क्यों बन्द कर दिया गया। वहां पर जुलाहे जो इस काम को करने वाले हैं वह कपड़े का भी काम करते हैं। उनको सूत मिलने में बड़ी दिक्कत मालूम होती है कि जो अपने श्रम का वह उपयोग कर सकते हैं वह भी नहीं कर पाते हैं। जेरे बार वह रहते हैं। जो मण्डी के महाजन हैं वह उनसे दरी सस्ते दाम पर खरीद करते हैं और इतने कम दाम पर लेते हैं जिससे वह उद्योग आज तक पनप नहीं सका। आज दरी की मार्केट में मांग है और पक्की दरियों की बहुत ज्यादा मांग है। वहां सरकार को किसी प्रकार से सहायता करके पक्की दरियों के बनने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि वहां के उद्योग वाले उसका लाभ उठा सकें। वहां पर दूसरा उद्योग प्लाई का है। इसके लिये वहां पर बहुत बड़ी मिल खुली हुई है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मैच बाक्स इंडस्ट्री, जिसके लिये वहां से प्रयास चल रहा है, उसमें सरकार सहायता दे।

मेरे पड़ोस में एक स्थान ओयल है। वहां पर बर्तन बहुत दिनों से बनाये जाते हैं। यह उद्योग भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, उसको भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिये। यद्यपि वह एक छोटा सा गांव है और मुरादाबाद की तरह वह एक बहुत बड़ा औद्योगिक स्थान नहीं है, जो स्वयं अपने ऊपर ही आधारित रह सके, वहां पूंजी की बहुत ही ज्यादा कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुये अगर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था की जा सके तो बड़ा ही अच्छा होगा।

[श्री टम्बरेश्वर प्रसाद]

इन छोटे-छोटे उद्योगों के बढ़ावे के लिये सरकार की ओर से जो भी व्यवस्था की गयी है वह इतनी कम है, और वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके द्वारा काम चलाया जा सके। सरकार ने कारखानों और दूसरे उद्योगों में भी जो प्रयत्न किया है वह भी इतना काफी नहीं है कि आगे चल कर उस अनएम्प्लायमेंट का मुकाबला कर सके जो हमारे सामने आने वाला है। ऐसी स्थिति में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अंत में कहा कोआपरेटिव सोसाइटीज से भी लाभ उठाया जा सकता है। आज की अनुदान संख्या में ४० लाख रुपया लार्ज साइज कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये रक्खा गया है, लेकिन ये लार्ज साइज कोआपरेटिव सोसाइटीज गांवों में कृषि के अतिरिक्त और किसी उद्योग के लिये सहायता नहीं देती हैं। उद्योगों को कर्जा देने के लिये सरकार कोई प्रयत्न नहीं कर रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने कृषि उद्योग को सहायता देने के लिये ये लार्ज साइज कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी हैं उसी प्रकार छोटे उद्योगों की सहायता के लिये भी कर्जा देने के लिये सोसाइटीज की स्थापना की जाय।

आप ने छोटे-छोटे उद्योगों का सर्वे करने के लिये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल आफिसर्स की नियुक्ति की है, लेकिन हर एक जिले में इतने काफी उद्योग हैं कि वह हर एक स्थान का स्वयं जा कर सर्वे नहीं कर सकता। आप ने जो क्वेश्चनेयर (प्रश्नावली) बनाया है, वह बहुत ही ज्यादा बड़ा है कि कौन सा उद्योग है, उसके लिये कच्चा माल मिल सकता है या नहीं, उस विशेष इंडस्ट्री में काम करने वाले कारीगर वहां हैं या नहीं। तो इन तमाम बातों के देखने के लिये आपने केवल एक अधिकारी रक्खा है वह भला किस प्रकार से इन तमाम बातों का पता लगा कर अपनी रिपोर्ट दे सकता है। वह वहां के किसी एक पार्ट पर अपने को कंसंट्रेट कर पायेगा और उसी के बारे में अपनी रिपोर्ट दे सकेगा। इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह इंडस्ट्रियल आफीसर, जो भी हो, वह तो रहे ही। उसके साथ-साथ वहां के और छोटे-छोटे उद्योग का कार्य करने वाले हैं उनको अलग से चुना जाय। मैं तो कहूंगा कि हमारे भारतवर्ष में तो विशेष उद्योग के लिये अलग-अलग जातियां ही होती हैं, जैसे लोहार, बढ़ई वगैरह उनके चौधरी अलग-अलग ही हुआ करते हैं और इससे सरकार को कोई विशेष परेशानी भी नहीं होगी कि सरकार उन लोगों को बुलावे और उनके साथ मिल कर इंडस्ट्री आफिसर साहब कोई योजना बनावें तो वह बहुत अधिक उपयोगी होगा बजाय इसके कि आप कोई कमेटी बनावें, जैसे कि और बहुत सी कमेटीज बनायी जाती हैं जिनमें जिले के जितने अधिकारी हैं उन सब को शामिल कर लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर हुए या वहां के कुछ एम० एल० एज० हुए, बस २५ आदमियों की कमेटी बना दी गयी। जिनमें बहुत से सज्जन तो ऐसे होते हैं जो किसी विशेष उद्योग के बारे में कुछ जानते भी नहीं। यह चीज हम आज कर रहे हैं कि जो हमारे यहां छोटी इंडस्ट्रीज हैं वे पनपें तो इसके लिये ध्यान देने की जरूरत है कि रुपया को किस तरह से लगावें जिससे आगे भी सबको लाभ पहुंचे। अगर एक स्थान पर हमने आज कोआपरेटिव सोसाइटी चमड़े के उद्योग की बना ली तो आगे जो रुपया मिलेगा वह उसी स्थान पर लगाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप का समय समाप्त हो गया।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)--श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी श्रेणी में हूं जिस श्रेणी में श्री ताराचन्द माहेश्वरी हैं। अन्तर यह है कि वे इस सदन के पुराने कलाकार हैं और मैं नवागन्तुक हूं। हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो कमेटी हमारी बनती है इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में, उसमें इंडस्ट्रीज आफिसर रहते हैं। और अन्य सरकारी अधिकारी वर्ग ही रहता है। उनका कहना है कि उस कमेटी में हर बिरादरी और हर कला कौशल के व्यक्तियों को आमन्त्रित किया जाय। मेरे खयाल से उन कमेटियों में सारे एम० पीज रहते हैं, एम० एल० एज रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं,

म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेंट रहते हैं। जो विशेष-विशेष व्यक्ति हैं उनको उस समिति का सदस्य चुना जाता है। अब हम, अगर जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि बन कर इस सदन में आये हैं, इतना भी प्रयत्न नहीं कर सकते कि स्वयं जाकर अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझें, तो, श्रीमन्, यह हमारा ही कसूर है। प्रश्न तो यह है, श्रीमन्, कि हम सदन में इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इंडस्ट्री इज डाइवोर्स्ड फ्राम इंडस्ट्रिएसनेस। उद्योग की बात हम चाहते हैं कि बगैर परिश्रम और कोशिशों के ही स्थापित हो जाय और हमारे बड़े-बड़े काम हो जायं। आज हमारे सामने प्रायः एक आदर्श उपस्थित किया जाता है और वह है "स्टैंडर्ड आफ हाई लिविंग"। यानी हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा करें। लेकिन जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिये जो साधन हैं, परिश्रम और पसीना, उसकी कोई बातचीत नहीं करता है। बातचीत यह है---पहले हम सुना करते थे "हाई थिंकिंग प्लेन लिविंग" लकिन आज है "हाई लिविंग प्लेन थिंकिंग आर नो थिंकिंग"। थिंकिंग की कोई बात ही नहीं है, बात है हाई स्टैंडर्ड की।

श्रीमन्, जहां तक फैजाबाद का सम्बन्ध है, वहां पहले जितना कोर्स कपड़ा रूरल एरिया में जाता था, आज उससे कहीं ज्यादा फाइन कपड़ा वहां जाया करता है। हमारी आवश्यकतायें बढ़ गयी हैं, हमारा जीवन स्तर आज ऊंचा हो गया है, किन्तु हमारी आर्थिक अवस्था में विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया, हमारी अकर्मण्यता के कारण। और फिर कहना यह है कि सरकार तो उद्योग के सम्बन्ध में कुछ करती ही नहीं। मैं तो, श्रीमन्, नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जब समाजवाद का प्रश्न इस सदन में उपस्थित किया जाता है तो कदाचित् इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि समाजवाद का आधारभूत नियम यह है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाय अर्थात् हम प्रत्येक व्यक्ति से काम लें, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो हो जब काम हमारे सामने आये। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार की नीति यही है कि हमारे देश की ऐसी अवस्था हो जाय कि हम अपने यहां प्रत्येक व्यक्ति को काम दे सकें। आज हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ही यह है कि हम लोगों को इस तरह से काम दें ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास साधन हो जाये कि वह अपना जीवन स्तर उठा सकें। परन्तु जहां साधन के बिना जीवन स्तर ऊंचा उठाने की बात होती है वहां तो कदाचित् भ्रष्टाचार को ही प्रोत्साहन मिलना है विशेषकर जब हमारा खर्च हमारे साधनों से अधिक हो जायगा। यह तो ठीक ही है कि हमें काटेज इंडस्ट्रीज पर विशेष ध्यान देना है। वह इसलिये कि व्यक्तिगत जीवन के साधनों को उपलब्ध करने के लिये हमारे देहाती क्षेत्र में परम आवश्यक है कि भूमि के अलावा उनके पास छोटे-छोटे उद्योग और काम-धंधे हों। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान फैजाबाद जिले की तरफ विशेष रूप से आकर्षित करूंगा। कोई ऐसा क्षेत्र प्रदेश में हो सकता है कि जहां पर पावर की आवश्यकता न हो, किन्तु आप भी, उपाध्यक्ष महोदय, इससे परिचित हैं कि अकबरपुर, जलालपुर और टांडे में हमें बिजली की परम आवश्यकता है। हमारा जो कपड़े का काम हो रहा है उसे प्रोत्साहन देने के लिये यह परम आवश्यक है कि बिजली उन जगहों में दी जाय।

एक बात फैजाबाद के सम्बन्ध में मैं और कहना चाहता हूं, वह यह है कि फैजाबाद जिले का कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां जूट का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है और वह वहां से दूसरे जिलों में जाता है। मेरी सरकार से प्रार्थना यह है कि वह इस ओर भी ध्यान दे कि उस क्षेत्र में जूट की काटेज इंडस्ट्री को विशेष प्रोत्साहन मिले। एक दूसरी बात जो हमें याद रखना है वह हैवी इंडस्ट्री के सम्बन्ध में है, यह ठीक है कि हमारी वर्तमान स्थिति में हमारे यहां भूमि पर बहुत बड़ा भार है और ग्रामीण जनता के लिये काटेज इन्डस्ट्री आवश्यक है। लेकिन एक राष्ट्र को या देश को सम्पत्तिशाली बनाने के लिये, समृद्ध करने के लिये हमें हैवी इंडस्ट्री का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक बात का विशेष

[श्री मदन मोहन]

ध्यान रखे कि हमारे सूबे में बहुत से ऐसे जिले हैं जो डेफिसिट क्षेत्र हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उन क्षेत्रों में यह बड़ी इंडस्ट्री लगाये, कानपुर को और बड़ा कानपुर बना दे या वाराणसी को और बड़ी वाराणसी बना दे या लखनऊ को बना दे। ठीक है इनको भी यह अधिकार हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान इस वक्त विशेष रूप से उन डेफिसिट क्षेत्रों में जाना चाहिये कि जहां खाद्यान्न की कमी है और हमें अच्छी संख्या में मजदूर मिल सकते हैं, होशियार मजदूर मिल सकते हैं। श्रीमन्, फैजबाद को आप देखें, मेरा ऐसा खयाल है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के देहात के मजदूर आज कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और रंगून तक में गए हुए हैं। तो जहां हम विवश हैं कि हमारे देहात के आदमी अपना घर छोड़ कर बाहर जायं। क्यों न ऐसी योजना बनायी जाय कि जो डेफिसिट एरियाज हैं और जहां मजदूर काफी संख्या में मिल सकते हैं वहां पर हम हैवी इंडस्ट्रीज खोलने की व्यवस्था करें।

श्रीमन्, जहां तक टांडा और फैजाबाद का प्रश्न है वह एक केन्द्र रहा है कपड़े के उद्योग का। क्या माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि अगर एक हैवी इंडस्ट्री के रूप में फैजाबाद में एक कपड़े की मिल खुले तो क्या वह अनुपयुक्त होगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। श्रीमन्, अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। जहां तक समाजवाद का लक्ष्य यह है कि जो जिस योग्य है उससे वह काम लिया जाय, वहां यह भी है कि जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतना उसको दिया जाय। एक गरीब अकिंचन देश में यह मांग पेश करना, पूर्व इसके कि हम आवश्यकता अनुसार देने की व्यवस्था कर सकें, कितनी विडम्बना है। हम कहते हैं कि हम तुम्हारी आवश्यकताएं पूरा करने के लिये, साधनों को संग्रहीत कर प्रस्तुत कर रहे हैं। जब तक हम उन साधनों द्वारा परिश्रम करके उत्पादन ही नहीं करेंगे तब तक आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? समाजवाद की स्थापना अवश्य होनी चाहिये, समाजवाद हमारा अन्तिम लक्ष्य जरूर है, लेकिन उसको पूरा करने के लिये परमावश्यक है कि हम परिश्रम के लिये तैयार हों, पसीना बहाने के लिये, उद्योग करने के लिये तैयार हों और ऐसी सम्पत्ति का उत्पादन करें, जिस सम्पत्ति को हम समान रूप से वितरित कर सकें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय तो कम है, लेकिन मैं बहुत कम समय भी लेना चाहता हूं।

जैसा कि बजट भाषण में उपमंत्री महोदय ने कहा कि सरकार की नीति जो है वह उद्योग-धंधों को बढ़ाने की नीति है। लेकिन उसके साथ-साथ मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि जो हमारी हैंडलूम की कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं या जो हम उसका प्रचार करते हैं या प्रदर्शनी में उन चीजों को ले जाते हैं उसमें हमें घाटा भी होता है और आगे भी होगा। घाटा इसलिये होता है कि प्रदर्शनी से जो माल लौट कर आता है, वह ठीक से बिक नहीं पाता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को उद्योग-धंधों की एक सही नीति बनानी चाहिये। जब तक हम सही नीति को नहीं बनाते हैं तब तक हमारे प्रदेश के उद्योग-धंधे पनप नहीं सकते हैं। नीति हमारी ऐसी होनी चाहिये जैसे हैंडलूम के अन्दर, खादी के अन्दर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे सूबे में बनती हैं वह चीजें बड़े-बड़े कारखानों के अन्दर भी बनती हैं, उन चीजों में आपको बंटवारा करना होगा। जब तक हम चीजों का बंटवारा करके एक सीमा नहीं निर्धारित करते हैं कि यह चीज हैन्डलूम या खादी के अन्दर हो, साड़ियां इस तरह की बनेंगी, और मिलों में इस तरह के कपड़े बनेंगे, ताकि उनमें आपस में प्रतिद्वन्दिता न हो। जब तक प्रतिद्वन्दिता नहीं खत्म करते हैं तब तक हमारे सूबे का उद्योग धंधा पनप नहीं सकता। इसलिये मेरी गुजारिश है कि आप पहले उद्योग-धंधों के बारे में सही नीति बनाइये। जब तक आप सही नीति नहीं बनायेंगे तब तक उद्योग-धंधा सफलता के साथ नहीं चल सकता है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज हमारे सूबे में बेकारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ मजदूरों की जो हालत है उससे, उपाध्यक्ष महोदय, आप परिचित हैं; रोजाना छंटनी हो रही है, मजदूर निकाले जा रहे हैं और आप उद्योग-धंधों की बात करते हैं। हमारे सूबे में बहुत से छोटे-मोटे उद्योग-धंधे, जो कि पहले चलते थे आज बन्द हैं। आपको मालूम है कि पूर्वी यू० पी० में एक ही कारखाना बनारस को काटन मिल है जो कि आज तीन साल से बन्द है। उसमें चार पांच हजार मजदूर काम करते थे। वह सब बेकार हो गये हैं। हमारे सूबे के अन्दर जो उद्योग-धंधे बन्द पड़े हैं, जो कारखाने बन्द पड़े हैं उनको चलाने के लिये सरकार को एक सुनिश्चित योजना बनानी चाहिये और मिलमालिक अगर उनको चलाने के लिये तैयार नहीं होते हैं तो सरकार को अपने पैसे से उन कारखानों को चलाना चाहिये ताकि बेकारी की समस्या को हम अपने सूबे में हल कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे में बहुत से उद्योग-धंधे ऐसे हैं जिनका सरकार को अभी तक पूरा पता नहीं है। इसलिये मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि आप उद्योग-धंधों का पता लगाइये कि कितने उद्योग-धंधे हमारे सूबे में चल रहे हैं। आप जानते हैं कि बनारस की साड़ियां पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर और विदेशों के अन्दर भी मशहूर थीं, लेकिन आज वहां जो करघे वाले हैं उनकी जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। वे आज रिक्शा खींचने के लिये मजबूर हो रहे हैं। हमारे भदोही के अन्दर कालीन का उद्योग-धंधा है। अगर आप उसका पता लगायेंगे तो आपको हजारों हजार आदमी कालीन बुनते हुये मिलेंगे। लेकिन आप देखिये कि उनकी आमदनी क्या है? वह उद्योग आज चौपट हो रहा है। मैं बताता हूं उनकी आमदनी। आप उनकी जांच कीजिये। उनकी मजदूरी आठ आने, दस आने से ज्यादा नहीं है। कालीन का हमारे जिले में भदोही के अन्दर सबसे बड़ा उद्योग है। बर्तन का उद्योग मुरादाबाद में और बनारस में है। यूनिवर्सिटी के पास के कुछ गांवों में और मिर्जापुर में यह उद्योग है। आप सभी उद्योगों का पता लगाइये और पता लगाकर इन उद्योगों के बारे में आप एक सही नीति अपनाइये। उनकी अलग २ सोसाइटीज हर उद्योगों की बनाइये और उनको सरकार की तरफ से मदद दीजिये तभी वह पनप सकता है। इसके अलावा हर उद्योग के लिये आपको ट्रेनिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे जिनमें लोगों को सही शिक्षा दीजिये। वे लोग जब वहां से शिक्षा लेकर निकलें तब उनको आप उन उद्योगों में लगाइये और उनको मदद दीजिये, तभी जाकर हमारे सूबे की यह समस्या हल हो सकती है।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह यह है। जैसा कि हमारे भाई विश्रामराय जी ने कहा, आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय जी, कि मऊ के अन्दर बहुत बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी हैंडलूम की है। उसके अन्दर फर्जी ३०, ४० लाख रुपये का बीजक बनाया गया और जिनके नाम से बनाया गया, उन लोगों ने लिखित, डाइरेक्टर महोदय को, जो इंक्वायरी करने गये थे, दिया कि हम लोगों ने कोई ऐसा व्यापार कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये नहीं किया है। लेकिन उसमें कोई जांच-पड़ताल ठीक से हुई नहीं। किसलिये नहीं हुई? आप जानते हैं कि हैन्डलूम को बढ़ाने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट एक आना थोक पर और छः पैसा फुटकर बिक्री पर फी रुपया छूट देती है। उन्हीं पैसों को हड़पने के लिये कोआपरेटिव के लोगों ने इस तरह का फर्जी बीजक बनाया। मैं तो पहले सुनता था कि महाजनों के यहां ही इस तरह का गोलमाल होता है लेकिन महाजन के यहां अगर दस रुपये की बिक्री होती थी तो वह कम से कम ५ रुपये की बिक्री जरूर दिखाता था, लेकिन मऊ की कोआपरेटिव सोसाइटी में किसी प्रकार की बिक्री नहीं हुई और फर्जी बिक्री दिखायी गई और न उसकी किसी प्रकार ठीक से जांच की गई। इसलिये मेरी मांग है आपके जरिये सरकार से कि उसकी जांच कराई जाय। डालमियां को फर्जी बहीखाता तैयार

[श्री ऊदल]

करने पर जब सरकार ने जेल में बन्द कर दिया तो क्या वजह है कि वहां के लोग छुट्टे घूम रहे हैं। इसलिये उसकी सही जांच होनी चाहिये और फर्जी बीजक बनाने वालों के साथ कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में यह फिर से कहना चाहता हूं कि आप एक सही नीति अपनाइये। आप समाजवाद की बात करते हैं। यह तो एक हवाई बात हो जाती है। समाजवाद-समाजवाद कहने से समाजवाद आने वाला नहीं है। जैसा कि अभी एक पूर्व वक्ता ने कहा, उसके लिये परिश्रम करना होगा, उसके लिये सही नीति निर्धारित करनी होगी और उस नीति को कार्यान्वित करना होगा, तब जाकर के समाजवादी समाज की रचना हम कर सकते हैं। आप समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे इसी सदन में मुख्य मंत्री ने ऐलान किया था कि दस वर्ष के अन्दर पूंजीपति बड़ा पूंजीपति हुआ है और गरीब अधिक गरीब हुआ है, तो क्या यह रास्ता समाजवाद का है या पूंजीवाद का है? मेरी राय में यह समाजवाद का रास्ता नहीं है। इसलिये आपको सही नीति निर्धारित करनी होगी और आप समाजवादी नीति की जो घोषणा करते हैं उसके लिये सही रास्ता अपनाना होगा। हवाई बात करने से समाजवाद आने वाला नहीं है। इन बातों को कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---मैं सदन के सामने जो अनुदान प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ में मंत्री जी का उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश गांवों में बसा हुआ है। एक भाई ने कहा कि हमें कौन से उद्योग गांवों में लाने की आवश्यकता है। मेरी समझ में बात नहीं आती कि यह कौन नहीं जानता कि गांवों के लोगों में कौन से उद्योग ऐसे हैं जिनको गांव वाले अपनाते हैं। यह बात तो छिपी हुई नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि छोटे-छोटे और घरेलू उद्योग-धंधे हमारे गांवों में काफी मात्रा में होते हैं, लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति खराब हो जाने से उनमें काफी कमी आ गई है।

एक बात अवश्य है कि सरकार कुछ बड़े उद्योगों का भी विकास करने जा रही है। मैंने अखबारों में पढ़ा और यह समझा कि हमारे पास बड़े उद्योग-धंधों को चलाने के लिये जो भी उद्योग-धंधों के विशेषज्ञ हैं वे नहीं हैं जो सही तरीके से राय दे सकें कि हम किन स्थानों पर और किस भाग में ऐसे उद्योग स्थापित कर सकते हैं जिसमें लोगों को लाभ हो। हम यह जानते हैं और सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि देवरिया, गोरखपुर के अन्दर १६-१६, १७-१७ और १८-१८ शुगर फैक्टरीज मौजूद हैं लेकिन मुलेसेज के कारखाने खोले जाते हैं दूसरी जगह। यह बात समझ में नहीं आती। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि आपको इस बात को देखना होगा कि ऐसे स्थानों पर हम ऐसे उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं जिनमें कि हमें काफी आसानी हो सकती है। आपको रबड़ का उद्योग स्थापित करना है और काफी विकास की तरफ प्रदेश को ले जाना है। आपको इसके लिये देखना होगा कि मुलेसेज की पैदावार कहां होती है। आप देखेंगे कि सारे देश के व प्रदेश के मुकाबले में देवरिया व गोरखपुर प्रधान स्थान रखते हैं जहां बीसियों शुगर फैक्टरीज मौजूद हैं और जहां से देश में ही नहीं, विदेशों में भी चीनी भेजी जाती है और देवरिया व गोरखपुर में ऐसे-ऐसे स्थान हैं जहां पर दो-दो फैक्टरीज हैं। देवरिया और गोरखपुर में मुलेसेज अधिक होने से रबड़ का कारखाना बनाने में आसानी हो सकती है।

हम काठ की बात करते हैं। हम अपने यहां काठ के कामों में काफी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम गोरखपुर डिवीजन की ओर ध्यान देते हैं तो जंगलों की काफी भरमार है। काठ का काम वहां शुरू करा दिया जाय और सरकारी दफ्तरों व स्कूलों का सामान अगर वहां बनने लगे तो हमारे यहां जो स्थिति खराब है उसमें सुधार किया जा सकता है और गरीबी व बेकारी को दूर करने में यह काठ का उद्योग-धन्धा काफी

सहायक हो सकता है। इस तरह से हमको गांवों को स्वावलम्बी बनाना होगा तभी गांवों की तरक्की हो सकती है। तो यह रही काठ व रबड़ की बात।

मैंने आज अखबार में पढ़ा कि सेंटर के उद्योग मंत्री मनुभाई शाह ने इस बात की घोषणा की है कि आन्ध्र में जर्मनी के विशेषज्ञ ने यह बात कही है कि गन्ने की फैक्ट्री से जो खोइया निकलता है उससे अखबारी कागज ३० हजार टन बन सकता है। अगर किसी एक्सपर्ट की यह राय हो तो सरकार को अपने प्रदेश की शुगर फैक्टरीज की ओर भी ध्यान देना चाहिये जहां लाखों मन खोइया निकलता है और जिससे हजारों टन अखबारी कागज तैयार किया जा सकता है। ऐसा उद्योग हमारे यहां भी हो सकता है और इससे लोगों की काफी बेकारी भी दूर हो सकती है, इसमें हम काफी लोगों को जिन्दगी दे सकते हैं, उनकी गरीबी दूर कर सकते हैं।

हम अब दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। देवरिया जिला एक ऐसा सेंटर है गोरखपुर डिवीजन का, जहां से हिन्दुस्तान ही में नहीं, बल्कि दूसरी जगहों पर भी हम हर हफ्ते में हजारों मन कच्चा चमड़ा बाहर भेजते हैं। बाबा राघवदास ने इसके लिये एक लम्बी योजना बनायी थी लेकिन वह सही मानों में कार्यान्वित नहीं हो सकी। सरकार उसको चलाने की कोशिश करे। चौराचौरी एक ऐसा सेंट्रल स्थान है जहां से हजारों मन चमड़ा हर हफ्ते बाहर जाता है और हम समझते हैं कि वहां टैनरी का काम यदि शुरू किया जाय तो हरिजन जो गरीबी के भार से दबे हुये हैं उनका उद्धार हो सकता है। यह बात छिपाई नहीं जा सकती है कि आज भी हरिजन गोबर से निकाले हुये अनाज की रोटी खाता है। यह हमारे लिये बहुत बड़े कलंक की बात है। इस अभिशाप को दूर करने के लिये और उन दरिद्रनारायण के जीवन में एक जिन्दगी लाने के विचार से जब देखते हैं तो चौराचौरी में काफी चमड़े का कारोबार फैलाया जा सकता है और चमड़े के कारोबार से ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सकती है।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी हाउस में जो ये कुर्सियां दिखलाई पड़ रही हैं बेंत की बुनी, तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि देवरिया के उत्तरी भाग से कई लाख मन बेंत साल में बाहर भेजा जाता है। पडरौना में दुद्धी का ऐसा इलाका है जो केंद्र है और वहां ३–३, ४–४ रुपये में एक एक टोकरी बिकती है। वह दिल्ली तथा और और जगह भी बाहर जाती है। लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं है, इस ढंग की व्यवस्था नहीं है जो उस उद्योग को चलाया जा सके और लोगों को रोजी मिल सके। तो इस बेंत की व्यवस्था को भी हम उस तरफ कार्यवाहित कर सकते हैं। इस तरह से हमारे छोटे-छोटे उद्योग-धंधों का विकास काफी मात्रा में हो सकता है।

आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे इस बात के लिये हम जानकारी करें और समझने की कोशिश करें कि आप विशेषज्ञ हैं तो इस प्रकार की रिपोर्टें सरकार के सामने पेश करें। एक भाग में तो कई-कई उद्योगों की स्थापना की जाय और दूसरा भाग बिलकुल सूखा ही छोड़ दिया जाय तो यह कोई उचित बात नजर नहीं आती है। इस दिशा में जाने के लिये सरकार ध्यान देगी।

कानपुर का जो बहुत बड़ा दफ्तर उद्योग का बना हुआ है, उसकी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वहां पर काफी लोग काम करते हैं, लेकिन आज प्रदेश की एक ही जगह पर इतना बड़ा दफ्तर खोल करके हम प्रदेश के दूसरे भागों में ठीक प्रकार से लोगों की गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं और समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिये ३–३, ४–४ जिलों में एक ऐसी चीज औद्योगिक लोगों के रहने के लिये पैदा की जाय जिससे सब जगह के लोगों को रोजी मिल सके। हर जगह दफ्तरों

[श्री शिवप्रसाद]

का बंटवारा क्यों नहीं हो सकता है ? इस संबंध में तो जानकारी वहां रहकर ही हो सकती है। हमारे यहां हर जिले में, यह जरूर है कि उद्योग के अफसर गये हुये हैं, लेकिन उससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता और उन अफसरान की भी काफी जानकारी जनता को नहीं है और जिनको जानकारी है वह भी उससे विशेष लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि नियोजन विभाग जो आपका जिले का बना हुआ है, यह जरूर है कि छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिये सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन वह इतना विस्तृत रूप में नहीं है कि सही रूप में लोगों की मांगों को पूरा कर सके। लोगों की दरख्वास्तों के मंगाने में समय लगता है तो क्यों नहीं नियोजन कमेटियां जो हैं उनमें दरख्वास्त ली जायं जिनको हजारों रुपया छोटे-छोटे औद्योगिक काम चलाने के लिये देते हैं। इसके लिये हमें और आपको ऐसी जगहों को तलाश करना पड़ेगा जिससे काफी से काफी लाभ हो सके।

इस तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो १० उद्योग आप प्रदेश में खोलने जा रहे हैं उनमें से पूर्वी जिलों में--हम पूर्वी और पश्चिमी जिलों के बंटवारे की बात नहीं करते हैं--लेकिन जहां सरकार आवश्यक समझे वहां गम्भीरतापूर्वक सोच लें और महसूस कर लें कि आवश्यकता है तो उन स्थानों पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किये जायं। यह नहीं होना चाहिये कि एक भाग पर ही औद्योगिक केंद्र बनते चले जायं और दूसरा वैसे ही छोड़ दिया जाय। हम केवल खाद्य समस्याओं की पूर्ति से ही तमाम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जितनी कि ग्रामीण उद्योगों के विकास से ग्रामीण लोगों की जिन्दगी को राहत दे सकते हैं। जिन्दगी को राहत देने के लिये गांव-गांव को आर्गेनाइज करना पड़ेगा, औद्योगिक केंद्र कायम करने पड़ेंगे। घरों की औरतें बढ़िया से बढ़िया काम करती हैं। लेकिन वह चला नहीं पाती हैं। गांव के लोग भी बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं। हरिजन १५-२० रुपये के जूते बनाता है लेकिन सामग्री और साधनों के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सुधारने के लिये हमें अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वह बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिये गांवों में गृह औद्योगिक केंद्र निर्माण कराये जायं जिससे हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि औद्योगिक विभाग पर जो वाद-विवाद हो रहा है वह काफी महत्वपूर्ण है और कई लोग बोलना चाहते हैं इसलिये आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---किसी को कोई एतराज नहीं है, इसलिये तय हुआ कि साढ़े पांच बजे तक यह वाद-विवाद चलेगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, इस प्रदेश में जब हम औद्योगिक नीति का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि सरकार की औद्योगिक नीति सब विभागों की तुलना में सब से ज्यादा असफल रही है। मैं अपने इस विचार को बहुत गम्भीरता और स्पष्टता के साथ व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर तीन दिन तक वाद-विवाद किया था तो उस समय सरकार ने यह उद्देश्य घोषित किया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता उद्योग-धंधों को दी जायगी, इंडस्ट्रियल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डेवलपमेंट पर दी जायगी। लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि सरकार की वह घोषणा आज मिथ्या सिद्ध हुई है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के संबंध में बहुत पीछे रह गई है।

मैं एक-एक करके प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर और काटेज इंडस्ट्रीज को लेना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। सबसे पहले प्रदेश में लाइसेंसिंग फैक्ट्रीज की संख्या घटती चली जा रही है। १९५५ में १,५०३ थी जो कि १९५६ में घटकर १,३३८ रह गई। यह तो टोटल केवल फैक्ट्रीज का है। अब प्राइवेट सैक्टर लीजिये। इसकी बड़ी तारीफ की जाती है और नाना प्रकार की अपीलें की जाती हैं और मंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन सब से आश्चर्य की बात यह है कि हमारे प्रदेश में प्राइवेट सैक्टर बाकी सारे प्रदेशों की तुलना में मजे में रहा है। इसकी कैपिटल रेशियो और प्रदेशों की तुलना में कम रही है। जो सैंसस आफ मार्केट का बुलेटिन निकलता है उसके अनुसार बम्बई में १९४८ में १५७ करोड़ रुपया इंवेस्ट किया गया जो १९५२ में बढ़कर २३७ करोड़ हुआ। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में १२८ करोड़ रुपया था जो १५७ करोड़ हुआ, बिहार में ४८ करोड़ था जो बढ़कर ९३ करोड़ हुआ, मद्रास में ४७ करोड़ था जो बढ़कर ७३ करोड हुआ और यू० पी० में ६३ करोड़ था जो १९५२ में केवल ७६ करोड़ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि बम्बई में ५१ प्रतिशत बढ़ा, वेस्ट बंगाल में २३ प्रतिशत बढ़ा, बिहार में ५३ प्रतिशत बढ़ा, मद्रास में २३ प्रतिशत बढ़ा, और यू० पी० में २१ प्रतिशत ही बढ़ा। इससे स्पष्ट होता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के संबंध में हमारी औद्योगिक नीति असफल रही।

अब पब्लिक सेक्टर को लीजिये। उसमें भी जहां तक केंद्रीय सरकार का प्रश्न है आज तक एक भी उद्योग पिछले दस वर्षों में हमारे राज्य में नहीं खुला। हमने जो दो खोले भी हैं, एक सीमेंट फैक्ट्री और दूसरी प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री, वे भी असफल रहीं, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री सन् ४८ में बन कर खत्म हो जानी चाहिये थी जो जाकर सन् ५४ में बन पायी। प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री भी वाटर मीटर और माइक्रास्कोप ही बना कर रुक गई।

इसके अलावा केंद्र के इंडिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन की ओर से भी हमारे राज्य की केवल ग्यारह यूनिटों को सहायता मिली है। इसके संबंध में भी जरा आंकड़ों को देखिये। बम्बई में सेंट्रल इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन के द्वारा ८९ करोड़ ७९ लाख रुपये की मदद की गयी, वेस्ट बंगाल में ३८ करोड़, मद्रास में २९ करोड़, सौराष्ट्र ऐसे छोटे से राज्य में भी १७ करोड़ रुपये की मदद उसने की, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर केवल १ करोड़ ३० लाख रुपये ही दिये गये। इससे यह स्पष्ट है कि हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन से भी रुपया अपने यहां इन्वेस्ट कराने में असफल रहे।

इसके बाद अगर हम काटेज इंडस्ट्रीज के चैप्टर को लें तो हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में ४८० लाख मन आयल सीड्स को क्रश करने वाली मिलें बन्द पड़ी हुई हैं जिनमें सवा करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट है, यह फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है।

इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन के आंकड़े थोड़े बढ़े हुये जरूर दिखायी देते हैं, लेकिन दूसरी ओर प्राइस टर्म में उसके आंकड़े गिर गये हैं। इस सम्बन्ध में बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक्स में से अलीगढ़ के ताले, आगरा के जूते और फर्रुखाबाद की छींटें, केवल तीन मिसालें देना चाहता हूं। जब सन् ५१–५२ में फर्रुखाबाद की छींटों का प्रोडक्शन १.६ लाख वर्ग गज हुआ तो उसकी कीमत २.३ लाख रुपये थी। सन् ५६–५७ में प्रोडक्शन तो हुआ २.५ लाख वर्ग गज, लेकिन

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

उसकी कीमत गिर कर २.३ लाख रुपया रह गयी। इसी प्रकार अलीगढ़ के तालों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन उसकी वैल्यू गिर गयी। आगरा के जूते सन् ५१-५२ में १८ हजार जोड़ी बने और उनका मूल्य २ लाख ९४ हजार रुपये था। सन् ५५-५६ में बने तो ३७ हजार जोड़े, लेकिन उसका मूल्य ५ लाख ५७ हजार रुपये ही रहा यानी वैल्यू उनकी भी पूरी काटेज इंडस्ट्रीज गुड्स की नहीं मिल पायी। तो इससे हम किसी प्रकार यह नहीं कह सकते कि हमारे उत्पादन मूल्य में वृद्धि हुई है।

कपड़े को लीजिये। आज उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ५ गज के हिसाब से कपड़ा पैदा होता है लेकिन यहां की आवश्यकता द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २२.५ गज प्रति व्यक्ति होने वाली है। सरकार इस कमी को कैसे पूरा करने का विचार रखती है।

एक तीसरे माप दंड से भी हम सरकार की औद्योगिक नीति को कसौटी पर कस सकते हैं। वह है बेकारी के सम्बन्ध में कि क्या सरकार की औद्योगिक नीति ने हमारे प्रदेश में बेकारी कम की है? नहीं। जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के आंकड़े हैं उनसे स्पष्ट होता है कि एक ओर जब हम सन् ५२ में देखते हैं तो १ महीने में ३० हजार अभ्यर्थियों ने अपना नाम एम्प्लायमेंट एक्सेंज में रजिस्टर कराया और उनमें से ९ हजार ९ सौ व्यक्तियों को रोजगार दिला सकी। तब उसकी तुलना में सन् ५६ में २८ हजार लोगों ने अपना नाम रजिस्टर कराया और उनमें से सिर्फ २ हजार ८ सौ आदमियों को जगह मिली। उनको पढ़कर यह समस्या उठती है कि क्यों ३० हजार व्यक्तियों में ९ हजार ९ सौ आदमियों को काम मिलता है और उसी के मुकाबले में २८ हजार व्यक्तियों में से केवल २ हजार ८ सौ व्यक्तियों को नौकरी मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी औद्योगिक नीति लोगों को काम देने में भी पूर्णतया असफल रही है। तो यह तीन मापदंड अपने हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी और काटेज इंडस्ट्रीज के सेक्टर में भी, कि हम किसी प्रकार भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाये हैं।

अब हम एक दूसरे समाजवादी दृष्टिकोण से भी लें। केन्द्रीय सरकार ने भी और प्रदेशीय सरकार ने भी इस बात की घोषणा की है कि वे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी कारखानों के मैनेजमेंट में मजदूरों को हिस्सा देने की बात करेंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस राज्य में आज तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष की शुरूआत है, करीब करीब आधा योजनाकाल व्यतीत हो रहा है, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? क्या आज तक सरकार ने कोई भी कदम इस सम्बन्ध में उठाया है। चुर्क सीमेंट फैक्टरी को लीजिये, गवर्नमेंट प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी को लीजिये या कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को लीजिये या किसी प्रकार की दूसरी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनको लीजिये, मैं जानना चाहूंगा कि जो पहला कदम द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में होना चाहिये था वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया?

इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन सरकार ने स्थापित किया। उसका नाममात्र का कैपिटल है। जितना कैपिटल आज उसका है उसका दूना कम से कम कैपिटल द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में होना चाहिये। २५ लाख शेयर्स कैपिटल फ्लोट करने की बात कही गयी है। मैं समझता हूं कि राज्य के औद्योगिक विकास को देखते हुये यह इंडस्ट्रियल फाइनेंसल कारपोरेशन जिस प्रकार कार्य कर रहा है वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला नहीं है। मेरी तो यह मांग होगी कि जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज फाइनेंसल कारपोरेशन साढ़े ७ लाख की कैपिटल से बनने वाला है इसके शेयर कैपिटल को और भी बढ़ाया जाय और इसका स्माल स्केल इंडस्ट्रीज फाइनेंस कारपोरेशन के स्थान पर काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन नामकरण किया जाय।

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उनमें से एक सिफारिश का मैं स्वागत करता हूं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई है। कमेटी ने, जिसकी रिपोर्ट पर सरकार ने अभी तक कोई राय नहीं व्यक्त की है, एक सिफारिश यह की है कि १३० करोड़ रुपये जो जमींदारी अबालिशन फंड के जमींदारों के हैं.....

एक सदस्य--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्। एक सदस्य महोदय सदन में सो रहे हैं मेरी समझ में उनको यहां सोना नहीं चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य, अगर सोना हो तो आप लाबी में चले जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो मैं निवेदन कर रहा था कि १३० करोड़ रुपये में, जो जमींदारी अबालिशन फंड के सरकार को इन्कैश करने हैं, एक बड़ी धनराशि जमींदारों की स्वीकृति से इस काटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के लिये जो मैंने प्रस्ताव किया है उसमें ले लिए जायं तो हमारी एक बड़ी मांग हल हो जायेगी।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि प्रदेश में रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाये जायं। जैसे पूर्वी जिलों की आवश्यकतायें हैं, या बुंदेलखंड की आवश्यकतायें हैं, या पश्चिमी जिलों की आवश्यकतायें हैं, या पर्वतीय प्रदेश की आवश्यकतायें हैं, इन चारों प्रदेशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनने चाहिये। जो वहां की विशेष परिस्थिति, वहां की ज्योलोजिकल सर्वे, वहां के बेकारी संबंधी आवश्यकतायें, वहां के खनिज पदार्थ, वहां की घरेलू आवश्यकतायें आदि हैं, उनको देख कर अपने रीजन की औद्योगिक नीति निर्धारित करें। तो इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार प्रान्तीय स्तर पर भी इंडस्ट्री का एक बोर्ड बनाये। सन् १९३४ में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के विकास के लिये एक श्रीवास्तवा कमेटी बैठी थी। उस कमेटी ने यह सिपारिश की थी कि एक बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज सारे प्रदेश के उद्योग-धंधों के कार्य को नियंत्रित करने के लिये बनाये और उस मांग को एक प्रकार से हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी दोहराया है। तो मैं यह मांग करूंगा कि बोर्ड आफ इंडस्ट्रीज के अधीन यह रीजनल इंडस्ट्रियल बोर्ड हों और उनके अधीन काटेज इंडस्ट्रीज तथा पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज चलें।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर वास्तव में सरकार उद्योग-धंधों के मामले में अपनी कुंभकरणी निद्रा को भंग कर उनका कुछ विकास करना चाहती है तो उसे केन्द्रीय सरकार से जबरदस्त शब्दों में और वास्तविक शब्दों में कुछ मांग करनी होगी। जिस प्रकार कि श्री रविशंकर शुक्ल रूरकेला स्टील प्लांट के लिये गये और उन्होंने प्रयत्न किया, जिस प्रकार श्री विष्णुराय मेंहदी आयल प्लांट के लिये लड़े, उसी प्रकार इस सरकार को भी कुछ करना चाहिये तभी मैं समझता हूं कि सरकार कुछ विकास की ओर ठोस कदम उठा सकेगी।

श्री रऊफ जाफरी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी तकरीरें हुई हैं, मैंने उनको बड़े गौर से सुना। जितने आम सवालात हैं उनके मुताल्लिक मैं पहले कुछ कह देना चाहता हूं और उसके बाद अगर वक्त रहा तो जिलेवार कही हुई बातों का जवाब दूंगा।

विश्राम राय जी ने अपने कटमोशन को पेश करते हुए जो बातें रखी हैं, मैं पहले उनका जवाब देना चाहता हूं। एक बात यह कही गई कि हैवी इंडस्ट्रीज के सिलसिले में यहां की सरकार ने न कोई कोशिश की और न कोई काम किया। यह बात सही नहीं है। जहां तक प्रान्तीय सरकार का ताल्लुक है आप सबको मालूम है कि पब्लिक सेक्टर में हमने दो बड़े कारखाने कायम किये--एक सीमेंट का और एक प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री। सीमेंट का कारखाना बावजूद इसके कि उसकी टीथिंग ट्रबुल आज भी कायम हैं, उसमें किल्न वगैरह में जो दिक्कतें हैं वह पूरी तरह दूर नहीं हुई हैं, लेकिन उसका उत्पादन बढ़ रहा है और जब से वह चालू किया

[श्री रऊफ जाफरी]

गया है उसमें घाटा भी नहीं हुआ है। यह जरूर है कि इसमें जो मुनाफा है वह कुछ कम है लेकिन जब हमारी यह दिक्कतें दूर हो जायंगी, मैं समझता हूं कि यह कारखाना काफी अच्छी तरह से चलेगा। हम उसको और बढ़ाने जा रहे हैं और उससे उसका प्रोडेक्शन ७०० टन की जगह १,५०० टन हो जायगा।

हमारी प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री जो है वह अपने किस्म की पहली चीज है हमारे देश में, कहीं ऐसी फैक्ट्री इस काम के लिये हमारे यहां बनी नहीं है। बाहर से हमारे यहां जितने मीटर मंगाने पड़ते थे उनके लिये फारेन एक्सचेन्ज का खर्चा था तो मीटर हमने अपने यहां बनाना शुरू कर दिया है और कम दाम पर देते हैं। यह काम मुनाफे के साथ चल रहा है। जब वहां पर पूरा एक्सपेन्शन हो जायगा तो ३ हजार मीटर बनने लगेंगे। उस वक्त काफी फायदा होगा। यह मीटर का काम बहुत मुश्किल से आता है। जो मुल्क इसमें स्पेशलाइज्ड हैं उनके मुकाबले में हमारे यहां बनने लगे हैं। अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। जब कोई चीज शुरू होती है तो उसमें पहिले दिक्कतें तो आती ही हैं और खर्चा भी होता है। इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह से घबराने लगेंगे तो फिर यह नतीजा होगा कि नये उद्योग-धन्धे अपने यहां कायम करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो यह बात मैंने हैवी इंडस्ट्री के मुताल्लिक कही जिसके बारे में यहां पर कुछ बातें उठायी गयी थीं।

यह कहा गया कि केन्द्रीय सरकार ने यहां हमारे सूबे में कुछ नहीं किया। हमारे यहां दो फैक्टरी बनाने का उन्होंने वायदा किया है और उस पर कार्यवाही हो रही है। उनके विशेषज्ञों की टीम विजिट कर चुकी है और करीब-करीब साइट भी तय हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही काम शुरू हो जायगा। उतना जल्दी शायद न हो सके जितना हम चाहते हैं क्योंकि अब कुछ फारेन एक्सचेन्ज की दिक्कत हो गयी है। इस वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये कारखाने यहां पर जरूर लगाये जायंगे। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ नहीं किया, यह कहना गलत है।

यह कहना भी सही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं किया गया। ११-१२ कारखाने प्राइवेट सेक्टर में खोलने का इन्तजाम हो रहा है। जैसे सोडा ऐश और अमोनिया क्लोराइड वगैरा के कारखाने खुल रहे हैं। इसलिये यह कहना भी सही नहीं है।

काटेज इंडस्ट्री के बारे में कहा गया। कुछ बातें तो सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। उनकी स्पीच का असर मुझ पर यह पड़ा कि इससे लोगों को यह ख्याल हो सकता है इस बीच में जो कुछ इस छोटे उद्योग के लिये किया गया उससे यह उद्योग बरबाद हो गया है और कोई तरक्की इस तरफ नहीं हुई है बल्कि जो हो रहा था वह भी खत्म हो गया है। मसलन् खैराबाद के बारे में यह कहा गया कि वहां पर जो स्कूल चल रहा था वह खत्म कर दिया गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो सरकार की बहुधन्धी स्कूल चलाने की बात है उसके सिलसिले में उसको रोका गया है लेकिन वह सहयोग समिति वहां पर है और उसके जरिये से काम वहां पर हो रहा है। इस वजह से यह कहना कि वह बन्द कर दिया गया, सही नहीं है।

यह कहा गया कि कौन से उद्योग कहां पर लगाये जायं इसके लिये सर्वे होना चाहिये। मैंने पहले कहा था कि पूरे प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल सर्वे कराने का इन्तजाम किया गया है और वह जारी है। सुल्तानपुर में काम खत्म हो चुका है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर सर्वे का काम सितम्बर में खत्म हो जायगा। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ महीने में काम खत्म होगा। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पुराने कौन से धन्धे हैं जो मर रहे हैं और जिनको मदद देने की जरूरत है। साथ ही कौन से नये काम हो सकते हैं जिनको यहां पर चलाया जाय यह भी हम देख रहे हैं। इस तरफ बराबर काम हो रहा है।

कई वक्ताओं ने यह कहा कि शेयर मुकर्रर कर दिये जायं जिससे हैंडलूम का जो काम है उसमें तरक्की हो सके। हालांकि यह काम केन्द्रीय सरकार का है। कुछ हद तक इसमें

काम हो चुका है। मसलन् कलर्ड बैड शीट का काम, तहमद का काम, इस तरह के जो काम हैं वह मुकर्रर हो गये हैं और इनको मिल नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मिलों का यार्डेज फ्रीज़ कर दिया गया है जब कि हैंडलूम का यार्डेज बढ़ा दिया गया है।

श्री बेचनरामजी ने शिकायत की कि जब जिक्र होता है ३, ४ उद्योगों के लिये कहा जाता है। जो उद्योग अच्छा होगा उसके लिये कहा ही जायगा। सीमेंट और प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट की फैक्ट्रियां हमने बनाई हैं तो उनके सिवा और क्या कहा जा सकता है ? उन्होंने कहा कि कम्बलों के लिये कारपेटों के लिये कुछ नहीं हो रहा है। मिर्जापुर में एक फ़िनिशिंग मशीन लगी है जो डिफेंस के लिये कम्बल बना रही है। वहां बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कार्पेट मैनुफैक्चरर्स पर है जिन्होंने क्वालिटी मार्किंग की स्कीम में बहुत बाधायें डालीं। हो सकता है कि वहां उसकी लैबोरेटरी भी हो जाय लेकिन चलने तो दीजिये।

पहले मैंने हैन्डीक्रैफट्स के बारे में कुछ बातें कही थीं। श्री बेचनराम जी ने कहा कि उसका आब्जैक्टिव कामर्शल है। जरूर उसमें कामर्शल आपरेशन की एक साइड है, मगर उसका वास्तविक उद्देश्य मार्केटिंग आर्गनाइजेशन है। मैंने यह नहीं कहा कि वहां घाटा होता ही रहेगा। मैंने कहा था कि जैसे-जैसे हमारा प्रचार और पब्लिसिटी का काम बढ़ता जायगा और उसका रिटर्न हम अपने प्राफिट व लास एकाउन्ट में दिखा नहीं सकेंगे, तो खर्चा बढ़ता जायगा। अगर ५० परसेन्ट हम कामर्शल आपरेशन में डाल दें और ५० फीसदी डेवलपमेन्ट और पब्लिसिटी में डाल दें तो घाटा नहीं होगा। जो कुछ घाटा हुआ उसकी वजह यह भी है कि लड़ाई के जमाने में बहुत सा सामान जो बन गया था वह पड़ा रहा और उसके बाद उसका टेस्ट बदल गया। १५ लाख का सामान पड़ा रह गया और ३ लाख का रामपुर स्टेट से आया और रिफ्यूजी डिपार्टमेंट का २ लाख का आया। तो यह लगभग २० लाख का सामान हमारे पास आ गया जिसमें से १५ लाख का सामान निकल चुका है, यद्यपि बेचनराम जी ने कहा कि कुछ निकला नहीं है। बाकी का नीलाम भी ६ सितम्बर से शुरू होगा।

श्री नारायणदत्त जी का जवाब रह जायगा क्योंकि समय कम है। आयल मिलों के लिए कहा गया कि इतनी बन्द हो गयी हैं। सैकड़ों की संख्या में जहां मिलें होती हैं तो हमेशा कुछ मार्जिनल होती ही हैं जो कमजोर होने के कारण बन्द हो जाती हैं, उनकी जगह दूसरी आती हैं। किसी जगह यह नहीं है कि कोई मिल कभी बन्द ही न हो। लेकिन आयल का प्रोडक्शन तो बढ़ा है।

जहां तक एम्प्लायमेंट का सवाल है, यह ठीक है कि हमारी आबादी बढ़ती जाती है और काम करने वाले लोग भी बढ़ते जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पहले कुछ और ही काम करते मगर अब हमारे मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़कर आकर काम हम से चाहते हैं मगर सब को जगह नहीं मिलती है। लेकिन यह कहना कि एम्प्लायमेंट के बारे में उद्योग विभाग बिलकुल नाकामयाब रहा है, सही नहीं है। हैन्डलूम को ही ले लीजिये। कितने ऐसे बुनकर थे जिनके पास काम नहीं था। मगर अब कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी बेकारी की वही हालत है जो १ साल पहले थी। मुरादाबाद के बर्तन वालों की और बनारस वालों के साड़ी वालों की भी यही हालत है कि पहले वे हमारे देश को ही छोड़कर भागना चाहते थे मगर अब वे जम रहे हैं। हम ने कभी यह दावा भी नहीं किया कि अनएम्प्लायमेंट का हल करने में हम बिलकुल कामयाब हो गये हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि १ साल में वह हल हो जायगा। उसमें समय लगेगा क्योंकि एक दम से यह कर देना असम्भव है। लेकिन हम तमाम उद्योग कर रहे हैं और स्कूलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे काटेज इन्डस्ट्रीज बढ़ें। स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन तो २५ हजार से ऊपर के लोगों के लिए बना है। पहले से अगर वह अपने सब शेयर बेच दें तो उन पर सूद देना होगा और खर्चा भी बढ़ेगा। इसलिए ३ करोड़ का अथोराइज्ड कैपिटल उन्होंने नहीं जारी

[श्री रऊफ जाफरी]

किया है, वे सोचते हैं कि अभी उनके पास उतनी अर्जियां नहीं हैं। जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, वे कुछ शेयर्स रखते हैं, इस वर्ष भी कुछ रखे हैं और इसमें हम भी खरीदेंगे।

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के बारे में कुछ गलतफहमी मालूम होती है। इसमें शायद यह खयाल है कि ७ १/२ लाख रुपया किसी को देना है। यह नहीं है। इस कारपोरेशन का काम टेक्निकल सलाह देना, मैनेजीरियल हेल्प देना, और हैवी इडन्स्ट्रीज और स्माल इन्डस्ट्रीज के बीच में सम्पर्क रखना है। इसका काम बढ़ेगा और गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरह से यह है। वह कर्जा देने के लिए कायम नहीं किया गया है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सन्मुख उद्योग मन्त्री जी ने जो आज अनुदान पेश किया है, उसमें माननीय विश्राम राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे राष्ट्र के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्थान-स्थान पर भाषण देते समय यह कहा है कि हमें डाक्टर, इंजीनियर और टेक्निशियन्स की जरूरत है। टेक्निकल शिक्षा पर विशेष जोर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रक्खा गया है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के ५७-५८ के बजट को देखते हैं तो उसमें यह पाया जाता है कि हमारे प्रदेश की सरकार टेक्निकल शिक्षा को समाप्त करने जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं आप को बतलाऊं कि गवर्नमेंट वीविंग इन्स्टीटयूट, वाराणसी, गवर्नमेंट पोलिटेक्निक इन्स्टीटयूट, इलाहाबाद, गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीटयूट, खुर्जा, टेक्निकल हाई स्कूल, मुरादाबाद, टेक्निकल हाई स्कूल, फैजाबाद, टेक्निकल हाई-स्कूल, फर्रुखाबाद, प्रौढ़ राजनैतिक पीड़ित तथा हरिजनों के लिए टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र आदि के लिए हमारी प्रदेशीय सरकार ने अपने बजट में इस वर्ष एक पैसा भी नहीं रक्खा है। जब आप टेक्निकल हैन्ड्स के प्रशिक्षण के लिए अपने बजट में एक पैसा भी नहीं रखेंगे तो किस प्रकार से उद्योगों की उन्नति होगी?

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने जा रही है। लेकिन खादी के विकास के लिए, ताला उद्योग के विकास के लिए, औजार उद्योग के विकास के लिए, छतरियों की तानों के विकास के लिए और फल संरक्षण उद्योग, तराई के लिए जो रुपया रहता था, इस सन् १९५७-५८ के बजट में उसके लिए एक पैसा भी नहीं रक्खा गया है। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या इन उद्योगों का पूर्ण विकास हो चुका है अथवा इन उद्योगों से उनको नफरत पैदा हो गयी है? इसके अतिरिक्त सरकारी कारखानों, सरकारी वर्कशाप्स के विकास के लिए भी इस बजट में एक पैसा भी क्यों नहीं रखा गया है?

अब मैं फीरोजाबाद का जिक्र करता हूं। यह वह क्षेत्र है जहां कांच की चूड़ियां बनायी जाती हैं तथा कांच के अन्य सामान का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के उद्योगों की जो पत्रिका प्रकाशित हुई है उसके पृष्ठ ९ पर यह लिखा हुआ है कि भारत में कांच के उत्पादन का ५० प्रतिशत का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में ही होता है। इनमें से ८८ चूड़ियों के कारखाने हैं और ३० कारखाने अन्य सामान बनाने के हैं। फीरोजाबाद को वह सौभाग्य प्राप्त है कि इन ११८ कारखानों में से १०० से अधिक कारखाने केवल फीरोजाबाद में हैं और केवल १०-१२ प्रदेश के अन्य भागों में हैं। फीरोजाबाद के कांच के उद्योग को वह गौरव प्राप्त है कि जब विश्व में आज फीरोजाबाद के अतिरिक्त कहीं भी चूड़ी का उद्योग नहीं चल रहा है, लड़ाई से पहले जापान तथा जेकोस्लोवाकिया वगैरा में चूड़ी के व्यवसाय में बहुत तरक्की की थी और वह भारत के बाजार पर हावी हो गये थे लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद आज विश्व में चूड़ियों का एक मात्र उत्पादन केंद्र फीरोजाबाद ही रह गया है। लेकिन आज उस फीरोजाबाद को हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल नेगलेक्ट किये हुये है। वह फीरोजाबाद का कांच का उद्योग, जो कि इस सरकार को २० लाख से अधिक सेल्स टैक्स देता है वहां यह सरकार उसके विकास के लिये एक पैसा भी खर्च करना नहीं चाहती है। फीरोजाबाद के चूड़ी

के काम के प्रशिक्षण का केंद्र खोलने के लिये सरकार ने २८,६०० रुपया रक्खा है लेकिन चूड़ी के एकमात्र उत्पादन केंद्र फीरोजाबाद में नहीं वरन बुलन्दशहर में खुलेगा। इसके अतिरिक्त चूड़ी और कांच के उद्योग के विकास के लिये एक ग्लास टेक्नोलोजिस्ट तथा उसका विभाग रखा गया है, लेकिन वह भी सरकार ने कानपुर में रखा है, जहां काँच का एक भी कारखाना नहीं है। इस पर सरकार एक लाख बारह हजार रुपया प्रतिवर्ष खर्च कर रही है। लेकिन वह ग्लास टेकनोलोजिस्ट उस स्थान पर नहीं रखा गया है जहां कि यू० पी० के ११० कारखानों में से १०० स्थित हैं। इन ग्लास टेक्नोलोजिस्ट महोदय की फीरोजाबाद के ऊपर कैसी कृपा है वह भी किसी से छिपी नहीं है। आज ग्लास टेक्नोलोजिस्ट के ऊपर हमारी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वह व्यर्थ खर्च कर रही है। कांच के सम्बन्ध में आज तक उन्होंने कोई भी राय नहीं दी है। उदाहरण के तौर पर फीरोजाबाद के कारखानेदारों और वहां के उद्योगपतियों ने बार-बार ग्लास टेक्नालाजिस्ट साहब से यह मांग की कि हमको पिंक कलर बताइये तथा यह भी बताइये कि किस तरह से कांच उद्योग को और बढ़ाया जाय। लेकिन आज १० वर्ष के बाद भी हम जानते हैं कि वे ग्लास टेक्नोलाजिस्ट साहब इस तरह का पिंक कलर तैयार नहीं कर सके। हम यह भी जानते हैं कि ग्लास टेक्नालाजिस्ट की योग्यता ऐसी नहीं है कि वह पिंक कलर का कांच बना सकें। अगर किसी साहब को परीक्षा लेने का साहस हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि फीरोजाबाद का एक मजदूर जो कांच उद्योग में लगा हुआ है उनसे अधिक योग्य साबित होगा और अधिक प्रवीण साबित होगा। कांच व चूड़ी उद्योग में कोई बड़े कैपिटल की भी बात नहीं है, एक छोटा कैपिटल है, उसी से फीरोजाबाद के मजदूर और उद्योगपतियों ने अपने दिमाग के बल पर ही कांच उद्योग के संबंध में इतनी तरक्की कर ली है जिसकी वजह से आज फीरोजाबाद सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश का सर ऊंचा किये हुए है। कांच की चूड़ियों के अतिरिक्त फीरोजाबाद ने एलेक्ट्रिकल ग्लोब्स ऐंड शेड्स का भी बनाना आरम्भ कर दिया है जिसकी वजह से लाखों रुपये जो इसके खरीदने में विदेशों को चले जाते थे, वे बच गये हैं और एक तरह से फीरोजाबाद ने इस व्यवसाय में भी अपनी मोनोपाली कायम कर ली है। इसके अलावा फीरोजाबाद ने थर्मस फ्लास्क्स तथा विज्ञान में उपयोग आने वाला कांच का सामान बनाना भी आरम्भ कर दिया है लेकिन अफसोस की बात यह है कि ग्लास टेक्नालाजिस्ट साहब का कोई भी सहयोग कांच उद्योग को नहीं मिल रहा है। विशेष कर अफसोस की बात तो यह है कि आज जिस उद्योग के अन्तर्गत इतना काम हो रहा है उसकी तरफ सरकार उपेक्षा की दृष्टि से देख रही है। फीरोजाबाद में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल कागज पर ही कारखाने खोल रखे हैं। ऐसे ४० कारखानों को गवर्नमेंट की तरफ से कोटा आदि की सहायता दी जाती है और इस तरह से वे लोग हजारों रुपया सरकार की कम्बीनेशन स्कीम के मुताबिक बिना उद्योगों के चलाये ही प्राप्त कर लेते हैं। उनको जो कोटा दिया जाता है उसकी बिक्री करके वे रुपया कमाते हैं। ग्लास टेक्नालाजिस्ट साहब से सिर्फ कोटा के बटवारे का ही काम लिया जाता है। फीरोजाबाद में ग्लास इंडस्ट्रीज सिंडिकेट के नाम से उद्योगपतियों की एक कमेटी बनी हुई है, गवर्नमेंट उसकी ऐडवाइजरी कमेटी, जो सरकार द्वारा निर्मित चीज है, उससे कोटा सिस्टम के बंटवारे का काम करा सकती है। ग्लास टेक्नलाजिस्ट तो वह अधिकारी हैं जिसे कांच उद्योग के सम्बन्ध में पूरे साल समय तथा सहयोग देना चाहिये। परन्तु ग्लास टेक्नोलाजिस्ट से कोयला और सोडाऐश का बटवारा ही कराया जाता है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर उनसे इस काम को करा करके उनके पीछे इतना रुपया क्यों बरबाद किया जाता है? क्या करें ग्लास टेक्नालाजिस्ट साहब की ऐसी योग्यता नहीं है कि वे इस उद्योग में कोई सहायता दे सकें तो मेरी राय में उस पोस्ट को ही बिलकुल समाप्त कर देना चाहिये।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इसके साथ-साथ में आपसे यह कहना चाहता हूं कि फीरोजाबाद वह जगह है जहां कांच उद्योग के बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। रूस आप्टिकल ग्लास बनाने का एक कारखाना हिन्दुस्तान में खोलने का विचार रखता है जिसकी लिखा-पढ़ी केन्द्रीय सरकार से हो रही है। करीब ९० फीसदी कांच के सामान का उत्पादन फीरोजाबाद में ही होता है। इसलिये यू० पी० सरकार को चाहिये कि वह सेंट्रल गवर्नमेन्ट को इस बात की सलाह दे कि रूस की तरफ से जो आप्टिकल ग्लास बनाने का कारखाना हिन्दुस्तान में खुलने वाला है वह फीरोजाबाद में ही खुले। फीरोजाबाद में और भी कांच की नयी-नयी इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री हिम्मतसिंह से)---आपके लिये भी ५ ही मिनट का समय है। आप संक्षेप में ही कहें।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में बड़े-बड़े और छोटे-छोटे व दरम्यानी कारखानों की बातें कही गयी हैं। जब मैं मशीन युग को देखता हूं तो मालूम पड़ता है कि बड़ी-बड़ी मशीनें आदमियों को बेकारी और साम्राज्यवाद की स्थापना की ओर ले गयी हैं।

इस बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये हमें कुछ न कुछ सोचना होगा और अपनी नीति को बदलना होगा। बड़े-बड़े बांध बांधे जा रहे हैं और कानपुर जैसे बड़े शहरों के लिये तीन-तीन करोड़ रुपया फैक्टरियों के लिये दिया जा रहा है, लेकिन अगर उनकी तरफ से सरकार अपना ध्यान हटाकर छोटे कुटीर उद्योगों की तरफ ले जाती तो बहुत से लोगों का भला हो जाता। हम देखते हैं कि बहुत सी जगह ओवरलैपिंग हो रहा है, बड़े-बड़े कारखाने भी बनाये जा रहे हैं, छोटे भी बनाये जा रहे हैं और दरम्यानी भी बनाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमें अपनी नीति निर्धारित करनी होगी कि गवर्नमेन्ट कारखाने कहां बनाये, उनका आधार क्या हो। मेरी राय है कि हमें इन छोटे कारखानों में उपभोक्ता सामग्री बनाने का प्रबंध करना चाहिये। यही एक आधार हो सकता है जिससे हम बड़े, छोटे और दरम्यानी कारखानों को इस चीज में ला सकते हैं। जब यह सामग्री कुटीर उद्योग द्वारा बनेगी तो हर आदमी को काम में लगाया जा सकेगा। आज हमारे यहां कपड़ा बड़े, दरम्यानी और छोटे सभी कारखानों द्वारा बन रहा है। इसका नतीजा है कि हमारे जो छोटे कोरी हैं उनका कपड़ा मिल के कपड़े के आगे नहीं बिकता और वही मिसाल हो रही है कि शेर के आगे बकरी बांध दी जाय और उसको चारा दिया जाय तब भी वह शेर के डर से सूखती ही जाती है। बड़े-बड़े कारखानों में कपड़ा बनता है और तैयार होता है और गांव का जो कोरी है उसका हाथ का कपड़ा इतना अच्छा नहीं बनता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिनिशिंग अच्छा नहीं है। उसकी यह क्वालिटी और फिनिशिंग ठीक करने के लिये छोटी-छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाय, उनको अमरीका और इंगलैन्ड की तरह नहीं, बल्कि अपने पड़ोस के देश जापान की तरह, जहां छोटी-छोटी मशीनों से काम लिया जाता है, छोटी-छोटी दो चार हार्स पावर की मशीनों से काम लिया जाय ताकि छोटे उद्योगों की सामग्री का भी क्वालिटी और स्टैन्डर्ड बढ़े। इसके अलावा कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा उनके बनाये हुये माल के खपाने का भी प्रबंध किया जाय और बिक्री हो सके ताकि अच्छी कीमत उद्योग करने वालों को मिल सके। यह जो कहा गया कि बनारस के साड़ी वाले फिर लौट कर आ रहे हैं, असलियत यह है कि वह पाकिस्तान गये थे वहां उनका धंधा नहीं चला इसलिये वह फिर आ गये हैं। प्रोपेगेन्डा होता है कि हम उसमें बहुत खर्च करते हैं लेकिन प्रोपेगेंडा के साथ ही नुक्सान होता है। अगर हमें अपने यहां कुटीर उद्योगों को बढ़ाना है तो हमें यह तीन चार करोड़ रुपया छोटे कारखानों में देना चाहिये और बड़ों में अधिक धन नहीं व्यय करना चाहिये। हमें नये-नये डिजाइन इन कोरी आदि को भी देना चाहिये जो रोज बदलते रहते हैं और वह मिल वालों से कम्पीट नहीं कर पाते। इस से यह होगा कि वे भी अच्छे डिजाइन बनाकर मार्केट में भेज सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष (श्री बंशीधर शुक्ल से)--आपके लिये केवल दो तीन मिनट ही हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--माननीय उपाध्यक्ष जी, दो तीन मिनट बोलने से तो न बोलना ही अच्छा है। इस तरह से तो हमारे साथ में अन्याय है, इस तरह से जनता के प्रतिनिधियों की राय ली जायगी तो वह वास्तविक राय नहीं होगी, यहां प्रत्येक सदस्य को राय देने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--मुझे आप उपदेश न दें, बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। आपकी पार्टी के व्हिप ने आप के लिये नहीं कहा, लेकिन मैंने फिर भी आप को मौका दे दिया। आप दो तीन मिनट बोल लें लेकिन उपदेश मुझे न दें।

श्री बंशीधर शुक्ल--मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से जनता के प्रतिनिधियों को मौका नहीं दिया जायगा तो कोई भी निर्णय ठीक से नहीं हो सकता।

श्री विश्रामराय--उपाध्यक्ष महोदय, जो वादविवाद इस कटौती के मोशन पर हुआ उसको मैंने गौर से सुना। अधिकांश सदस्यों ने जो बातें मैंने उठाई थीं उन का समर्थन किया और काटेज इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में अधिकांश सदस्यों ने अपनी राय भी व्यक्त की और कहा कि उनकी ओर अवश्य विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। बहुत से सदस्यों ने स्थानिक मांगें पेश कीं। श्री बेचन राम जी ने बनारस के कारपेट के उद्योग के विषय में कहा, श्री लहरी जी ने फीरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के विषय में कहा। इन बातों पर जरूर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। आखिर में, हमारे रऊफ जाफरी साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि स्फियर तय कर दिया गया है। उन्होंने मिल के कपड़े के सम्बन्ध में समझा। हम लोग भी जानते हैं कि धोतियां कहां बनती हैं, और कोर्स कपड़ा कहां बनता है। जहां तक मैं समझा, उन माननीय सदस्यों का मतलब यह था कि हैंडलूम का कपड़ा या जो खद्दर बनता है उनका स्फियर तय कर दिया जाय। उनका स्फियर क्या हो यह स्पष्ट नहीं हुआ। केवल यह उन्होंने कहा कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये कारपोरेशन बन रहा है। सदस्य समझते थे कि कोई नयी चीज हो रही है। उस आशा पर तो पानी फिर गया। उन्होंने कहा कि उसके द्वारा टेक्निकल ऐडवाइस मिलेगी। टेक्निकल ऐडवाइस के लिये इसमें अफसरों को रखेंगे। मंत्री जी स्पष्ट राय दें कि काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में कोई कारपोरेशन बनना चाहिये, जिससे काटेज इंडस्ट्रीज का विस्तार हो सके।

अब मैं एक स्थानीय बात कहना चाहता हूं। हमारे यहां निजामाबाद में मिट्टी के बर्तन की एक इंडस्ट्री है। वहां पर एक मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। डाइरेक्टर महोदय को कई बार लिखा गया लेकिन अब तक काम रुका हुआ है। वहां बहुत से कुम्हार रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। अगर उनको रुपया और प्रोत्साहन मिले तो बहुत अच्छा उद्योग हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस समय एक फारसी की कहावत याद आयी, वक्त कोतह हो, किस्सा तूलानी। यानी बात तो लम्बी हो और वक्त उसके लिये थोड़ा सा हो। तो मैं समझता नहीं हूं कि मैं इतने समय में पूरे तौर पर अपने खयालात इस सदन के सामने रख सकूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

एक बात मैंने यह सुनी थी कि आज इस सदन में इस उद्योग के मुहकमे की बाबत मेरे सामने वाले भाइयों की तरफ से बहुत रोशनी मिलने वाली है और मैं इसी तलाश में बैठा था कि मैं उस रोशनी को अपने दिल व दिमाग में भर लूं और उससे फायदा उठाने की कोशिश करूं।

श्री उपाध्यक्ष—आपकी तरफ तो बिजली ही फेल हो गयी थी तो रोशनी कहां से आये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सामने थी। उधर ही से आने वाली थी। मैं तकरीरें सुनता रहा और बार-बार मुझ को एक शेर याद आता रहा। वह हिन्दी का शेर है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरये खून निकला। जितनी तकरीरें मैंने सुनीं उनकी एनालिसीस करके जो नतीजे मैंने बनाये अपने दिमाग में उसमें यह समझता हूं कि इतनी सी बात निकली। यह सही है कि कमी होगी, कितनी ही जगहें इस राज्य में ऐसी होंगी जहां उद्योग के सम्बन्ध में कुछ न हुआ होगा या जो कुछ हुआ होगा वह वह बहुत कम हुआ होगा, जो काम करने के हैं, फर्ज कीजिये १०० काम करने के हैं; मुमकिन है कि पचास, चालीस, तीस, कुछ हुये हों और और करने के लिये बाकी हों, मैं जनाब की तवज्जह दिलाऊं, मैंने जो यह फिकरे अर्ज किये हैं यह मेरी एनालिसिस है, और प्वाइंटस् हैं जो मैंने इन्फर किये हैं उन तकरीरों से, जो मैंने उधर से सुनी हैं; लेकिन बावजूद उसके मैं बहुत खुश हूं और खुश इसलिये हूं कि मैं यह समझता हूं, महज इसलिये नहीं कि मैं एक मिनिस्टर हूं इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट मेरे पास है, बल्कि मैं खुश हूं एक इस देश के, इस प्रदेश के सिटीजन या शहरी होने के नाते, और वह मेरी खुशी इसलिये है कि मेरी आंखें यह देखती हैं, मुझे नहीं मालूम कि वह चीजें किसी दूसरे की आंखों से किस तरह से छिप जाती हैं, लेकिन मेरी आंखें यह देखती हैं कि इस उत्तर प्रदेश में इस पिछले तीन-चार साल में उद्योग का जितना काम हुआ है, इसकी पिछली हिस्ट्री में, इसके इतिहास में आज तक कभी इतना काम नहीं हुआ। मैंने उस काम को मुख्तसर तौर पर एक जगह इकट्ठा कर लिया है। मैं उसकी तफसील अगर करूं तो मैं अर्ज करता हूं कि अगर आज ११ बजे से भी यह बहस शुरू होती और पहले मेरी तकरीर शुरू हो जाती तो मैं शायद अब तक भी उसके मुताल्लिक खत्म नहीं कर सकता था। मगर मैंने ऐसा किया उसके मुकाबले में बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा बना लिया है जो कि मैं इस सदन के मेम्बरों के सामने आपके जरिये से रखना चाहता हूं और यह बतलाना चाहता हूं कि वह उसको सुन लें और सुनेंगे ध्यान से और जरा इंसाफ के साथ, मैं तो समझता हूं कि कोई दिल ऐसा नहीं होगा जो इस बात को नहीं मानेगा कि वाकई उत्तर प्रदेश ने इस मामले के अन्दर बहुत तरक्की की है।

उद्योग क्या है ? उद्योग में काम हैं कुछ ऐसे कि जिनको इंडस्ट्री कहा जाता है, यहां अभी उनके नाम सुने गये। मैं तो जरा सी बात उनके मुताल्लिक अर्ज करूंगा। हैवी इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, स्माल या काटेज इंडस्ट्री है, ये नाम हैं। उनमें से पहले हैवी इंडस्ट्रीज को लें तो आपने अभी सुना, यहां इसी सदन में जो तकरीरें हुई उनमें आपने सुना कि हैवी इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर के बारे में कहा गया कि इस स्टेट की गवर्नमेन्ट ने एक सीमेंट की फैक्टरी कायम की, एक प्रेसीजन इंस्ट्रूमेन्टस् की फैक्टरी कायम की। यह दो तो इसने कायम की हैं और आज इतना वक्त होगा नहीं, इसलिये मैं और छोड़ दूंगा। मसलन, मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, प्रेसीजन, इंस्ट्रूमेन्ट फैक्टरी की बाबत कुछ कहा गया, लेकिन मैं तो उसको उस नजर से देखता हूं कि उसमें सन् ५२ या सन् ५३ के वक्त ३०० मीटर बनते थे, आज वहां सालाना ३५,०७० मीटर बनते हैं और वह फैक्ट्री सिर्फ मीटर ही नहीं बनाती बल्कि वह अब माइक्रोस्कोप भी बना रही है और दस बारह माइक्रोस्कोप महीने के अन्दर उसमें बन जाते हैं। मेम्बरान को मालूम होगा कि प्लान के अन्दर उसके एक्सपैंशन की स्कीम है, इस इंस्ट्रूमेन्ट्स फैक्टरी के। उसके एक्सपैंशन के जरिये से शायद २५ या ३० बनने लगें।

वहां एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां से लोग पढ़-पढ़ के सालाना निकलते हैं और वह मुख्तलिफ कामों के ऊपर इस स्टेट के अन्दर लगते हैं। यह तो हैवी इंडस्ट्री के अन्दर सिर्फ यू० पी० का मैंने अर्ज किया। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के बाबत आपने सुना कि उन्होंने यह निश्चय किया है कि वह एक अल्यूमिनियम की फैक्ट्री देंगे, उन्होंने यह वादा किया है कि वह रबर फैक्टरी देंगे। वह दें। लेकिन उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से हमारे यहां कई इंडस्ट्रीज लगने वाली हैं, उनका नाम मैं लूं तो जरा देर लगेगी और वक्त ज्यादा मिला तो आखिर में उसकी फेहरिस्त सुना दूंगा। यह तो रहा बड़ी इंडस्ट्री का मामला।

अब जो छोटी इन्डस्ट्रीज का मामला है उसको अगर आप सुनें और देखें और मैं समझता हूं कि देखना चाहिए था, तो किताब जो दी गयी है उसके अन्दर हर इन्डस्ट्री का हाल बयान किया गया है, उसके अन्दर वह बात लिखी हुई साफ मौजूद है कि इस स्टेट के अन्दर पहले से शायद ५४–५५ इन्डस्ट्रीज चल रही थीं, लेकिन इस बीच में ३३ इन्डस्ट्रीज और आ गयीं। मेरे पास यह फेहरिस्त है, लेकिन मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता, उनके नामों को। ३३ नाम इसमें लिखे हुए हैं, इस किताब के अन्दर हर इन्डस्ट्री अलग-अलग लिखी हुई है और मैं समझता हूं कि यह किताब मेम्बरों की खिदमत में पेश की जा चुकी है। इसके पढ़ने से मालूम हो जाना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि कोई स्टेट और १०, १२ इन्डस्ट्री अपने वहां हर साल इन्ट्रोडयूस करती हो तो वह कुछ करती है या नहीं करती है। बात क्या हो रही है? बात सिर्फ एक है। फारसी का एक शेर है, हिन्दी में मैं उसका तर्जुमा कर दूंगा ––

करदन एक ऐब अस्त, न करदन सद ऐब।

इसका मतलब यह है कि न करना यह तो एक ऐब है, और जो करता है उसके अन्दर सैकड़ों बुराइयां निकाली जा सकती हैं। तो सैकड़ों इल्जाम लगाना इधर से उधर से। मैं अर्ज करूं कि मेरी तबीयत पर यही असर होता है और मेरा दिमाग उससे यह सबक हासिल करता है और मेरे दिल में उससे यह उत्साह पैदा होता है कि और करना चाहिए ताकि मुझको और बुरा भला कहा जाय। जितना गवर्नमेंट तरक्की करेगी, उतना ही ज्यादा सुनेगी, उतनी ही बुराइयां मिलेंगी। मेरे पास यह भी एक फारसी का शेर है ––

हरचे अज दोस्त, मी रसद निकोस्त।
दोस्तों से जो कुछ मिले वह भला है, चाहे वह कुछ भी हो।

नयी इन्डस्ट्रीज इस स्टेट के अन्दर कायम हो चुकीं। अब मुलाहिजा फरमाइये इन्डस्ट्रीज के मुताल्लिक जो काम किया। जो इन्डस्ट्रीज पहले से हों उनको इस तरह से जांचना चाहिए कि पहले से जो इन्डस्ट्री इस स्टेट में एग्जिस्ट करती है उन में जो आदमी काम करते हैं उनके अपलिफ्ट के लिए सरकार ने क्या काम किया और उनकी रोजी के लिए सरकार ने नयी इन्डस्ट्रीज कितनी कायम कीं। तो नयी इन्डस्ट्रीज की बाबत क्या अर्ज करूं वे ३३ हैं। उनका लम्बा किस्सा है। कहां तक उनका बयान करूं। वे तो कायम हो चुकी हैं। मैंने अपने दोस्त से कालीनों के मुताल्लिक शिकायत सुनी, किसी दोस्त ने मुरादाबाद की शिकायत की, किसी ने अलीगढ़ के तालों की शिकायत की। मैं अर्ज करता हूं कि उनमें से हर एक आज बहुत ज्यादा कमा रहा है जितना कि वह इन इन्डस्ट्रीज के कायम होने से पहले कमाते थे। जब मैंने बजट स्पीच दी थी तो बतलाया था कि यहां की हर इन्डस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने बाजार पैदा कर दिया और पैदावार यहां की बाहर जा रही है। ४ करोड़ का हैन्डलूम का कपड़ा बाहर भेजा गया। बनारस का कपड़ा बाहर जाता है। कालीन भी बाहर जाते हैं। चिकन भी बाहर जाती है। ये सब चीजें अमेरिका भेजी जाती हैं। कितना और क्या-क्या गिनाऊंगा मैं। जितनी इन्डस्ट्रीज ऐसी थीं, जिनके अन्दर कोई तत्व हो और जिनको बढ़ाया जा सकता हो, उनको बढ़ाने की पूरी कोशिश की गयी है और बढ़ाया गया है और अभी तो कम ही तरक्की हुई है, इनको और ज्यादा बढ़ाया जायगा।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

उसके बाद यह सवाल है कि उन इन्डस्ट्रीज की हालत अच्छी हो, उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट क्या करती है ? गवर्नमेंट ने उसके मुताल्लिक यह कर दिया कि एक तो लोगों को नयी इन्डस्ट्री के लिए कैपिटल का इन्तजाम किया। मैंने अभी एक रिपोर्ट के मुताल्लिक सुना, बिरला कमेटी की रिपोर्ट है, वह चीज जनरल डिस्कशन में भी आयी थी, और अब भी कुछ बातें कही गयीं। उसके कुछ फिगर्स कोट हो रहे थे फाइनेंश्यल कारपोरेशन के मुताल्लिक, लोगों को कर्जा देने के मुताल्लिक। लेकिन मैं एक मजबूरी में हूं उस रिपोर्ट की बाबत और मेरी मजबूरी यह है कि रिपोर्ट तो हो गयी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अभी कन्सीडर किया ही नहीं। तो मैं उसकी निस्बत इधर उधर की कोई बात नहीं कह सकता। उसमें जो बात लिखी हुई है अभी मैं उनकी तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूं, और यह बात मुनासिब नहीं हो सकती है कि मैं इस वक्त उसकी कोई तरदीद करूं, लेकिन यह बतलाता हूं, मुझे एक बात याद आयी कि इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन से जो रुपया इन्डस्ट्रियल कामों के लिए लिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो मशीनों से काम करते हैं, यह बात गलत है, यह सही नहीं है। रुपया उनको भी दिया जाता है जो मशीनों से काम नहीं करते हैं। रुपया देने का जो मयार है उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। कोई इसको जायज और रवा नहीं रख सकता है कि जो कोई रुपया मांगने के लिए खड़ा हो उसको गवर्नमेंट पैसा दे दे। यह गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, उसमें अहतियात की जायगी कि सब बातें देख ली जायं, कि आया मांगने वाला इस काबिल है और जिस काम के लिए वह मांगता है वह इस काबिल है कि उसके लिए पैसा दिया जाय, उसके बाद यकीनन दिया जाना चाहिए और दिया गया। यह इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन की ही स्कीम नहीं है, उसका तो कैपिटल ३-४ करोड़ रुपया है, उसी के साथ में इन्डस्ट्री के एक एड की एक और भी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें से वह रुपया दिया है। वह रुपया भी उसी कारपोरेशन के जरिये से दिया जाता है। तो एक ही चीज नहीं है पैसा देने की। वह रुपया बराबर तकसीम होता है। अब नाम कहां तक गिनाऊं ? जगह कितनी बतलाऊं? दूकानें कितनी दिखलाऊं, जो खुलवायी गयीं ? कारखाने जो कायम हुए हैं वह कहां तक दिखलाऊं ? मैं समझता हूं कि दुनिया की आंखें सब की खुली हुई हैं और हम सब देखते हैं कि वहां यह हुआ है और वहां वह हुआ है और हमारे सामने हो रहा है। एक आदमी सारे यू० पी० को नहीं देख सकता, लेकिन एक आदमी अपने घर को तो देख सकता है। इस लखनऊ में जो साहबान मुस्तकिल तौर पर आते हैं वह तो देख सकते हैं।

एक बात मुझे और याद आयी, अगर मैं सही समझा, कि यह जो शो रूम्स हैं इनके मुताल्लिक यह शिकायत की गयी कि इनमें नुकसान है, नुक्सान रहता है। मेरे भाई डिप्टी मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में उसके मुताल्लिक यह कहा कि वह चीज नफा-नुकसान देखने की नहीं है, तो समझ यह लिया गया कि इन्डस्ट्री जो भी चलायी जाय उसके अन्दर कोई नफा नुकसान देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस बात को आपके जरिये से साफ कर देना चाहता हूं कि शो रूम्स जो बने हैं उनका प्रायमरी मकसद प्रोपेगेन्डा है, उस इन्डस्ट्री के बाजार को फैलाने और बढ़ाने के वास्ते। वह इसलिए नहीं है कि उसके जरिये से पैसा कमाया जाय। तो हम एक ऐसे मुकाम पर, जहां हम यह समझें कि हमें यह प्रोपेगेन्डा करना जरूरी है, वहां पर वह शो रूम्स खोलते हैं, ताकि हमारी इन्डस्ट्री की तरक्की हो, माल वहां का इस्तेमाल होना शुरू हो और उसके लिए मार्केट पैदा हो। तो चाहे उस शो रूम के कायम करने से हमको नुकसान होता हो, हम उस नुकसान को बरदाश्त करेंगे, और उसको नुकसान नहीं समझेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि वह नुकसान कम्पेंसेट होगा--उस शक्ल में, जितनी कि तरक्की उसकी वजह से इन्डस्ट्री की बाजार में होगी। शो रूम कलकत्ता में है, बम्बई में है और न जाने कहां-कहां है। मुझे वह जगहें याद भी नहीं हैं जहां-जहां यह खोले गये हैं। अगर किसी जगह नुकसान हो गया तो उसको उस नजर से देखना सही नहीं है।

मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी तरक्की के वास्ते क्या-क्या किया गया ? कैपिटल दी गयी और उसी के साथ-साथ नये टेकनिक इन्ट्रोडयूस किये गये और जो लोग किसी काम को

करते हैं उनको उसकी टेकनिक बतायी गयी और उसको ट्रेनिंग भी दी गयी इसके साथ-साथ क्वालिटी मार्किंग का तरीका जारी किया गया ताकि प्रोडक्शन स्टैन्डर्ड हो और बाहर की दुनिया उनको कबूल करके इस्तेमाल करने की तरफ मायल हो। यह काम भी किये गये और इस किस्म की कार्यवाही भी की गयी पैसे देने के साथ में और तरक्की भी हुई।

मैं अर्ज करता हूं कि आज से दस वर्ष पहले की बनी हुई कोई चीज मुरादाबाद की है उसे आज देखिये, कितने फैशन की वह मौजूद है, जैसे गिलास, तश्तरी, वगैरा। उनके अन्दर मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स आफ डिजाइन जारी कर दिये गये हैं जिनसे बाहर की दुनिया में भी उनका मारकेट काफी बढ़ गया है और वहां की इन्डस्ट्री आज फारेन ट्रेड कमान्ड करती है। यह खिदमत गवर्नमेंट ने अन्जाम दी है।

मैं अर्ज कर रहा था कि कौन-कौन सी इन्डस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के जरिये कायम होंगी। लेकिन इससे पहले प्लानिंग का जिक्र आया। मालूम नहीं किस की मसल है, एक मसल है और वह अंग्रेजी की है। इसके पूरे अल्फाज तो शायद मुझसे अदा नहीं हो सकें, मैं इतनी अंग्रेजी पढ़ा नहीं हूं। मैमोरी शॉर्ट वह शायद इस किस्म की है। यह भी कहा गया कि इस गवर्नमेंट प्लानिंग में इम्प्लायमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब बजट पर जनरल डिस्कशन हो रहा था उस वक्त मैंने अर्ज किया था और उसके बाद आज भी उसकी तरदीद किसी से नहीं सुनी। मैं अभी सुनाता हूं और जो मैं अर्ज करूंगा, वह उतना नहीं है जितना कि किया गया है बल्कि जो किया गया है उसका एक नमूना है। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के निस्बत मैंने बताया कि जो काम रखे गये हैं उनके जरिये पांच लाख आदमियों को एम्प्लायमेंट मिला है और उसके साथ यह भी बताया था कि बजट में जो काम पहले रखे गये हैं उन के जरिये से ७६,००० आदमी एब्जार्ब होंगे। यह तो मैंने थोड़ी सी बात बतलायी थी। लेकिन इसके मुकाबले में यह सुना जा रहा है कि यहां कुछ नहीं हुआ।

मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे करने से उस चीज की खासियत बदल जाती है। एक दस्तकार को अगर हम काम सिखायें, उसको नये डिजाइन्स बतलायें तो उसको बजाय नफे के नुकसान पहुंचता है। जैसे हमारे ट्यूबवेल से बजाय खेती हरी होने के सूखती है उसी तरह से इन्डस्ट्रीज के काम में भी जिन तरीकों को हमने इन्ट्रोडयूस किया है उनसे तरक्की के बजाय गिरावट आती है और लोग बेचारे तबाह हाल होते जा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि लखनऊ में चलिये और जो लोग यहां की इन्डस्ट्रीज में काम करने वाले हैं उनसे पूछिये कि उनको आज की तारीख से पहले क्या मिलता था और आज क्या मिलता है? पहले उनके बनाये हुए काम की बिक्री कितनी होती थी और अब कितनी होती है, और वह काम गवर्नमेंट के जरिये से हुआ है, या नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने उनको मुख्तलिफ किस्म की डिजाइन्स दी हैं या नहीं। ऐसा ही मैंने मुरादाबाद के बारे में अर्ज किया। तो अगर हम देखने और समझने की कोशिश करें तो हमको इस बात की खुशी हो कि हां, हम काम कर रहे हैं। "हम" से मतलब "मैं" नहीं। मैं तो गवर्नमेंट में एक बहुत नाचीज हूं। अगर कोई अपने दिल में यह समझता है कि वह कुछ करता है तो वह गलती पर है। वह तो सिर्फ पब्लिक के कोआपरेशन से कर सकता है। मुझको खुशी है कि पब्लिक पूरा कोआपरेशन देती है और जो कुछ किया जा रहा है उसको एप्रिशिएट करती है इसलिए कि नामुमकिन है कि जिस को खुद फायदा पहुंच रहा हो वह उसको ऐप्रिशिएट न करे। हां, यह मैं मानूंगा कि जिसके घर में अभी चिराग न पहुंचा हो, वह तो यही कहेगा कि हुजूर, होगी कहीं रोशनी, मुझे तो दिखायी नहीं देती और मैं मानता हूं कि अभी बहुत से जिले हैं जहां अभी चिराग नहीं पहुंचा है। लेकिन अभी यह तो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "समथिंग इन दि मेकिंग" वह है। तो मैं यह दावा तो नहीं करता कि जो कुछ होना था वह खत्म हो गया। यह तो इन दि मेकिंग है और उसी तरीके से होगा जिस तरीके से दुनिया में किसी काम की तरक्की होती है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसके होते हुए हम लोगों के

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

अन्दर एक मायूसी क्यों पैदा करें और ऐसे खयालात का इजहार करें, जिनसे लोगों में यह खयाल पैदा हो कि यहां कुछ हो ही नहीं रहा है।

अब वक्त नहीं रहा है। मैं मेम्बरान का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत से साहबान ने बहुत से माकूल सजेशन्स दिये हैं जिन्हें हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने सुना है और मैंने भी सुना है और जहां तक मुमकिन होगा कम से कम वक्त के अन्दर जितनी ज्यादा से ज्यादा खिदमत यहां के लोगों की कर सकेंगे वह करेंगे और मैं समझता हूं कि वह वक्त अनकरीब है कि जब इन्डस्ट्रीज के मामले में भी आपका उत्तर प्रदेश आसमान पर बैठेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७ की धनराशि में १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--उद्योग--लेखा शीर्षक: ४३--उद्योग के अन्तर्गत ५,६९,२२,६०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६ की धनराशि में १ रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--औद्योगिक विकास--लेखा शीर्षक: ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २,७५,१३,४०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७*

शिक्षा उपमन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। यह हिन्दी के विद्वानों और कार्यकर्त्ताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। सन् १९१० में इसका जन्म हुआ। ५० में इसका एक अन्तिम सम्मेलन हुआ था। उसके बाद इस संस्था में पारस्परिक झगड़े खड़े हो गये, वादविवाद होने लगा और मुकदमे बाजी हुई। कार्य में दिक्कत पड़ गयी और इसलिए शासन ने यह विचार किया कि उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए कोई अधिनियम बनाया जाय। अतः सन् १९५६ में एक विधेयक आया और वह दोनों सदनों में विचार होने के बाद पास हुआ। नवम्बर, सन् १९५६ में विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई, और वह एक अधिनियम बन गया।

(इस समय ५ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

उस अधिनियम में यह प्राविधान था कि सम्मेलन का कार्य चलाने के लिए जब तक कोई स्थायी रूप से व्यवस्था हो उस समय के लिए एक अन्तरिम समिति बनायी जाय। उस समिति को यह अधिकार दिया गया कि वह एक नियमावली बनावे जिस के अनुसार उसका कार्य चले और प्रदेशीय सरकार से उस नियमावली पर स्वीकृत लेने के पश्चात् वह प्रारम्भिक चुनाव

*१४ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

करवा दे। इतना उसका काम था। सदन ने यह उचित समझा कि एक निर्धारित अवधि देनी चाहिए जिससे ऐसी गुंजाइश न हो कि वह समिति अपना कार्य समाप्त ही न करे और जो मंशा है वह पूरा न हो सके। इसलिए अधिनियम की धारा ११ में यह प्राविधान रखा गया कि यह समिति ४ महीने के अन्दर नियमावली बना दे और फिर शासन से स्वीकृति लेने के पश्चात् धारा १२ के प्राविधान के अनुसार ६ महीने के अन्दर-अन्दर चुनाव करा दे। श्रीमन्, जैसे ही यह अधिनियम बना वह अन्तरिम समिति फौरन ही बन गयी। जहां तक मुझे याद पड़ता है, २१ नवम्बर के करीब यह समिति बनी। जैसे ही यह समिति बनी, माननीय हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन हो गया और उसमें यह कहा गया कि यहां के विधायक मण्डल को यह अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार का कोई विधेयक पारित कर सके। वहां उस पर वैधानिक आपत्ति उठा दी गयी। माननीय हाई कोर्ट ने एक इंजंक्शन आर्डर नवम्बर के अन्त में यानी समिति के बनने के १०, १५ दिन बाद ही ईश्यू किया कि समिति अथवा प्रान्तीय सरकार इस अधिनियम के विषय में कोई कार्यवाही नहीं करेगी। दोनों पर वह इंजंक्शन था। प्रान्तीय सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी और समिति भी। श्रीमन्, यह रिट पिटीशन हाईकोर्ट के विचाराधीन रहा और अभी हाल ही में वह खारिज हो गया। धारा ११ के अधीन इस समिति को ४ मास का समय दिया गया था, वह तो व्यतीत हो गया। उस समय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रान्तीय सरकार भी, यद्यपि उसको अधिकार था, इस अधिनियम के अन्तर्गत कि वह उस अवधि को बढ़ा दे या इस तरह का आदेश प्रसारित करे कि इस इन्टरिम अवधि में काम चलता रहे, निषेध हो जाने से कुछ न कर सकी। जून में यह निषेध आ गया और उसके बाद कोई कार्य न हो सका। इसलिए एक अध्यादेश जून, १९५७ में प्रसारित किया गया जिसके अन्तर्गत इन अवधियों को बढ़ाया गया। श्रीमन्, जो विधेयक इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें देखा जाय तो केवल इन दो धाराओं का एक संशोधन है। एक तो धारा ११ में संशोधन है और एक धारा १२ का संशोधन है। जो ४ मास की अवधि है उसको चाहा गया है कि वह १२ मास की हो जाय। इस ४ मास की अवधि में यह लिखा हुआ है कि जिस रोज से यह समिति बने उसी रोज से इसको गिना जाय। नवम्बर में यह समिति बनी, आज उसको ८ मास हो चुके हैं, इसलिए ४ मास के अन्दर उसका काम समाप्त होने की कोई बात नहीं रही, उसे १२ मास किया गया है। इसके माने यह हैं कि ३ मास का समय उस समिति को काम करने के लिए दिया जाता है।

इसके बाद चुनाव की बात है जो धारा १२ में रखी गई है। उसमें रखा गया है कि ६ मास के अन्दर-अन्दर वह चुनाव करा दे। उसमें भी चाहा गया है कि १२ मास के अन्दर वह चुनाव हो जांय और अगर वह १२ मास के अन्दर न हो सकें तो यदि आवश्यकता हो और आवश्यक समझा जाय तो उसकी अवधि बढ़ा दी जाय। यह केवल दो बातें हैं जिनके कारण इस विधेयक को इस सदन के सामने लाना पड़ा। जो मंशा इस सदन में इस विधेयक को पारित करने की थी वह माननीय हाईकोर्ट के इंजंक्शन के कारण पूरी न हो सकी, उसको पूरा करने के लिये ही यह विधेयक प्रस्तुत है। माननीय पालीवाल जी ने कोई एक ऐसा संशोधन दिया है कि जिसमें वह चाहते हैं कि यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाय।

श्री अधिष्ठाता---मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी संशोधन पेश नहीं हुआ है, इस वास्ते उस पर कोई बात आप न कहें।

श्री कैलाशप्रकाश---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करूंगा। जब समय आयेगा, आवश्यक होगा तो निवेदन करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सदन स्वीकार करेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

एक ऐसी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो मूल अधिनियम में भी संशोधन कर सके। प्रवर समिति के समितियों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन को उन्हीं कारणों से प्रेरित होकर कर रहा हूं जिन कारणों के वशीभूत होकर मैंने मूल अधिनियम में भी संशोधन पेश किया था। जिस समय यह मूल अधिनियम यहां पर पेश किया गया था उस समय भी मैंने कहा था, जब यह मूल विधेयक यहां पर लाया गया था, कि इस तरह से सरकार की ओर से कानून बनाकर इन मामलों को तय करना जनतंत्रीय परम्परा के लिये अच्छा नहीं होगा। किसी सार्वजनिक संस्था में अगर आपस में मतभेद है या झगड़ा है तो उसको दूर करने के लिये.....

श्री कैलाशप्रकाश--मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। यह जो संशोधन पेश किया गया है इसमें यह भी लिखा हुआ है कि "जो मूल अधिनियम में भी संशोधन कर सके", तो कोई प्रवर समिति जब यह विधेयक उपस्थित हो वह मूल अधिनियम में भी संशोधन कर सके क्या इस तरीके का कोई प्रस्ताव नियमानुकूल हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि अभी हाल में इसके बारे मे रुलिंग हो चुकी है कि सदन को यह अधिकार है और इस प्रकार का वह डाइरेक्शन दे सकता है। मूल अधिनियम के बारे में अगर वह चाहे तो संशोधन कर सकती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं आपको इस व्यवस्था के लिये धन्यवाद देता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न माननीय मंत्रियों द्वारा मेरे ही संशोधन के सम्बन्ध में ३, ४ मर्तबा पहले उठाया जा चुका है और ३, ४ मर्तबा यह व्यवस्था हुई है कि मैंने जो संशोधन किया है वह व्यवस्था के अनुकूल है। मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री दी हुई व्यवस्था को भूल जाया करते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि उस समय भी मैंने दो आपत्तियां की थीं। मेरी पहली आपत्ति यह थी कि सिद्धान्त की दृष्टि से, स्वस्थ जनतंत्र परम्परा की दृष्टि से इसलिये अनुचित समझता हूं कि किसी सार्वजनिक संस्था की २ पार्टियों के आपस में जो झगड़ा है, दोनों में जो घरेलू झगड़ा है उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो जनतंत्रीय प्रणाली से यानी चुनाव के द्वारा दूर किया जाता है। अगर वह चुनाव द्वारा दूर न किया जाय तो देश में न्यायालय इसलिये स्थापित किये गये हैं कि व्यक्ति और संस्था के झगड़ों में न्याय न्यायालय करें। किसी सरकार के द्वारा ऐसे झगड़े को दूर करना मैं समझता हूं अनुचित है क्योंकि यह परम्परा कायम हो जाने पर इस बात का भय है कि हर एक राजनैतिक पार्टी किसी सार्वजनिक संस्था के आपस में झगड़ा होने पर अपने अल्पमत को बहुमत में और बहुमत को अल्पमत में लाने के लिये इस तरह के कानून लाकर प्रयत्न कर सकती है, जो सर्वथा अनुचित है। किसी भी सरकार के लिये यह अनुचित होगा कि यह परम्परा निश्चित हो। यह बात मैं सिद्धांत की दृष्टि से कहता हूं। इसलिये मैंने कहा कि मेरी आपत्ति सैद्धान्तिक है। मैं यह समझता हूं कि ऐसा करना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। ऐसा करना सार्वजनिक सदाचार के विरुद्ध है, ऐसा करना जीवन की शुचिता के विरुद्ध है।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से इस तरह के अधिनियम को बना कर आप झगड़े को दूर नहीं कर सकते हैं। उस समय मैंने यह खासतौर से कहा था और चेतावनी दी थी। मेरे पास यहां उस समय के दोनों दिनों की कार्यवाही मौजूद है—जिसमें मैंने चेतावनी दी थी कि इस तरह से झगड़ा दूर नहीं होगा। झगड़ा दूर करने का तरीका, जो हम और आप सब चाहते हैं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का झगड़ा दूर हो और वह फले फूले और पनपे, यह है कि जो झगड़े के कारण हैं उनको दूर किया जाय। यह एक

सर्वमान्य सिद्धान्त की सी बात है कि कोई भी सरकार अधिनियम बनाकर उस समय तक मलेरिया को दूर नहीं कर सकती जब तक कि उस गंदगी को दूर न करे जिसमें मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसी प्रकार यह रोग भी इस विधेयक द्वारा दूर नहीं किया जा सकता बल्कि उसके कारण आपको दूर करने होंगे। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि जनता को और सदस्यों के मन में इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इसके द्वारा किसी पार्टी विशेष को कब्जा दे दिया जायगा, उसके हाथ में इसको सौंप दिया जायगा। मैं यह मान भी लूं कि सरकार का उद्देश्य ऐसा नहीं है लेकिन सरकार जिस ढंग से यह काम कर रही है उससे यह आशंका पैदा होती है और सरकार की नियत पर संदेह होता है। सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव आल सस्पीशन्स। सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि किसी के मन में इस प्रकार का कोई संदेह भी न हो। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि सरकार को थोड़ा सा अपना तरीका बदलना चाहिये। सरकार या तो यहां की बातों को सुनकर झगड़े के कारण दूर कर दे लेकिन अगर यहां उसकी समझ में बात नहीं आती, जैसा कि अक्सर हुआ करता है, तो विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे और वहां आपस में बैठकर झगड़े के कारणों को दूर कर लें।

श्री अधिष्ठाता--माननीय पालीवाल जी, झगड़ा प्रवर समिति में कैसे दूर होगा ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--अधिष्ठाता महोदय, इस झगड़े की दो जड़ें हैं। एक तो यह है कि स्नातकों को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। स्नातकों के बारे में मैंने मूल अधिनियम में भी संशोधन उपस्थित किया था कि यदि आप स्नातकों को एक चौथाई प्रतिनिधित्व देने का विधान करदें तो कम से कम वे तो संतुष्ट हो जायेंगे। उस समय माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया था कि स्नातकों का उचित प्रतिनिधित्व न होना झगड़े की एक जड़ है। प्रवर समिति को सुपुर्द करने से आपस में विचार करके इस झगड़े की जड़ को दूर किया जा सकता है। आज भी मूल अधिनियम को ये संशोधित कर दें और स्नातकों को एक चौथाई प्रतिनिधित्व दे दिया जाय तो झगड़े की जड़ दूर हो जायगी। झगड़े की जड़ प्रवर समिति में जाकर दूर हो सकती है या सरकार यह आश्वासन ही दे दे कि आज शीघ्रता है इसलिये आज इसको इसी प्रकार से पास कर दिया जाय लेकिन थोड़े दिन बाद ऐसा संशोधन इस अधिनियम में लायेंगे जिसमें इस झगड़े की जड़ को दूर कर दिया जायगा। मेरा मंशा भी यही है कि यह २९ तारीख से पहले पास हो जाय। लेकिन अगर सरकार की मंशा सही है तो वह जनतांत्रिक ढंग से काम ले और मेरे संशोधन को वह मान ले और उसकी रिपोर्ट २८ तारीख के प्रातः काल तक आजाय। वहां १-२ घंटे आपस में बैठकर ऐसा कोई तरीका निकाल लें जिससे यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो जाय, तब ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि झगड़े की जड़ को दूर किये बिना, केवल अपनी संख्या के बल पर इस विधेयक को पास करा लेने से झगड़ा दूर नहीं हो सकता। यह कहा गया है कि सितम्बर हो जायगा तो देर हो जायगी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की बड़ी भारी हानि होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि इस विधेयक से झगड़ा दूर होने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि कारण को दूर कीजिये, लेकिन उस समय मेरी बात नहीं मानी, उसी का यह परिणाम है कि वह विधेयक जो बाद में अधिनियम बन गया, एक डेड लेटर होकर रह गया। २३ अगस्त को वह पास हुआ था और आज २६ अगस्त है। एक साल से भी तीन दिन ज्यादा हो गये हैं। सरकार के गलत तरीके की वजह से जल्दी में पास किया गया जिससे उसका उद्देश्य विफल हो गया। वह जल्दी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के झगड़े को दूर नहीं कर सकती। आज मैं फिर चेतावनी देता हूं कि चाहे आप अन्तरिम मंडल बना लें या स्थायी समिति बना लें, जो इसकी नियमावली को बनावे लेकिन अगर जनता के मन में या उस गिरोह के मन में जिससे इसका सम्बन्ध है, यह रहा कि सरकार की तरफ से अन्याय और पक्षपात किया गया है तो इससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भला नहीं होगा, हानि होगी। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अगर वह इतनी उच्च और पवित्र संस्था का हित करना चाहती है तो समझे और उस झगड़े की जड़ को यहीं दूर करें और आपस में सर्वसम्मति से इस

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

विधेयक को पास करें और हम सब लोग मिलकर वहां के झगड़े को दूर करें। बिना इसके झगड़ा किसी भी तरह से दूर नहीं हो सकता।

दूसरी बात मैं यह भी कहूं कि आज आशंका है कि एक पार्टी के हाथ में यह जा रहा है। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया है कि प्रवर समिति में जाकर झगड़ा कैसे दूर हो जायगा? यह मैंने बतलाया कि इसके दो कारण हैं, एक यह कि मूल अधिनियम में संशोधन करने से झगड़े के कारण दूर हो जायेंगे। झगड़े का दूसरा कारण यह है कि लोगों के मन में आशंका यह है कि इसमें एक नयी बात की जा रही है और जितने विश्वविद्यालय हैं उनके लिये जो विधान हैं वह यह है कि वे जिस तरह से चाहें उस तरह से अपने लिये नियमावाली आदि बनावें, लेकिन केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में यह नयी परिपाटी कायम की जा रही है कि सरकार एक अन्तरिम मंडल बनाना चाहती है जो उसकी नियमावली को बनावे। अन्तरिम मंडल जो नियमावली बनावेगा वह तो सदन के सामने आने की नहीं, हां सरकार के पास आवेगी। सरकार जो चाहे कर सकती है लेकिन इस बात की आशंका और सन्देह है कि सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में एक नयी रीति क्यों चला रही है। जिस तरह से और विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विधान सदन के सामने बन कर आये हैं तो फिर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विधान सदन के सामने क्यों नहीं आते, सरकार को इस शंका को दूर करना चाहिये। प्रवर समिति में जाने से ये सब आशंकायें दूर हो सकती हैं कि अन्तरिम मंडल की रचना में जो ११ सदस्य होंगे उनमें यह नहीं किया जायगा कि ऐसे सदस्य उसके बनाये जांय या नाम निर्दिष्ट कर दिये जांय और सरकार की ओर से ऐसे नियम बना दिये जांय जिनसे अल्पमत बहुमत पर कब्जा कर ले। ऐसी ही आशंकाओं को दूर करने के लिये प्रवर समिति में इस विधेयक का जाना आवश्यक है ताकि वहां पर सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके और यहां उसे सर्वसम्मति से पास किया जा सके। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह जनतांत्रिक ढंग से काम करे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसे आज प्रवर समिति में भेज दिया जाय और कल प्रवर समिति बैठकर इस पर विचार कर ले और परसों वह अपनी रिपोर्ट सुबह दे दे और उसी दिन सुबह संशोधित विधेयक ले लिया जाय और उसे सर्व सम्मति से पास कर दें तो एक स्वस्थ वातावरण प्रदेश में कायम करेंगे और बहुत सी आशंकाएं भी दूर हो जायेंगी। केवल मेरा यही कहना है कि सरकार अपने तरीके को बदले। मैं बतला चुका हूं और सरकार से भी कह देना चाहता हूं कि अड़ंगा डालने के ख्याल से यह चीज नहीं की जा रही है बल्कि सरकार जब एक गलत तरीका अपनाती तभी उसमें अड़ंगा लगता है, देर होती है और सरकार अपने उद्देश्य में विफल होती है। तो जब सरकार अजनतांत्रिक और गलत तरीके से काम लेकर जनतंत्र के विरुद्ध जाती है तभी देर होती है, अड़ंगा लगता है और काम नहीं होता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह जनतांत्रिक तरीके से काम करे और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करे, जिससे उसका अधिनियम बन सके। आलोचना करने पर सरकार की तरफ से बार-बार आरोप लगाया जाता है कि आप शल्यवाद से काम कर रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं शल्यबाद से काम नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे दुःख है कि शल्यवाद की जो उपमा दी जाती है और शल्यवाद की जो शिकायत की जाती है, उसे करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं वह बात हमारे ही प्रतिकूल तो नहीं पड़ती। शल्यवाद क्या था? यह कहा जाता है कि शल्य ने कर्ण का तेज हरण किया। जब कर्ण का तेज हरण कर लिया गया तब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। मैं समझता हूं कि आपका यह बतलाना कि इधर पांडव और अर्जुन हैं और उधर कौरव हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी उपमा आपके हित के प्रतिकूल पड़ती है जो आपको नहीं देनी चाहिये। आपको अपने को ही दुर्योधन और उसका साथी और कौरव नहीं बनाना चाहिये और उनके हित में यह नहीं है कि हम पांडव बने इसलिये यह उपमा सही नहीं है। हम कभी शल्यवाद से काम नहीं लेते हम अपने हित की बात नहीं कहते, कर्ण का तेज हरने का क्या कारण था?

वह था दुर्योधनी दुराग्रह। अगर सरकार चाहती है कि कर्ण का तेज हरण और वध न हो तो वह दुर्योधनी दुराग्रह से काम न ले और जनतांत्रिक तरीके से काम करे और जो समुचित बात पेश की जाय उसे मान कर ठीक कदम उठावे, यह नहीं कि संख्या के बल पर, बहुमत के बल पर राज्य हठ करे कि हम तो तय कर चुके हैं, हम पास करा सकते हैं, इसलिये नहीं सुनेंगे। मुझे आशा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे सुझाव पर ध्यान देंगे और अच्छी तरह से समझ कर इस मांग को स्वीकार करेंगे तो परसों तक सब ठीक हो जायगा और बहुमत से यह विधेयक स्वीकृत हो जायगा।

एक बात मैं और कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय कभी-कभी अक्सर धार्मिक बात भी कह देते हैं, अपनी भक्ति भी दिखला देते हैं। यह ठीक है कि "भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ" भवानी और शंकर जो हैं वह श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं और हम भी मानते हैं कि यह ठीक है। श्री गणेश जी भी भवानी शंकर के पुत्र हैं उनसे ही उनकी उत्पत्ति है और आज तक हिन्दू समाज में हर काम में "श्री गणेशायनमः" कहकर आरम्भ होता है लेकिन यहां यह जो श्रद्धा और विश्वास रूपी कांग्रेस के प्रति जनता के श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर ने यह मिनिस्टरों की मूर्तियां उत्पन्न की हैं और अब हमारे लिये "श्री गणेशायनमः" की जगह अब "श्री मिनिस्टराय नमः" हो गया है। एक बात भी साफ है कि मां बाप तक पहुंचे वे जो बड़े आदमी हो गये हैं। भवानी शंकर की वन्दना उधर के लोग करें लेकिन हमारा काम तो पुत्र से ही चल जाता है और हम तो श्री गणेशाय नमः ही कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम चरित मानस में संस्कृत की पहली वन्दना की है कि "भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ" और हिन्दी में उन्हीं की यह पहली वन्दना है कि "जेहि सुमरित सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभगुण सदन" अगर मंत्री जी होते तो मैं गोरे वदन कहता, वह बुद्धिराशि हैं मैं उन से यही कहता हूं कि इतनी अनुग्रह करें कि मेरे संशोधन को मान लें। मैं समझता हूं कि यह सरकार के, जनता के और हिन्दी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित में होगा। यह हो सकता है कि सरकार समिति का प्रतिवेदन २८ तक ही मांग ले, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा।

श्री रामलक्षण (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी जो संशोधन विधेयक उपस्थित किया गया है उस पर संशोधन उपस्थित करते हुए माननीय पालीवाल जी ने एक लम्बा चौड़ा भाषण दिया। उन्होंने अपने संशोधन का सब से प्रधान और बड़ा कारण यह बताया कि झगड़ा तय करने का यह तरीका नहीं है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह संशोधन विधेयक लाया गया है उससे झगड़ा तय नहीं हो सकता। मेरी समझ से तो अब झगड़ा तय हो चुका है और करीब-करीब खत्म हो चुका है, केवल यह थोड़ा सा संशोधन करके सब चीज ठीक हो सकती है लेकिन वह संशोधन में संशोधन पेश करके नया झगड़ा ही उपस्थित कर रहे हैं। अगर एक ही दिन के अन्दर प्रवरसमिति नियुक्त करके और इस पर बातचीत करके निपटारा किया जा सकता था तो मैं समझता हूं कि प्रवर समिति नियुक्त न करके और संशोधन पेश न करके क्यों नहीं ऐसा हो सका कि इस पर आपस में गौर कर लेते। इसको आपस में गौर कर सकते थे। माननीय पालीवाल जी हम लोगों के नेता हैं और श्री कमलापति जी या दूसरे लोग भी जिन्होंने इस बिल को उपस्थित किया है करीब-करीब एक ही डाल के हैं। एक ही जगह के हैं। कुछ मतभेदों से अलग-अलग से हैं। लेकिन इतना मतभेद मैं नहीं समझता कि जो लोग एकता का उपदेश जगत को देने का दावा करते हैं वह लोग आपस में बैठ कर के एक छोटी सी चीज का निर्णय नहीं कर सकते। भवानी शंकरौ वंदे, और श्री गणेशायनमः तथा धार्मिक बातों की भी चर्चा की गयी मेरी समझ में नहीं आया कि वह किस अर्थ में चीज उपस्थित हो गयी, कहां से उसका प्रसंग आ गया। जो चीज बीत चुकी उसका उत्तर नहीं दिया गया था और उत्तर देना आवश्यक था इसी कारण इसको उपस्थित किया गया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के झगड़े को मिटाने का सुझाव देते समय मैं आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो मूल प्रस्ताव उपस्थित किया गया है वह ज्यों का त्यों पास किया जाय।

[श्री रामलक्षण]

और प्रवर समिति नियुक्त करने की आज कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं होती । क्योंकि प्रवर समिति नियुक्त करने का कोई तुक नहीं, कारण नहीं । केवल झगड़े के लिए ऐसा कहा जाता है । झगड़ा तो करीब-करीब समाप्त हो चुका है । झगड़ा भी कुछ है नहीं केवल दो एक चीजें संशोधन के रूप में जो कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद उपस्थित की गयी हैं । इस वजह से मैं माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और जो मूल प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक हमारे देश की उस साहित्यिक संस्था से सम्बन्धित है जिसने सन् १९१० से लेकर १९५० तक हमारे देश की मातृ भाषा की अकथनीय सेवा की है । हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा और राज्य भाषा बनाने के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जो प्रयास किये हैं उनको इस प्रदेश की हिन्दी भाषा भाषी जनता सदैव स्मरण रखेगी ।

हमारी इस संस्था से देश के सभी बड़े-बड़े कर्णधारों और इस सरकार के मुख्य मंत्री जी का बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और इस नाते इस संस्था की प्रतिष्ठा और भी बढ़ी थी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि १९५० से इस संस्था में कुछ आपसी मतभेद पैदा हुए संस्था का काम बन्द हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और २३ अगस्त, १९५६ को एक अधिनियम इस सम्बन्ध में सरकार ने पास कराया । जिस समय यह अधिनियम पास हो रहा था उस समय मैं इस आदरणीय सदन का सदस्य नहीं था । लेकिन सदन के बाहर मेरी यह भावना थी कि सरकार अब साहित्यिक क्षेत्र में भी पदार्पण कर रही है और इस बात की चेष्टा कर रही है कि उन स्थानों पर जहां पर किसी प्रकार के आपसी झगड़े हों उससे फायदा उठाया जाय। आज जब मैंने उस संशोधन विधेयक को जो कि प्रस्तुत किया गया है देखा तो मालूम हुआ कि जिन उद्देश्यों को लेकर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में अधिनियम बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति में सरकार विफल रही और इसीलिए पुनः एक संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है । पहले इस बात की कोशिश की गयी थी कि चार महीनों के अन्दर हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य सुचारु रूप से चलने लग जायगा । लेकिन उस अधिनियम के पास हो जाने के बाद भी कार्य सुचारु रूप से नहीं चला बल्कि जिस तरह से आपस में दो दलों में झगड़ा था उसी तरह से.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय भगवती सिंह जी, इस समय सदन में कोरम नहीं है । आप कृपया बैठ जायं ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर पुनः कार्यवाही आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अब अपना भाषण शुरू करें ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि १९५६ में जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन पुनस्संघटन विधेयक पास किया गया उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायी और आज उसके परिणाम स्वरूप यह फिर से एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है । मैं माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वह उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। वह इसलिये कि जिस समय २३ अगस्त, १९५६ को हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पास किया गया था उस समय हमारे देश में भाषा के सम्बन्ध में कोई विशेष मतभेद नहीं था। लेकिन आज हमारे देश में भाषा के सम्बन्ध में काफी मतभेद पैदा हो गया है। यदि हम, जैसा कि यह संशोधन विधेयक है, उसी रूप में उसे स्वीकार कर लें तो जिस समय हमारे तमाम देशवासी इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों

को पढ़ेंगे तो उन्हें बड़ी निराशा होगी । अन्य भाषाभाषी भाइयों को भी इससे बड़ी निराशा होगी क्योंकि देश की राष्ट्रभाषा की वह संस्था जिसने कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा बनाने के लिए हिन्दी को इतना आगे बढ़ाया उसी संस्था में इस बात की गुंजाइश नहीं रखी गई है कि विदेशी भाषाओं की ओर देशी भाषाओं के उन मौलिक साहित्यों को अनुदित करके हिन्दी साहित्य सम्मेलन अपने यहां संग्रहीत करे । मैं यह समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भाषा के भंडार को बढ़ाने के लिए दूसरी भाषाओं से मौलिक साहित्य का अनुवाद करायें । अगर आप उद्देश्यों को देखें तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों में हिन्दी साहित्य का सृजन तो रखा गया है, हिन्दी साहित्य के भंडार को बढ़ाने का भी उद्देश्य रखा गया है लेकिन इस बात की गुंजाइश नहीं रखी गई है कि हम विदेशी साहित्य को, विदेशी भाषाओं और देश की अन्य भाषाओं के साहित्य को जो कि हमारे लिए आधारभूत हैं, जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं, उसको हम अनूदित करा सकें और हिन्दी साहित्य सम्मेलन उसमें कुछ हिस्सा ले सके । इसके साथ ही साथ सरकार ने इस बात का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वह अन्तरिम मंडल बनायेगी और अन्तरिम मंडल एक नियमावली बनायेगा और वह नियमावली सरकार के पास भेज दी जायगी । मैं समझता हूं कि जिस साहित्य सम्मेलन का प्रदेश के समस्त हिन्दी भाषा-भाषी जनता से सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में इस तरह का अधिकार सरकार लेने की चेष्टा क्यों कर रही है, सरकार के लिए यह उचित था कि, और माननीय मंत्री जी के लिये यह बात शोभा देती थी, वह अन्तरिम मंडल का नाम घोषित कर देते और उसके साथ-साथ नियमावली बना कर जिस समय पहला विधेयक प्रस्तुत हुआ था और अधिनियम बन रहा था उसी समय उसे प्रस्तुत कर देना चाहिये था । लेकिन आज ४ महीने के अन्दर न अन्तरिम मंडल बन सका और अगर बन सका तो नियमावली तैयार नहीं हो सकी, इसलिये इस बात की आवश्यकता थी कि सरकार अन्तरिम मंडल की घोषणा करती और उसके साथ-साथ नियमावली सदन के सामने प्रस्तुत करती । सदन उस पर विचार करता और विचार करने के बाद हम जैसी नियमावली उचित समझते उसको बनाते और उसको लागू करते ।

श्रीमन, मूल अधिनियम और संशोधन विधेयक दोनों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातकों के प्रतिनिधित्व का कहीं जिक्र नहीं है । जितने यूनिवार्सिटियों के सम्बन्ध में यहां पर कानून बने हैं उनमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि वहां की यूनीवर्सिटियों के स्नातकों को उसकी व्यवस्था में कुछ न कुछ प्रतिनिधित्य मिलेगा । हमारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन दो काम करता है । एक तरफ तो साहित्य का सृजन करता है । साहित्यकों को आगे बढ़ाने का काम, सनातन साहित्यकों द्वारा बने हुए साहित्य के प्रकाशन करने का काम और दूसरी तरफ वह एक विश्वविद्यालय के रूप में काम भी करता है । विश्वविद्यालय के रूप में हिन्दी साहित्य रत्न, हिन्दी विशारद, हिन्दी प्रथमा की परीक्षाओं से इस प्रदेश और देश के करोड़ों लोगों को इस बात के लिये उत्साहित करता है कि वे भी हिन्दी में इस तरह की परीक्षायें दें । इसलिये आज इस बात की आवश्यकता थी जब यह संशोधन विधेयक लाया गया था तो फिर से उन स्नातकों के रिप्रेजेंटेशन की, उनके प्रतिनिधित्व की भी कोई न कोई चर्चा की गई होती। मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने संशोधन विधेयक में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस पूरे संशोधन विधेयक पर ही न विचार किया जाय बल्कि इससे पहले जो अधिनियम पास हो चुका है उस पर भी विचार किया जाय ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से और इस सरकार से कुछ शिकायत करना चाहता हूं और वह यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सम्बन्ध में जब-जब यहां कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया तो वह ऐसे ही समय में प्रस्तुत किया गया जब या तो अध्यक्ष महोदय, या उपाध्यक्ष महोदय या अधिष्ठाता महोदय को इस बात की चेष्टा करनी पड़ी कि सदन में आकर सदस्यगण बैठें । आप पिछले समय की कार्यवाहियों को देखें तो एक हेपहेजर्ड वे में इसी तरीके से इस विधेयक को पास कराने की कोशिश की गई और आज भी इस बात की कोशिश की जा रही है । जिस तरीके से हम समय बढा कर आज २६ अगस्त को यहां पर बैठ सकते हैं उसी

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

तरह से पहले भी इस सदन में बैठ करके इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकते थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने इस बात की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। मैं समझता हूं कि जल्दी की जरूरत नहीं है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो दो दलों में दलबन्दी है उसमें इस सरकार को पड़ने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं कि न माननीय मंत्री जी पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से कार्यवाहियां हो रही हैं उन्हें देखकर घूमफिर कर मैं यह कहने के लिए विवश हूंगा कि सरकार और मंत्री जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो पार्टीबन्दी है उसमें किसी न किसी ओर खिंचते जा रहे हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे पालीवाल जी के संशोधन को स्वीकार कर लें और न केवल इस संशोधन विधेयक पर ही विचार करें, बल्कि मूल अधिनियम पर भी विचार करें क्योंकि इस प्रकार वे देश और प्रदेश के हिन्दी भाषा भाषियों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सम्मेलन में पुनःसंघटन हेतु संशोधन विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं उस का समर्थन करने के लिए आपके सामन उपस्थित हुआ हूं। इसमें एक संशोधन को प्रस्तुत करते हुए हमारे पूज्य बुजुर्ग और पुराने नेता माननीय पालीवाल जी ने जो उसमें एक सुझाव पेश किया है कि उसके लिए एक प्रवर समिति बना दी जाय, मैं यह समझता हूं कि किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसे लम्बा करने के लिए प्रवर समिति नियुक्ति करने का तरीका हुआ करता है। जब आपके सामने एक पुनःसंघटन विधेयक है, उस संशोधन की स्पष्ट मंशा है कि आप अपने प्रदेश में हिन्दी भाषा का अच्छी तरह से प्रचार करें, हिन्दी भाषा के लिए जितना भी प्रयत्न हो सके वह साहित्य सम्मेलन द्वारा करने के लिए प्रयत्न करें।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री भगवतीसिंह जी ने अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विधेयक तभी प्रस्तुत किया जाता है जब सदन में कोरम नहीं रहता है, कभी लोग इधर उधर उठ जाते हैं। मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जिस समय अभी यह अनुदान प्रस्तुत हो रहा था और आधे घंटे का समय बढ़ाने की मांग पेश की गयी थी उस समय हमारे माननीय सदस्य जो आज इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए समय के अभाव की बात कह रहे हैं, वह उस समय कहां गये हुये थे? मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक का जो मूल प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है, उसे बगैर किसी संशोधन के पास किया जाय।

हर संस्था का नियम होता है, हर संस्था का कायदा है कि वह अपना चुनाव अपने ढंग से करती है और इसीलिए इस विधेयक को आप तुरन्त पास करें किसी प्रकार भी प्रवर समिति के सुपुर्द इस संशोधन को करने की आवश्यकता नहीं है न किसी तरह से उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करना ही चाहिये।

मैं आज इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय पालीवाल जी ने कौरव भी कहा, पांडव भी "भवानी शंकरी बन्दे" और गणेश जी की बन्दना की बात कही। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी अपना अनुभव कह रहे हैं और कभी कौरव अपने को कहते हैं, कभी दूसरों को कौरव कहते हैं, कभी किसी के लिए कुछ। जहां तक हिन्दी साहित्य से संबन्ध है, हम यह समझते हैं कि श्री पालीवाल जी के चरणों में बैठकर हमने हिन्दी साहित्य की सेवा की है, आज भी हमारा इसी प्रकार से हिन्दी साहित्य की सेवा करने का विचार है जिस प्रकार से श्री पालीवाल जी को हिन्दी साहित्य की सेवा करने का विचार है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसी स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ साहित्य सम्मेलन का चुनाव हो, उस पर विचार किया जाय, उन्हें अपने ढंग से अपना काम करने का पूर्ण अधिकार हो।

इन थोड़े से शब्दों के साथ में मूल विधेयक के संशोधन के रूप में जो पुनःसंगठन विधेयक शिक्षा मंत्री महोदय ने पेश किया है, अधिष्ठाता महोदय, समर्थन करता हूं और जिस संशोधन को पूज्य पालीवाल जी ने प्रस्तुत किया है प्रवर समिति बनाने का एक सुझाव दिया है, उसका विरोध करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि पालीवाल जी अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें इस सम्बन्ध में इन भाषणों के सुनने के बाद स्मरण आया किसी लेखक की एक बात का, उसमें एक दार्शनिक तत्व है। उसने कहा कि दुनियाँ में जब मनुष्य पैदा हुआ, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले कौन आया ? एक ने बताया कि सबसे पहले क्लर्जीमैन आया, दूसरे ने बताया कि सबसे पहले डाक्टर आया। तीसरे ने कहा कि वैज्ञानिक, (साइंटिस्ट) पहले आया। चौथे ने कहा कि राजनीतिज्ञ आया। उसमें उन लोगों में से क्लर्जीमैन ने कहा कि जब मानव सृष्टि बनी तो मनुष्य की आत्मा को ठीक करने के लिए सुधारने के लिए आवश्यकता थी कि एक क्लर्जीमैन हो, इसलिये सृष्टि जब बनी होगी तो सबसे पहले clergyman आया। डाक्टर ने कहा कि नहीं, जरूरी था कि मनुष्य जब बने तो उसके शरीर की रक्षा के लिए एक डाक्टर हो इसलिए सृष्टि जब बनी होगी तो सब से पहले डाक्टर की जरूरत थी, इसलिये डाक्टर पहले आया। इसके बाद साइंटिस्ट ने तर्क दिया कि दुनियां में गड़बड़ी थी इसलिये साइंटिस्ट ने व्यवस्था ठीक की। इसके बाद राजनीतिज्ञ ने कहा कि पहले "कैओस" chaos की हालत थी इसलिये उसको पैदा करने के लिये राजनीतिज्ञ आया होगा। मैं इस उदाहरण द्वारा यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह कितना निर्दोष विधेयक है इसमें भी राजनीति की बात लाई गई। यहां केवल दो ही अधिकारों की बात है। एक तो यह कि बोर्ड नियमावली बनायेगा और दूसरी यह की छै महीने में चुनाव करा लेंगे। यहां इसके सिवाय और कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। दोनों पक्षों के बारे में कौरव पांडव की बात कही गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि हर चीज में हम राजनीति को देखने लगते हैं। पालीवाल जी एक वयोवृद्ध नेता हैं और उनके कटौती के प्रस्ताव से मुझे आश्चर्य हुआ।

श्री अधिष्ठाता---कटौती का तो कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मुझे इस संशोधन से बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शायद उन्होंने एक औपचारिक ढंग से इसे प्रस्तुत कर दिया होगा। लेकिन उनके मन में तो यही होगा कि यह खूब फले फूले क्योंकि वह भी इसके पोषक हैं। उन्होंने कौरव, पांडव की बात कही और शल्यवाद की बात कही अगर यह कहा जाय कि एक शेर है और उसके सब अंगों की तुलना मनुष्य से की जाय तो यह बड़ी वैसी बात होगी। इसी संबंध में तुलसीदास की वंदना की चर्चा भी की गई। मुझे एक चौपाई याद आती है कि "जे बिन काज दाहिने बायें"। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा निर्दोश विधेयक आया है। यह इसलिये आया है कि कानूनी दिक्कतों की वजह से समय बढ़ता रहा है। १२ में एक वर्ष की अवधि मांगी गई है और इसके सिवाय विवाद का कोई प्रश्न नहीं है, उसमें यह संशोधन हो गया। इसलिये आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थायें जो बिल्कुल विशुद्ध हैं जिसमें राष्ट्रभाषा की प्रगति का प्रश्न है इसमें इस तरह की बातें लेकर राजनीतिक दाव पेंच लगाकर सदन का समय लगाना उत्तम नहीं होगा। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय पालीवाल जी के संशोधन का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन बना था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितनी सेवा इसने हिन्दी भाषा की की है,

[श्री गौरीशंकर राय]

बावजूद आपके प्रयासों के कोई संस्था उतनी सेवा नहीं कर सकी है। देश के बड़े-बड़े विद्वानों ने इसको बनाया था और आज भी सबकी इसमें दिलचस्पी है। आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों से इस में राजनीति का प्रवेश हुआ है तब से यह साहित्यिक संस्था नहीं रही है। आप काशी के रहने वाले हैं। आप जानते हैं कि कितनी मुकद्दमेबाजी इसमें चली। बड़े दुख की बात है कि इसमें पार्टीबाजी के पीछे बड़े-बड़े व्यक्तित्व लगे हुये हैं और इनके प्रभाव से आप मुझे यह कहने की इजाजत दें कि सरकार समय-समय पर इस प्रकार का विधेयक पास करने का प्रयास करती है। यह गैरसरकारी संस्था थी। क्या यह सम्भव नहीं था कि इस प्रजातांत्रिक युग में इसके सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई विधेयक प्रस्तुत न करके यह प्रयास किया गया होता कि देश के जितने विद्वान् हैं वे सब मिल कर इस बात पर विचार करें कि जिन सिद्धांतों को लेकर यह संस्था बनी थी उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जो समस्यायें आज उत्पन्न हो गयी हैं उनका समाधान ढूंढें? लेकिन आज कानूनी तरीके अख्तियार किये जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कानून के जरिये एक किसी दल विशेष को बराबर कायम रखना या कोई ऐसा रास्ता बना देना कि जिससे सरकार की कृपा से ही किसी का बहुमत रह सकता है, कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं स्वयं जानता हूं कि उधर बैठे हुये मित्रों को ये बातें मालूम हैं जिनका हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सम्बन्ध रहा है। माननीय पालीवाल जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पहले साहित्य रत्नों में से हैं और जो इसके बनाने वाले लोग थे उनमें से भी एक हैं। जिसको भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन से बिना किसी निराग्रही बुद्धि से ममता है वह चाहेगा कि इसमें इस तरह की पार्टीबाजी न घुसेड़ी जाय। इसका समर्थन करने के लिये कितने ही मित्र यहां खड़े होते हैं लेकिन चूंकि वे सरकारी पक्ष में बैठे हुये हैंइसलिये ऐसी बात करते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब मैंने बात की है तो वेअवश्य सम्मेलन में राजनीति आने का विरोध करते हैं। तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें इस प्रकार का प्रयास होना चाहिये और अगर यह आवश्यक है कि यह सदन कोई विधेयक लाये तब तो मैं पालीवाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं वरना मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी इसको वापस लें और इस प्रकार का प्रयास करें कि देश के सब विद्वान् मिल कर कोई ऐसा मार्ग निकालें जो गैर-सरकारी तरीकों से और बिना किसी राजनीति को लाये हुये इस समस्या का समाधान कर सकें और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उत्थान में योग दे सकें।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन पेश किया है उसके विषय में मुझे यही निवेदन करना है कि पालीवाल जी की मुझको बहुत इज्जत है। उनके साथ रह कर मैंने बहुत कुछ सीखा। साहित्य की ही उन्होंने सेवा की है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उनका सम्बन्ध भी रहा है। आज चाहे वे उस ओर बैठे हों किन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिन्दी भाषा की उन्नति के लिये उन्होंने कार्य किया है और करते रहे हैं। इन सब बातों के देखते हुये इच्छा यही रहती है कि जो भी सुझाव वे दें उसको मानना ही चाहिये। तो गौर के साथ मैंने उनके वे सब तर्क सुने जो उन्होंने अपना संशोधन पेश करते हुये दिये। किन्तु मुझे उन सबको सुनने के बाद भी यह आवश्यक जान नहीं पड़ता कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय। जैसा मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, वे सब बातें जो माननीय पालीवाल जी ने अथवा अन्य साथियों ने कहीं हैं वे तो जिस समय मूल विधेयक पर इस आदरणीय सदन में विचार हो रहा था तब भी उपस्थित थीं। उसके पारित होने के पश्चात् अभी तक उस अधिनियम पर कोई कार्यवाही हो ही नहीं पायी माननीय हाई कोर्ट के इंजंकशन के कारण। इसलिये उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती और वह है भी नहीं। एक बात तो यह समझी जा सकती थी कि एक अधियिम बना है, उस पर कोई काम हुआ है और अनुभव इस बात को बताता है कि वह काम ठीक नहीं है, उसमें

कोई तब्दीली करने की जरूरत है तो वह किया जाय। किन्तु इस अधिनियम पर कोई काम नहीं हो पाया है। जैसे ही वह अन्तरिम समिति बनी वैसे ही वह बन्द कर दी गई और वह काम नहीं कर पाई। श्रीमन्, बात यह कही गयी कि आपसी झगड़ों को तय करने का यह कोई तरीका नहीं है। सही बात है कि आपसी झगड़े आपस में विचार विनियम करके जितने सही तरीके से तय हो सकते हैं उतना कोई कानून बनाकर नहीं हो सकते। मैं शुरू में निवेदन कर चुका हूं कि इस सम्मेलन का जो अन्तिम अधिवेशन हुआ वह सन् १९५० में हुआ और उसके बाद आपस में इतने झगड़े बढ़ गये कि लगातार ५ वर्ष तक झगड़े होते रहे, श्रीमन्, एक संस्था जिसका अपना स्थान है और जो महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और हिन्दी भाषा की सेवा कर रही है जिसकी न प्रदेश बल्कि समस्त देश को आवश्यकता है उसमें एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि पांच साल तक झगड़े पड़े रहें तो मैं यह अवश्य समझूंगा कि जिन लोगों को हिन्दी से स्नेह है उनको दुख जरूर हुआ होगा। उन्होंने इस बात का प्रयास भी अवश्य किया होगा कि वह झगड़े समाप्त हों किन्तु परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि झगड़े तय नहीं हो पाते तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। इस अधिनियम के द्वारा किसी झगड़े में पड़ने का विचार नहीं है। एक मित्र ने कहा कि किसी दल विशेष को प्रोत्साहन देने के लिये सब कार्यवाही की गई है। उनको तो इस बात की स्वतंत्रता है और अधिकार भी है कि वे ऐसा समझें किन्तु इसमें संदेह करने की लेशमात्र गुंजाइश नहीं है। हां, एक बात है कि एक सार्वजनिक संस्था जिसका महत्वपूर्ण कार्य है जिससे जनहित होता है उसको झगड़े में पड़े रहने नहीं दे सकते कि कोई दल आपस में लड़ते रहें या किसी के दिल में आवे इसमें वितंडा खड़ा करते रहें वह काम नहीं करने दे सकेंगे। यदि किसी सार्वजनिक संस्था में ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय तो क्या किया जाय? आज यह बात कही जाती है कि यह बात जनसाधारण के अधिकारों पर कोई अच्छा प्रभाव डालने वाली नहीं है। जो हमारी जानकारी है और जिस बात से हम प्रभावित हुये हैं वह वास्तव में यह रही है और जनहित के कारण इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है।

मेरे मित्र भगवतीसिंह जी ने एक बात कही कि वह समिति बनने नहीं पायी। इस अधिनियम के पारित होने के बाद ही माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति मिलते ही २१ नवम्बर को गजट में इसका विज्ञापन हुआ और अंतरिम समिति का निर्माण गजट में प्रकाशित कर दिया गया। समिति बन गयी थी और सरकार की इच्छा थी कि इसमें देरी न लगे। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार को कोई अधिकार इसमें है तो यही है कि अंतरिम समिति बनावे और वह समिति भी ६ महीने के अन्दर अपने को समाप्त कर दे व्यवस्था बनाकर, केवल इतनी सी बात है। फिर तो जैसा अधिनियम में भी है चुनाव उसमें होने ही वाले हैं और वह स्थिति आज है। इसलिये इन चीजों के होते हुये मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह समझता था कि यह ऐसा इन्नोसेंट विधेयक है जिस पर सम्भवतः चर्चा भी नहीं होगी। कोई आब्जेक्शन भी नहीं होगा और उसमें ज्यादा पड़ता भी नहीं हूं क्योंकि मैं जैसा निवेदन कर चुका हूं कि सब बातों पर आदरणीय सदन ने विचार कर लिया है और उसको पारित किया है। उसके पारित करने के समय जो मंशा थी उसी मंशा को पूरित करने के लिये यह विधेयक उपस्थित है।

श्री भगवती सिंह विशारद—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन से संबंधित है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन हमारी राष्ट्र व्यापी संस्था है। उसका सम्बन्ध हिन्दी से है जो हमारी राष्ट्रभाषा है। क्या इस आदरणीय सदन को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में और ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसका सम्बन्ध सारे देश से हो उसके सम्बन्ध में कोई इस तरह का कानून बना सकती है? यदि बना सकती है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी संविधान की धारा है जिसके अन्तर्गत इस तरह का कानून प्रस्तुत किया जा रहा है?

श्री अधिष्ठाता--यह प्रश्न माननीय सदस्य को कई वर्ष पहले उठाना चाहिये था जबकि यह मूल अधिनियम सदन के सामने आया था। जब इसका मूल अधिनियम यहां से पास हो चुका है तो उसका अमेंडिंग बिल तो आ ही सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--मुझे जब यहां आने का अवसर मिला है तभी तो यह प्रश्न मैंने उठाया।

श्री अधिष्ठाता--मैं अपनी रूलिंग दे चुका। इसके बारे में विवाद नहीं चाहता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ एक ऐसी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो मूल अधिनियम में भी संशोधन कर सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--६,
विपक्ष में--४२।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनः संघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर जैसा कि वह विधान परिषद् से पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६,१९५६ की धारा ११ का संशोधन।

२--हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है।) की धारा ११ की उपधारा (१) में--

(१) अंक "४" के स्थान पर अंक "१२" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय; तथा

(२) शब्द "अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर" तथा तत्पश्चात् आने वाले शब्द "धारा ७ में विनिर्दिष्ट" के बीच में शब्द "अथवा ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य-सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अधिष्ठाता जी, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में अंक "१२" के स्थान पर अंक "८" रख दिया जाय।

श्री कैलाश प्रकाश--यह संशोधन मुझे नहीं मिल पाया है।

श्री अधिष्ठाता--एजेन्डे में २२ वें सफे पर छपा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा मंशा इस संशोधन को लाने से असल में विधेयक का विरोध करना है। मैं जानता हूं कि इसका यहां स्वीकार होना असम्भव है। मेरी आपत्ति के बारे में यह कहा गया कि पहले यह सदन अधिनियम स्वीकार कर चुका है, तब से अब तक कोई नई बात नहीं हुई है, इसलिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करके फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नम्र निवेदन है कि इसके

बाद अध्यादेश का जारी किया जाना, या रिट हाई कोर्ट में जाना, इस संशोधन का यहां आना, ये तीन तहरीरी प्रमाण ऐसे हैं जो उस अधिनियम के पास होने के बाद की बातें हैं। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस संशोधन से झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है।

यह जो कहा गया कि इस संशोधन में राजनीति हम देखते हैं, तो मेरी यह आदत है कि मैं कोशिश यह करता हूं कि विवाद में कटुता न आवे। मैं कोशिश यह करता हूं कि विवाद केवल विषय के ही संबंध में हो, इधर-उधर की बातें उसमें न कही जावें, लेकिन हमारे यह प्रयत्न करने पर भी दूसरी ओर से ये बातें आती ही हैं तो मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--किसी ने आपके व्यक्तित्व पर हमला नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी नहीं, लेकिन मैं कर जोड़कर उन सदस्यों से यह प्रार्थना करता हूं कि हमारे तर्क तुणीर में भी तीखे तीर हैं हम भी विषैले वाक्य वाणों की वर्षा कर सकते हैं हम भी शब्द शर सन्धान करना जानते हैं उधर धनुर्धर हैं तो इधर भी पिनाक और गांडीव धारी हैं। बौछार मिलेगी, शरसंधान मिलेगा वरना गालिब के शब्दों में "कोई बात है जो चुप हूं मैं, वरना क्या बात कहनी नहीं आती"। लेकिन मेरी प्रार्थना का कोई असर उधर होता नहीं है। कुछ लोग तो खड़े हो ही जाते हैं जो विरोधी दल की नीयत पर आपत्ति कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि यह बात न हो तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता--अगर कोई नीयत का सवाल होता तो मैं फौरन उसे रोक देता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं अध्यक्ष महोदय से भी यह प्रार्थना कर चुका हूं और आपसे भी करता हूं कि जो कुछ कहा गया वह अनपार्लियामेंटरी नहीं था और इसलिये आपने उसे नहीं रोका। मेरी आपत्ति यह नहीं है कि कुछ अनपार्लियामेन्टरी कहा गया।

मेरी आपत्ति यह है कि ऐसी बात कही गयी जो अनपार्लियामेंटरी तो नहीं थी लेकिन जैसा वादविवाद का स्तर होना चाहिये था, वह नहीं था, वह शोभनीय नहीं था। मैं चाहता था कि उसको उच्चस्तर या और शोभनीय रक्खा जाता, उसके अनुकूल ही रक्खा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। इसलिये मैंने इस तरह की बातों को, जिनको कहने से आप मुझे रोक नहीं सकते हैं, कहने से गुरेज किया है। जो बातें अनपार्लियामेंटरी नहीं हैं उनको कहने से न तो आप मुझे ही रोक सकते हैं और न उधर लोगों को ही रोक सकते हैं लेकिन अगर आपस में इस बात को लेकर चलें कि ऐसा नहीं करना है तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने तो केवल एक सिद्धांत की बात कही, इस सरकार के लिये ही नहीं बल्कि सब सरकारों के लिये कही चाहे वह किसी भी दल की सरकार क्यों न हो। अगर हमारे दल की सरकार भी कायम होती है तो उसको भी स्वस्थ परम्परा कायम करनी चाहिये क्योंकि सार्वजनिक संस्थाओं में झगड़ा हो ही सकता है। दूसरा दल बड़ा हो तब भी झगड़ा हो सकता है। लेकिन अगर सत्ताधारी दल यह चाहता है कि उस सार्वजनिक संस्था पर कब्जा करना है तो उसके लिये अपने दल को प्रेरित कर सकता है कि झगड़ा करो, हाईकोर्ट में जाओ और वहां भीतर जाओ और रिसीवर नियुक्त कराने पर भी कामयाब न हो तो हम अधिनियम बना देंगे और सत्ता तुमको सौंप देंगे। इसमें खतरे की कुल बात केवल यही है कि इसमें सत्ताधारी दल ऐसा कर सकता है। पार्टी चाहे किसी की हो, मैं तो सिद्धांत की बात कह रहा हूं और यही मैंने पहले भी कही थी, सार्वजनिक जीवन की शुद्धता की बात कह रहा हूं कि सरकार इस पर विचार करे लेकिन फिर भी अगर वह अपने उस कार्य को उचित समझती है तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर वह समझते हैं कि अधिनियम यहां पास करा के रहेंगे तो इससे झगड़ा तय नहीं हो सकता है। आपको अधिनियम बनाये हुये साल भर हो गया लेकिन झगड़ा तय नहीं हुआ। संत विनोबा और

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

महात्मा गांधी जी की दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे उधर के साथी भी महात्मा गांधी और संत विनोबा भावे की बातों की उपेक्षा न करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंसात्मक युद्ध के जरिये से कोई मसला हल नहीं हो सकता। और संत विनोबा का कहना है कि अगर जनता की सहमति न हो तो कानून के जरिये से कोई भी संसार का मसला हल नहीं हो सकता। इसलिये विनोबा जी भू-दान करा रहे हैं, ग्रामदान करा रहे हैं और इसमें सरकार की सहायता नहीं ले रहे हैं। इसी परम्परा के अनुकूल मैं यह बात कह रहा हूं कि किसी सत्ताधारी दल या पार्टी के लिये किसी सार्वजनिक संस्था के लिये इस तरह का कानून लाना और बहुमत को अल्पमत में लाने का प्रयत्न करना, सरकार की नीयत पर शुबहे का कारण हो सकता है कि सरकार अपनी पार्टी के बहुमत को बनाने के लिये यह बात कर रही है। सरकार इस बात पर सोचे और यदि करना चाहे तो कर ले। मैं तो केवल स्वस्थ परम्पराओं की बात कह रहा हूं। इतनी बात तो स्पष्ट ही है कि सरकार जितनी भी इस प्रकार की गलतियां करेगी वह हमारे हित में ही है। उतना ही लोकमत उसके विरुद्ध होगा। इसलिये सरकार ऐसा करती है और राज्य हठ में रहती है तो शौक से रहे लेकिन मैं यह चेतावनी देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं और इसलिये कहता हूं और सब पार्टियों की सरकारों के लिये कहता हूं और सिद्धांत की बात कहता हूं कि यह उचित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिये प्रजातांत्रिक ढंग से कोशिश की जाय। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है और अपनी संख्या के बल पर उसको करना ही चाहती है तो मुझे इसके अतिरिक्त कुछ कहना नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के विषय में भी मुझे खेद है कि इस चीज को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। स्वयं पालीवाल जी कह चुके हैं कि इस संशोधन के कारण, अगर यह स्वीकार हो जाय तो जिस मंशा से यह विधेयक लाया गया है वह फौत हो जाता है। इसलिये वे स्वयं भी इस बात को जानते हैं और उन्होंने कह भी दिया कि यह स्वीकार नहीं होगा। मैं बार-बार उस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूं। यह बात बिल्कुल सही है कि पारस्परिक झगड़े अगर किसी भी संस्था में उत्पन्न हो जायं तो उनको निबटाने का सब से अच्छा तरीका यह है जो पूज्य गांधी जी ने बतलाया है और आज विनोबा जी बतलाते हैं। इससे कोई इन्कारी नहीं है और जैसा मैंने कहा कि कोई झगड़ा निबटाने के लिये यह कोई अधिनियम बना भी नहीं था। प्रश्न यह है कि अगर आज आपस के झगड़े के कारण किसी सार्वजनिक संस्था का गला घोंटा जा रहा हो तो जनता की सरकार का यह कर्त्तव्य है या नहीं कि उस संस्था को जीवित रहने दे? तो उस संस्था को जीवित रहने देने के लिये ही यह अधिनियम पारित किया गया था और अब इस विधेयक को लाया गया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं और फिर से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी दल विशेष को प्रोत्साहन देने के लिये या अपनी पार्टी को प्रोत्साहन देने के लिये यह विधेयक नहीं है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। वैसे पालीवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही और सिद्धांत की बात है कि शासन के ऊपर किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिये। लेकिन आशंका तो काल्पनिक है, उसकी वास्तविकता तो है नहीं। फिर कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति और हर दल, हर दल के साथ इस बात की चेष्टा करता है और पूरा प्रयत्न करता है कि उस पर किसी तरह की आशंका न की जाय। फिर भी कर्त्तव्य है, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उस कर्त्तव्य को पूरा करना पड़ता है और उसी कर्त्तव्य से प्रेरित होकर ज्यादा समय लेकर मैंने निवेदन किया था कि जब से वह अधिनियम बना है तब से कोई खास बात नहीं हुई है, इसलिये उसे प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

माननीय पालीवाल जी ने दो-तीन बातें बतलायीं, रिट, उसके बाद अध्यादेश और उसके बाद यह विधेयक लाया गया है।

श्रीमन्, कहने का मतलब यह है जैसा मैंने कहा कि जिस परिस्थिति में विधेयक की बात की गयी है, उस परिस्थिति में कोई खास बात नहीं हुई है। वह तो फिर एक कानूनी चीज चलती रही, और यह अधिनियम हुआ। मैं भाई भगवती प्रसाद से कह देना चाहता हूं श्रीमन्, उनके दिल में जो एक आशंका रह गयी है कि यह सदन ऐसा अधिनियम बना भी सकता है या नहीं, श्रीमन्, माननीय हाई कोर्ट के समक्ष भी यही चीज थी रिट के वक्त। रिट चलता रहा, रिट का फैसला हुआ और उसी सिलसिले में फैसला करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि विधान मण्डल को ऐसा विधेयक और अधिनियम बनाने का अधिकार है। श्रीमन्, मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन वापस हो जायगा और अगर वापस नहीं होगा तो मुझे बहुत खेद है और दुख है कि मैं पालीवाल जी के इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस संशोधन को लाने का मेरा उद्देश्य अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देने का था और अगर यह सरकार अपने राजहठ को छोड़ कर जनतांत्रिक ढंग से काम ले तो अच्छा है। लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर ले, मैं अपना काम कर चुका और बार-बार उसी काम को कर के और सदन का समय व्यर्थ नष्ट करने की आवश्यकता नहीं समझता।

मैं तो अपने कर्त्तव्य का पालन कर चुका और इसलिए मैं अब कुछ कहूंगा नहीं। मैं इसको वापस नहीं लूंगा। वह अपने बहुमत से इस को अस्वीकार करा दें।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में अंक "१२" के स्थान पर अंक "८" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक निवेदन करना है।

श्री अधिष्ठाता—आप निवेदन नहीं कर सकते, व्यवस्था का प्रश्न आप उठा सकते हैं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—व्यवस्था ही आपकी मैं चाहता हूं। जिस प्रकार अभी एक संशोधन गिर चुका है उसी तरह से यह जो नम्बर २, ३ और ४ के संशोधन हैं, वे भी शब्दिक हैं, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह तीनों संशोधन एक साथ ही जोड़ दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—यह गलत है, वह तीनों एक साथ नहीं जोड़े जा सकते।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने अपनी व्यवस्था से मुझे तीनों संशोधन पेश करने का अधिकार दे दिया लेकिन इस व्यवस्था से पहले मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहा था कि आपने अभी प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा था कि जो इसके पक्ष में हों वह हां कहें और जो इस के विपक्ष में हों वह नहीं कहें, तो "नहीं" के माने होते हैं कि कुछ न कहें, तो चुप रहें।

इन आगे के संशोधनों के पेश करने के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि मैं इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन कर चुका और अब मैं इन में से किसी संशोधन को पेश नहीं करूंगा। आप की बात मैं माने लेता हूं, मुझे कोई अड़ंगा लगाना नहीं है, अब मुझे कोई संशोधन मूव नहीं करना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६ की धारा १२ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय ; तथा

(२) शब्द "ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे" के स्थान पर शब्द "ऐसी और अवधि के भीतर जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

उत्तर प्रदेश अध्यादेश १, १९५७ का निरसन।

४—हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघठन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों कि यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित एक विधायन (enactment) रहा हो। यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३६, १९५६।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७

हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३६, १९५६।

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के अधीन गवर्नर ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अध्यादेश, १९५७ प्रचारित किया था। उ० प्र० अध्यादेश १, १९५७।

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मण्डल के अधिनियम की व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि वह वि ान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

मुझे अब कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस को पारित करेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन सायंकाल ७ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ अगस्त, १९५७।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर।)

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम	मिल चलने की तिथि	मात्रा गन्ना, जो ३० अप्रैल, १९५७ तक पेरा गया (लाख मनों में)
१	खतौली ..	.. ७-१२-५६	४४.०६
२	मन्सूरपुर ..	.. ३-११-५६	७९.७४
३	रोहाना कलां ..	.. १-१२-५६	४४.५८
४	शामली ..	.. १४-११-५६	६३.४७

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर।)

क्रम-सं०	चीनी मिल का नाम			गन्ना जो प्रत्येक चीनी मिल के क्षेत्र में ३० अप्रैल, १९५७ तक पेरना शेष था (लाख मनों में)	दिनांक जब तक समस्त उपलब्ध गन्ना पेर कर प्रत्येक मिल बन्द हुई
१	खतौली	..	..	११.५०	१२-६-५७
२	मन्सूरपुर	..	..	८.१५	२३-५-५७
३	रोहाना कलां	..	..	७.३७	३०-५-५७
४	शामली	..	..	२७.१०	२-७-५७

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर।)

सीजन १९५६–५७ की गन्ने की कीमत तथा सोसाइटी का कमीशन जो मुजफ्फरनगर की प्रत्येक चीनी मिल पर दिनांक २२–७–५७ तक शेष था

क्रम-सं०	नाम चीनी मिल	बकाया जो दिनांक २२-७-५७ को थी (लाख रुपयों में) गन्ना मूल्य	कमीशन	विवरण
१	खतौली ..	३.७४	१.०८	
२	मंसूरपुर ..	८.८०	१.३४	सर्टिफिकेट आफ रिकवरी जारी किया जा चुका है।
३	रोहाना कलां	..	०.९७	
४	शामली ..	११.६८	१.९०	सर्टिफिकेट आफ रिकवरी जारी किया जा चुका है।
	कुल योग ..	२४.२२	५.२९	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५२ पर।)

सूची अम्बर विद्यालय व परिश्रमालय

नाम जिला	संख्या परिश्रमालय	नाम जिला	संख्या परिश्रमालय
१—फैजाबाद ..	.. ७	२१—सहारनपुर	.. ३
२—बाराबंकी	.. २	२२—मुरादाबाद	.. २
३—आजमगढ़ ..	.. ६	२३—आगरा	.. १
४—जौनपुर ..	.. २	२४—अलीगढ़	.. १
५—बलिया ..	.. ३	२५—मथुरा	.. १
६—बनारस ..	.. २	२६—एटा	.. १
७—देवरिया ..	.. ५	२७—मुजफ्फरनगर	.. १
८—इलाहाबाद ..	.. १	२८—देहरादून	.. १
९—कानपुर ..	.. ३	२९—रामपुर स्टेट	.. १
१०—हरदोई ..	.. २	३०—जालौन	.. १
११—सुल्तानपुर	.. १	३१—फर्रुखाबाद	.. १
१२—लखनऊ ..	.. २	३२—बांदा	.. १
१३—गोरखपुर ..	.. ६	३३—बहराइच	.. १
१४—बस्ती ..	.. १	३४—रायबरेली	.. १
१५—हमीरपुर ..	.. ३	३५—फतेहपुर	.. १
१६—गाजीपुर ..	.. ५	३६—प्रतापगढ़	.. १
१७—झांसी ..	.. १	३७—उन्नाव	.. १
१८—बुलन्दशहर ..	.. ३	३८—मैनपुरी	.. १
१९—मेरठ ..	.. ४	३९—बदायूं	.. १
२०—बिजनौर ..	.. २	४०—बरेली	.. १
		४१—पीलीभीत	.. १

सूची अम्बर विद्यालय

नाम व पता अम्बर विद्यालय।

१—श्री गांधी आश्रम, अकबरपुर, फैजाबाद
२—श्री गांधी आश्रम, अम्बर विद्यालय, हजरतगंज, लखनऊ।
३—श्री गांधी आश्रम, मगहर, बस्ती।
४—श्री गांधी अम्बर विद्यालय, झांसी।
५—श्री गांधी आश्रम अम्बर विद्यालय, गाजीपुर।
६—श्री गांधी आश्रम विद्यालय, बाटेढ़ा, सहारनपुर।
७—श्री गांधी आश्रम अम्बर विद्यालय, मेरठ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर।)

तालिका "क"

THE HINDUSTHAN SUGAR MILLS LTD., GOLAGOKARANNATH KHERI

From 8th May to 31st May, 1957. From 1st June to 10th July, 1957

Date	Recovery
8-5-57	9.27
9-5-57	9.54
10-5-57	9.40
11-5-57	9.48
12-5-57	9.50
13-5-57	9.27
14-5-57	9.16
15-5-57	9.21
16-5-57	9.21
17-5-57	9.02
18-5-57	9.02
19-5-57	9.00
20-5-57	9.04
21-5-57	9.07
22-5-57	9.08
23-5-57	9.11
24-5-57	9.07
25-5-57	9.32
26-5-57	9.05
27-5-57	8.76
28-5-57	8.60
29-5-57	8.47
30-5-57	8.72
31-5-57	8.56

from 8-5-57 to 31-5-57

1. Recovery : 9.10%
2. Deduction @ Rs. -1-6 per md.
3. Price payable at
(1) gate Rs. 1-5-6 per md.
(2) rail centres Rs. 1-3-6 per md.

Date	Recovery
1-6-57	8.21
2-6-57	8.35
3-6-57	8.63
4-6-57	8.84
5-6-57	8.80
6-6-57	7.90
7-6-57	8.56
8-6-57	8.96
9-6-57	8.72
10-6-57	8.72
11-6-57	9.09
12-6-57	8.70
13-6-57	8.38
14-6-57	8.35
15-6-57	8.05
16-6-57	8.29
17-6-57	8.23
18-6-57	8.02
19-6-57	7.59
20-6-57	7.92
21-6-57	7.80
22-6-57	8.06
23-6-57	7.81
24-6-57	7.81
25-6-57	8.02
26-6-57	7.63
27-6-57	7.80
28-6-57	7.75
29-6-57	8.05
30-6-57	7.99
1-7-57	8.29
2-7-57	8.37
3-7-57	8.74
4-7-57	8.39
5-7-57	8.31
6-7-57	8.15
7-7-57	7.81
8-7-57	7.28
9-7-57	6.36
10-7-57	5.49

From 1-6-57 to 10-7-57

1. Recovery : 8.216 %
2. Deduction @ Rs. -4-6 per md.
3. Price payable at
(1) Gate Rs. 1-2-6. per md.
(2) rail centres Rs 1-0-6 per md.

तालिका 'ख'

THE OUDH SUGAR MILLS LTD., HARGAON, DISTRICT SITAPUR.

Date wise recovery from 8th May to 31st May, 1957

Date	Recovery
8-5-57	9.80
9-5-57	9.67
10-5-57	9.66
11-5-57	9.40
12-5-57	9.31
13-5-57	9.40
14-5-57	9.47
15-5-57	9.35
16-5-57	9.33
17-5-57	9.34
18-5-57 Cleaning	day
19-5-57	9.01
20-5-57	9.02
21-5-57	8.90
22-5-57	8.85
23-5-57	8.76
24-5-57	8.40
25-5-57	8.40
26-5-57	8.25
27-5-57	8.35
28-5-57	8.30
29-5-57	8.05
30-5-57	8.14
31-5-57	7.94

From 8-5-57 to 31-5-57

1. Average recovery 8.93
2. Deduction@ 2-3 per md.
3. Price payable at
   (1) gate Rs. 1-4-9
   (2) rail centres Rs. 1-2-9

Date wise recovery from 1st June to 7th July, 1957

Date	Recovery
1-6-57	8.05
2-6-57	8.06
3-6-57	8.07
4-6-57	8.10
5-6-57	8.14
6-6-57	8.02
7-6-57	8.06
8-6-57	7.90
9-6-57	7.06
10-6-57	7.19
11-6-57	7.40
12-6-57	7.35
13-6-57	7.40
14-6-57	7.42
15-6-57	7.45
16-6-57	7.50
17-6-57	7.70
18-6-57	7.75
19-6-57	7.65
20-6-57	7.51
21-6-57	7.50
22-6-57	7.44
23-6-57	7.48
24-6-57	7.50
25-6-76	7.49
26-6-57	7.17
27-6-57	6.95
28-6-57	7.18
29-6-57	7.00
30-6-57	7.70
1-7-57	6.80
2-7-57	6.70
3-7-57	6.80
4-7-57	6.82
5-7-57	6.40
6-7-57	6.10
7-7-57	5.80

From 1-6-57 to 7-7-57

1. Average recovery 7.46.
2. Deduction at -7- per md.
3. Price payable at
   1. gate Rs. 4 per md,
   2. rail centers Rs. -14- per md.

तालिका 'ग'

१—हरगांव मिल

समय			रु०	आ०	पा०	प्रतिमन
८ से ३१ मई, १९५७ तक	गेट	..	१	४	९	,,
	रेल सेन्टरों पर	..	१	२	९	,,
१ जून से ७ जुलाई, १९५७ तक	गेट	..	१	०	०	,,
	बाहरी केन्द्र	..	०	१४	०	,,

२—गोला मिल

८ मई से ३१ मई, १९५७ तक	गेट	..	१	५	६	,,
	रेल सेन्टर पर	..	१	३	६	,,
१ जून से १० जुलाई, १९५७ तक	गेट	..	१	२	६	,,
	बाहरी	..	१	०	६	,,

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६१ पर।)

जौनपुर जिले में बरसेठी क्षेत्र में अब तक बनाये गये नलकूपों की सूची

प्रथम पंचवर्षीय योजना

१—जमालपुर
२—रायपुर
३—खेमापुर
४—अंकरा
५—रामपुर
६—परमलपुर
७—रघुनाथपुर
८—सरायडीह
९—पट्टी कीरतराय
१०—हरिहरपुर
११—सुरैरी
१२—मदकिर
१३—जगदीशपुर
१४—बांडेयार
१५—देहुजा
१६—सिथयन
१७—सहनपुर
१८—सादतपुर
१९—आसापुर
२०—कोलाहलपुर
२१—गोरापट्टी
२२—साहबपुर
२३—खरगपुर
२४—दीनापुर
२५—जमनीपुर
२६—मदरांय
२७—चतुर्भुजपुर
२८—पिपरांव

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

२९—कासीपुर
३०—गोपालपुर
३१—परसुवा
३२—खोथरी
३३—कलहरा
३४—खुवांवा
३५—अरिगांव
३६—मैला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६४ पर ।)

विवरण-पत्र जिसमें वर्ष १९५५–५६ के दौरान में उत्तर प्रदेश में घरेलू उद्योग के विकास के लिये ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत वितरण किये गये ऋण तथा अनुदान का विवरण दिया गया है

क्रम-संख्या	जिले या नगर का नाम	फर्म या ऋण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वितरण किया गया ऋण रुपयों में	वितरण किया गया अनुदान रुपयों में	कुल वितरण किया गया ऋण व अनुदान रुपयों में
१	२	३	४	५	६
१	आगरा ..	१	५,०००	..	५,०००
२	अलीगढ़ ..	१	५,०००	..	५,०००
३	इलाहाबाद ..	१२	३१,५००	२,५००	३४,०००
४	अलमोड़ा ..	५	७,५००	७,५००	१५,०००
५	आजमगढ़ ..	१	..	५००	५००
६	बहराइच ..	१	५,०००	..	५,०००
७	बिजनौर ..	२	५,०००	..	५,०००
८	बलिया ..	५	१५,५००	२५०	१५,७५०
९	बाराबंकी ..	१	१,०००	..	१,०००
१०	बरेली ..	२	१५,०००	५००	१५,०००
११	बस्ती ..	२	१०,५००	२,०००	१२,५००
१२	बुलन्दशहर ..	५	७,५००	२,०००	९,५००
१३	देहरादून ..	३	७,५००	६००	८,१००
१४	देवरिया ..	१	५,०००	..	५,०००
१५	एटा ..	१	६,०००	..	६,०००
१६	इटावा ..	३	८,५००	१,८००	१०,३००
१७	फर्रुखाबाद ..	५	११,०००	१,२००	१२,२००
१८	गढ़वाल ..	५	५,५००	१,५५०	७,०५०
१९	गाजीपुर ..	१	७,०००	..	७,०००
२०	गोंडा ..	२	..	६००	६००
२१	गोरखपुर ..	१	१०,०००	..	१०,०००
२२	जालौन ..	२	९,५००	२,५००	१२,०००
२३	झांसी ..	२	८,०००	..	८,०००
२४	कानपुर ..	२०	३१,७००	७,२५०	३८,९५०
२५	लखनऊ ..	२२	५१,५००	८,०५०	५९,५५०
२६	मथुरा ..	१	५००	५००	१,०००
२७	मेरठ ..	९	३३,०००	१,५००	३४,५००
२८	मिर्जापुर ..	१	४,०००	..	४,०००
२९	मुरादाबाद ..	७	२०,५००	१,२५०	२१,७५०

क्रम-संख्या	जिले या नगर का नाम	फर्म या ऋण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वितरण किया गया ऋण रुपयों में	वितरण किया गया अनुदान रुपयों में	कुल वितरण किया गया ऋण व अनुदान रुपयों में
१	२	३	४	५	६
३०—मुजफ्फरनगर	..	१	६,०००	..	६,०००
३१—नैनीताल	..	६	३५,०००	२,०००	३७,०००
३२—प्रतापगढ़	..	१	८,०००	..	८,०००
३३—रायबरेली	..	१	..	३००	३००
३४—सहारनपुर	..	३५	५१,२००	..	५१,२००
३५—शाहजहांपुर	..	१	४,०००	..	४,०००
३६—सीतापुर	..	२	६,०००	६,५००	१२,५००
३७—सुल्तानपुर	..	१	..	३००	३००
३८—टेहरी-गढ़वाल	..	२	..	१,२५०	१,२५०
३९—उन्नाव	..	१	..	३००	३००
४०—वाराणसी	..	११	३४,५००	८,५५०	४३, ० ५
योग	..	१८६	४,७२,४००	६१,२५०	५,३३,६५०

सूची 'ख'

विवरण-पत्र जिसमें वर्ष १९५६-५७ के दौरान में उत्तर प्रदेश में घरेलू उद्योग के विकास के लिये ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत वितरण किये गये ऋण तथा अनुदान का विवरण दिया गया है—

क्रम-संख्या	जिले या नगर का नाम	फर्म या ऋण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वितरण किया गया ऋण रुपयों में	वितरण किया गया अनुदान रुपयों में	कुल वितरण किया गया ऋण व अनुदान रुपयों में
१	२	३	४	५	६
१—आगरा	..	१९	१,००,०००	१,०००	१,०१,०००
२—अलीगढ़	..	११	५८,५००	..	५८,५००
३—इलाहाबाद	..	३०	१,००,१००	१,२५०	१,०१,३५०
४—आजमगढ़	..	१	१,०००	५००	१,५००
५—अलमोड़ा	..	५	१५,०००	..	१५,०००
६—बस्ती	..	७	१७,५००	२,०००	१९,५००
७—बिजनौर	..	३	१६,५००	..	१६,५००
८—बुलन्दशहर	..	३	२,४००	..	२,४००
९—बदायूं	..	२	९,०००	..	९,०००

क्रम-संख्या	जिले या नगर का नाम	फर्म या ऋण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वितरण किया गया ऋण रुपयों में	वितरण किया गया अनुदान रुपयों में	कुल वितरण किया गया ऋण व अनुदान रुपयों में
१	२	३	४	५	६
१०—बाराबंकी	..	१	१,०००	..	१,०००
११—बहराइच	..	१	५,०००	..	५,०००
१२—बरेली	..	६	२४,५००	..	२४,५००
१३—बलिया	..	२	४,५००	..	४,५००
१४—देहरादून	..	४	११,२००	..	११,२००
१५—देवरिया	..	१	८,०००	१,०००	९,०००
१६—इटावा	..	४	१५,०००	६००	१५,६००
१७—एटा	..	१	..	२,०००	२,०००
१८—फतेहपुर	..	२	१०,०००	..	१०,०००
१९—फर्रुखाबाद	..	१२	३,५००	४,०००	७,५००
२०—फैजाबाद	..	१	..	१,५००	१,५००
२१—गोंडा	..	१	२,०००	७५०	२,७५०
२२—गोरखपुर	..	३	२७,५००	१,०००	२८,५००
२३—हरदोई	..	१	५,०००	..	५,०००
२४—जालौन	..	३	२,५००	१,०००	३,५००
२५—झांसी	..	२	७,५००	..	७,५००
२६—कानपुर	..	६६	१,४५,२००	९,९००	१,५५,१००
२७—लखनऊ	..	१९	१,०२,०००	३,२५०	१,०५,२५०
२८—मेरठ	..	३०	९१,०००	१,५५०	९२,५५०
२९—मिर्जापुर	..	१	..	३००	३००
३०—मुजफ्फरनगर	..	२	७,०००	..	७,०००
३१—मथुरा	..	१	२,५००	..	२,५००
३२—मुरादाबाद	..	६	२५,०००	२,०००	२७,०००
३३—नैनीताल	..	६	१५,५००	१,०००	१६,५००
३४—पीलीभीत	..	१	३,०००	..	३,०००
३५—रामपुर	..	१	..	२५०	२५०
३६—सुल्तानपुर	..	२	८,५००	..	८,५००
३७—सहारनपुर	..	१	२,५००	..	२,५००
३८—टेहरी गढ़वाल	..	१	..	२५०	२५०
३९—वाराणसी	..	९	३६,०००	५००	३६,५००
योग	..	२७२	८,८५,४००	३५,६००	९,२१,०००

सत्यमेव जयते

सूची 'ग'

विवरण-पत्र जिसमें वर्ष १९५६–५७ के दौरान में उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार की उदार योजना के अन्तर्गत वितरण किये गये ऋण का विवरण दिया गया है—

क्रम-संख्या	जिले या नगर का नाम		फर्म या ऋण पाने वाले व्यक्तियों की संख्या	वितरण किया गया ऋण (रुपयों में)	टिप्पणी
१	२		३	४	५
१	आगरा	..	१	१५,०००	
२	अलीगढ़	..	४	१,३५,०००	
३	इलाहाबाद	..	१	३०,०००	
४	जौनपुर	..	१	३०,०००	
५	कानपुर	..	१०	२,५२,०००	
६	सहारनपुर	..	१	४०,०००	
७	वाराणसी	..	१	४०,०००	
		योग ..	१९	५,४२,०००	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०९ व ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६७ पर)

क्रम-संख्या	कर्ज पाने वाले उद्योगपतियों के नाम		कर्ज की रकम	उद्योगों के नाम
			रु०	
	श्री रामचन्द्र सहाय, जिला अलीगढ़	..	१०,०००	कृषि सम्बन्धी औजार बनाने का कारखाना ।
	श्री जंग बहादुर झा, जिला आगरा	..	१०,०००	लिक्विड गोल्ड इंडस्ट्री
३	श्री एच० एस० विनोद, कानपुर	..	१०,०००	एलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट इंडस्ट्री ।
४	सीलोटेप वर्क्स कानपुर	..	३०,०००	सियालोटेप ।
	योग	..	६०,०००	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७२ पर।)

उन ग्रामों की सूची जिनका स्तर १९५६–५७ में जमानिया तहसील के अन्तर्गत ऊंचा किया गया

प्रश्न–संख्या १३९

ग्रामों के नाम	ग्रामों के नाम
१---रायपुर	३३---चित्र का डेरा
२---रेवधा	३४---अनिहारीपुर
३---महेशपुर	३५---जिवपुर
४---ताजपुर	३६---हरकरनपुर
५---देवैथा	३७---कल्यानपुर
६---फुली	३८---सेदुरा
७---तिवारीपुर	३९---सबलपुर खुर्द
८---मेदनी चक	४०---नसीरपुर
९---सोहबल	४१---तिलवा
१०---धिनपुरा	४२---सुगौलिया
११---पचौरी	४३---घाटमपुर
१२---निरहुकापुरा	४४---डारीडीह
१३---धनेरी	४५---बेचुवा
१४---केसरवा	४६---उधरनपुर
१५---उचितपुर	४७---जमुरना
१६---उसिया	४८---अमोरा
१७---युवराजपुर	४९---गौरा
१८---फरीदपुर	५०---पठकोलिया
१९---सिंहा	५१---बीरपुर
२०---चित्र कोनी	५२---हरवल्लभ पुर
२१---साधोरामपुर	५३---गोपालपुर
२२---पकरी	५४---हारू का डेरा
२३---हरनाथ पुर	५५---फुफुआंव
२४---सुरहा	५६---रमोली
२५---हथौरी	५७---कुतुबपुर
२६---कुलहरिया	५८---बकैनिया
२७---करैला	५९---तरान बन्ध
२८---बसहारी	६०---ठोकवा
२९---हरपुर	६१---पलिया
३०---डेरगवां	६२---छितुहा
३१---गोरसरा	६३---बयारी
३२---मनीहार कलां	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्रामों के नाम	ग्रामों के नाम
६४---नई बाजार (दिलदार नगर)	९६---नवापुरा
६५---नारायण पुर	९७---लहना
६६---सिहानी	९८---मठिया
६७---असेई चन्दपुर	९९---सुनहरिया
६८---हरकरनपुर	१००---सलीमपुर
६९---सुजानपुर	१०१---खरगासीपुर
७०---टंडवा	१०२---मलसाकलां
७१---बेनीपुर	१०३---माधोपुर
७२---दाऊदपूर	१०४---फाहीपुर
७३---पहलादपुर	१०५---रेवतीपुर
७४---सठिया	१०६---रसूलपुर
७५---पिजारी	१०७---गायघाट
७६---नरसिंह पुर	१०८---अभयपुर
७७---घुसका	१०९---अभिमानपुर
७८---लोटवा	११०---मुहम्मद पुर खुर्द
७९---छतहा	१११--- देलनां जौर
८०---बकसरा	११२---हसनपुर
८१---अकबरपुर	११३---डेकई
८२---बनवारा	११४---बरोई
८३---दुहिया	११५---रसूलपुर
८४---बराजी	११६---गोहदा बिशुनपुर
८५---शिवराई	११७---चकिया
८६---मनिया	११८---नेथली
८७---मिरचा	११९---रामपुर
८८---कूसी	१२०---खन्धा
८९---भदौरा बाजार	१२१---दरौली
९०---नगसर	१२२---सायर
९१---बेटाबर	१२३---अरसीया
९२---बहलौलपुर	१२४---मिर्जापुर
९३---भतौरा	१२५---सरैयां
९४---भोवलचक	१२६---हसनचक
९५---मतमुरा	

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर)

१---डगंउली
२---हकउना
३---कोटवा
४---महनियापुर
५---मोहम्मदपुर खास
६---रूरीडीह
७---खुनखुन दवा
८---कच्छी कालन
९---फैजुल्लापुर
१०---सौदंसार
११---चकरा
१२---मनवार कौल
१३---कुंडरा
१४---मसीनिह
१५---पद्मी दंद
१६---शिवपुर
१७---बीबीपुर
१८---मजुउली
१९---दौंदापुर
२०--- दीपनारायणपुर
२१---छपरा
२२---सैदपुर
२३---सिकाथ या
२४---रामजी चख
२५---सराय मक्खन
२६---कोपरा
२७---दानियालपुर
२८---अलीनगर
२९---कोतुकपुर
३०---कंसापुर
३१---आमानी कोल
३२---मोहम्मदपुर
३३---हिलसा
३४---भगवानपुर
३५---हटपुरा
३६---चिस्तीपुर
३७---पारा
३८---दुहिया देवारा
३९---बीबीपुर
४०---ताहरापुर
४१---परिसिया
४२---मूसाडोही
४४---मोलनापुर
४४---दुबारी देवारा
४५---धुरमपुर देवारा
४६---खरा देवारा
४७---ससिवा देवारा
४८---कचला देवारा
४९---नूरूल्लापुर
५०---जामिन सरंगपुर
५१---सरफास
५२---मितसनपुर
५३---बरोहा
५४---गो इबरा
५५---बखारिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७९ पर।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६--५७ में कानपुर शहर में ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत वितरण किये गये ऋण व अनुदान का विवरण

क्रम-संख्या	फर्म या ऋण पाने वाले व्यवसाइयों का नाम	व्यवसाय का नाम	वितरण हुआ ऋण रुपयों में	वितरण हुआ अनुदान रुपयों में	कुल वितरण हुआ ऋण अनुदान रुपयों में
१	२	३	४	५	६
१	श्री बांकेलाल मिश्रा	मशीन पुर्जे बनाने के लिये शार्टल पिंस वियरिंग व मशीन के पुर्जे के लिये।	५,०००	..	५,०००
२	श्री आर०के० घोष		१,०००	..	१,०००
३	श्री रामकृपाल वर्मा	ब्रासवेयर मोल्डिंग इंडस्ट्री	२,५००	..	२,५००
४	मेसर्स सुन्दर स्टील वर्क्स	इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के विकास के लिये	४,०००	..	४,०००
५	श्री शीतला प्र साद पांडेय	टेलरिंग इंडस्ट्री के लिये	..	२५०	२५०
६	श्री आर०एन०किदू	,,	..	३००	३००
७	श्री भवगवती प्रसाद सोनकार	पेंट एन्ड शेविंग बुशेज बनाने के लिये	५,०००	..	५,०००
८	श्री शंकर सिंह	टेलरिंग इंडस्ट्री	..	२५०	२५०
९	श्री मुख्तार अहमद	,,	..	३००	३००
१०	श्रीमती कृष्णादेवी	,,	..	२५०	२५०
११	श्री नारायण अग्निहोत्री	,,	..	३००	३००
१२	श्री इंद्रपाल सिंह	ब्रुश बनाने ब्रिसिल इंडस्ट्री के लिये	५००	..	५००
१३	श्री बी०आर० अवस्थी	बुक बाइंडिंग	२,०००	..	२,०००
१४	श्री खुशेहर दास	लेदर गुड्स बनाने के लिये चमड़े के सूटकेस आदि	२,०००	..	२,०००
१५	श्री फजल इलाही	साइकिल के पुर्जे, पैडिल हैंडिल, गियरव, घंटी, इत्यादि बनाने के लिये	.. ५,०००	..	५,०००
१६	श्री रामचन्द्र दरियानी	शस्टार एन्ड रिवेट्स	२,५००	..	२,५००
१७	श्री गोविंद प्रसाद	टेलरिंग	..	३००	३००
१८	श्री सुरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	,,		३००	३००
१९	श्री रामचन्द्र बरोनिया	स्टील स्ट्रेडेड स्टे वायर के मैनुफैक्चर के लिये	१०,०००	..	१०,०००

१	२	३	४	५	६
२०	श्री बलवन्त सिंह	आटोमोबाइल स्पेयर पार्टस मैनुफैक्चरिंग	२,५००	..	२,५००
२१	श्री छेदी लाल कुरील	चप्पल और फुटवियरिंग मैनुफैक्चरिंग	७००	..	७००
२२	श्री मेवालाल	हाइड मैनुफैक्चरिंग ग्ल्यू	४,०००	..	४,०००
२३	श्री बाबू राम शर्मा	एग्रीकल्चरल इंम्पलीमैंट्स एन्ड मशीन पार्टस	४,०००	..	४,०००
२४	श्री आई०सी० रस्तोगी मेटल	,,	१०,०००	..	१०,०००
२५	श्री तुलसी दास प्रोप्राइटर इंडस्ट्रीज	साइकिल पार्टस मैनुफैक्चरिंग	५,०००	..	५,०००
२६	श्री श्रीकृष्णवायम	इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री	२,०००	..	२,०००
२७	श्री शिवकांत शुक्ल	साइकिल पार्टस मैनुफैक्चरिंग	२,५००	..	२,५००
२८	श्री निरंजन सिंह प्रोप्राइटर—गुरु नानक इंजीनियरिंग वर्क्स	मोटर पार्टस ऐन्ड साइकिल पार्टस	४,०००	..	४,०००
२९	श्री सुधीन्द्र वाल शुक्ला	वाचरिपेयरिंग इंडस्ट्री	५००	२५०	७५०
३०	श्री समीउद्दीन	रेडियो ऐम्प्लीफायर्स व इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंटस के लिये	..	१,०००	१,०००
३१	श्री एम०एस० निगम प्रो० कानपुर आयरन वर्क्स	साइकिल पार्टस व ऐग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के लिये	३,०००	..	३,०००
३२	मेसर्स ज्वाला वेल्डिंग ऐन्ड आटोमोबाइल वर्क्स	आटो मोबाइल पार्ट्स की मरम्मत व मैनुफैक्चरिंग के लिये	७,५००	..	७,५००
३३	श्रीमती शांती सिन्हा	मैजिक लैन्टर्न स्लाइड्स और इपीडिया स्कोप्स बनाने के लिये	३,०००	५००	३,५००
३४	श्री याकूब अली	शू इंडस्ट्री	२,५००	..	२,५००
३५	टिम्बर एन्ड उड वर्किंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड	उड वर्किंग	७,५००	..	७,५००
३६	श्री मकबूल अहमद	कनवेस गुड्स एन्ड बैग—होल्डस मैनुफैक्चरिंग	१,०००	..	१,०००
३७	श्री गुलाम हुसेन	,,	..	३००	३००
३८	श्री निजामुद्दीन	,,	..	,,	,,
३९	श्री उमाशंकर पाठक	,,	..	,,	,,
४०	श्री शफीउद्दीन	,,	..	,,	,,
४१	श्री मुहम्मद शफी	,,	..	,,	,,
४२	श्री कैलाश नाथ	,,	..	,,	,,

१	२	३	४	५	६
४३	श्री हामिद	कैन्वेस गुड्स ऐण्ड बैग होल्डर्स मैनुफैक्चरिंग	. .	३००	३००
४४	श्री सिद्दीकी	,,	. .	,,	,,
४५	श्री खुशचन्द्र	,,	. .	,,	,,
४६	श्री नीमखां	,,	. .	,,	,,
४७	श्री रघुनाथ प्रसाद	,,	. .	,,	,,
४८	श्री सधारी लाल	,,	. .	,,	,,
४९	श्री कैलाश नाथ	,,	. .	,,	,,
५०	श्री सोनी लाल	,,	. .	,,	,,
५१	श्री पूरन सिंह रावत	,,	. .	,,	,,
५२	श्री शौकत अली	,,	. .	,,	,,
५३	श्री वसीरुद्दीन	,,	. .	,,	,,
५४	श्रीमती रामदुलारी	टेलरिंग वर्क	. .	३००	३००
५५	श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल	मेडिसिन व ट्वायलेट्स मैनुफैक्चरिंग	२,५००	. .	२,५००
५६	श्रीमती द्रोपदी देवी	टेलरिंग वर्क	. .	२५०	२५०
५७	श्री मोहम्मद अोयर	गिलेट कटोरा व टेम्बलर्स मैनुफैक्चरिंग	२,५००	. .	२,५००
५८	श्री सुरजन लाल मलहोत्रा	टेलरिंग वर्क	. .	३००	३००
५९	श्री हरदयाल सिंह	सायकिल सैडिल व अन्य पुर्जे बनाने के लिये	२,५००	. .	२,५००
६०	श्री रूपरतन बाजपेयी	बुशवेयर वर्क	३,०००	. .	३,०००
६१	श्री राधा चरण निगम	टेक्सटाइल मशीनरी व स्पेयर पार्टस मैनुफैक्चरिंग	५,०००	. .	५,०००
६२	मेसस मिनर्वा इंजीनियर्स	साइकिल पार्टस सैडिल्स वर्क्स मैनुफैक्चरिंग	५,०००	. .	५,०००
६३	श्री मिश्री लाल कृष्णकुमार	पोटैशियम नाइट्रेड	१०,०००	. .	१०,०००
६४	ब्लैक एन्ड ह्वाइट कम्पनी	पेंट्स एन्ड वारनिश एन्ड एलाइड प्रोडक्श	७,५००	. .	७,५००
६५	जयभारत मेटल	ब्लाक्स मेटल पालिश, निकिल प्लेटिंग मैनुफैक्चरिंग	३,०००	. .	३,०००
६६	मेसर्स पापुलर सैडिल मैनुफैक्च	सैडिल एन्ड स्पेयर पार्टस	५,०००	. .	५,०००
		योग	. .	१,४५,२००	९,९००	१,५५,१००

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७९ पर।)

सूची 'ख'

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६–५७ में कानपुर शहर में केन्द्रीय सरकार की 'उदार ऋण योजना' के अन्तर्गत वितरण किये गये ऋण का विवरण

क्रम-संख्या	फर्म या ऋण पाने वाले व्यवसाइयों का नाम	व्यवसाय का नाम	वितरण हुआ ऋण रुपयों में
१	मेसर्स के०पी०पी० भार्गव	टैक्सटाइल आक्जीलियरीज	२५,०००
२	मेसर्स धींगरा इंजीनियरिंग वर्क्स	पावर लूम मशीनमेकिंग	२५,०००
३	मेसर्स आइडियल काटेज इंडस्ट्रीज	इंजीनियरिंग वर्क्स	३०,०००
४	मेसर्स ईस्ट इंडिया इंजीनियरिंग कार्पोरेशन	इलेक्ट्रिक गुड्स एन्ड वेहकिल पार्टस	४०,०००
५	मेसर्स अनिल मेटल वर्क्स	अलमोनियम यूटेंसिल्स	१२,०००
६	स्पूल कोआपरेटिव कम्पनी	थेरेडवाल इंडस्ट्री	४०,०००
७	मेसर्स इम्पायर इजिनियरिंग वर्क्स	आयल इंजिन मैनुफैक्चरिंग	२०,०००
८	मेसर्स सलूजा इंडस्ट्रीज	मैनुफैक्चरिंग आफ पुलीज एन्ड वेल बोरिंग मैटीरियल	२०,०००
९	मेसर्स मार्डन इंजीनियरिंग कम्पनी	वोल्टस, नट्स एन्ड आयरन क्लैट्स मैनुफैक्चरिंग	१५,०००
१०	मेसर्स बी० एन्ड एस एन्ड सन्स	प्रोडयूसर्स आफ भगत आयल इंजिस	२५,०००
		योग ..	२,५२,०००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१२७ एल० ए०—१९५७—७९६।